रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2015/ज्येष्ठ 12,1937
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2015/JYAISTHA 12, 1937

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

फा. सं. 21-4/2008-आईडी.–युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के संकल्प सं. 21-4/2008-आईडी के अनुसरण में 6 जनवरी, 2009 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग I, खंड 2 के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी (नाडा) अन्य विषयों के साथ-साथ भारत में डोप-रोधी नियमों को अपनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए मुख्य प्राधिकरण है।

राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी (नाडा) ने विश्व डोप-रोधी एजेंसी (वाडा) संहिता 2015 के आधार पर अपना डोप-रोधी नियम 2015 तैयार किया हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों और खिलाडियों के सहायक कार्मिकों के लिए शर्तें तथा डोप परीक्षणों के नमूने एकत्र करने की पद्धति, परीक्षण परिणामों के प्रबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये नियम दिनांक 31-12-2008 और 5-2-2010 के नाडा डोप-रोधी नियमों के स्थान पर हैं।

दिनांक 31-12-2008 और 5-2-2010 के नाडा डोप-रोधी नियमों का अधिक्रमण करते हुए नाडा डोप-रोधी नियम, 2015 को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है। नाडा डोप-रोधी नियम, 2015 सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे और इन्हें 01.01.2015 से प्रभावी माना जाएगा।

ओंकारमल केडिया, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, भारत
नाडा डोप-रोधी नियम-2015
(वाडा संहिता 2015 पर आधारित)
नाडा एंटी-डोपिंग नियम

परिचय

प्रस्तावना

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के तहत 2005 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी।

7 मार्च 2008 को, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा), भारत ने विश्व एंटी-डोपिंग संहिता को स्वीकार किया। एंटी-डोपिंग के इन नियमों को ग्रहण करना और इनका क्रियान्वयन संहिता के तहत, और नाडा के भारत में खेल में डोपिंग को समाप्त करने के निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाने के नाडा के दायित्वों के अनुसार किया जाता है। वाडा संहिता 2009 में संशोधनों के बाद, 2015 की वाडा की संशोधित संहिता को नाडा ने संहिता 2015 की अनुरूपता में स्वीकार किया और संशोधन किया है। एंटी-डोपिंग के ये नियम 1 जनवरी, 2015 से नाडा के एंटी-डोपिंग नियम 2015 के रूप में प्रभाव में आएंगे।

ये एंटी-डोपिंग नियम वे नियम होते हैं जो उन शर्तों का संचालन करते हैं जिनके तहत खेल खेले जाते हैं। इनका अभिप्राय विश्व में संगत तरीके से एंटी-डोपिंग सिद्धांतों को लागू करना होता है, वे प्रकृति में आपराधिक व नागरिक क़ानूनों से भिन्न होते हैं, और इनका अभिप्राय आपराधिक या नागरिक कार्यवाहियों पर लागू किसी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और कानूनी मानकों के अधीन रहना या उनके द्वारा सीमित रहने का नहीं होता। दिये गए मामले के तथ्यों और कानून की समीक्षा करते समय, सभी न्यायालयों को, पंचायती न्यायाधिकरणों और न्यायिक निर्णय देने वाली संस्थाओं को संहिता का क्रियान्वयन करने वाले इन एंटी-डोपिंग नियमों की विशेष प्रकृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए और इस तथ्य से अवगत रहना चाहिए कि ये नियम निष्पक्ष खेल को सुरक्षित करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या अनिवार्य होगा इसके ऊपर दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों की सहमति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संहिता और नाडा के एंटी-डोपिंग नियमों के लिए मूल औचित्य

एंटी-डोपिंग कार्यक्रम खेल के बारे में आंतरिक रूप से बहुमूल्य चीजों को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। आंतरिक महत्व को अक्सर "खेल की भावना" के रूप में जाना जाता है। यह ओलिंपिज़्म का सार है; प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभाओं की समर्पित प्रवीणता के माध्यम से मानवीय उत्कृष्टता की तलाश। ऐसे ही हम सही मायनों में खेलते हैं। खेल की भावना मानवीय भावना, शरीर व मन का जश्न होती है, और जो खेल में और उसके माध्यम से हमें मिलने वाली मान्यताओं में दिखाई देती है, इसमें निम्न शामिल हैं:

- नैतिकता, निष्पक्ष खेल और ईमानदारी
- स्वास्थ्य
- प्रदर्शन में उत्कृष्टता
- चरित्र और शिक्षा
- मज़ा और आनंद
- सम्मिलित कार्य
- समर्पण और प्रतिबद्धता
- नियमों और क़ानूनों के लिए आदर
- स्वयं और अन्य प्रतिभागियों के लिए आदर
- साहस
- समुदाय और एकजुटता

डोपिंग खेल की भावना से मूल रूप से विपरीत है।

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग कार्यक्रम

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। इस प्रकार, नाडा के पास निम्न के लिए अनिवार्य अधिकार और दायित्व हैं:

- डोपिंग नियंत्रण में सुधारों की योजना बनाना, समन्वय करना, निगरानी करना और सुधारों का समर्थन करना;
- अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों के साथ सहयोग;
- राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण को बढ़ावा देना;
- एंटी-डोपिंग जानकारी, शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों की योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और निगरानी करना;
- एंटी-डोपिंग शोध का प्रचार करना;
- अपने अधिकारक्षेत्र के अंदर डोपिंग के प्रत्येक मामले में खिलाड़ी सहायता कर्मी या अन्य व्यक्ति के शामिल होने सहित एंटी-डोपिंग नियमों के सभी संभावित उल्लंघनों का सख्ती से पीछा करना, और सुनिश्चित करना कि परिणामों को सही से लागू किया जाए;
- नाबालिग और ऐसे किसी भी खिलाड़ी सहायता कर्मी द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के किसी मामले में अपने अधिकारक्षेत्र के अंदर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन में शामिल एक से अधिक खिलाड़ी को सहायता प्रदान करने की स्वतः जाँच करना।
- संहिता के अनुच्छेद 20.7.10 के अनुसार वाडा द्वारा की गई जाँचों के संबंध में वाडा को पूर्ण सहयोग देना; और
- जहाँ वित्त पोषण किया जाता हो, ऐसे खिलाड़ी या खिलाड़ी सहायक कर्मी को कुछ या सारे वित्त पोषण से वंचित रखना जो एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए अयोग्यता की अवधि भोग रहा या रही हो।

[टिप्पणी: ऐसा इरादा रखा जाता है कि प्रत्येक देश में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन होना चाहिए, और कि राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन सभी सार्वजनिक और खेल गतिविधि निकायों से परिचालन निर्णयों और गतिविधियों में स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता का सिद्धांत विश्वभर में एंटी-डोपिंग कार्यक्रमों को सहारा देता है और एंटी-डोपिंग कार्य की नैतिकता को सुनिश्चित करता है]।

इन एंटी-डोपिंग नियमों का दायरा

अनुच्छेद 1 में इन एंटी-डोपिंग नियमों की प्रयोज्यता के दायरे को स्थापित किया गया है।

अनुच्छेद 1 एंटी-डोपिंग नियमों की प्रयोज्यता

1.1 नाडा के लिए प्रयोज्यता

ये एंटी-डोपिंग नियम नाडा पर लागू होंगे।

1.2 राष्ट्रीय महासंघों के लिए प्रयोज्यता

1.2.1 भारत सरकार और/या भारतीय राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति से वित्तीय और/या अन्य सहायता लेने की शर्त के रूप में, प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय महासंघ भारत के राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग कार्यक्रम और इन एंटी-डोपिंग नियमों की भावना और शर्तों का पालन करेगा, और इन एंटी-डोपिंग नियमों को उनके संचालन दस्तावेज़ों, संविधान और/या उनके सदस्यों और प्रतिभागियों को बांधने वाले खेल के नियमों के हिस्से के रूप में नियमों में सीधे या संदर्भ द्वारा शामिल करेगा।

[अनुच्छेद 1.2.1 के लिए टिप्पणी: नाडा उसकी सरकारी और राष्ट्रीय ऑलिंपिक समिति के साथ सहयोग करेगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नाडा की मान्यता और इन एंटी-डोपिंग नियमों की स्वीकृति और प्रयोजयता राष्ट्रीय महासंघ द्वारा सरकार और/या राष्ट्रीय ऑलिंपिक समिति से किसी प्रकार की वित्तीय और/या अन्य सहायता की प्राप्ति की पूर्व-शर्त का प्रतिनिधित्व करती हो।]

1.2.2 इन एंटी-डोपिंग नियमों को अपना कर, और उन्हें उनके सरकारी दस्तावेज़ों और खेल के नियमों में शामिल कर, राष्ट्रीय महासंघ राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने और राष्ट्रीय महासंघ के अधिकारक्षेत्र के तहत नीचे अनुच्छेद 1.3 में सूचीबद्ध सभी व्यक्तियों के संदर्भ में इन एंटी-डोपिंग नियमों (परीक्षण करने सहित) को लागू करने के लिए नाडा के अधिकार और दायित्व को मान्यता देते हैं और उस काम में नाडा का साथ और समर्थन देंगे। वे इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार निर्णयों को मान्यता देंगे, पालन करेंगे और उन्हें प्रभाव में लाएँगे, जिसमें उनके अधिकारक्षेत्र के तहत व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले सुनवाई पैनलों के निर्णय शामिल होंगे।

1.3 व्यक्तियों के लिए प्रयोज्यता

1.3.1 ये एंटी-डोपिंग नियम निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे (नाबालिगों सहित), प्रत्येक मामले में, चाहे वह व्यक्ति भारतीय या भारत का नागरिक क्यों न हो:

1.3.1.1 सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी सहायक कर्मी जो भारत में किसी भी राष्ट्रीय महासंघ के सदस्य या लाइसेंस-धारक हों, या भारत में किसी राष्ट्रीय महासंघ का कोई सदस्य या संबद्ध संगठन (कोई क्लब, टीम, संघ या लीग सहित);

1.3.1.2 सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी सहायक कर्मी जो भारत में किसी राष्ट्रीय महासंघ द्वारा व्यवस्थित, आयोजित, अधिकृत या मान्यता प्राप्त कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धा और अन्य गतिविधि में ऐसी क्षमता में हिस्सा लेते हों, या भारत में किसी राष्ट्रीय महासंघ का कोई सदस्य या सहयोगी संगठन (कोई क्लब, टीम, संघ या लीग सहित);

1.3.1.3 कोई अन्य खिलाड़ी या खिलाड़ी सहायक कर्मी या अन्य व्यक्ति जो, मान्यता, लाइसेंस या अन्य संविदात्मक व्यवस्था, या अन्यथा के आधार पर, भारत में किसी राष्ट्रीय महासंघ के अधिकारक्षेत्र के अधीन हो, या भारत में किसी राष्ट्रीय महासंघ का कोई सदस्य या सहयोगी संगठन (कोई क्लब, टीम, संघ या लीग सहित);

1.3.1.4 सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी सहायक कर्मी जो ऐसे किसी राष्ट्रीय आयोजन के या राष्ट्रीय लीग के आयोजकों द्वारा आयोजित, संघटित, संचालित या अधिकृत किसी गतिविधि में किसी भी क्षमता में हिस्सा लेते हों जो राष्ट्रीय महासंघ से संबद्ध न रखती हो; और

[अनुच्छेद 1.3.1 के लिए टिप्पणी: इन आयोजक संस्थाओं को राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।]

1.3.1.5 सभी खिलाड़ी जो इस अनुच्छेद 1.3.1 के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से किसी एक के अंदर न आते हों लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों या राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए योग्य होने की इच्छा रखते हों (और ऐसे खिलाड़ी ऐसे आयोजनों के लिए योग्य होने से पहले कम से कम छह माह के लिए इन एंटी-डोपिंग नियमों के तहत परीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए)।

1.3.2 ये एंटी-डोपिंग नियम अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भी लागू होंगे जिनके ऊपर संहिता नाडा को अधिकारक्षेत्र देती हो, जिसमें ऐसे सभी खिलाड़ी शामिल हैं जो भारत में प्रतिस्पर्धा करने या प्रशिक्षण लेने या अन्यथा मौजूद हों।

1.3.3 *अनुच्छेद 1.3.1 या 1.3.2 के दायरे के अंदर आने वाले व्यक्तियों के लिए समझ लिया जाएगा कि उनके चुने गए खेल में उनकी सदस्यता, मान्यता और/या हिस्सा लेने की शर्त के रूप में उन्होने इन एंटी-डोपिंग नियमों, और इन एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करने के लिए नाडा के प्राधिकार और इन एंटी-डोपिंग नियमों के तहत लाए गए मामलों और अपीलों की सुनवाई और निर्धारण के लिए अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट सुनवाई पैनलों के अधिकारक्षेत्र के लिए प्रस्तुत होने पर सहमति दे दी है और इन से बंधना स्वीकार कर लिया है।*

1.4 *राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी*

1.4.1 *अनुच्छेद* 1.3 *के दायरे के अंदर आने वाले सभी खिलाड़ियों में से, निम्न खिलाड़ियों को इन एंटी-डोपिंग नियमों के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी समझा जाएगा:*

1.4.1.1 *कोई भी खिलाड़ी जो भारत के राष्ट्रीय खेल महासंघ का सदस्य या लाइसेंस-धारक हो, इस बात की परवाह किए बिना कि वह कहाँ निवास करता/करती या स्थित है।*

1.4.1.2 *कोई भी खिलाड़ी जो नाडा का पंजीकृत परीक्षण पूल हो।*

1.4.1.3 *कोई खिलाड़ी जो भारत में राष्ट्रीय खेल महासंघ या उसके संबद्धित बोर्ड, क्लब, टीम, संघ या लीग द्वारा अधिकृत आयोजन में हिस्सा लेता/लेती हो।*

1.4.1.4 *नाबालिग सहित कोई खिलाड़ी, जो भारत में राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्राधिकरण या जहाँ भारत में राष्ट्रीय खेल महासंघ उस आयोजन के लिए प्रबंध निकाय के तहत आयोजित राष्ट्रीय आयोजनों/खुले आयोजनों में हिस्सा लेता हो।*

लेकिन यदि ऐसे किसी खिलाड़ी को उनके संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत करता हो तब उन्हें इन एंटी-डोपिंग नियमों के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी भी माना जाएगा (और राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी नहीं)।

1.4.2 ये एंटी-डोपिंग नियम अनुच्छेद *1.3* के दायरे के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होते हैं। हालाँकि, परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुच्छेद *4.3* के अनुरूप, नाडा की परीक्षण वितरण योजना का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय-स्तर और उसके ऊपर के खिलाड़ी रहेंगे।

अनुच्छेद 2 डोपिंग की परिभाषा - एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन

डोपिंग को इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुच्छेद 2.1 से अनुच्छेद 2.10 में निर्धारित किए गए एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघनों की एक या ज़्यादा घटना के रूप में परिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद 2 का उद्देश्य उन परिस्थितियों और आचरण के बारे में बताना है जिनके कारण एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन होता है। डोपिंग मामलों में सुनवाई इस दावे के आधार पर आगे बढ़ेगी कि इन में से एक या ज़्यादा विशेष नियमों का उल्लंघन हुआ है।

खिलाड़ियों या अन्य व्यक्तियों पर यह जानने का दायित्व होगा कि एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन कैसे स्थापित होता है और प्रतिबंधित सूची पर किन पदार्थों और विधियों को शामिल किया गया है।

एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन निम्न कारणों से होता है:

2.1 खिलाड़ी के नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की उपस्थिती

2.1.1 प्रत्येक खिलाड़ी का निजी कर्तव्य होता है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके शरीर में कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ प्रवेश न करे। खिलाड़ी उनके नमूनों में पाए जाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर के लिए उत्तरदायी होंगे। उसी प्रकार से, अनुच्छेद 2.1 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए खिलाड़ी द्वारा इच्छा, गलती, लापरवाही या जानबूझकर उपयोग को सिद्ध किया जाए।

[अनुच्छेद 2.1.1 के लिए टिप्पणी: इस अनुच्छेद के तहत खिलाड़ी की गलती के संबंध के बिना एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन होता है। इस नियम को सीएएस के विभिन्न निर्णयों में "कठोर दायित्व" कहा गया है। अनुच्छेद 10 के तहत इस एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के परिणामों के निर्धारण में खिलाड़ी की गलती पर विचार किया जाता है। इस सिद्धांत सीएएस द्वारा निरंतर सही ठहराया गया है।]

2.1.2 निम्न में से किसी के द्वारा अनुच्छेद 2.1 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के पर्याप्त सबूत को स्थापित किया जाता है: नमूने के क नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की उपस्थिती जहाँ खिलाड़ी ख नमूने के विश्लेषण को अस्वीकार करता है और ख नमूने का विश्लेषण नहीं किया जाता है; या, जहाँ खिलाड़ी के ख नमूने का विश्लेषण किया जाता है और खिलाड़ी के ख नमूने का विश्लेषण खिलाड़ी के क नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की उपस्थिती की पुष्टि करता है; या, जहाँ खिलाड़ी के ख नमूने को दो बोतलों में बाँट दिया जाता है और दूसरी बोतल का विश्लेषण पहली बोतल में पाए जाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की उपस्थिती की पुष्टि करता है।

[अनुच्छेद 2.1.2 के लिए टिप्पणी: परिणाम प्रबंधन के दायित्व के साथ एंटी-डोपिंग संगठन, अपने विवेकाधिकार पर, ख नमूने का विश्लेषण करने का चयन कर सकता है चाहे खिलाड़ी द्वारा ख नमूने के विश्लेषण का अनुरोध न किया गया हो।]

2.1.3 प्रतिबंधित सूची में उन पदार्थों के सिवाय जिनके लिए परिमाणात्मक सीमा की विशेष रूप से पहचान कर ली गई हो, खिलाड़ी के नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की किसी भी मात्रा में उपस्थिती एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन होगी।

2.1.4 अनुच्छेद 2.1 के सामान्य नियम को छोड़ कर, प्रतिबंधित सूची या अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रतिबंधित पदार्थों के मूल्यांकन के लिए विशेष मानदंड की स्थापना कर सकते हैं जिनका उत्पादन अंतर्जात तरीके से भी किया जा सकता है।

2.2 *प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का एक खिलाड़ी द्वारा उपयोग या उपयोग करने का प्रयास*

[अनुच्छेद 2.2 के लिए टिप्पणी: ऐसा हमेशा से होता आ रहा है कि प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग या उपयोग के प्रयास को किसी विश्वसनीय तरीके से सिद्ध किया जा सकता हो। जैसा कि अनुच्छेद 3.2 के लिए टिप्पणी में देखा गया है, अनुच्छेद 2.1 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के विपरीत, उपयोग या उपयोग के प्रयास की स्थापना अन्य विश्वसनीय तरीकों से भी की जा सकती है जैसे खिलाड़ी द्वारा कबूल करना, गवाह के बयान, दस्तावेजी सबूत, लंबे समय तक खिलाड़ी के व्यवहार के विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्ष, जिसमें खिलाड़ी के जैविक पासपोर्ट के हिस्से के रूप में एकत्रित आँकड़े, या अन्य विश्लेषणात्मक जानकारी जो अनुच्छेद 2.1 के तहत प्रतिबंधित पदार्थ की "उपस्थिती" को स्थापित करने के लिए सभी आवश्यकताओं को अन्यथा संतुष्ट न करती हो शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ एंटी-डोपिंग संगठन अन्य नमूने में पुष्टि की कमी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान न कर सके क नमूने के विश्लेषण से (ख नमूने के विश्लेषण से बिना पुष्टि किए) या केवल ख नमूने के विश्लेषण से विश्वसनीय विश्लेषणात्मक आँकड़ों के आधार पर उपयोग सिद्ध किया जा सकता है।]

2.2.1 प्रत्येक खिलाड़ी का कर्तव्य होता है कि वह सुनिश्चित करे कि कोई प्रतिबंधित पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश न करे और किसी प्रतिबंधित विधि का उपयोग न किया गया हो। उसी प्रकार से, प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग के लिए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए खिलाड़ी द्वारा इच्छा, गलती, लापरवाही या जानबूझकर उपयोग को सिद्ध किया जाए।

2.2.2 प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग या उपयोग के प्रयास की सफलता या विफलता महत्वपूर्ण नहीं है। एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का उपयोग या उपयोग का प्रयास ही पर्याप्त है।

[अनुच्छेद 2.2.2 के लिए टिप्पणी: प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के "उपयोग का प्रयास" के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी की ओर से इच्छा के सबूत की आवश्यकता होती है। यह तथ्य कि इस विशेष एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को सिद्ध करने के लिए इच्छा की आवश्यकता है इससे प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग के संदर्भ में अनुच्छेद 2.1 के उल्लंघनों और अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघनों के लिए कठोर दायित्व सिद्धांत को कमजोर नहीं करता है।

एक खिलाड़ी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करता है जबतक कि ऐसा पदार्थ प्रतिस्पर्धा-से-बाहर प्रतिबंधित न हो और खिलाड़ी द्वारा उसका उपयोग प्रतिस्पर्धा-से-बाहर हो। (हालाँकि, प्रतिस्पर्धा में संग्रहीत नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की उपस्थिती अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन है इस बात पर ध्यान दिये बिना कि उस पदार्थ को कब लिया गया होगा।)]

2.3 नमूना संग्रह करने से बचना, मना करना या जमा करने में विफल रहना

नमूना संग्रह करने से बचना, या बिना दमदार औचित्य के, इन एंटी-डोपिंग नियमों या अन्य प्रयोज्य एंटी-डोपिंग नियमों में दिये गए अधिकार के अनुसार अधिसूचना देने के बाद नमूना संग्रह करने से मना करना या जमा करने में विफल रहना।

[अनुच्छेद 2.3 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, एंटी-डोपिंग नियम "नमूना संग्रह करने से बचना" का उल्लंघन होगा अगर यह सिद्ध हो गया कि खिलाड़ी अधिसूचना या परीक्षण से बचने के लिए जानबूझकर डोपिंग नियंत्रण अधिकारी से परहेज कर रहा है। "नमूना संग्रह को जमा करने में विफलता" का उल्लंघन खिलाड़ी के इच्छानुरूप या लापरवाह आचरण पर आधारित हो सकता है, जबकि नमूना संग्रह से "बचना" या "मना" करना खिलाड़ी द्वारा इच्छानुरूप आचरण माना जाता है।

2.4 ठिकाने के बारे में पता लगाने की विफलता

पंजीकृत परीक्षण पूल में खिलाड़ी द्वारा बारह-माह की अवधि के अंदर परीक्षण और निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में दी गई परिभाषा के अनुसार, परीक्षणों में चूक और/या विफलता दर्ज कराने के कोई तीन संयोजन।

2.5 *डोपिंग नियंत्रण के किसी हिस्से के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ का प्रयास*

वह आचरण जो डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया को पलटता हो लेकिन जिसे प्रतिबंधित विधियों की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता हो। छेड़छाड़ में बिना सीमा, डोपिंग नियंत्रण अधिकारी के कम में जानबूझकर हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयास, एंटी-डोपिंग संगठन को कपटपूर्ण जानकारी देना या संभावित गवाह को धमकी देना या धमकी देने का प्रयास करना शामिल हैं।

[अनुच्छेद 2.5 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, यह अनुच्छेद परीक्षण के दौरान डोपिंग नियंत्रण फॉर्म के ऊपर पहचान संख्याओं को बदलने, ख नमूना विश्लेषण के समय ख बोतल तोड़ने, या बाहर से पदार्थ डाल कर नमूने में बदलाव को प्रतिबंधित करता है।

डोपिंग नियंत्रण अधिकारी या डोपिंग नियंत्रण में शामिल व्यक्ति के प्रति अभद्र आचरण जिसे अन्यथा छेड़छाड़ नहीं माना जाता उसका संबोधन खेल संगठनों के अनुशासन संबंधी नियमों में किया जाएगा।]

2.6 *प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि को रखना*

2.6.1 *प्रतिस्पर्धा-में खिलाड़ी द्वारा किसी प्रतिबंधित पदार्थ या किसी प्रतिबंधित विधि को रखना, या प्रतिस्पर्धा-में खिलाड़ी द्वारा किसी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि को रखना जिसे प्रतिस्पर्धा-से-बाहर रखना प्रतिबंधित हो जब तक कि खिलाड़ी यह सिद्ध न कर दे कि उसे रखना अनुच्छेद 4.4 या अन्य स्वीकार्य औचित्य के अनुरूप अनुदानित चिकित्सकीय प्रयोग छूट ("टीयूई") के साथ संगत है।*

2.6.2 *प्रतिस्पर्धा-में खिलाड़ी सहायक कर्मी द्वारा किसी प्रतिबंधित पदार्थ या किसी प्रतिबंधित विधि को रखना, या प्रतिस्पर्धा-में खिलाड़ी द्वारा किसी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि को रखना जिसे खिलाड़ी, प्रतिस्पर्धा या प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिस्पर्धा-से-बाहर रखना प्रतिबंधित हो जब तक कि खिलाड़ी सहायक व्यक्ति यह सिद्ध न कर दे कि उसे रखना अनुच्छेद 4.4 या अन्य स्वीकार्य औचित्य के अनुरूप अनुदानित टीयूई के साथ संगत है।*

[अनुच्छेद 2.6.1 और 2.6.2 के लिए टिप्पणी: स्वीकार्य औचित्य में, उदाहरण के लिए, दोस्त या रिश्तेदार को देने के उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद या उसे रखना शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय तर्कसंगत चिकित्सीय परिस्थितियों के तहत जहाँ उस व्यक्ति के पास चिकित्सक का नुस्खा हो, उदाहरण, मधुमेह से पीड़ित बच्चे के लिए इंसुलिन खरीदना।]

[अनुच्छेद 2.6.2 के लिए टिप्पणी: स्वीकार्य औचित्य में, उदाहरण के लिए, टीम के चिकित्सक द्वारा गंभीर और आपात परिस्थितियों से निपटना के लिए प्रतिबंधित पदार्थों को ले जाना शामिल होगा।]

2.7 किसी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि की तस्करी या तस्करी का प्रयास

2.8 किसी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का प्रतिस्पर्धा-में खिलाड़ी को देना या देने का प्रयास करना, या किसी ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का प्रतिस्पर्धा-से-बाहर खिलाड़ी को देना या देने का प्रयास करना जिसके ऊपर प्रतिस्पर्धा-से-बाहर लेने पर प्रतिबंध हो

2.9 सहापराध

सहायता करना, बढ़ावा देना, मदद करना, उकसाना, षडयंत्र करना, पर्दा डालना या जानबूझकर सहापराध की कोई अन्य किस्म एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन, एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के प्रयास या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 10.12.1 के उल्लंघन में शामिल है।

2.10 प्रतिबंधित ताल्लुक

किसी खिलाड़ी सहायता कर्मी के साथ किसी खिलाड़ी या पेशेवर या खेल संबंधित क्षमता में एंटी-डोपिंग संगठन के अधिकार के अधीन अन्य व्यक्ति द्वारा ताल्लुक जो:

2.10.1 अगर एंटी-डोपिंग संगठन के अधिकार के अधीन, अयोग्यता की अवधि भुगत रहा हो; या

2.10.2 अगर एंटी-डोपिंग संगठन के अधिकार के अधीन न हो, और जहाँ संहिता के अनुसार परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया में अयोग्यता का संबोधन नहीं किया गया हो, आपराधिक, अनुशासनात्मक या पेशेवर कार्यवाही में आरोपी हो या पकड़ा गया हो, ऐसे आचरण में संलिप्त हो जो एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन को स्थापित करता हो अगर संहिता-अनुवर्ती

नियम ऐसे व्यक्ति के ऊपर लागू होते। ऐसे व्यक्ति की अयोग्यता स्थिति आपराधिक, पेशेवर या अनुशासनात्मक निर्णय या आपराधिक, अनुशासनात्मक या पेशेवर प्रतिबंध की लगाई गई अवधि से छह वर्ष से अधिक के लिए लागू होगी; या

2.10.3 अनुच्छेद 2.10.1 या 2.10.2 में उल्लिखित व्यक्ति के लिए प्रतिनिधि या मध्यस्थ के रूप में सजा काट रहा हो।

इस प्रावधान को लागू करने के लिए, यह ज़रूरी है कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को अतीत में खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के ऊपर अधिकार रखने वाले एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा या वाडा द्वारा, खिलाड़ी सहायता कर्मी की अयोग्यता स्थिति और प्रतिबंधित ताल्लुक के संभावित परिणाम के बारे में लिखित में परामर्श दिया गया हो और यह कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति उस ताल्लुक से समझदारी से बच सकते हैं। एंटी-डोपिंग संगठन उस खिलाड़ी सहायता कर्मी को परामर्श देने के लिए उचित प्रयास भी करेगा जो खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को दी गई सूचना के अधीन है कि खिलाड़ी सहायता कर्मी, 15 दिनों के अंदर, एंटी-डोपिंग संगठन के समक्ष आ सकता है यह समझाने के लिए कि अनुच्छेद 2.10.1 और 2.10.2 में वर्णित मानदंड उसके ऊपर लागू नहीं होता है। (अनुच्छेद 17 के बावजूद, यह अनुच्छेद तब भी लागू होता है जब खिलाड़ी सहायता कर्मी का अयोग्य करने वाला आचरण अनुच्छेद 20.7 में दी गई प्रभावित तिथि से पहले हुआ हो।)

खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के ऊपर स्थापित करने का भार होगा कि खिलाड़ी सहायता कर्मी के साथ कोई भी ताल्लुक अनुच्छेद 2.10.1 या 2.10.2 में वर्णित अनुसार पेशेवर या खेल संबंधित क्षमता में नहीं आता।

एंटी-डोपिंग संगठन जो ऐसे खिलाड़ी सहायता कर्मी के बारे में जानते हों जो अनुच्छेद 2.10.1, 2.10.2, या 2.10.3 में वर्णित मानदंड को पूरा करता हो वाडा के पास जानकारी जमा करेंगे।

अनुच्छेद 2.10 के लिए टिप्पणी: खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों को ऐसे कोच, प्रशिक्षकों, फ़िज़ीशियनों या अन्य खिलाड़ी सहायता कर्मियों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के कारण अपात्र हों या जो डोपिंग के संबंध में दोषी पाए गए हों या जिनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो। कुछ ऐसे ताल्लुक जो प्रतिबंधित हैं उनके उदाहरण इस प्रकार से हैं: प्रशिक्षण, रणनीति, तकनीक, पोषण या चिकित्सा परामर्श प्राप्त करना; थेरेपी, उपचार या तुस्खा प्राप्त करना; विश्लेषण के लिए शरीर संबंधी उत्पाद प्रदान करना; या खिलाड़ी सहायता कर्मी को एक एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में सहायता करने देने की अनुमति देना। प्रतिबंधित ताल्लुक के लिए किसी प्रकार के मुआवजे के शामिल होने की ज़रूरत नहीं।]

अनुच्छेद 3 डोपिंग का सबूत

3.1 सबूत के भार और मानक

एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है इसे सिद्ध करने का भार नाडा के ऊपर रहेगा। सबूत का मानक यह होगा कि क्या नाडा ने आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई पैनल की पर्याप्त संतुष्टि करते हुए यह स्थापित कर दिया कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है। सबूत का यह मानक सभी मामलों में केवल संभावना के संतुलन से बड़ा लेकिन तर्कसम्मत संदेह के परे सबूत से कम होगा। जहाँ ये एंटी-डोपिंग नियम एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने के आरोपी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार रखते हों अनुमान का खंडन करने या विनिर्दिष्ट तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए, सबूत का मानक संभावना का संतुलन होगा।

[अनुच्छेद 3.1 के लिए टिप्पणी: सबूत का यह मानक जिसे पूरा करने की आवश्यकता नाडा की होती है उस मानक से तुलनीय है जिसे पेशेवर अवचार से जुड़े मामलों के लिए अधिकतर देशों में लागू किया जाता है।]

3.2 तथ्यों और अनुमानों को स्थापित करने की विधियाँ

एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों से संबंधित तथ्यों की स्थापना स्वीकृति सहित किसी भी विश्वसनीय तरीके से की जा सकती है। डोपिंग मामलों में सबूत के निम्न नियम प्रयोज्य हैं:

[अनुच्छेद 3.2 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, नाडा खिलाड़ी की स्वीकृति, तीसरे व्यक्तियों की विश्वसनीय गवाही, भरोसेमंद दस्तावेज़ी प्रमाण, अनुच्छेद 2.2 के लिए टिप्पणियों में प्रदान किए अनुसार क या ख नमूने में से भरोसेमंद विश्लेषणात्मक आँकड़ों, या खिलाड़ी के रक्त या मूत्र नमूनों की शृंखला की प्रोफाइल में से निकाले गए निष्कर्षों, जैसे खिलाड़ी जैविक पासपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 2.2 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित कर सकती है।]

3.2.1 प्रासंगिक वैज्ञानिक समुदाय के अंदर परामर्श के बाद वाडा द्वारा अनुमोदित विश्लेषणात्मक विधियाँ या निर्णय सीमाएं और जो सहकर्मी समीक्षा के अधीन रही हों उन्हें वैज्ञानिक रूप से वैध माना जाता है। कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जो वैज्ञानिक वैधता के इस अनुमान का खंडन करने की माँग करता हो, ऐसी किसी चुनौती की मिसाल की शर्त के रूप में, पहले वाडा को चुनौती और उस चुनौती के आधार की अधिसूचना देगा। सीएएस स्वयं की ओर से पहल करते हुए ऐसी किसी चुनौती की सूचना वाडा को दे सकती है। वाडा के अनुरोध पर, सीएएस पैनल चुनौती के मूल्यांकन में सहायता के लिए एक उपयुक्त वैज्ञानिक विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा। ऐसी सूचना की वाडा द्वारा प्राप्ति के 10 दिन के अंदर, और वाडा द्वारा सीएएस फाइल की प्राप्ति पर, वाडा के पास पक्ष, न्यायालय के दोस्त के रूप में हस्तक्षेप करने, या अन्यथा ऐसी कार्यवाही में सबूत प्रदान करने का भी अधिकार है।

3.2.2 माना जाता है कि वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और वाडा द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोगशालाओं ने नमूना विश्लेषण और अभिरक्षण पद्धतियों का आयोजन प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किया है। खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति यह स्थापित कर कि प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुसरण नहीं किया गया और जो शायद प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना, इस अनुमान का खंडन कर सकता है। अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति पूर्ववर्ती अनुमान का खंडन करता है यह दिखा कर कि प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुसरण नहीं किया गया जिसके कारण शायद प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकला, तब नाडा के पास यह स्थापित करने का भार होगा कि अनुसरण न करना प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण नहीं था।

[अनुच्छेद 3.2.2 के लिए टिप्पणी: संभावना के संतुलन द्वारा खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के ऊपर स्थापित करने का भार होता है कि प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुसरण नहीं किया गया जो यथोचित रूप से प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण हो सकता है। अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति ऐसा करता है तो, भार नाडा के ऊपर चला जाता है सुनवाई पैनल की पर्याप्त संतुष्टि के लिए साबित करने के लिए कि अनुसरण न करना प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण नहीं था।]

3.2.3 संहिता या एंटी-डोपिंग के इन नियमों में निर्धारित किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक या अन्य एंटी-डोपिंग नियम या नीति का गैर-अनुसरण, जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष या एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघन का कारण नहीं था, ऐसे सबूत या नतीजों को अवैध नहीं ठहराएगा।

अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक या अन्य एंटी-डोपिंग नियम या नीति का गैर-अनुसरण स्थापित कर देता है जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष या एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का कारण बना हो, तब ऐसा गैर-अनुसरण प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष या एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए तथ्यात्मक आधार का कारण नहीं बना यह स्थापित करने का भार नाडा का होगा।

3.2.4 न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के पेशेवर अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा स्थापित तथ्य जो अपील के तहत लंबित न हो खिलाड़ी या निर्णय से संबंधित अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अखंडनीय सबूत होंगे जिनके लिए उन तथ्यों पर निर्णय लिया गया जब तक कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति स्थापित नहीं करता कि निर्णय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया।

3.2.5 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के ऊपर सुनवाई में सुनवाई पैनल एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के प्रति इस आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है कि सुनवाई के संबंध में अनुरोध के लिए पर्याप्त समय पर जानकारी देने के बाद खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति ने सुनवाई में प्रकट होने (सुनवाई पैनल द्वारा दिये गए निर्देश अनुसार व्यक्तिगत रूप से आने या टेलीफोन पर बात करने से) और सुनवाई पैनल या नाडा के प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार कर दिया।

अनुच्छेद 4 प्रतिबंधित सूची

4.1 प्रतिबंधित सूची का संयोजन

ये एंटी-डोपिंग नियम प्रतिबंधित सूची का संयोजन करते हैं, जिसे संहिता के अनुच्छेद 4.1 में उल्लिखित अनुसार वाडा द्वारा प्रकाशित और संशोधित किया जाता है।

[अनुच्छेद 4.1 के लिए टिप्पणी: मौजूदा प्रतिबंधित सूची वाडा की वेबसाइट www.wada-ama.org पर उपलब्ध है और साथ ही नाडा की वेबसाइट www.nada.nic.in पर भी उपलब्ध है।

4.2 *प्रतिबंधित सूची पर पहचाने गए प्रतिबंधित पदार्थ और प्रतिबंधित विधियाँ*

4.2.1 *प्रतिबंधित पदार्थ और प्रतिबंधित विधियाँ*

जब तक कि प्रतिबंधित सूची में प्रदान न किया गया हो और/या संशोधन न किया गया हो, प्रतिबंधित सूची और संशोधन इन एंटी-डोपिंग नियमों के तहत वाडा द्वारा प्रकाशन के बाद तीन माह प्रभाव में आएंगे जिनके लिए नाडा द्वारा आगे कार्यवाही की ज़रूरत नहीं होगी। सभी खिलाड़ी और अन्य व्यक्ति प्रतिबंधित सूची, और ऊपर से किसी संशोधन द्वारा उनके प्रभाव में आने वाली तिथि से, आगे और औपचारिकता बिना, बाध्य होंगे। सभी खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों का दायित्व होगा कि वे प्रतिबंधित सूची और उसके ऊपर सभी संशोधनों के सबसे नवीन संस्करण की जानकारी रखें।

4.2.2 विनिर्दिष्ट पदार्थ

अनुच्छेद 10 के प्रयोज्यता के उद्देश्यों के लिए, सभी प्रतिबंधित पदार्थ विनिर्दिष्ट पदार्थ होंगे सिवाय उपचय एजेन्टों और हॉरमोनों के वर्गों में पदार्थों और प्रतिबंधित सूची पर पहचाने गए उन उत्तेजकों और हॉरमोन प्रतिपक्षीयों और न्यूनाधिकों के। विनिर्दिष्ट पदार्थों के वर्ग में प्रतिबंधित विधियाँ शामिल नहीं होंगी।

[अनुच्छेद 4.2.2 के लिए टिप्पणी: अनुच्छेद 4.2.2 में पहचाने गए विनिर्दिष्ट पदार्थों को किसी भी तरह से अन्य डोपिंग पदार्थों से कम महत्वपूर्ण या कम खतरनाक नहीं माना जाना चाहिए। बजाय उसके, वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन बहुत हद तक खिलाड़ी द्वारा खेल प्रदर्शन की वृद्धि के बजाय अन्य उद्देश्य के लिए होता है।]

4.3 वाडा का प्रतिबंधित सूची का निर्धारण

वाडा का प्रतिबंधित पदार्थों और प्रतिबंधित विधियों का निर्धारण जिसे प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जाएगा, प्रतिबंधित सूची पर वर्गों में पदार्थों का वर्गीकरण, और ऐसे पदार्थ का वर्गीकरण जो हर समय या केवल प्रतिस्पर्धा-में प्रतिबंधित रहेगा, अंतिम है और खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा चुनौती के अधीन नहीं रहेगा इस तर्क के आधार पर कि वह पदार्थ या विधि मास्किंग एजेंट नहीं थी या उसमें प्रदर्शन में वृद्धि करने की क्षमता नहीं है, स्वास्थ्य को खतरा है या खेल की भावना का उल्लंघन करती है।

4.4 चिकित्सकीय प्रयोग छूट ("टीयूई")

4.4.1 प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर की उपस्थिती, और/या प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का उपयोग या उपयोग का प्रयास, उसका आधिपत्य या उसे लेना या उसे लेने का प्रयास करना एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर चिकित्सकीय प्रयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप अनुदानित टीयूई के प्रावधानों के साथ संगत हो।

4.4.2 जब तक कि नाडा द्वारा उसकी वेबसाइट के ऊपर उसकी वेबसाइट के ऊपर सूचना नहीं दी जाती, कोई भी राष्ट्र-स्तरीय खिलाड़ी जिसे चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग की आवश्यकता हो उसे आवश्यकता पड़ने पर और खिलाड़ी की अगली प्रतिस्पर्धा के आरंभ होने से कम से कम 30 दिन पहले किसी भी परिस्थिति में (आपात परिस्थिति या असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर या जहां चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुच्छेद 4.3 लागू होता हो), नाडा की वेबसाइट पर दिये गए फॉर्म के उपयोग से टीयूई के लिए नाडा के पास आवेदन करना चाहिए। टीयूई का अनुदान देने या मान्यता के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए नाडा एक टीयूई समिति नियुक्त करेगी, जिसमें सदस्यों के रूप में तीन चिकित्सक/विशेषज्ञ होंगे, साथ ही एक अध्यक्ष भी शामिल होगा और इनका अनुभव अपनी संबंधित विशेषज्ञता में 12 वर्ष से कम नहीं होगा। टीयूई समिति चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के प्रासंगिक प्रावधानों और नाडा की वेबसाइट पर विशेष प्रोटोकॉलों के अनुरूप तुरंत मूल्यांकन करेगी और निर्णय देगी। इन नियमों के अनुच्छेद 4.4.6 के अधीन रहते हुए, उसका निर्णय नाडा का अंतिम निर्णय होगा और एडम्स (ADAMS) के माध्यम से वाडा और अन्य प्रासंगिक एंटी-डोपिंग संगठनों को, और साथ ही खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ को चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सूचना दी जाएगी।

[अनुच्छेद 4.4.2 के लिए टिप्पणी: चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुच्छेद 5.1 के अनुरूप, नाडा खेलों में ऐसे राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों से टीयूई के लिए अग्रिम आवेदनों पर विचार के लिए मना कर सकती है जिन्हें उसकी परीक्षण वितरण योजना में

नाडा द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गई हो, लेकिन उस मामले में वह ऐसे खिलाड़ी को पूर्वव्यापी टीईयू के लिए आवेदन करने की अनुमति देगी जिसका तत्पश्चात परीक्षण किया गया हो।

टीयूई आवेदन के समर्थन में गलत या गुमराह करने वाली अपूर्ण जानकारी सौंपने (ऐसे टीयूई के लिए अन्य एंटी-डोपिंग संगठन को पूर्व आवेदन के असफल परिणाम के बारे में परामर्श देने में विफलता सहित लेकिन वहीं तक सीमित नहीं) से अनुच्छेद 2.5 के तहत छेड़छाड़ या छेड़छाड़ का आरोप लग सकता है।

किसी खिलाड़ी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि टीईयू के अनुदान या मान्यता के लिए (या टीईयू के नवीकरण के लिए) उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। आवेदन के अनुदान से पहले प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का कोई उपयोग या उसका आधिपत्य या उसे लेने का खतरा केवल उस खिलाड़ी का होगा।]

4.4.3 अगर नाडा ऐसे खिलाड़ी का परीक्षण करना चाहती हो जो अंतर्राष्ट्रीय-स्तर काया राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है, नाडा उस खिलाड़ी को ऐसे किसी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के लिए पूर्वव्या पीटीयूई के लिए आवेदन की अनुमति देगी जिसका उपयोग वह चिकित्सकीय कारणों से कर रहा/रही हो।

[अनुच्छेद 4.4.3 के लिए टिप्पणी: चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों के एक विशेष वर्ग के लिए अग्रिम टीयूई के अनुदान को सीमित करने की अनुमति राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन को भी देता है। अगर राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन एक ऐसे खिलाड़ी से नमूना संग्रह करती है जो एक राष्ट्रीय-स्तर का खिलाड़ी है और जिससे राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन टीयूई के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार नहीं करती हो, तब राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन को ज़रूरत पड़ने पर उस खिलाड़ी को पूर्वव्यापी के लिए आवेदन करने की अनुमति भी देनी चाहिए।

4.4.4 नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई केवल राष्ट्रीय स्तर पर वैध होता है; वह अपने आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए वैध नहीं होता। एक खिलाड़ी जो एक अंतर्राष्ट्रीय-स्तर का खिलाड़ी है या बनना चाहता/चाहती हो उसे निम्न करना चाहिए:

4.4.4.1 जहाँ खिलाड़ी के पास पहले से ही उक्त पदार्थ या विधि के लिए नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई हो, खिलाड़ी चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुच्छेद 7 के अनुरूप उस टीयूई की मान्यता के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पास आवेदन कर सकता या सकती है। अगर वह टीयूई चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित मानदंड को पूरा करता हो, तब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अंतर्राष्ट्रीय-स्तर की प्रतिस्पर्धा के उद्देश्यों के लिए भी मान्यता देगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ सोचता है कि नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई उन मानदंडों को पूरा नहीं करती है और उसे मान्यता देने से इनकार करता है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी और नाडा को कारणों के साथ तुरंत सूचित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी और नाडा के पास ऐसी अधिसूचना को समीक्षा के लिए वाडा के पास विचारार्थ भेजने के लिए 21 दिन का समय होगा। अगर मामला समीक्षा के लिए वाडा के पास विचारार्थ भेजा जाता है, नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई वाडा के निर्णय के लंबित रहते राष्ट्रीय-स्तर की प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा-से-बाहर परीक्षण के लिए वैध रहेगी (लेकिन अंतर्राष्ट्रीय-स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए वैध नहीं है)। अगर मामले को समीक्षा के लिए वाडा के पास विचारार्थ नहीं भेजा जाता हो, टीयूई समीक्षा के लिए दिये गए 21 दिन की समाप्ती पर किसी भी उद्देश्य के लिए अवैध बन जाती है।

[अनुच्छेद 4.4.4.1 के लिए टिप्पणी: चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुच्छेद 5.6 और 7.1 (क) आगे के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित कर सकता है कि वह राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठनों द्वारा लिए गए टीयूई संबंधी ऐसे निर्णयों (या ऐसे निर्णयों की वर्ग, उदाहरण, किसी विशेष पदार्थों या विधियों के लिए) को अपने आप मान्यता देगा। अगर किसी खिलाड़ी की टीयूई अपने आप मान्यता प्राप्त टीयूई के वर्ग में आती हो, तब उसे उस टीयूई की मान्यता के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पास आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।

चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की जरूरतों के अनुरूप, नाडा अपने खिलाड़ियों को निर्धारित करने में सहायता करेगी कि कब उन्हें मान्यता के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या प्रमुख प्रतियोगिता संगठन को नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई जमा करने की ज़रूरत होगी, और मान्यता प्रक्रिया को पूरा करने में उन खिलाड़ियों का मार्गदर्शन और समर्थन करेगी।

अगर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई को मान्यता देने से इनकार सिर्फ इस आधार पर करता हो कि चिकित्सा रिकॉर्ड या अन्य जानकारी गायब है जिसकी ज़रूरत चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में मानदंड की संतुष्टि के लिए हो, तब उस मामले को वाडा के पास विचारार्थ नहीं भेजा जाना चाहिए। बजाय उसके, फाइल को पूरा किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पास दोबारा जमा की जानी चाहिए।]

4.4.4.2 अगर खिलाड़ी के पास उक्त पदार्थ या विधि के लिए नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई पहले से न हो, उस खिलाड़ी को चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टीयूई के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पास सीधे आवेदन करना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ खिलाड़ी के आवेदन का अनुदान करता हो, वह उस खिलाड़ी और नाडा को सूचित करेगा। अगर नाडा को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अनुदानित टीयूई चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करती है, उसके पास समीक्षा के लिए वाडा के पास मामले को विचारार्थ भेजने के लिए ऐसी अधिसूचना से 21 दिन का समय है। अगर नाडा समीक्षा के लिए वाडा के पास मामले को विचारार्थ भेजती है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अनुदानित टीयूई वाडा के निर्णय के लंबित रहते राष्ट्रीय-स्तर की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा-से-बाहर परीक्षण के लिए वैध रहेगी (लेकिन अंतर्राष्ट्रीय-स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए वैध नहीं है)। अगर नाडा समीक्षा के लिए वाडा के पास मामले को विचारार्थ नहीं भेजती हो, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अनुदानित टीयूई समीक्षा के लिए दिये गए 21 दिन के समय की समाप्ती पर राष्ट्रीय-स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए भी वैध बन जाती है।

[अनुच्छेद 4.4.4.2 के लिए टिप्पणी: अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और नाडा सहमत हो सकती है कि नाडा अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की ओर से टीयूई आवेदनों पर विचार करेगी।]

4.4.5 टीयूई की समय-समाप्ती, ,रद्दीकरण, वापसी या पलटाव

4.4.5.1 इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार अनुदानित टीयूई: (क) बिना आगे सूचना या अन्य औपचारिकता की ज़रूरत के उसके लिए अनुदानित किसी भी अवधि की समाप्ती पर अपने आप समाप्त हो जाएगी; (ख) को रद्द किया जा सकता है अगर खिलाड़ी टीयूई के अनुदान के ऊपर टीयूई समिति द्वारा अधिरोपित किसी भी ज़रूरत या शर्त का तुरंत पालन नहीं करता हो; (ग) को टीयूई समिति द्वारा वापस लिया जा सकता है अगर बाद में यह निर्धारित कर लिया जाता है कि टीयूई के अनुदान के लिए मानदंड को पूरा नहीं किया गया है; या (घ) वाडा द्वारा समीक्षा या अपील के ऊपर उसे पलटा जा सकता है।

4.4.5.2 ऐसी परिस्थिति में, खिलाड़ी किसी परिणाम के अधीन नहीं आएगा इस आधार पर कि उसने टीयूई की समाप्ती की प्रभावी तिथि, रद्दीकरण, वापसी या पलटाव से पहले टीयूई के अनुरूप उक्त प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का उपयोग किया या आधिपत्य या उसे लिया। बाद में किसी प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के अनुच्छेद 7.2 के अनुसार समीक्षा में शामिल किया जाएगा अगर ऐसा निष्कर्ष उस तिथि से पहले प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग के साथ संगत है, उस परिस्थिति में एंटी-डोपिंग नियम के किसी उल्लंघन का दावा नहीं किया जाएगा।

4.4.6 **टीयूई निर्णयों की समीक्षाएं और अपील**

4.4.6.1 अगर नाडा टीयूई के लिए आवेदन से इनकार कर दे, तो खिलाड़ी अनुच्छेद *13.2.2* और *13.2.3* में उल्लिखित राष्ट्रीय-स्तर के अपील संस्था के पास विशेष रूप से अपील कर सकता/सकती है।

4.4.6.2 वाडा अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा खिलाड़ी या नाडा द्वारा वाडा के पास विचारार्थ नाडा द्वारा अनुदानित टीयूई की मान्यता न देने के किसी निर्णय की समीक्षा करेगी। इसके अलावा, वाडा नाडा द्वारा वाडा के पास विचारार्थ टीयूई के अनुदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा दिये गए किसी निर्णय की समीक्षा करेगी। वाडा किसी भी समय किसी अन्य टीयूई संबंधित निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, चाहे उससे प्रभावितों के अनुरोध पर या स्वयं द्वारा की गई पहल पर। अगर समीक्षा के अधीन टीयूई निर्णय चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित मानदंड को पूरा करता हो, वाडा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर टीयूई निर्णय उन मानदंडों को पूरा न करता हो, वाडा उसे पलट देगी।

4.4.6.3 **अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा (या नाडा द्वारा जहाँ वह अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की ओर से आवेदन पर विचार करने पर सहमत होती हो) कोई भी टीयूई निर्णय जिसकी समीक्षा वाडा द्वारा नहीं की गई हो, या जिसकी समीक्षा वाडा द्वारा की गई हो लेकिन जिसे समीक्षा पर पलटा नहीं गया हो, उसकी अपील अनुच्छेद** 13 **के अनुसार खिलाड़ी और/या नाडा द्वारा विशेष रूप से सीएएस के पास की जा सकती है।**

[अनुच्छेद 4.4.6.3 के लिए टिप्पणी: ऐसे मामलों में, जिस निर्णय पर अपील की जा रही हो वह अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का निर्णय होगा, वाडा का टीयूई निर्णय की समीक्षा नहीं करने या (उसकी समीक्षा करने) टीयूई निर्णय को पलटने का निर्णय नहीं। हालाँकि, टीयूई निर्णय पर अपील करने का समय उस तिथि तक आरंभ नहीं होता जब तक वाडा अपना निर्णय नहीं सुना देती। किसी भी परिस्थिति में, चाहे निर्णय की समीक्षा वाडा द्वारा की गई हो या नहीं, वाडा को अपील की सूचना दी जाएगी ताकि उसे उपयुक्त लगने पर वह हिस्सा ले सके।]

4.4.6.4 **वाडा द्वारा टीयूई निर्णय को पलटने के निर्णय को लेकर खिलाड़ी, नाडा और/या विशेष रूप से प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अनुच्छेद** 13 **के अनुरूप सीएएस से अपील की जा सकती है।**

4.4.6.5 **टीयूई की मान्यता के अनुदान के लिए या टीयूई निर्णय की समीक्षा के लिए सही से जमा किए गए आवेदन पर उपयुक्त समय के अंदर निर्णय लेने की असफलता को आवेदन का इनकार माना जाएगा।**

अनुच्छेद 5 *परीक्षण और जाँच*

5.1 परीक्षण और जाँच का उद्देश्य

परीक्षण और जाँच केवल एंटी-डोपिंग उद्देश्यों के लिए की जाएगी। उनका आयोजन परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के प्रावधानों और नाडा की वे विशेष प्रोटोकॉल जो अंतर्राष्ट्रीय मानक की पूरक हों उनकी अनुरूपता में किया जाएगा।

5.1.1 प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि की उपस्थिती/उपयोग के ऊपर संहिता द्वारा कठोर प्रतिबंध के साथ खिलाड़ी के अनुपालन (या गैर-अनुपालन) के रूप में विश्लेषणात्मक सबूत को प्राप्त करने के लिए परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण वितरण योजना, परीक्षण, परीक्षण पश्चात् गतिविधि और नाडा द्वारा आयोजित सभी संबंधित गतिविधियां परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की अनुरूपता में होंगी। नाडा परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा स्थापित मानदंड की अनुरूपता में किए जाने वाले समापन प्लेसमेंट परीक्षणों, आकस्मिक परीक्षणों और लक्ष्य परीक्षणों की संख्या का निर्धारण करेगी। ऐसे सभी परीक्षण के संदर्भ में परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के सभी प्रावधान अपने आप लागू होंगे।

5.1.2 जाँच को निम्न के संबंध में किया जाएगा:

5.1.2.1 असामान्य निष्कर्ष, असामान्य पासपोर्ट निष्कर्ष और प्रतिकूल पासपोर्ट निष्कर्ष, क्रमशः अनुच्छेद 7.4 और 7.5 की अनुरूपता में, खुफिया जानकारी या सबूत इकट्ठा करते हुए (विशेष रूप से, विश्लेषणात्मक सबूत) यह निर्धारित करने के लिए अगर अनुच्छेद 2.1 और/या अनुच्छेद 2.2 के तहत एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है।

5.1.2.2 एंटी-डोपिंग नियम के संभावित उल्लंघनों के अन्य संकेत, क्रमशः अनुच्छेद 7.6 और 7.7 की अनुरूपता में, खुफिया जानकारी या सबूत इकट्ठा करते हुए (विशेष रूप से, गैर-विश्लेषणात्मक सबूत सहित) यह निर्धारित करने के लिए अगर अनुच्छेद 2.2 और/या अनुच्छेद 2.10 के तहत एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है।

5.1.3 एक प्रभावी, बुद्धिमान और आनुपातिक परीक्षण वितरण योजना के विकास की सूचना देने, लक्ष्य परीक्षण की योजना बनाने, और/या एंटी-डोपिंग नियम के संभावित उल्लंघन(नों) की जाँच का आधार बनाने के लिए, नाडा सभी उपलब्ध स्रोतों से एंटी-डोपिंग संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकती है, आकलन कर सकती है और संसाधित कर सकती है।

5.2 परीक्षण का आयोजन करने का अधिकार

5.2.1 संहिता के अनुच्छेद 5.3 में निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षण के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं के अधीन रहते हुए, नाडा के पास उपरोक्त अनुच्छेद 1.3 के दायरे के भीतर आने वाले सभी खिलाड़ियों के ऊपर प्रतिस्पर्धा-में और प्रतिस्पर्धा-से-बाहर परीक्षण का अधिकार होगा।

5.2.2 नाडा किसी ऐसे खिलाड़ी से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर नमूना प्रदान करने की ज़रूरत रख सकती है जिसके ऊपर उसके पास परीक्षण करने का अधिकार हो (ऐसे किसी खिलाड़ी सहित जो अपात्रता की अवधि भुगत रहा/रही हो)।

[अनुच्छेद 5.2.2 के लिए टिप्पणी: जबतक कि खिलाड़ी शाम 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच परीक्षण के लिए 60 मिनट के निर्धारित समय की पहचान नहीं करता/करती, या अन्यथा उसने उस अवधि के दौरान परीक्षण की सहमति दी हो, नाडा उस खिलाड़ी का परीक्षण उस अवधि के दौरान नहीं करेगी जब तक कि उसे गंभीर और विशेष संदेह न हो कि वह खिलाड़ी डोपिंग में संलिप्त हो सकता/सकती है। उस अवधि के दौरान परीक्षण के लिए नाडा के पास पर्याप्त संदेह है इसकी चुनौती ऐसे परीक्षण या परीक्षण के प्रयास पर आधारित एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का बचाव नहीं होगी।]

5.2.3 संहिता के अनुच्छेद 20.7.8 में निर्धारित अनुसार वाडा के पास प्रतिस्पर्धा-में और प्रतिस्पर्धा-से-बाहर परीक्षण का अधिकार होगा।

5.2.4 अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या प्रमुख प्रतियोगिता संगठन नाडा को परीक्षण के किसी भाग को करने कार्यभार देता है या अनुबंध करता है (सीधे या राष्ट्रीय महासंघ के माध्यम से), नाडा अतिरिक्त नमूनों का संग्रह कर सकती है या प्रयोगशाला को नाडा के खर्च पर अतिरिक्त प्रकार के विश्लेषण का निर्देश दे सकती है। अगर अतिरिक्त नमूने संग्रहीत किए जाते हैं या अतिरिक्त प्रकार का विश्लेषण किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या प्रमुख प्रतियोगिता संगठन को सूचित किया जाएगा।

5.2.5 जहाँ एक अन्य एंटी-डोपिंग संगठन जिसे एक ऐसे खिलाड़ी के ऊपर परीक्षण का अधिकार हो जो इन एंटी-डोपिंग नियमों के अधीन हो उस खिलाड़ी के ऊपर परीक्षण करता हो, नाडा और उस खिलाड़ी का राष्ट्रीय महासंघ अनुच्छेद 15 कई अनुरूपता में ऐसे परीक्षण को मान्यता देगा और (जहाँ उस अन्य एंटी-डोपिंग संगठन के साथ सहमति हो या अन्यथा संहिता के अनुच्छेद 7 में प्रदान किया गया हो) नाडा ऐसे परीक्षण के संबंध में उत्पन्न होने वाले एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन(नों) के लिए इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार उस खिलाड़ी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

5.3 *प्रतियोगिता में परीक्षण*

5.3.1 संहिता के अनुच्छेद 5.3 में प्रदान के सिवाय, प्रतियोगिता की अवधि के दौरान प्रतियोगिता स्थलों पर परीक्षण आरंभ करने और उसके निर्देश देने की ज़िम्मेदारी केवल एक संगठन की होनी चाहिए। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए, नमूनों के संग्रह की पहल और उसके निर्देश अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (या अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो उस प्रतियोगिता का प्रबंध निकाय हो) द्वारा दिये जाएंगे। भारत में आयोजित सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए नमूनों के संग्रह की पहल और उसके निर्देश नाडा द्वारा दिये जाएंगे। नाडा के अनुरोध पर (या उस प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय), प्रतियोगिता स्थलों के बाहर प्रतियोगिता अवधि के दौरान किया गया कोई भी परीक्षण नाडा द्वारा समन्वित होगा।

5.3.2 अगर कोई एंटी-डोपिंग संगठन जिसे अन्य प्रकार से परीक्षण का अधिकार हो लेकिन जो किसी प्रतियोगिता पर परीक्षण की पहल करने और उसके निर्देश देने का जिम्मेदार नहीं हो प्रतियोगिता अवधि के दौरान प्रतियोगिता स्थलों पर खिलाड़ियों का परीक्षण करने की इच्छा रखता हो, एंटी-डोपिंग संगठन ऐसे परीक्षण के आयोजन और समन्वय की अनुमति प्राप्त करने के लिए नाडा (या प्रतियोगिता का प्रबंध निकाय) से पहले परामर्श करेगा। अगर एंटी-डोपिंग संगठन नाडा (या प्रतियोगिता का प्रबंध निकाय) की प्रतिक्रिया से संतुष्ट न हो, एंटी-डोपिंग संगठन परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित पद्धतियों के अनुरूप परीक्षण का आयोजन करने और परीक्षण को समन्वित करने का निर्धारण करने की अनुमति के लिए वाडा से पूछ सकता है। वाडा नाडा (या प्रतियोगिता का प्रबंध निकाय) के साथ परामर्श करने और सूचना देने से पहले ऐसे परीक्षण के लिए अनुमोदन का अनुदान नहीं देगी। वाडा का निर्णय

अंतिम होगा और अपील के अधीन नहीं होगा। जब तक कि अन्य प्रकार से परीक्षण आयोजित करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता, ऐसे परीक्षणों को प्रतिस्पर्धा-से-बाहर के परीक्षण माना जाएगा। ऐसे किसी परीक्षण के लिए परिणाम प्रबंधन उस परीक्षण की पहल करने वाले एंटी-डोपिंग संगठन की ज़िम्मेदारी होगी जब तक कि अन्य रूप से प्रतियोगिता के प्रबंध निकाय के नियमों में प्रदान नहीं किया गया हो।

5.3.3 राष्ट्रीय महासंघ और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आयोजन समितियां ऐसी प्रतियोगिताओं पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक कार्यक्रम को अधिकार देंगी और सुविधा प्रदान करेंगी।

5.4 परीक्षण वितरण योजना

परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संगत रहते हुए, और उसी खिलाड़ी के ऊपर परीक्षण का आयोजन करने वाले एंटी-डोपिंग संगठनों के साथ समन्वय में, नाडा एक प्रभावी, समझदार और आनुपातिक परीक्षण वितरण योजना का विकास और उसे लागू करेगी जो खिलाड़ियों के क्षेत्रो, वर्गों, परीक्षण की क़िस्मों, संग्रहीत नमूनों की क़िस्मों, और नमूना विश्लेषण की क़िस्मों के बीच उपयुक्त रूप से प्राथमिकता देगी, और ये सभी परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की जरूरतों के साथ सम्मति में। नाडा वाडा को अनुरोध पर अपनी मौजूदा परीक्षण वितरण योजना की एक प्रतिलिपि प्रदान करेगी।

5.5 परीक्षण का समन्वय

जहाँ यथोचित संभव हो, संयुक्त परीक्षण प्रयास की प्रभावशीलता को बढ़ाने और बार-बार के अनावश्यक परीक्षण से बचने के लिए परीक्षण का समन्वय एडम्स (ADAMS) या वाडा द्वारा अनुमोदित अन्य प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

5.6 खिलाड़ी के ठिकाने की जानकारी

5.6.1 नाडा उन खिलाड़ियों के पंजीकृत परीक्षण पूल की पहचान करेगी जिन्हें परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक I की ठिकाने की जानकारी की जरूरतों के साथ अनुपालन करने की ज़रूरत है। पंजीकृत परीक्षण पूल में प्रत्येक खिलाड़ी निम्नलिखित करेगा, परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक I के अनुरूप प्रत्येक मामले में:

क) त्रैमासिक आधार पर नाडा को उसके ठिकाने की जानकारी पर परामर्श देगा/देगी;

ख) उस जानकारी का ज़रूरत पड़ने पर अद्यतन करेगा ताकि वह सटीक बनी रहे और हर समय पूर्ण रहे; और

(ग) ऐसे ठिकानों पर स्वयं को परीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

5.6.2 नाडा एडम्स (ADAMS) के माध्यम से एक सूची उपलब्ध कराएगी जिसमें उन खिलाड़ियों की पहचान होगी जो उसके पंजीकृत परीक्षण पूल में या तो नाम द्वारा या स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेष मानदंड द्वारा शामिल किए गए होंगे। नाडा अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के साथ ऐसे खिलाड़ियों की पहचान और उनके ठिकाने की जानकारी के संग्रह का समन्वय करेगी। जहाँ किसी खिलाड़ी को उसके अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत परीक्षण पूल में और नाडा द्वारा राष्ट्रीय पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल किया गया हो, नाडा और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अपने बीच सहमति करेंगे कि खिलाड़ी द्वारा भरी गई ठिकाने की जानकारी को कौन स्वीकार करेगा; किसी भी मामले में किसी खिलाड़ी को अपने ठिकाने की जानकारी एक से ज़्यादा के पास भरने की ज़रूरत होगी। जैसा अनिवार्य हो नाडा अपने पंजीकृत परीक्षण पूल में खिलाड़ियों को शामिल करने के अपने मानदंड की समीक्षा और अद्यतन करेगी, और उन मानदंडों की अनुरूपता में जैसा उपयुक्त हो समय-समय पर अपने पंजीकृत परीक्षण पूल की सदस्यता की समीक्षा करेगी। खिलाड़ियों को पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल करने और जब उन्हें उस पूल में से हटाया जाता हो उससे पहले उसकी अधिसूचना दी जाएगी।

5.6.3 अनुच्छेद 2.4 के उद्देश्यों के लिए, किसी खिलाड़ी द्वारा परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की जरूरतों के साथ अनुपालन में विफलता को दाखिल करने की विफलता या परीक्षण में चूक माना जाएगा (जैसा परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में परिभाषित है) जहाँ दाखिल करने की विफलता या परीक्षण में चूक घोषित करने के लिए परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता हो।

5.6.4 नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में खिलाड़ी परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक I की ठिकाने की जानकारी की जरूरतों का अनुपालन करने के दायित्व के अधीन रहेगा जब तक:

(क) खिलाड़ी नाडा को लिखित में सूचना नहीं देता/देती कि वह सेवानिवृत्त हो गया/गई है या

(ख) नाडा ने उसे सूचना दे दी है कि वह नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल होने के लिए मानदंड को अब संतुष्ट नहीं करता/करती है।

5.6.5 किसी खिलाड़ी से संबंधित ठिकाने की जानकारी वाडा और उस खिलाड़ी का परीक्षण करने का अधिकार रखने वाले अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों के साथ (एडम्स (ADAMS) के माध्यम से) साझा की जाएगी, हर समय मजबूती से गोपनीयता में कायम रखा जाएगा, संहिता के अनुच्छेद 5.6 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा, और इन उद्देश्यों के लिए एक बार प्रासंगिकता समाप्त होने पर एकांतता और व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की अनुरूपता में नष्ट कर दिया जाएगा।

5.7 प्रतियोगिता में वापस लौटने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ी

5.7.1 नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में कोई खिलाड़ी जिसने नाडा को सेवानिवृत्ति की सूचना दे दी हो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा में लौट नहीं सकता/सकती जब तक वह नाडा को लिखित में प्रतिस्पर्धा करने की अपनी इच्छा की सूचना नहीं देता/देती और जो (अगर ज़रूरत हो) परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक I की ठिकाने की जानकारी की ज़रूरतों के साथ अनुपालन करने सहित प्रतिस्पर्धा में लौटने से छह माह पहले की अवधि के लिए परीक्षण के लिए स्वयं को उपलब्ध नहीं करता/करती। नाडा और खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के साथ परामर्श में वाडा, छह माह की लिखित सूचना नियम में छूट का अनुदान दे सकती है जहाँ उस नियम का कठोर अनुप्रयोग किसी खिलाड़ी के लिए प्रकट रूप से अनुचित होगा। अनुच्छेद 13 के तहत इस निर्णय के लिए अपील की जा सकती है। इस अनुच्छेद 5.7.1 के उल्लंघन में प्राप्त कोई प्रतिस्पर्धी परिणाम अयोग्य ठहराया जाएगा।

5.7.2 अगर कोई खिलाड़ी अपात्रता की अवधि के अधीन रहते हुए खेल से सेवानिवृत्त हो वह खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा में नहीं लौटेगा/लौटेगी जब तक वह खिलाड़ी नाडा और अपने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को प्रतिस्पर्धा करने की अपनी इच्छा की सूचना छह माह पूर्व लिखित में (या खिलाड़ी की सेवानिवृत्ति की तिथि से शेष अयोग्यता की अवधि के बराबर सूचना, अगर वह अवधि छह माह से अधिक हो) नहीं देता/देती और जो (अगर ज़रूरत हो) परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक I की ठिकाने की जानकारी की ज़रूरतों के साथ अनुपालन करने सहित प्रतिस्पर्धा में लौटने की उस सूचना की अवधि के लिए परीक्षण के लिए स्वयं को उपलब्ध नहीं करता/करती।

5.7.3 एक खिलाड़ी जो नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में न हो और जिसने नाडा को सेवानिवृत्ति की सूचना दी हो तब तक प्रतिस्पर्धा में लौट नहीं सकता/सकती जब तक वह नाडा और अपने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को प्रतियोगिता में लौटने की इच्छा से कम से कम छह माह पहले सूचित नहीं करता/करती और जो (अगर ज़रूरत हो) परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक I की ठिकाने की जानकारी की ज़रूरतों के साथ अनुपालन करने सहित प्रतिस्पर्धा में लौटने से छह माह पहले की अवधि के लिए परीक्षण के लिए स्वयं को प्रतिस्पर्धा-से-बाहर अघोषित परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं करता/करती।

अनुच्छेद 6 नमूनों का विश्लेषण

नमूनों का विश्लेषण निम्न सिद्धांतों के साथ अनुरूपता में किया जाएगा:

6.1 मान्यता प्राप्त और अनुमोदित प्रयोगशालाओं का प्रयोग

अनुच्छेद 2.1 के उद्देश्यों के लिए, नमूनों का विश्लेषण केवल वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। नमूने के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त या वाडा द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला का निर्धारण विशेष रूप से नाडा द्वारा किया जाएगा।

[अनुच्छेद 6.1 के लिए टिप्पणी: अनुच्छेद 2.1 के उल्लंघन की स्थापना वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा नमूने के विश्लेषण द्वारा किया जाएगा। अन्य अनुच्छेदों के उल्लंघन की स्थापना अन्य प्रयोगशालाओं से विश्लेषणात्मक नतीजों के उपयोग से की जा सकती है जब तक कि परिणाम विश्वसनीय हों।]

6.2 नमूनों के विश्लेषण का उद्देश्य

6.2.1 नमूनों का विश्लेषण संहिता के अनुच्छेद 4.5 में उल्लिखित निगरानी कार्यक्रम के अनुसार वाडा द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित पदार्थों और प्रतिबंधित विधियों और अन्य पदार्थों का पता लगाने के लिए; या खिलाड़ी के डीएनए या जीनोमिक प्रोफाइलिंग सहित मूत्र, रक्त या अन्य मैट्रिक्स में प्रासंगिक मापदंडों की प्रोफाइलिंग में सहायता करने; या एंटी-डोपिंग के अन्य वैध उद्देश्य के लिए किया जाएगा। नमूनों का संग्रह या भंडार भविष्य में विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।

[अनुच्छेद 6.2 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, प्रासंगिक प्रोफाइल की जानकारी का उपयोग लक्ष्य परीक्षण का निर्देश देने या अनुच्छेद 2.2 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की कार्यवाही का समर्थन करने, या दोनों के लिए किया जा सकता है।]

6.2.2 नाडा संहिता के अनुच्छेद 6.4 और परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुच्छेद 4.7 की अनुकूलता में प्रयोगशालाओं को नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कहेगी।

6.3 नमूनों के ऊपर शोध

खिलाड़ी की लिखित सहमति के बिना नमूने का उपयोग शोध के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 6.2 के सिवाय अन्य उद्देश्यों के लिए नमूनों का उपयोग करते समय किसी प्रकार की पहचान को हटाया जाएगा जिससे किसी विशेष खिलाड़ी की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सके।

6.4 नमूना विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए मानक

प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुकूलता में प्रयोगशालाएँ नमूनों का विश्लेषण करेंगी और परिणामों की रिपोर्ट करेंगी। प्रभावी परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, संहिता के अनुच्छेद 5.4.1 पर संदर्भित तकनीकी दस्तावेज़ विशेष खेलों और खेल अनुशासनों के लिए उपयुक्त नमूना विश्लेषण मेनू आधारित जोखिम आकलन की स्थापना करेगा, और प्रयोगशालाएँ उन मेनू के साथ अनुकूलता में नमूनों का विश्लेषण करेंगी, सिवाय निम्न के:

6.4.1 नाडा अनुरोध कर सकती है कि प्रयोगशालाएँ उसके नमूनों का विश्लेषण तकनीकी दस्तावेज़ में उल्लिखित के बजाय और विस्तृत मेनू के उपयोग से करें।

6.4.2 नाडा अनुरोध कर सकती है कि प्रयोगशालाएँ उसके नमूनों का विश्लेषण तकनीकी दस्तावेज़ में उल्लिखित के बजाय कम विस्तृत मेनू के उपयोग से करें केवल अगर उसने वाडा को संतुष्ट कर दिया हो कि, क्योंकि उसके देश या उक्त खेल की विशेष परिस्थितियों के चलते, जैसा कि परीक्षण वितरण योजना में निर्धारित किया गया है, कम विस्तृत विश्लेषण उपयुक्त होगा।

6.4.3 जैसा कि प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किया गया है, प्रयोगशालाएँ स्वयं की पहल और खर्च पर प्रतिबंधित पदार्थों या प्रतिबंधित विधियों के लिए उन नमूनों का विश्लेषण कर सकती हैं जिन्हें तकनीकी दस्तावेज़ में उल्लिखित या परीक्षण प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नमूना विश्लेषण मेनू पर शामिल नहीं किया गया हो। ऐसे किसी विश्लेषण में से नतीजों को रिपोर्ट किया जाएगा और उनकी वैधता और परिणाम किसी अन्य विश्लेषणात्मक नतीजे के समान होंगे।

[अनुच्छेद 6.4 के लिए टिप्पणी: इस अनुच्छेद का उद्देश्य नमूना विश्लेषण मेनू के लिए "बुद्धिमान परीक्षण" के सिद्धांत का विस्तार करना है ताकि डोपिंग का पता ज़्यादा प्रभावी और कुशल तरीके से हो सके। यह माना जाता है कि डोपिंग से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हैं और नमूना विश्लेषण मेनू को बढ़ाने से, कुछ खेलों और देशों में, विश्लेषण किए जाने वाले नमूनों की संख्या को कम किया जा सकता है।]

6.5 नमूनों का आगे और विश्लेषण

किसी भी नमूने का संग्रह किया जा सकता है और बाद में अनुच्छेद 6.2 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आगे और विश्लेषण करने के अधीन हो सकता है:

(क) वाडा द्वारा किसी भी समय; और/या

(ख) नाडा द्वारा किसी भी समय

अनुच्छेद 2.1 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा करने के आधार पर खिलाड़ी को नाडा द्वारा क और ख नमूने के विश्लेषणात्मक नतीजों (या क नमूने का नतीजा जहाँ ख नमूने के विश्लेषण में छूट दी गई हो या जिसे नहीं किया जाएगा) को बताने से पहले। नमूनों का ऐसा आगे विश्लेषण प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की ज़रूरतों के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद 7 परिणाम प्रबंधन

7.1 परिणाम प्रबंधन के आयोजन के लिए दायित्व

7.1.1 नाडा संहिता के अनुच्छेद 7 में निर्धारित सिद्धांतों के साथ अनुरूपता में अपने एंटी-डोपिंग क्षेत्राधिकार के तहत खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में परिणाम प्रबंधन के लिए दायित्व उठाएगी।

7.1.2 परिणाम प्रबंधन के लिए दायित्व का निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए, जहाँ नाडा अनुच्छेद 5.2.4 में निर्धारित परिस्थितियों में अतिरिक्त नमूनों का संग्रह करने का चयन करती हो, तब उसे वह एंटी-डोपिंग संगठन माना जाएगा जिसने नमूना संग्रह की पहल की और निर्देश दिये। हालाँकि, जहाँ नाडा अपने खर्च पर प्रयोगशाला को अतिरिक्त प्रकार के विश्लेषण करने का निर्देश केवल देती हो, तब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या प्रमुख प्रतियोगिता संगठन को एंटी-डोपिंग संगठन माना जाएगा जिसने नमूना संग्रह की पहल की और निर्देश दिये।

7.2 नाडा द्वारा आरंभ किए गए परीक्षणों से प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्षों की समीक्षा

नाडा द्वारा आरंभ किए गए परीक्षणों के नतीजों के संदर्भ में परिणाम प्रबंधन पर निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाएगी:

7.2.1 सभी विश्लेषणों से नतीजे कोडन रूप में, प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट में भेजे जाने चाहिए। सभी संचार गोपनीय रूप से और एडम्स (ADAMS) के साथ अनुरूपता में आयोजित किए जाने चाहिए।

7.2.2 प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की प्राप्ति पर, नाडा समीक्षा करेगी यह निर्धारित करने के लिए अगर: (क) चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किए अनुसार एक प्रयोज्य टीयूई का अनुदान किया गया है या किया जाएगा, या (ख) परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से स्पष्ट प्रस्थान जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना।

7.2.3 अगर अनुच्छेद 7.2.2 के तहत प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की समीक्षा प्रयोज्य टीयूई या परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से स्पष्ट प्रस्थान जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना प्रकट करती हो, तब संपूर्ण परीक्षण को नकारात्मक माना जाएगा और खिलाड़ी, खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी का राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को इसकी सूचना दी जाएगी।

7.3 प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष से संबंधित समीक्षा के बाद अधिसूचना

7.3.1 अगर अनुच्छेद 7.2.2 के तहत प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की समीक्षा चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किए अनुसार प्रयोज्य टीयूई या टीयूई के लिए पात्रता, या परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से स्पष्ट प्रस्थान जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना प्रकट न करती हो, तब नाडा खिलाड़ी को, और साथ ही खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को निम्न के संदर्भ में अनुच्छेद 14.1 में निर्धारित तरीके से तुरंत अधिसूचित करेगी:

(क) प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष;

(ख) एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन;

(ग) ख नमूने के विश्लेषण के अनुरोध का खिलाड़ी का अधिकार या, विनिर्दिष्ट समय-सीमा तक ऐसा अनुरोध करने में विफलता, कि ख नमूने के विश्लेषण को माफ समझा जाए;

(घ) ख नमूना विश्लेषण के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान अगर खिलाड़ी या नाडा ख नमूने के विश्लेषण के अनुरोध का चयन करती हो;

(ङ) प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूपता में ख नमूने को खोलने और विश्लेषण करने के समय उपस्थित रहने के खिलाड़ी और/या खिलाड़ी के प्रतिनिधि के लिए अवसर; और

(च) खिलाड़ी का क और ख नमूना प्रयोगशाला दस्तावेजीकरण पैकेज की प्रतिलिपियों का अनुरोध जिसमें प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा आवश्यक जानकारी शामिल हो। खिलाड़ी के अनुरोध पर, प्रयोगशाला दस्तावेजीकरण पैकेज को प्रयोज्य फीस/शुल्क की अदायगी पर प्रदान किया जा सकता है जिसका भुगतान संबंधित खिलाड़ी द्वारा किया जाएगा।

अगर नाडा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के रूप में प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष को आगे नहीं लाने का निर्णय करती है, वह खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को इसकी अधिसूचना देगी।

7.3.2 जहाँ खिलाड़ी या नाडा द्वारा अनुरोध किया गया हो, प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूपता में ख नमूने का विश्लेषण करने की व्यवस्था की जाएगी। खिलाड़ी ख नमूने के विश्लेषण के लिए ज़रूरत में छूट द्वारा क नमूने के विश्लेषणात्मक नतीजों को स्वीकार कर सकता है। नाडा तब भी ख नमूने के विश्लेषण पर कार्यवाही कर सकती है।

7.3.3 खिलाड़ी और/या उसके प्रतिनिधि को ख नमूने के विश्लेषण पर उपस्थित रहने दिया जाएगा। साथ ही, नाडा का एक प्रतिनिधि या खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ के प्रतिनिधि को उपस्थित रहने दिया जाएगा।

7.3.4 अगर ख नमूने का विश्लेषण क नमूने के विश्लेषण की पुष्टि न करता हो, तब (जब तक कि नाडा अनुच्छेद 2.2 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के रूप में मामला आगे न ले जाए) संपूर्ण परीक्षण को नकारात्मक माना जाएगा और खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को इसकी सूचना दी जाएगी।

7.3.5 अगर ख नमूने का विश्लेषण क नमूने के विश्लेषण की पुष्टि करता हो, निष्कर्ष की सूचना खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को दी जाएगी।

7.4 असामान्य निष्कर्षों की समीक्षा

7.4.1 जैसा कि प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किया गया है, कुछ परिस्थितियों में प्रयोगशालाओं को प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे असामान्य निष्कर्षों के रूप में, आंतरिक तरीके से भी उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात, वे निष्कर्ष जो आगे जाँच के अधीन होते हैं।

7.4.2 असामान्य विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की प्राप्ति पर, नाडा समीक्षा करेगी यह निर्धारित करने के लिए अगर: (क) चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किए अनुसार एक प्रयोज्य टीयूई का अनुदान किया गया है या किया जाएगा, या (ख) परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से स्पष्ट प्रस्थान जो असामान्य विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना।

7.4.3 अगर अनुच्छेद 7.4.2 के तहत असामान्य विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की समीक्षा प्रयोज्य टीयूई या परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से स्पष्ट प्रस्थान जो असामान्य विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना प्रकट करती हो, तब संपूर्ण परीक्षण को नकारात्मक माना जाएगा और खिलाड़ी, खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को इसकी सूचना दी जाएगी।

7.4.4 अगर वह समीक्षा प्रयोज्य टीयूई या परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से प्रस्थान जो असामान्य विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना प्रकट न करती हो, नाडा ज़रूरी जाँच करेगी या उसे करवाएगी। जाँच के समाप्त होने के बाद, या तो अनुच्छेद 7.3.1 के साथ अनुरूपता में, प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष को सामने लाया जाएगा, या खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा को अधिसूचित किया जाएगा कि असामान्य निष्कर्ष को प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के रूप में आगे नहीं लाया जाएगा।

7.4.5 नाडा असामान्य निष्कर्ष की अधिसूचना तब तक प्रदान नहीं करेगी जबतक वह अपनी जाँच समाप्त नहीं कर लेती और निर्णय ले लेती कि वह असामान्य निष्कर्ष को प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के रूप में सामने लाएगी जब तक निम्न में से कोई एक परिस्थिति मौजूद हो:

7.4.5.1 अगर नाडा निर्धारित कर लेती है कि ख नमूने का विश्लेषण उसकी जाँच की समाप्ती से पूर्व किया जाना चाहिए, वह अनुच्छेद 7.3.1 (घ)-(च) में उल्लिखित असामान्य निष्कर्ष और जानकारी के विवरण को शामिल करने के लिए ऐसी सूचना के साथ, खिलाड़ी को अधिसूचित करने के बाद ख नमूने का विश्लेषण कर सकती है।

7.4.5.2 अगर नाडा से (क) प्रमुख प्रतियोगिता संगठन द्वारा उसकी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से थोड़ा पहले पूछा जाए, या (ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए टीम के सदस्यों का चयन करने के लिए सन्निकट समय सीमा को पूरा करने के लिए उत्तरदाई खेल संगठन द्वारा यह बताने के लिए अगर प्रमुख प्रतियोगिता संगठन या खेल संगठन द्वारा प्रदान की गई सूची में पहचाने गए किसी खिलाड़ी का असामान्य निष्कर्ष लंबित है, नाडा खिलाड़ी को असामान्य निष्कर्ष की सूचना पहले प्रदान करने के बाद प्रमुख प्रतियोगिता संगठन या खेल संगठन को इसके बारे में परामर्श देगी।

7.5 असामान्य निष्कर्ष और प्रतिकूल पासपोर्ट निष्कर्ष की समीक्षा

असामान्य पासपोर्ट निष्कर्षों और प्रतिकूल पासपोर्ट निष्कर्षों की समीक्षा परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किए अनुसार की जाएगी। उस समय नाडा की संतुष्टि पर कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है, वह उसी समय खिलाड़ी (और साथ ही खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा) को एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन पर ज़ोर देने और उस दावे के आधार की सूचना देगी।

7.6 ठिकाने के बारे में पता लगाने की विफलता की समीक्षा

नाडा उन खिलाड़ियों के संदर्भ में दाखिल करने की संभावित विफलताओं और परीक्षणों में चूक की समीक्षा (जैसा परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में परिभाषित है) करेगी जो परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुलग्नक-I के साथ अनुरूपता में नाडा के साथ उनके ठिकाने की जानकारी दाखिल करते हैं। ऐसे समय में नाडा की संतुष्टि पर कि अनुच्छेद 2.4 एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है, वह उसी समय खिलाड़ी (और साथ ही खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा) को अनुच्छेद 2.4 के उल्लंघन का दावा करते हुए उस दावे के आधार की सूचना देगी।

7.7 एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघनों की समीक्षा जो अनुच्छेद 7.2-7.6 के दायरे में नहीं आते-

नाडा अनुच्छेद 7.2-7.6 के दायरे में नहीं आने वाले एंटी-डोपिंग नियम के संभावित उल्लंघन में ज़रूरी किसी जाँच में आगे कार्यवाही करेगी। ऐसे समय में नाडा की संतुष्टि पर कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है, वह उसी समय खिलाड़ी (और साथ ही खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, खिलाड़ी के राष्ट्रीय महासंघ और वाडा) को एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा करते हुए उस दावे के आधार की सूचना देगी।

7.8 एंटी-डोपिंग नियम के पूर्व उल्लंघनों की पहचान

किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को उपरोक्त में प्रदान किए अनुसार एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा करते हुए सूचना देने से पहले, यह निर्धारित करने के लिए अगर एंटी-डोपिंग नियम का कोई पूर्व उल्लंघन मौजूद है, नाडा एडम्स (ADAMS) का संदर्भ लेगी और वाडा और अन्य प्रासंगिक एंटी-डोपिंग संगठनों से संपर्क करेगी।

7.9 *अस्थायी निलंबन*

7.9.1 अनिवार्य अस्थायी निलंबन: अगर क नमूने के विश्लेषण के परिणामस्वरूप ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ के लिए प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आता हो जो विनिर्दिष्ट पदार्थ नहीं हो, या प्रतिबंधित विधि के लिए आता हो, और अनुच्छेद 7.2.2 के साथ अनुरूपता में समीक्षा प्रयोज्य टीयूई या परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक से स्पष्ट प्रस्थान जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का कारण बना प्रकट न करती हो, नाडा अनुच्छेद 7.2, 7.3 या 7.5 में उल्लिखित अधिसूचना के बाद तुरंत उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति का अस्थायी निलंबन कर देगी जिसके विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा किया गया हो।

7.9.2 वैकल्पिक अस्थायी निलंबन: विनिर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के मामले में, या अनुच्छेद 7.9.1 के दायरे में नहीं आने वाले एंटी-डोपिंग नियम के किसी उल्लंघन के मामले में, अनुच्छेद 7.2-7.7 में उल्लिखित समीक्षा और अधिसूचना के बाद और अनुच्छेद 8 में उल्लिखित अंतिम सुनवाई से पहले नाडा किसी भी समय ऐसे किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति का अस्थायी निलंबन कर सकती है जिसके विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा किया गया है।

7.9.3 जहाँ अनुच्छेद 7.9.1 या अनुच्छेद 7.9.2 के अनुसार अस्थायी निलंबन किया गया हो, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को निम्न में से कोई एक दिया जाएगा:

(क) अस्थायी सुनवाई का एक अवसर या तो अस्थायी निलंबन लगाने से पहले या उसके बाद समय के आधार पर; या

(ख) अस्थायी निलंबन लगाने के बाद समय के आधार पर अनुच्छेद 8 के साथ अनुरूपता में शीघ्र अंतिम सुनवाई के लिए एक अवसर।

इसके अलावा, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के पास अनुच्छेद 13.2 के साथ अनुरूपता में अस्थायी निलंबन से अनुच्छेद 7.9.3 के तहत दिये गए निर्णय पर अपील करने का अधिकार है (अनुच्छेद 7.9.3.1 में निर्धारित को छोड़कर)।

7.9.3.1 अस्थायी निलंबन को उठाया जा सकता है अगर खिलाड़ी सुनवाई पैनल को बता दे कि उल्लंघन में संभवतः एक संदूषित उत्पाद शामिल था। खिलाड़ी द्वारा संदूषित उत्पाद के संबंध में दावा करने के आधार पर सुनवाई पैनल द्वारा अनिवार्य अस्थायी निलंबन को न उठाने के निर्णय पर अपील नहीं की जा सकती है।

7.9.4 अगर क नमूने के प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के आधार पर अस्थायी निलंबन अधिरोपित किया जाए और उसके बाद ख नमूने का विश्लेषण क नमूने के विश्लेषण की पुष्टि न करता हो, तब अनुच्छेद 2.1 के उल्लंघन के आधार पर खिलाड़ी आगे और अस्थायी निलंबन के अधीन नहीं आएगा। वे परिस्थितियाँ जहाँ खिलाड़ी (या खिलाड़ी की टीम) को अनुच्छेद 2.1 के उल्लंघन के आधार पर प्रतिस्पर्धा से हटा दिया गया ही और बाद में ख नमूने का विश्लेषण क नमूने के निष्कर्ष की पुष्टि न करता हो, तब अगर खिलाड़ी या टीम का दोबारा प्रवेश प्रतिस्पर्धा को अन्य प्रकार से प्रभावित किए बिना संभव हो, वह खिलाड़ी या टीम प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रख सकती है। इसके अलावा, वह खिलाड़ी या टीम उसी प्रतियोगिता में अन्य प्रतिस्पर्धाओं में उसके बाद भाग ले सकती है।

7.9.5 उन सभी मामलों में जहाँ खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की अधिसूचना दे दी गई हो लेकिन उसका अस्थायी निलंबन अधिरोपित नहीं किया गया हो, उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को मामले के लंबित समाधान के चलते स्वैच्छिक रूप से अस्थायी निलंबन को स्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा।

[अनुच्छेद 7.9 के लिए टिप्पणी: खिलाड़ी या अन्य व्यक्तियों को अपात्रता की किसी भी अवधि के एवज़ में अंततः लगाए गए अस्थायी निलंबन के लिए बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी। अनुच्छेद 10.11.3.1 और 10.11.3.2 देखें।]

7.10 बिना सुनवाई समाधान

7.10.1 कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा किया गया हो किसी भी समय उल्लंघन को स्वीकार कर, सुनवाई से छूट प्राप्त कर सकता/सकती है, और एंटी-डोपिंग के इन नियमों द्वारा अनिवार्य या (जहाँ एंटी-डोपिंग के इन नियमों के तहत मौजूद परिणामों के लिए विचारशीलता हो) नाडा द्वारा प्रस्तावित परिणामों को स्वीकार कर सकता/सकती है।

7.10.2 वैकल्पिक रूप से, अगर वह खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा किया गया हो नाडा द्वारा उल्लंघन का दावा करते हुए सूचना में विनिर्दिष्ट नाडा द्वारा जारी सूचना की प्राप्ति की तिथि से **15** दिन के अंदर उस दावे पर संशय करने में विफल रहता/रहती हो, तब माना जाएगा कि उसने उल्लंघन को स्वीकार किया है, सुनवाई से छूट ली है, और एंटी-डोपिंग के इन नियमों द्वारा अनिवार्य या (जहाँ एंटी-डोपिंग के इन नियमों के तहत मौजूद परिणामों के लिए विचारशीलता हो) नाडा द्वारा प्रस्तावित परिणामों को स्वीकार किया है।

7.10.**3** उन मामलों में जहाँ अनुच्छेद **7.10.1** या अनुच्छेद **7.10.2** लागू होता हो**,** सुनवाई पैनल के सामने सुनवाई की ज़रूरत नहीं होगी। बजाय उसके नाडा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन और परिणामस्वरूप लगाए गए परिणामों की नियुक्ति की पुष्टि करते लिखित निर्णय को तुरंत जारी करेगी**,** और अधिरोपित अपात्रता की किसी भी अवधि के लिए पूरे कारण बताएगी**,** जिसमें **(**अगर लागू हो**)** यह औचित्य भी शामिल होगा कि क्यों अयोग्यता की अधिकतम संभावित अवधि को अधिरोपित नहीं किया गया। नाडा अनुच्छेद **13.2.3** के तहत अपील करने के अधिकार के साथ उस निर्णय की प्रतिलिपियाँ अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों को भेजेगी**,** और अनुच्छेद **14.3.2** के साथ अनुरूपता में उस निर्णय को सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगी।

7.11 परिणाम प्रबंधन निर्णयों की अधिसूचना

उन सभी मामलों में जहाँ नाडा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की नियुक्ति का दावा किया हो, एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे को वापस लिया हो, अस्थायी निलंबन किया हो, या किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के साथ सुनवाई के बिना परिणामों के अधिरोपण पर स्वीकृति की हो, नाडा अनुच्छेद 14.2.1 के साथ अनुरूपता में अनुच्छेद 13.2.3 के तहत अपील करने के अधिकार के साथ अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों को इसकी सूचना देगी।

7.12 खेल से सेवानिवृत्ति

अगर कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति नाडा द्वारा परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया के आयोजन के चलते सेवानिवृत्त होता हो, नाडा अपनी परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया को समाप्त करने के अधिकार क्षेत्र को कायम रखती है। अगर कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति किसी परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया के आरंभ होने से पहले सेवानिवृत्त होता हो, और नाडा के पास उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने के समय उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के ऊपर परिणाम प्रबंधन प्राधिकरण होता है, नाडा के पास एंटी-डोपिंग नियम के उस उल्लंघन के संदर्भ में परिणाम प्रबंधन को आयोजित करने का अधिकार है।

[अनुच्छेद 7.12 के लिए टिप्पणी: किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी एंटी-डोपिंग संगठन के क्षेत्राधिकार के अधीन रहने से पहले किया गया आचरण एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन का गठन नहीं करेगा लेकिन खेल संगठन में उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को सदस्यता देने से इनकार करने का वैध आधार बन सकता है।]

अनुच्छेद 8 निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

8.1 नाडा के परिणाम प्रबंधन के बाद की सुनवाई

8.1.1 नाडा के प्रबंध निकाय का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष स्वतंत्र एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल की नियुक्ति करेगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:

(क) एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष, प्रत्येक एक विधि व्यवसायी होगा जिसे कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होगा,

(ख) पाँच चिकित्सा व्यवसायी जिन्हें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होगा; और

(ग) पाँच अतिरिक्त सदस्य, प्रत्येक को खेल प्रबन्धक या खिलाड़ी होना चाहिए, या अतीत में रहा हो।

उन सभी की नियुक्ति का आधार यह होगा कि वे मामलों को न्यायपूर्ण तरीके से और निष्पक्षता के साथ सुनने की स्थिति में हों।

8.1.2 पैनल के प्रत्येक सदस्य की अवधि दो वर्ष है।

8.1.3 अगर कोई पैनल सदस्य मर जाए या इस्तीफा दे, या उनकी संबद्धता के साथ हितों का टकराव हो या संहिता के सिद्धांतों और नियमों के विरुद्ध व्यवहार/कार्य के प्रदर्शन की स्थापना हो, नाडा के प्रबंध निकाय का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष परिणामी रिक्ति को भरने के लिए एक स्वतंत्र पैनल सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। उस व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि रिक्त कर के गए सदस्य की शेष अवधि के बराबर होगी।

8.1.4 नाडा के प्रबंध निकाय के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा पैनल सदस्य की दोबारा नियुक्ति की जा सकती है।

8.2 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल का क्षेत्राधिकार

8.2.1 जब नाडा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा करते हुए किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को सूचना भेजती है, और वह खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति अनुच्छेद 7.10.1 या अनुच्छेद 7.10.2 के साथ अनुरूपता में सुनवाई में छूट नहीं लेता, तब मामले को सुनवाई और न्यायिक निर्णय के लिए एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के पास विचारार्थ भेजा जाएगा। पैनल के पास विचारार्थ भेजा जाएगा।

8.2.2 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के पास इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार विचारार्थ भेजे गए किसी भी मामले से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर सुनवाई करने और निर्धारण करने की शक्ति है। खासकर, एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के पास इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार अधिरोपित किए जाने वाले एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणामों का निर्धारण करने की शक्ति है।

8.2.3 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल अपने कार्यों के प्रदर्शन में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहेगा।

8.2.4 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के पास अपने कार्य निभाने के लिए सभी अनिवार्य और प्रासंगिक शक्तियां हैं।

8.2.5 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रत्येक मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए पैनल में से तीन (3) सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। ऐसे प्रत्येक सुनवाई पैनल में सुनवाई पैनल का एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, एक चिकित्सा व्यवसायी सदस्य और एक खेल प्रबंधक या खिलाड़ी सदस्य शामिल होगा।

अगर मामले की सुनवाई के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्य किसी भी कारण से मामले की सुनवाई करने का अनिच्छुक या असमर्थ हो, अध्यक्ष बदले का सदस्य नियुक्त कर सकता है या सुनवाई से जुड़े नए पैनल को नियुक्त कर सकता है (उदाहरण, उम्मीदवारों के पूर्व-स्थापित पूल में से)।

8.2.6 नियुक्त सदस्य मामले से पहले से जुड़े नहीं होंगे। प्रत्येक सदस्य, नियुक्ति पर, अध्यक्ष को किसी भी पक्ष के संदर्भ में निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति की जानकारी देगा।

8.2.7 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के पास उसके पूर्ण विवेकाधिकार पर, पैनल द्वारा ज़रूरत के अनुसार पैनल को सहायता देने या परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की शक्ति होगी।

8.2.8 अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, और या संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ, अगर कार्यवाहियों से न जुड़ा हो, भारतीय ओलिम्पिक संघ, अगर कार्यवाहियों से न जुड़ा हो, और वाडा को पर्यवेक्षक के रूप में एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल की सुनवाईयों में उपस्थित रहने का अधिकार है। किसी भी घटना में, नाडा लंबित मामलों की स्थिति और सभी सुनवाईयों के नतीजे से वाडा को पूर्ण अवगत कराएगी।

8.3 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल की कार्यवाहियाँ

8.3.1 एंटी-डोपिंग के इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल और उसके सुनवाई पैनलों के पास उनकी कार्यवाहियों को विनियमित करने की शक्ति होगी।

8.3.2 कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति लिखित में सुनवाई के अधिकार में छूट पा कर और एंटी-डोपिंग के इन नियमों के उल्लंघन की सहमति दे कर और नाडा द्वारा दी गई अधिसूचना के अनुसार संहिता अनुच्छेद 9 (व्यक्तिगत परिणामों की स्वतः अयोग्यता) और संहिता अनुच्छेद 10 (व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध) के साथ संगत परिणामों को स्वीकार कर अनुच्छेद 7.10.1 के तहत सुनवाई का त्याग कर सकता है।

8.3.3 कोई खिलाड़ी या व्यक्ति जिसके विरुद्ध मामला लाया गया हो एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे और उसके बाद के परिणामों के प्रति प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखता है।

8.3.4 किसी पक्ष या उनके प्रतिनिधियों द्वारा अनुच्छेद 7.10.2 के अनुसार एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे पर संशय करने में विफलता को सुनवाई के उनके अधिकार का त्याग माना जाएगा। उस अधिकार की पुनःस्थापना उचित कारण दिये जाने पर की जा सकती है।

8.3.5 प्रत्येक पक्ष के पास उसके अपने खर्च पर सुनवाई में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

8.3.6 जब तक कि पक्षों के बीच सहमति नहीं होती, एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को एकल सुनवाई प्रदान करेगा जिसके विरुद्ध मामला लाया गया है।

8.3.7 खिलाड़ी पैनल के गठन के लिए सूचना की प्राप्ति की तिथि से 20 दिन के अंदर एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के समक्ष अपने मामले के समर्थन में उसके भरोसे के सभी दस्तावेज़ों के साथ लिखित प्रस्तुतिकरणों को जमा कर कर सकता/सकती है। एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के कार्यालय को उसकी पाँच (5) प्रतिलिपियों की अग्रिम आपूर्ति की जा सकती है। खिलाड़ी के उत्तर को प्राप्त करने के बाद 20 दिन के अंदर खिलाड़ी द्वारा की गई प्रस्तुतियों के लिए नाडा भी प्रतिक्रिया दायर कर सकती है।

8.3.8 पक्षों को सुनवाई पैनल के समक्ष एकल सुनवाई का एक अवसर प्राप्त होगा। हालाँकि सुनवाई पैनल, अपने विवेकाधिकार पर, कार्य-स्थगन का अनुदान कर सकता है, उस परिस्थिति के अधीन रहते हुए कि कार्य-स्थगन की माँग करने वाले पक्ष को सुनवाई के खर्च का वहन करना होगा अर्थात अध्यक्ष और सदस्यों के बैठने का शुल्क और यात्रा संबंधी खर्चे।

8.3.9 इस अनुच्छेद के अनुसार सुनवाई शीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए और सभी मामलों में अनुच्छेद 7 (परिणाम प्रबंधन) में उल्लिखित परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया की समाप्ती के तीन (3) माह के अंदर, सिवाय वहाँ जहाँ असाधारण परिस्थितियाँ लागू होती हों।

8.3.10 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल की सुनवाई सार्वजनिक तौर पर खुली रहेगी, जब तक एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल निर्धारित नहीं करता कि ऐसा नहीं करने की विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं।

8.3.11 नाडा एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के समक्ष उस व्यक्ति के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करेगी और, जहाँ नाडा द्वारा अनुरोध किया गया हो, संबंधित व्यक्ति का राष्ट्रीय खेल महासंघ नाडा की सहायता करेगा।

8.3.12 प्रत्येक पक्ष के पास उसके स्वयं के खर्च पर, सुनवाई में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

8.3.13 प्रत्येक पक्ष के पास उसके स्वयं के खर्च पर सुनवाई में अनुवादक का अधिकार होगा, अगर सुनवाई पैनल को अनिवार्य लगता हो। सुनवाई से जुड़ा पैनल किसी अनुवादक के खर्च के लिए पहचान और दायित्व का निर्धारण करेगा।

8.3.14 कार्यवाही से जुड़े प्रत्येक पक्ष के पास गवाहों को बुलाने और प्रश्न पूछने के अधिकार सहित सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार होता है (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लिखित बयान या प्रस्तुतिकरणों को, चाहे फ़ैक्स, ईमेल या अन्य तरीकों द्वारा स्वीकार करने के सुनवाई पैनल के विवेकाधिकार के अधीन रहते हुए)।

8.3.15 सुनवाई पैनल की किसी ज़रूरत या निर्देशों के साथ अनुपालन से संबंधित व्यक्ति द्वारा कोई विफलता सुनवाई पैनल को कार्यवाही करने से नहीं रोकेगी और ऐसी विफलता पर निर्णय लेते समय सुनवाई पैनल द्वारा विचार किया जाएगा।

8.3.16 सुनवाईयों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और नाडा किसी भी रिकॉर्डिंग का स्वामित्व रहेगा और उसका प्रतिधारण करेगी।

8.3.17 एंटी-डोपिंग पैनल हर समय सभी पक्षों के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा।

[अनुच्छेद 8.3.8 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, शीघ्र सुनवाई किसी प्रमुख प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर की जा सकती है जहाँ उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी की योग्यता का निर्धारण करने के लिए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का समाधान अनिवार्य हो, या किसी प्रतियोगिता के दौरान जहाँ मामले का समाधान खिलाड़ी के नतीजों या उस प्रतियोगिता में उसके भाग लेना जारी रखने की वैधता को प्रभावित करता हो।]

8.4 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के समक्ष सुनवाई

1. एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल निम्न करेगा:

(क) एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के गठन के 45 दिनों के अंदर सुनवाई की शुरुआत।

(ख) एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के गठन के 90 दिनों के अंदर अपने कारण के साथ लिखित निर्णय जारी करेगा।

8.5 एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के निर्णय

8.5.1 सुनवाई के अंत में, या उसके बाद समय-समय पर, एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल लिखित, दिनांकित और हस्ताक्षरित निर्णय जारी करेगा (या तो एकमत से या बहुमत से) जिसमें सबसे बढ़े संभावित परिणाम अधिरोपित नहीं करने के औचित्य (अगर लागू हो) सहित, उस निर्णय और अधिरोपित अयोग्यता की किसी अवधि के लिए पूर्ण कारण शामिल हैं।

8.5.2 किसी भी अल्पमत या किसी भी विसम्मत निर्णय को लिखित कारणों में लिखा जाएगा। बहुमत से लिए गए निर्णय की परिस्थिति में, यह निर्णय सुनवाई पैनल का निर्णय होगा।

8.5.3 खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति, नाडा, उसके राष्ट्रीय महासंघ (और राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति और राष्ट्रीय खेल महासंघ, अगर कार्यवाही में शामिल न हों), वाडा और अनुच्छेद 13.2.3 के तहत अपील करने के अधिकार के साथ एंटी-डोपिंग संगठन को एडीडीपी द्वारा निर्णय प्रदान किया जाएगा।

8.5.4 निर्णय पर अपील अनुच्छेद 13 में प्रदान किए अनुसार की जा सकती है। अगर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं लाई जाती, तब

(क) अगर निर्णय यह होता है कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया गया था, निर्णय अनुच्छेद 14.3.2 में प्रदान किए अनुसार सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाएगा; लेकिन

(ख) अगर यह है कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था, तब निर्णय के अधीन खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की सहमति के साथ निर्णय सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाएगा। नाडा ऐसी सहमति को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास करेगी, और अगर सहमति प्राप्त हो जाए, तो निर्णय को सार्वजनिक तौर पर उसकी संपूर्णता में या संशोधित रूप में खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के अनुमोदन के अनुसार प्रकट करेगी। अनुच्छेद 14.3.6 में शामिल सिद्धांत उन मामलों पर लागू किए जाएंगे जहाँ नाबालिग शामिल हो।

8.5 सीएएस के समक्ष एकल सुनवाई

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे से जुड़े मामले जिनमें नाडा परिणाम प्रबंधन प्राधिकरण नहीं है उन्हें सीएएस पर सीधे सुना जा सकता है, बिना पूर्व सुनवाई की ज़रूरत, खिलाड़ी, नाडा, वाडा, और अन्य एंटी-डोपिंग संगठन की सहमति के साथ जिनके पास पहली सुनवाई के निर्णय पर सीएएस के पास अपील करने का अधिकार होता।

[अनुच्छेद 8.4 के लिए टिप्पणी: जहाँ इस अनुच्छेद में पहचाने गए सभी पक्ष इस बात से संतुष्ट हों कि उनके हितों को एकल सुनवाई में पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, दो सुनवाईयों के अतिरिक्त खर्च को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एंटी-डोपिंग संगठन जो एक पक्ष के रूप में या एक पर्यवेक्षक के रूप में सीएएस की सुनवाई में भाग लेना चाहता हो उस अधिकार के अनुदान पर एकल सुनवाई के उसके अनुमोदन की शर्त रख सकता है।]

अनुच्छेद 9 व्यक्तिगत परिणामों की स्वतः अयोग्यता

प्रतिस्पर्धा-में परीक्षण के संबंध में व्यक्तिगत खेलों में एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन स्वतः उस प्रतिस्पर्धा में किसी भी मेडल, अंक और इनाम वापस लिए जाने सहित सभी प्राप्त नतीजे अयोग्य ठहरा दिये जाएंगे।

[अनुच्छेद 9 के लिए टिप्पणी: टीम संबंधी खेलों के लिए, व्यक्तिगत खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किसी भी पुरस्कार को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। हालाँकि, टीम की अयोग्यता अनुच्छेद 11 में प्रदान किए अनुसार होगी। वे खेल जिनका संबंध टीम से न हो लेकिन जहाँ टीमों को पुरस्कार दिये जाते हों, टीम की अयोग्यता या उसके विरुद्ध उस अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही जब एक या अधिक टीम के सदस्याओं ने एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया हो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के प्रयोज्य नियमों में प्रदान किए अनुसार की जाएगी।]

अनुच्छेद 10 व्यक्तियों पर प्रतिबंध

10.1 प्रतियोगिता के दौरान एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन होने पर नतीजों की अयोग्यता

प्रतियोगिता के दौरान या उसके संबंध में एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन होने पर, उस प्रतियोगिता के प्रबंध निकाय के निर्णय के ऊपर, उस प्रतियोगिता में प्राप्त सभी मेडल, अंक और इनाम वापस लिए जाने सहित खिलाड़ी के सभी व्यक्तिगत नतीजे अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, सिवाय जैसा अनुच्छेद 10.1.1 में प्रदान किए अनुसार को छोड़कर।

प्रतियोगिता में अन्य नतीजों की अयोग्यता के बारे में विचार करते समय जो कारक शामिल किए जा सकते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, खिलाड़ी के एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की गंभीरता और यदि अन्य प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के परीक्षण नकारात्मक रहे।

[अनुच्छेद 10.1 के लिए टिप्पणी: जबकि अनुच्छेद 9 उस एकल प्रतिस्पर्धा में नतीजे अयोग्य ठहराता है जिसमें खिलाड़ी को परीक्षण में दोषी पाया गया हो (उदाहरण, 100 मीटर बैकस्ट्रोक), इस अनुच्छेद के परिणामस्वरूप प्रतियोगिता के दौरान सभी नतीजों को अयोग्य ठहराया जा सकता है (उदाहरण, फीना विश्व चैम्पियनशिप)।]

10.1.1 अगर खिलाड़ी स्थापित कर दे कि उल्लंघन में उसका कोई दोष नहीं है, अन्य प्रतिस्पर्धा में उस खिलाड़ी के व्यक्तिगत नतीजों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जबतक कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन जिस प्रतिस्पर्धा में हुआ उसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ी के नतीजे खिलाड़ी के एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन द्वारा प्रभावित न हुए हों।

10.2 प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि की उपस्थिती, उपयोग या उपयोग का प्रयास, या आधिपत्य

अनुच्छेद 2.1, 2.2 या 2.6 के उल्लंघन के लिए अपात्रता की अवधि निम्न रूप से होगी, जो अनुच्छेद 10.4, 10.5 या 10.6 के अनुसार संभावित छूट या निलंबन के अधीन होगी:

10.2.1 अयोग्यता की अवधि चार वर्ष होगी जहाँ:

10.2.1.1 एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन विनिर्दिष्ट पदार्थ को शामिल नहीं करता, जबतक कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति यह स्थापित न कर दे कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था।

10.2.1.2 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट पदार्थ शामिल है और नाडा इस बात को स्थापित कर सकती हो कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन जानबूझकर हुआ था।

10.2.2 अगर अनुच्छेद 10.2.1 लागू नहीं होता हो, अपात्रता की अवधि दो वर्ष होगी।

10.2.3 जैसा अनुच्छेद 10.2 और 10.3 में उपयोग किया गया है, "जानबूझकर" शब्द का उपयोग धोखा देने वाले खिलड़ियों की पहचान के लिए किया जाता है। इसलिए, इस शब्द के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जो एक ऐसे आचरण में संलिप्त हो जिसके बारे में उसे पता था कि वह एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का गठन करता है या वह जानता/जानती था/थी कि उसमें बहुत जोखिम है या जिसका परिणाम एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन होगा और जिसने प्रकट रूप से उस जोखिम की अनदेखी की हो। प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के परिणामस्वरूप एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन एक ऐसे पदार्थ के लिए जिसके ऊपर प्रतिबंध केवल प्रतिस्पर्धा में लगाया गया हो उसके लिए तर्क द्वारा खंडन माना जाएगा कि "जानबूझकर" नहीं किया गया हाए अगर वह पदार्थ विनिर्दिष्ट पदार्थ हो और खिलाड़ी यह स्थापित कर सके कि प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग प्रतिस्पर्धा-से-बाहर किया गया था। प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के परिणामस्वरूप एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन एक ऐसे पदार्थ के लिए जिसके ऊपर प्रतिबंध केवल प्रतिस्पर्धा-में भाग लेते समय लगाया गया हो उसे "जानबूझकर" नहीं माना जाएगा अगर वह पदार्थ विनिर्दिष्ट पदार्थ नहीं हो और खिलाड़ी यह स्थापित कर सके कि प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग प्रतिस्पर्धा-से-बाहर किया गया था और जिसका संबंध खेल प्रदर्शन से नहीं था।

10.3 एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघनों के लिए अपात्रता

एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के लिए अपात्रता की वह अवधि जिसके बारे में अनुच्छेद 10.2 में नहीं बताया गया हो इस प्रकार से है, जबतक कि अनुच्छेद 10.5 या 10.6 प्रयोज्य न हों:

10.3.1 अनुच्छेद 2.3 या अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघनों के लिए, अपात्रता की अवधि चार वर्ष होगी जबतक कि, नमूना संग्रह जमा करने की विफलता के मामले में, खिलाड़ी यह स्थापित कर सके कि एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की नियुक्ति जानबूझकर नहीं की गई थी (जैसा अनुच्छेद 10.2.3 में परिभाषित है), उस मामले में अपात्रता की अवधि दो वर्ष होगी।

10.3.2 अनुच्छेद 2.4 के उल्लंघनों के लिए, अपात्रता की अवधि दो वर्ष होगी, कम से कम एक वर्ष की कटौती के अधीन रहते हुए, खिलाड़ी की गलती की सीमा पर निर्भर करेगी। इस अनुच्छेद में अपात्रता के दो वर्ष और एक वर्ष के बीच लचीलापन उन खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं है जहाँ अंतिम समय पर ठिकाने की जानकारी के बदलने का पैटर्न दिखाई देता हो या अन्य आचरण एक गंभीर संदेह उत्पन्न करता हो कि खिलाड़ी परीक्षण के लिए उपलब्ध रहने से बच रहा/रही था/थी।

10.3.3 अनुच्छेद 2.7 या 2.8 के उल्लंघनों के लिए, उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए अपात्रता की अवधि कम से कम चार वर्ष से लेकर आजीवन अपात्रता तक होगी। अनुच्छेद 2.7 या अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन जिसमें नाबालिग शामिल हो उसे खासकर एक गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और, अगर खिलाड़ी सहायता कर्मी द्वारा किया गया उल्लंघन विनिर्दिष्ट पदार्थों के अलावा के लिए किया गया हो, खिलाड़ी सहायता कर्मी को जीवन भर के लिए अपात्र ठहराया जाएगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 2.7 या 2.8 का गंभीर उल्लंघन जो खेल से असंबंधित नियमों और विनियमों का भी उल्लंघन कर सकता हो, उसकी सूचना सक्षम प्रशासनिक, पेशेवर या न्यायिक प्राधिकारणों को दी जाएगी।

[अनुच्छेद 10.3.3 के लिए टिप्पणी: वे लोग जो खिलाड़ियों को डोप देने या डोपिंग पर पर्दा डालने में शामिल हों वे उन प्रतिबंधों के अधीन होने चाहिए जो डोपिंग में दोषी खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंधों से ज़्यादा गंभीर हों। क्योंकि खेल संगठनों का अधिकार आमतौर पर प्रमाणन, सदस्यता और खेल संबंधित अन्य फ़ायदों के लिए अपात्रता तक सीमित होता है, डोपिंग के निवारण में खिलाड़ी सहायता कर्मी की जानकारी योग्य प्राधिकरणों को करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है।

10.3.4 अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघनों के लिए, उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए, अपात्रता की अधिरोपित अवधि कम से कम दो वर्ष से लेकर चार वर्ष तक होगी।

10.3.5 अनुच्छेद 2.10 के उल्लंघनों के लिए, अपात्रता की अवधि दो वर्ष होगी, कम से कम एक वर्ष की कटौती के अधीन रहते हुए, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा और मामले की अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

[अनुच्छेद 10.3.5 के लिए टिप्पणी: जहाँ अनुच्छेद 2.10 में "अन्य व्यक्ति" के रूप में संदर्भित व्यक्ति न होकर एक संस्था हो, उस संस्था को अनुच्छेद 12 में प्रदान किए अनुसार अनुशासित किया जा सकता है।]

10.4 अपात्रता की अवधि की समाप्ती जहाँ कोई गलती या लापरवाही न हो

अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति व्यक्तिगत मामले में स्थापित कर दे कि उसकी कोई गलती या लापरवाही नहीं है, तब अन्य प्रकार से प्रयोज्य अपात्रता की अवधि को समाप्त कर दिया जाएगा।

[अनुच्छेद 10.4 के लिए टिप्पणी: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 10.5.2 प्रतिबंधों के अधिरोपण के लिए केवल प्रयोज्य है; वे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोज्य नहीं हैं यदि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं। उन्हें केवल असाधारण परिस्थियों में लागू किया जाएगा, उदाहरण के लिए जहाँ खिलाड़ी यह साबित कर दे कि, सभी तरह की सावधानियाँ रखने के बावजूद, किस प्रतिद्वंदी द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया गया था। इसके विपरीत, निम्न परिस्थितियों में कोई गलती या लापरवाही लागू नहीं होगी: (क) गलत लेबल या संदूषित विटामिन या पूरक पोषण के कारण सकारात्मक परीक्षण (खिलाड़ी अपने द्वारा कुछ भी खाने के जिम्मेदार हैं (अनुच्छेद 2.1.1) और उन्हें पूरक आहार के संदूषण की संभावना के लिए चेतावनी दी गई है); (ख) खिलाड़ी के निजी चिकित्सक या प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ी को बिना प्रकट किए प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कराना (खिलाड़ी जिम्मेदार हैं उनके चिकित्सा कर्मी के चयन के लिए और चिकित्सा कर्मी को इस बात का परामर्श देने के लिए कि उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ नहीं दिया जा सकता); और (ग) खिलाड़ी के भोजन या पेय का संदूषण पति/पत्नी,

कोच या खिलाड़ी के सहयोगियों के दायरे के अंदर अन्य व्यक्ति द्वारा (खिलाड़ी उनके खाने और उन व्यक्तियों के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर वे उनके भोजन और पेय लाने का भरोसा करते हैं)। हालाँकि, किसी मामले के अनूठे तथ्यों पर निर्भर करते हुए, किसी भी संदर्भित उदाहरण के कारण किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के न होने के आधार पर अनुच्छेद 10.5 के तहत प्रतिबंध में कमी आ सकती है।]

10.5 किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के न होने के आधार पर अपात्रता की अवधि में कटौती

10.5.1 अनुच्छेद 2.1, 2.2 या 2.6 के उल्लंघनों के लिए विनिर्दिष्ट पदार्थों या संदूषित उत्पादों के लिए प्रतिबंधों की कमी।

10.5.1.1 विनिर्दिष्ट पदार्थ

जहाँ एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट पदार्थ शामिल हो, और खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति यह स्थापित कर सके कि कोई महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही नहीं हुई है, तब अपात्रता की अवधि, कम से कम, एक फटकार होगी और उसे अपात्र नहीं ठहराया जाएगा, और अधिकतम, अपात्रता के दो वर्ष, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा पर निर्भर करते हुए।

10.5.1.2 संदूषित उत्पाद

उन मामलों में जहाँ खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति स्थापित कर सके कि कोई महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही नहीं हुई और पता चला प्रतिबंधित पदार्थ संदूषित उत्पाद से आया था, तब अपात्रता की अवधि, कम से कम एक फटकार होगी और उसे अपात्र नहीं ठहराया जाएगा, और अधिकतम, अपात्रता के दो वर्ष, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा पर निर्भर करते हुए।

[अनुच्छेद 10.5.1.2 के लिए टिप्पणी: खिलाड़ी की गलती की सीमा का आकलन करते समय, खिलाड़ी के पक्ष में होगा अगर वह अपने डोपिंग नियंत्रण फॉर्म पर बाद में निर्धारित संदूषित उत्पाद की जानकारी की घोषणा करे।]

10.5.2 अनुच्छेद 10.501 की प्रयोज्यता से परे किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही की प्रयोज्यता

अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति व्यक्तिगत मामले में जहाँ अनुच्छेद 10.5.1 प्रयोज्य नहीं हो स्थापित कर दे, कि उसकी कोई महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही नहीं है, तब, अनुच्छेद 10.6 में प्रदान किए अनुसार आगे कटौती या समाप्ती के अधीन रहते हुए, अन्य प्रकार से अपात्रता की प्रयोज्य अवधि को खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा के आधार पर कम किया जा सकता है, लेकिन अपात्रता की कम अवधि अन्यथा प्रयोज्य अपात्रता की अवधि के आधे से कम नहीं हो सकती है। अगर अन्यथा अपात्रता की प्रयोज्य अवधि आजीवन हो, इस अनुच्छेद के तहत कम अवधि आठ वर्ष से कम नहीं हो सकती है।

[अनुच्छेद 10.5.2 के लिए टिप्पणी: अनुच्छेद 10.5.2 को एंटी-डोपिंग नियम के किसी भी उल्लंघन के लिए लागू किया जा सकता है सिवाय उन अनुच्छेदों के जहाँ इच्छा केवल एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन दिखाना हो (उदाहरण, अनुच्छेद 2.5, 2.7, 2.8 या 2.9) या कोई विशेष प्रतिबंध लगाना हो (उदाहरण, अनुच्छेद 10.2.1) या खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा के आधार पर अपात्रता की सीमा अनुच्छेद में पहले से प्रदान की गई हो।]

10.6 गलती के सिवाय अन्य कारणों के लिए अपात्रता या अन्य परिणामों की अवधि की समाप्ती, कटौती, या निलंबन

10.6.1 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों की खोज या उसे स्थापित करने में ठोस सहायता

10.6.1.1 अनुच्छेद 13 के तहत अंतिम अपीलीय निर्णय या अपील करने के समय की समाप्ती से पूर्व, नाडा किसी व्यक्तिगत मामले में अधिरोपित अपात्रता की अवधि के एक भाग को निलंबित कर सकती है जिसमें उसके पास परिणाम प्रबंधन का अधिकार हो जहाँ खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति ने किसी एंटी-डोपिंग संगठन, अपराध प्राधिकरण या पेशेवर अनुशासनात्मक निकाय को ठोस सहायता प्रदान की हो जिसके कारण: (i) एंटी-डोपिंग संगठन को अन्य व्यक्ति द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का पता चला हो या मामला सामने आया हो, या (ii) जिसके कारण आपराधिक या अनुशासनात्मक संस्था को अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक जुर्म या पेशेवर नियमों के उल्लंघन का पता चला हो या मामला सामने आया हो और ठोस सहायता प्रदान करने

वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान जानकारी नाडा को उपलब्ध कराई गई हो। अनुच्छेद 13 के तहत अंतिम अपीलीय निर्णय या अपील के समय की समाप्ती के बाद, नाडा वाडा और प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अनुमोदन के साथ अपात्रता की अन्य रूप से प्रयोज्य अवधि के एक भाग का निलंबन कर सकती है। अपात्रता की अन्य रूप से प्रयोज्य अवधि जहाँ तक निलंबन हो सकता है खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की गंभीरता और खेल में डोपिंग समाप्त करने के खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के प्रयास के लिए प्रदान की गई ठोस जानकारी के महत्व पर आधारित होगी। अपात्रता की अन्य रूप से प्रयोज्य अवधि के तीन-चौथाई से अधिक को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर अन्य प्रकार से अपात्रता की प्रयोज्य अवधि आजीवन हो, इस अनुच्छेद के तहत गैर-निलंबन की अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति सहयोग जारी रखने और संपूर्ण और विश्वसनीय ठोस सहायता प्रदान करने में विफल रहता हो जिसके ऊपर अपात्रता की अवधि का निलंबन आधारित था, नाडा अपात्रता की मूल अवधि फिर से बहाल कर देगी। अगर नाडा अपात्रता की निलंबित अवधि को फिर से बहाल करने का निर्णय लेती है या अपात्रता की निलंबित अवधि को फिर से बहाल नहीं करने का निर्णय लेती है, उस निर्णय के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपील की जा सकती है जिसे अनुच्छेद 13 के तहत अपील करने का अधिकार हो।

10.6.1.2 खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों को नाडा के अनुरोध पर या खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर जिसके ऊपर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने का दावा किया गया हो, एंटी-डोपिंग संगठन को ठोस सहायता प्रदान करने के लिए आगे प्रोत्साहित करने के लिए, वाडा अनुच्छेद *13* के तहत अंतिम अपीलीय निर्णय के बाद सहित परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया की किसी भी अवस्था पर विचार कर अपात्रता और अन्य परिणामों की अन्य रूप से प्रयोज्य अवधि के उपयुक्त निलंबन के लिए सहमत हो सकती है। असाधारण परिस्थितियों में, वाडा इस अनुच्छेद में अन्य रूप से प्रदान से ज़्यादा ठोस सहायता के लिए अपात्रता और अन्य परिणामों की अवधि के निलंबन, या अपात्रता की अवधि, और/या इनाम राशि या शुल्कों और खर्चों के भुगतान की वापसी के दावे का त्याग भी कर सकती है। वाडा का अनुमोदन प्रतिबंध की फिर से बहाली के अधीन होगा, जैसा इस अनुच्छेद में अन्य प्रकार से प्रदान किया गया है। अनुच्छेद *13* पर ध्यान दिये बिना, इस अनुच्छेद के संदर्भ में वाडा के निर्णय पर अन्य एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा अपील नहीं की जा सकती है।

10.6.1.3 अगर नाडा ठोस सहायता के कारण अन्य प्रकार से प्रयोज्य प्रतिबंध के किसी भाग का निलंबन करती है**,** तब उस निर्णय के लिए औचित्य प्रदान करने वाली सूचना अनुच्छेद **14.2** में प्रदान किए अनुसार अनुच्छेद **13.2.3** के तहत अपील करने के अधिकार के साथ अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों को प्रदान की जाएगी। उन अनूठी परिस्थितियों में जहाँ वाडा निर्धारित करती है कि वह एंटी-डोपिंग के सर्वश्रेष्ठ हित में होगा**,** वाडा ठोस सहायता समझौते को प्रकट करने को सीमित करने या देरी करने या प्रदान की जा रही ठोस सहायता की प्रकृति से संबंधित उपयुक्त गोपनीयता समझौते करने के लिए नाडा को अधिकृत कर सकती है।

[अनुच्छेद 10.6.1 के लिए टिप्पणी: खिलाड़ियों, खिलाड़ी सहायता कर्मियों और अन्य व्यक्तियों का सहयोग जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं और जो एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघनों को सामने लाने के इच्छुक हों साफ खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। संहिता के अंतर्गत केवल यही एक परिस्थिति है जहाँ अन्य प्रकार से प्रयोज्य अयोग्यता की अवधि के निलंबन का अधिकार है।]

10.6.2 अन्य सबूतों की अनुपस्थिती में एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की स्वीकृति

जहाँ एक खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति किसी ऐसे नमूना संग्रह की सूचना प्राप्त करने से पहले एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन स्वेच्छा से स्वीकार करता हो जो एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित कर सकता हो (या, अनुच्छेद 7 के अनुसार स्वीकृत उल्लंघन की पहली सूचना प्राप्त करने से पहले, अनुच्छेद 2.1 के अलावा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के मामले में) और कि स्वीकृति ही स्वीकृति के समय पर उल्लंघन का केवल भरोसेमंद सबूत हो, तब अपात्रता की अवधि को कम किया जा सकता है, लेकिन अन्यथा प्रयोज्य अयोग्यता की अवधि से आधे से नीचे नहीं।

[अनुच्छेद 10.6.2 के लिए टिप्पणी: इस अनुच्छेद को तब लागू किया जाता है जब कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति उन परिस्थितियों में एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए आगे आता हो और स्वीकार करता हो जहाँ कोई एंटी-डोपिंग संगठन इस बात को जानता हो कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया गया है। इसे उन परिस्थितियों में लागू नहीं किया जाता है जहाँ स्वीकृति तब होती हो जब खिलाड़ी या

अन्य व्यक्ति को विश्वास हो कि वह पकड़ा जाने वाला/वाली है। अपात्रता की मात्रा में कटौती इस संभावना पर आधारित होनी चाहिए कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति पकड़ा जाता/जाती अगर वह स्वेच्छा से आगे नहीं आता/आती।

10.6.3 अनुच्छेद 10.2.1 या अनुच्छेद 10.3.1 के तहत प्रतिबंध योग्य उल्लंघन के साथ सामना करने के बाद एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की तुरंत स्वीकृति

एक खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जो अनुच्छेद 10.2.1 या 10.3.1 (नमूना संग्रह से बचने या मना करने के लिए या नमूना संग्रह से छेड़छाड़ के लिए) के तहत चार-वर्ष के प्रतिबंध के संभवतः अधीन हो, नाडा का सामना करने के बाद एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे को तुरंत स्वीकार करने, और साथ ही वाडा और नाडा दोनों के अनुमोदन और विवेकाधिकार पर, अपात्रता की अवधि में कम से कम दो वर्ष तक की कटौती प्राप्त कर सकता/सकती है, जो उल्लंघन की गंभीरता और खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा पर निर्भर करेगा।

10.6.4 प्रतिबंध की कटौती के लिए एकाधिक कारणों की प्रयोज्यता। जहाँ एक खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति अनुच्छेद 10.4, 10.5 या 10.6 के एक से अधिक प्रावधान के तहत प्रतिबंध में कटौती के अधिकार को स्थापित करता/करती हो, अनुच्छेद 10.6 के तहत कटौती या निलंबन को लागू करने से पहले, अन्य प्रकार से प्रयोज्य अपात्रता की अवधि का निर्धारण अनुच्छेद 10.2, 10.3, 10.4, और 10.5 के साथ अनुरूपता में किया जाएगा। अगर खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति अनुच्छेद 10.6 के तहत अपात्रता की अवधि की कटौती या निलंबन के अधिकार को स्थापित कर दे, तब अपात्रता की अवधि को कम या उसे निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अपात्रता की अन्य प्रकार से प्रयोज्य अवधि के एक-चौथाई से नीचे नहीं।

[अनुच्छेद 10.6.4 के लिए टिप्पणी: उपयुक्त प्रतिबंध का निर्धारण चार चरणों के क्रम में किया जाता है। पहला, सुनवाई पैनल निर्धारित करता है एंटी-डोपिंग नियम के किसी विशेष उल्लंघन के लिए कौन सा बुनियादी प्रतिबंध (अनुच्छेद 10.2, 10.3, 10.4, या 10.5) लागू होता है। दूसरा, अगर बुनियादी प्रतिबंध में विविध प्रतिबंध प्रदान किए गए हों, सुनवाई पैनल को खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा के अनुसार उस विविधता के अंदर प्रयोज्य प्रतिबंध का निर्धारण करना चाहिए। तीसरे चरण में, सुनवाई पैनल स्थापित करता है यदि प्रतिबंध को समाप्त करने, निलंबित करने, या कम करने का आधार है (अनुच्छेद 10.6)। अंत में, सुनवाई पैनल अनुच्छेद 10.11 के तहत अपात्रता की अवधि की शुरुआत के ऊपर निर्णय लेता है। परिशिष्ट 2 में अनुच्छेद 10 को लागू करने के कई उदाहरण हैं।]

10.7 एकाधिक उल्लंघन

10.7.1 किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के एंटी-डोपिंग के दूसरे उल्लंघन के लिए, अपात्रता की अवधि निम्न से ज़्यादा होगी:

(क) छह माह;

(ख) अनुच्छेद 10.6 के तहत बिना किसी कटौती को ध्यान में रखते हुए एंटी-डोपिंग नियम के पहले उल्लंघन के लिए अधिरोपित अपात्रता की आधी अवधि; या

(ग) अपात्रता की दुगनी अवधि जो अन्य प्रकार से एंटी-डोपिंग नियम के दूसरे उल्लंघन पर लागू होती है लेकिन जिसे पहला उल्लंघन माना जाता है, अनुच्छेद 10.6 तहत किसी कटौती को ध्यान में रखे बिना।

ऊपर स्थापित अपात्रता की अवधि में तब अनुच्छेद 10.6 की प्रयोज्यता द्वारा आगे कटौती की जा सकती है।

10.7.2 एंटी-डोपिंग नियम के तीसरे उल्लंघन का नतीजा आजीवन अपात्रता होगी, सिवाय तब अगर तीसरा उल्लंघन अनुच्छेद 10.4 या 10.5 के तहत अपात्रता की अवधि की समाप्ती या कटौती की शर्त को पूरा करता हो, या जिसमें अनुच्छेद 2.4 का उल्लंघन शामिल हो। इन विशेष मामलों में, अपात्रता की अवधि आठ वर्ष से लेकर आजीवन अपात्रता होगी।

10.7.3 एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन जिसके लिए खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा गलती या लापरवाही न होने को स्थापित कर दिया हो इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए पूर्व उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

10.7.4 कुछ विशेष संभावित एकाधिक उल्लंघनों के लिए अतिरिक्त नियम

10.7.4.1 अनुच्छेद 10.7 के तहत प्रतिबंध अधिरोपित करने के उद्देश्यों के लिए, एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को दूसरा उल्लंघन केवल तभी माना जाएगा अगर नाडा स्थापित कर दे कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा एंटी-डोपिंग नियम का दूसरा उल्लंघन उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 7 के अनुसार सूचना प्राप्त करने के बाद किया गया, या नाडा द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के पहले उल्लंघन पर सूचना देने का उचित प्रयास किया गया। अगर नाडा यह स्थापित नहीं कर सकती, उल्लंघनों को एकसाथ पहला अकेला उल्लंघन माना जाएगा, और अधिरोपित प्रतिबंध का आधार वह उल्लंघन होगा जिसके लिए अधिक गंभीर प्रतिबंध लगाया जाता हो।

10.7.4.2 अगर, एंटी-डोपिंग नियम के पहले उल्लंघन के लिए प्रतिबंध के अधिरोपण के बाद, नाडा को पहले उल्लंघन से संबंधित अधिसूचना से पूर्व खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन में शामिल होने के तथ्यों का पता चलता है, तब नाडा ऐसे प्रतिबंध के आधार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएगी जिनका अधिरोपण तब किया जा सकता था अगर एक ही समय पर दो उल्लंघनों के लिए न्यायिक निर्णय दिया जाता। अनुच्छेद 10.8 में प्रदान किए अनुसार सभी प्रतिस्पर्धाओं के परिणाम जो एंटी-डोपिंग नियम के पहले उल्लंघन से चले आ रहे हों उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा।

10.7.5 दस वर्ष की अवधि के दौरान एंटी-डोपिंग नियम के एकाधिक उल्लंघन

अनुच्छेद 10.7 के उद्देश्यों के लिए, एकाधिक उल्लंघन माने जाने के लिए एंटी-डोपिंग नियम का प्रत्येक उल्लंघन दस वर्ष की अवधि के अंदर होना चाहिए।

10.8 नमूना संग्रह या एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के बाद प्रतिस्पर्धाओं में नतीजों की अयोग्यता

प्रतिस्पर्धा में अनुच्छेद 9 के तहत नमूने के सकारात्मक होने पर नतीजों की स्वतः अयोग्यता के अतिरिक्त, सकारात्मक नमूने के संग्रह की तिथि से प्राप्त खिलाड़ी के अन्य प्रतियोगिता संबंधी सभी नतीजे (चाहे प्रतिस्पर्धा-में या प्रतिस्पर्धा-से-बाहर), या एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघन पर, किसी अस्थायी निलंबन या अपात्रता अवधि के आरंभ होने से अंत तक, किसी भी मेडल, अंक और इनाम की जब्ती सहित सभी परिणामी परिणामों के साथ अयोग्य ठहराए जाएंगे, जबतक अन्यथा निष्पक्षता के लिए अपेक्षित न हो।

[अनुच्छेद 10.8 के लिए टिप्पणी: इन एंटी-डोपिंग नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो साफ छवि वाले खिलाड़ियों या अन्य व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति से नुकसान की भरपाई करने के उनके अधिकार में बाधा पहुँचता हो जिसने एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया हो और जिसके कार्यों द्वारा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो।]

10.9 सीएएस लागत मुआवज़े और जब्त इनामी राशि का आबंटन

सीएएस लागत मुआवज़े और जब्त इनामी राशि के पुनर्भुगतान के लिए प्राथमिकता निम्न प्रकार से होगी: पहले, सीएएस द्वारा लागत मुआवज़े का भुगतान; दूसरा, अन्य खिलाड़ियों को जब्त इनामी राशि का पुनः-आबंटन अगर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के प्रयोज्य नियमों में प्रदान किया गया हो; और तीसरा, नाडा के खर्चों की प्रतिपूर्ति।

10.10 वित्तीय परिणाम

जहाँ कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करता हो, नाडा अपने विवेक पर और अनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन रहते हुए, निम्न का चयन कर सकती है क) अधिरोपित अपात्रता की अवधि पर ध्यान दिये बिना, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति से एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन से जुड़ी लागतों की भरपाई और/या (ख) खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना केवल उन्हीं मामलों में जहाँ अपात्रता की अन्यथा प्रयोज्य अधिकतम अवधि को पहले ही अधिरोपित कर दिया हो।

वित्तीय प्रतिबंध के अधिरोपण या नाडा द्वारा लागतों की वसूली को अपात्रता या अन्य प्रतिबंध को कम करने के लिए आधार नहीं माना जाएगा जो अन्यथा इन एंटी-डोपिंग नियमों या संहिता के तहत प्रयोज्य होते।

10.11 अपात्रता अवधि की शुरुआत

जैसा नीचे प्रदान किया गया है उसे छोड़ कर, अपात्रता की अवधि अपात्रता के लिए अंतिम सुनवाई पर निर्णय प्रदान करने वाली तिथि पर या, अगर सुनवाई में छूट दे दी जाए या कोई सुनवाई नहीं होती, उस तिथि पर अपात्रता को स्वीकार कर लिया जाता है या अन्यथा अधिरोपित कर दिया जाता है।

10.11.1 खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति असंबंधित देरी

जब सुनवाई प्रक्रिया या डोपिंग नियंत्रण के अन्य पहलुओं में बहुत देरी होती हो जिसका संबंध खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति से न हो, नाडा अपात्रता की अवधि की शुरुआत नमूना संग्रह की तिथि या एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघन की तिथि से मानते हुए आरंभ कर सकती है। अपात्रता की अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रतिस्पर्धा संबंधी नतीजे, जिनमें पूर्वव्यापी अपात्रता भी शामिल होगी, अयोग्य ठहराए जाएंगे।

[अनुच्छेद 10.11.1 के लिए टिप्पणी: एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के उन मामलों में जो अनुच्छेद 2.1 के तहत नहीं आते हों, एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा तथ्यों को ढूँढने और उनकी पुष्टि के लिए लिया जाने वाला समय लंबा हो सकता है, खासकर जहाँ खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति ने बचने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की हो। इन परिस्थितियों में, आरंभिक तिथि पर प्रतिबंध आरंभ करने के लिए इस अनुच्छेद में प्रदान किए गए लचीलेपन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।]

10.11.2 समय पर स्वीकृति

जहाँ खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति नाडा द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का आरोप लगाने पर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को तुरंत स्वीकार करता/करती हो (खिलाड़ी के लिए सभी प्रतियोगिताओं में, इसका मतलब है खिलाड़ी द्वारा दोबारा प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले), अपात्रता की अवधि की शुरुआत नमूना संग्रह की तिथि या एंटी-डोपिंग नियम के अन्य उल्लंघन की तिथि से मानते हुए आरंभ हो सकती है। हालाँकि, प्रत्येक मामले में, जहाँ इस अनुच्छेद को लागू किया जाता हो, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति अपात्रता की कम से कम आधी अवधि को भुगतेगा जो खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिबंध के अधिरोपण को स्वीकार करने की तिथि, सुनवाई की वह तिथि जब प्रतिबंध अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, या वह तिथि जब प्रतिबंध अन्यथा अधिरोपित किया जाता है से आरंभ होगी। यह अनुच्छेद वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ अपात्रता की अवधि को अनुच्छेद 10.6.3 के तहत पहले ही कम कर दिया गया है।

10.11.3 अस्थायी निलंबन या भोगी गई अपात्रता की अवधि के लिए अभिस्वीकृति

10.11.3.1 अगर अस्थायी निलंबन अधिरोपित किया जाता है और खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा उसे माना जाता है, तब खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को अपात्रता की किसी भी अवधि के एवज में अस्थायी निलंबन की ऐसी अवधि के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त होगी जिसे अंततः अधिरोपित किया जा सकता है। अगर एक ऐसे निर्णय के अनुसार अपात्रता की अवधि भोगी जाती हो जिसके ऊपर बाद में अपील की जाए, तब उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को अपात्रता की किसी भी अवधि के एवज में अपात्रता की ऐसी अवधि के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त होगी जिसे अंततः अधिरोपित किया जा सकता है।

10.11.3.2 अगर कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति नाडा से लिखित में अस्थायी निलंबन को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करे और उसके बाद अस्थायी निलंबन का आदर करे, उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को अपात्रता की किसी भी अवधि के एवज में अस्थायी निलंबन की ऐसी अवधि के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त होगी जिसे अंततः अधिरोपित किया जा सकता है। खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा अस्थायी निलंबन की स्वैच्छिक स्वीकृति की प्रतिलिपि अनुच्छेद

14.1 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक पक्ष को तुरंत प्रदान की जाएगी।

[अनुच्छेद 10.11.3.2 के लिए टिप्पणी: खिलाड़ी द्वारा अस्थायी निलंबन की स्वैच्छिक स्वीकृति उस खिलाड़ी द्वारा स्वीकृति नहीं होती और उसका उपयोग किसी भी तरह से उस खिलाड़ी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।]

10.11.3.3 अपात्रता की अवधि के एवज में अस्थायी निलंबन या स्वैच्छिक अस्थायी निलंबन की प्रभावी तिथि से पहले किसी भी समय अवधि के लिए इस बात पर ध्यान दिये बिना यदि खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का चयन किया या उसे उसकी टीम द्वारा निलंबित किया गया था, अभिस्वीकृति नहीं दी जाएगी।

10.11.3.4 टीम खेलों में, जहाँ टीम के ऊपर अपात्रता की अवधि अधिरोपित की जाती हो, जबतक निष्पक्षता अन्यथा अपेक्षित हो, अपात्रता की अवधि अपात्रता के लिए अंतिम सुनवाई पर निर्णय प्रदान करने वाली तिथि पर या, अगर सुनवाई में छूट दे दी जाए या कोई सुनवाई नहीं होती, उस तिथि पर अपात्रता को स्वीकार कर लिया जाता है या अन्यथा अधिरोपित कर दिया जाता है। टीम के अस्थायी निलंबन की किसी भी अवधि (चाहे अधिरोपित या स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत) को भोगी जाने वाली अपात्रता की कुल अवधि के एवज में अभिस्वीकृत किया जाएगा।

[अनुच्छेद 10.11 के लिए टिप्पणी: अनुच्छेद 10.11 स्पष्ट करता है कि खिलाड़ी से असंबंधित देरी, खिलाड़ी द्वारा समय पर स्वीकृति और अस्थायी निलंबन ही केवल वे औचित्य हैं जिनके लिए अपात्रता की अवधि को अंतिम सुनवाई पर निर्णय की तिथि से पहले आरंभ किया जाएगा।]

10.12 अपात्रता के दौरान स्थिति

10.12.1 अपात्रता के दौरान भाग लेने पर प्रतिबंध

कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जिसे अपात्र ठहराया गया हो, अपात्रता की अवधि के दौरान, किसी हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता के सदस्य संगठन, या हस्ताक्षरकर्ता के सदस्य संगठन के क्लब या अन्य सदस्य संगठन, या किसी पेशेवर लीग या किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता संगठन द्वारा अधिकृत या आयोजित प्रतिस्पर्धा या गतिविधि में (सिवाय अधिकृत एंटी-डोपिंग शिक्षा या पुनरुद्धार कार्यक्रमों के) या सरकारी एजेंसी द्वारा वित्त-पोषित विशिष्ट या राष्ट्रीय स्तर की खेल संबंधी गतिविधि में किसी भी क्षमता में भाग नहीं ले सकता है।

कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जो चार वर्ष से अधिक के लिए अपात्रता की अवधि के अधीन हो, अपात्रता की अवधि के चार वर्ष समाप्त करने के बाद, स्थानीय खेल आयोजनों में खिलाड़ी के रूप में भाग ले सकता/सकती है जिन्हें संहिता हस्ताक्षरकर्ता या संहिता हस्ताक्षरकर्ता के सदस्य द्वारा मंजूर नहीं किया गया हो या अन्यथा उसके क्षेत्राधिकार के तहत नहीं आता हो, लेकिन केवल तभी तक जबतक वह स्थानीय खेल प्रतियोगिता उस स्तर की नहीं हो जिससे वह खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य ठहरता हो, और जिसमें उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा नाबालिगों के साथ किसी भी क्षमता में कार्य करना शामिल हो।

अपात्रता की अवधि के अधीन खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति परीक्षण के अधीन रहेगा।

[अनुच्छेद 10.12.1 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, नीचे दिये अनुच्छेद 10.12.2 के अधीन रहते हुए, एक अपात्र खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय महासंघ या ऐसे क्लब जो उस राष्ट्रीय महासंघ का सदस्य हो या जिसे सरकारी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया जाता हो उसके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कैंप, प्रदर्शनी या अभ्यास में भाग नहीं ले सकता/सकती है। इसके अलावा, अपात्र खिलाड़ी गैर-हस्ताक्षरित पेशेवर लीग (उदाहरण, राष्ट्रीय हॉकी लीग, राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ,

आदि), गैर-हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संगठन या गैर-हस्ताक्षरित राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता संगठन में अनुच्छेद 10.12.3 में निर्धारित परिणामों को आरंभ किए बिना भाग नहीं ले सकता/सकती है। "गतिविधि" शब्द में, उदाहरण के लिए, शामिल हो सकती हैं, प्रशासनिक गतिविधियां, जैसे एक अफसर, निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, या इस अनुच्छेद में उल्लिखित संगठन स्वयं सेवक के रूप में काम करना। एक खेल में अधिरोपित अपात्रता को अन्य खेलों में मान्यता दी जाएगी (अनुच्छेद 15.1 देखें, पारस्परिक मान्यता)।]

10.12.2 प्रशिक्षण पर वापसी

अनुच्छेद 10.12.1 के अपवाद के रूप में, निम्न में से किसी एक संक्षिप्त अवधि के दौरान किसी टीम के साथ प्रशिक्षण करने या क्लब या नाडा के अन्य सदस्य संगठन की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए वापस आ सकता है: (1) खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि के अंतिम दो महीने, या (2) अधिरोपित अपात्रता की कुल अवधि का एक-चौथाई।

[अनुच्छेद 10.12.2 के लिए टिप्पणी: कई टीम खेलों और कुछ व्यक्तिगत खेलों में (उदाहरण, स्की जमपिंग और जिम्नास्टिक्स), खिलाड़ी अपनी अपात्रता की अवधि के अंत में स्वयं से वास्तव में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता/सकती है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि के दौरान, कोई भी अपात्र खिलाड़ी प्रशिक्षण के अलावा अनुच्छेद 10.12.1 में उल्लिखित किसी गतिविधि में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता/सकती या भाग नहीं ले सकता/सकती।]

10.12.3 अयोग्यता के दौरान भाग लेने के प्रतिबंध पर उल्लंघन

जहाँ कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जिसे अपात्र घोषित किया गया हो अनुच्छेद 10.12.1 में उल्लिखित अपात्रता के दौरान भाग लेने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करता हो, ऐसे प्रतिभागी के परिणामों को अपात्र ठहराया जाएगा और अपात्रता की मूल अवधि की लंबाई के बराबर अपात्रता की नई अवधि को अपात्रता की मूल अवधि के अंत में जोड़ा जाएगा। अपात्रता की नई अवधि को उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा और उस मामले में अन्य परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति ने भाग लेने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, और यदि व्यवस्था उचित होगी इसका निर्णय, उस एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा किया जाएगा जिसके परिणाम प्रबंधन के कारण अपात्रता की आरंभिक अवधि का अधिरोपण हुआ। इस निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 13 के तहत अपील की जा सकती है।

जहाँ कोई खिलाड़ी सहायता कर्मी या अन्य व्यक्ति अपात्रता के दौरान भाग लेने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करता हो, नाडा ऐसी सहायता के लिए अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाएगी।

10.12.4 अयोग्यता के दौरान वित्तीय समर्थन की रोक

इसके अलावा, एंटी-डोपिंग नियम के किसी ऐसे उल्लंघन के लिए जिसमें अनुच्छेद 10.4 या 10.5 में उल्लिखित प्रतिबंध की कटौती शामिल न हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा कुछ या सभी खेल संबंधित वित्तीय समर्थन या अन्य खेल संबंधित लाभ को नाडा, भारत सरकार, और राष्ट्रीय महासंघों द्वारा रोका जाएगा।

10.13 प्रतिबंध का स्वतः प्रकाशन

प्रत्येक प्रतिबंध के अनिवार्य भाग में अनुच्छेद 14.3 में प्रदान अनुसार स्वतः प्रकाशन शामिल किया जाएगा।

[अनुच्छेद 10 के लिए टिप्पणी: प्रतिबंधों के बीच सामंजस्य एंटी-डोपिंग का सबसे चर्चा योग्य और बहस का विषय रहा है। सामंजस्य का अर्थ होता है प्रत्येक मामले के अनूठे तथ्यों के आकलन के लिए समान नियम और मानदंड लागू करना। प्रतिबंधों के सामंजस्य की आवश्यकता के विरुद्ध दिये जाने वाले तर्क खेलों के बीच अंतर पर आधारित हैं, जिनमें उदाहरण के लिए, निम्न शामिल हैं: कुछ खेलों में खिलाड़ी उस खेल से बहुत सारा धन कमाते हैं और अन्य खेलों में खिलाड़ी नौसिखिये होते हैं; उन खेलों में जहाँ खिलाड़ी का करियर छोटा होता है, अपात्रता की मानक अवधि का प्रभाव उस खिलाड़ी पर बहुत अधिक होता है बजाय उन खेलों में जहाँ करियर की अवधि बहुत लंबी होती है। सामंजस्य के

पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह दिया जाता है कि केवल इस आधार पर कि एक ही देश के दो खिलाड़ी जो समान प्रतिबंधित पदार्थ के लिए समान परिस्थितियों के तहत दोषी पाए जाते हों उन्हें भिन्न प्रतिबंध दिये जाएँ क्योंकि उन्होने भिन्न खेलों में भाग लिया यह सही नहीं है। इसके अलावा, प्रतिबंध लगाते समय लचीलेपन को अक्सर एक अस्वीकार्य अवसर के रूप में देखा गया है जो कुछ खेल संगठनों को डोप दोषियों के साथ नरम होने का मौका देता है। अक्सर प्रतिबंधों के सामंजस्य की कमी भी अंतर्राष्ट्रीय महासंघों और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठनों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का स्रोत रही है।]

अनुच्छेद 11 टीमों के लिए परिणाम

11.1 टीम खेलों का परीक्षण

जहाँ टीम खेल में टीम के एक से अधिक सदस्य को प्रतियोगिता के संबंध में अनुच्छेद 7 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की सूचना दी गई हो, उस प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय प्रतियोगिता अवधि के दौरान टीम का उपयुक्त लक्ष्य परीक्षण करेगा।

11.2 टीम खेलों के लिए परिणाम

अगर प्रतियोगिता अवधि के दौरान टीम खेल में टीम के दो से अधिक सदस्य एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हों, प्रतियोगिता का प्रबंध निकाय किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी के ऊपर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने पर अधिरोपित किसी भी परिणाम के अतिरिक्त टीम पर उपयुक्त प्रतिबंध का अधिरोपण करेगा (उदाहरण, अंकों में कमी, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता से अयोग्यता, या अन्य प्रतिबंध)।

11.3 प्रतियोगिता प्रबंध निकाय टीम खेलों के लिए कठोर परिणाम स्थापित कर सकता है

प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय प्रतियोगिता के लिए ऐसे नियमों की स्थापना का चयन कर सकता है जिनमें प्रतियोगिता के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 11.2 में टीम खेलों के लिए परिणामों के अधिरोपण से ज़्यादा कठोर परिणाम दिये गए हों।

[अनुच्छेद 11.3 के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति ऐसे नियमों की स्थापना कर सकती है जिनमें खेलों की अवधि के दौरान एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों की कम संख्या के आधार पर ओलिम्पिक खेलों में से टीम की अयोग्यता की ज़रूरत हो।]

अनुच्छेद 12 खेल संस्थाओं के विरुद्ध प्रतिबंधों और लागतों का मूल्यांकन

12.1 नाडा के पास प्रासंगिक प्राधिकारणों को ऐसे राष्ट्रीय महासंघों को थोड़ा या सारा धन या अन्य गैर-वित्तीय समर्थन देने से रोकने का अनुरोध करने का अधिकार है जो एंटी-डोपिंग के इन नियमों का अनुपालन नहीं करते हों।

12.2 नाडा अपने विवेकाधिकार पर राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति, भारत निम्न के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों और खिलाड़ियों की मान्यता, योग्यता के संदर्भ में राष्ट्रीय महासंघों के विरुद्ध अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध कर सकती है:

12.2.1 एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन की कुल संख्या कुल संग्रहीत नमूनों के 1 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी (अनुच्छेद 2.4 से जुड़े उल्लंघनों के अलावा) जिन्हें 12 माह की अवधि के अंदर ऐसे खिलाड़ियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो जो राष्ट्रीय महासंघ के साथ सम्बद्ध हों।

12.2.2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महासंघ से एक से ज़्यादा खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करता/करती हो।

12.2.3 कोई राष्ट्रीय महासंघ नाडा से किसी खिलाड़ी के ठिकाने की जानकारी की सूचना देने के नाडा के अनुरोध को प्राप्त करने पर उस जानकारी को देने के लिए मेहनती प्रयास करने में विफल रहा हो।

12.2.4 अनुच्छेद 16 का अनुपालन करने में राष्ट्रीय महासंघ की तीन या ज़्यादा विफलता

अनुच्छेद 13 अपील

13.1 अपील के अधीन निर्णय

इन एंटी-डोपिंग नियमों के तहत लिए गए निर्णयों पर अनुच्छेद 13.2 से लेकर 13.7 में नीचे निर्धारित अनुसार या अन्यथा जैसा एंटी-डोपिंग नियमों, संहिता या अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रदान किया गया है अपील की जा सकती है। ऐसे निर्णय अपील पर विचार करते समय प्रभाव में रहेंगे जबतक अपीलीय संस्था अन्य प्रकार से आदेश नहीं देती। अपील करने से पहले, एंटी-डोपिंग संगठन के नियमों में प्रदान की गई किसी भी निर्णय पश्चात समीक्षा को पूरी तरह से किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऐसी समीक्षा नीचे अनुच्छेद 13.2.2 में निर्धारित सिद्धांतों का आदर करती हो (सिवाय जैसा अनुच्छेद 13.1.3 में प्रदान किया गया है)।

13.1.1 समीक्षा का दायरा जो सीमित न हो

अपील के ऊपर समीक्षा के दायरे में मामले से प्रासंगिक सभी मामले शामिल किए जाते हैं और जो आरंभिक निर्णयकर्ता के समक्ष मामलों या समीक्षा के दायरे तक स्पष्ट रूप से सीमित नहीं होते।

13.1.2 सीएएस अपील किए जा रहे निष्कर्षों को स्थगित नहीं करेगी

अपना निर्णय देते समय, सीएएस को उस संस्था द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकार के लिए सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है जिसके निर्णय पर अपील की जा रही हो।

[अनुच्छेद 13.1.2 के लिए टिप्पणी: सीएएस की कार्यवाही दोबारा आरंभ की जा सकती हैं। पूर्व कार्यवाहियाँ सीएएस के समक्ष सुनवाई में सबूत को सीमित नहीं करती या बहुत महत्व नहीं रखती।]

13.1.3 वाडा को आंतरिक समाधान का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है

जहाँ वाडा को अनुच्छेद 13 के तहत अपील करने का अधिकार हो और किसी अन्य पक्ष ने नाडा की प्रक्रिया के अंदर अंतिम निर्णय पर अपील न की हो, वाडा नाडा की प्रक्रिया में बिना अन्य समाधानों का उपयोग करे सीएएस से उस निर्णय पर सीधे अपील कर सकती है।

[अनुच्छेद 13.1.3 के लिए टिप्पणी: जहाँ नाडा की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था से पहले निर्णय दे दिया हो और कोई पक्ष नाडा की प्रक्रिया के अगले स्तर के लिए उस निर्णय पर अपील न करती हो, तब वाडा नाडा की आंतरिक प्रक्रिया में शेष चरणों को किनारे कर सकती है और सीधे सीएएस से अपील कर सकती है।]

13.2 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों, परिणामों, अस्थायी निलंबनों, निर्णयों की मान्यता और क्षेत्राधिकार से संबंधित निर्णयों पर अपील

एक निर्णय कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया गया था, एक निर्णय जो एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए परिणाम अधिरोपित करता हो या परिणाम अधिरोपित न करता हो, या एक निर्णय कि एंटी-डोपिंग के किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ; एक निर्णय कि प्रक्रियात्मक कारणों के लिए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती (जिसमें उदाहरण के लिए, नुस्खा शामिल हो); वाडा द्वारा अनुच्छेद 5.7.1 के तहत प्रतिस्पर्धा में सेवानिवृत्त खिलाड़ी के लिए छह माह की सूचना देने की आवश्यकता में छूट नहीं देने का निर्णय; वाडा द्वारा संहिता के अनुच्छेद 7.1 के तहत परिणाम प्रबंधन नियत करने का निर्णय; नाडा द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के रूप में प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष या असामान्य निष्कर्ष को सामने न लाने का निर्णय, अनुच्छेद 7.7 के तहत जाँच के बाद एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय; अस्थायी सुनवाई के परिणामस्वरूप अस्थायी निलंबन को अधिरोपित करने का निर्णय; अनुच्छेद 7.9 के साथ अनुपालन में नाडा की विफलता; एक निर्णय कि नाडा के पास एंटी-डोपिंग नियम के कथित उल्लंघन या उसके परिणाम पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है; अनुच्छेद 10.6.1 के तहत अपात्रता की अवधि को निलंबित करने, या नहीं करने, या अपात्रता की निलंबित अवधि को दोबारा बहाल करने, या दोबारा बहाल नहीं करने का निर्णय; और अनुच्छेद 15 के तहत अन्य एंटी-डोपिंग संगठन के निर्णय को

मान्यता नहीं देने के नाडा के निर्णय पर अनुच्छेद 13.2-13.7 में प्रदान किए अनुसार विशेष रूप से अपील की जा सकती है।

13.2.1 अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से संबंधित अपील

वे मामले जो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से संबंधित हो या वे मामले जहाँ अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी शामिल हों, निर्णय पर विशेष रूप से सीएएस के पास अपील की जा सकती है।

[अनुच्छेद 13.2.1 के लिए टिप्पणी: सीएएस के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं सिवाय मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को रद्द करने या लागू करने के लिए प्रयोज्य कानून द्वारा आवश्यक किसी समीक्षा के लिए।]

13.2.2 अन्य खिलाड़ियों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित अपील

उन मामलों में जहाँ अनुच्छेद 13.2.1 लागू नहीं होता हो, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के पास निर्णय के लिए अपील की जा सकती है।

13.2.2.1 राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के समक्ष सुनवाई

13.2.2.1.1 राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल का संयोजन:

नाडा के प्रबंध निकाय का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष स्वतंत्र राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल की नियुक्ति करेगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:

(क) एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, प्रत्येक एक विधि व्यवसायी होगा जिसे कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव होगा,

(ख) दो चिकित्सा व्यवसायी जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अनुभव होगा; और

(ग) दो अतिरिक्त सदस्य, प्रत्येक को खेल प्रबन्धक या खिलाड़ी होना चाहिए, या अतीत में रहा हो।

उन सभी की नियुक्ति का आधार यह होगा कि वे मामलों को न्यायपूर्ण तरीके से और निष्पक्षता के साथ सुनने की स्थिति में हों।

13.2.2.1.2 पैनल के प्रत्येक सदस्य की अवधि दो वर्ष है।

13.2.2.1.3 अगर कोई पैनल सदस्य मर जाए या इस्तीफा दे, या उनकी संबद्धता के साथ हितों का टकराव हो या संहिता के सिद्धांतों और नियमों के विरुद्ध व्यवहार/कार्य के प्रदर्शन की स्थापना हो, नाडा के प्रबंध निकाय का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष परिणामी रिक्ति को भरने के लिए एक स्वतंत्र पैनल सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। उस व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि रिक्त कर के गए सदस्य की शेष अवधि के बराबर होगी।

13.2.2.1.4 नाडा के प्रबंध निकाय के अध्यक्ष/उपाध्तक्ष द्वारा पैनल सदस्य की दोबारा नियुक्ति की जा सकती है।

13.2.2.1.5 राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रत्येक मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए पैनल में से तीन (3) सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। ऐसे प्रत्येक सुनवाई से जुड़े पैनल में सुनवाई पैनल का एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, एक चिकित्सा व्यवसायी सदस्य और एक खेल प्रबन्धक या खिलाड़ी सदस्य शामिल होगा।

13.2.2.1.6 नियुक्त सदस्य मामले के किसी भी पहलू से पहले से जुड़े नहीं होंगे। खासकर, किसी भी सदस्य द्वारा मौजूदा मामले के समान उसी खिलाड़ी के किसी टीयूई आवेदन या अपील पर अतीत में विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य, नियुक्ति पर, अध्यक्ष को किसी भी पक्ष के संदर्भ में निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति की जानकारी देगा।

13.2.2.1.7 अगर मामले की सुनवाई के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्य किसी भी कारण से मामले की सुनवाई करने का अनिच्छुक या असमर्थ हो, अध्यक्ष बदले का सदस्य नियुक्त कर सकता है या सुनवाई से जुड़े नए पैनल को नियुक्त कर सकता है (उदाहरण, उम्मीदवारों के पूर्व-स्थापित पूल में से)।

13.2.2.2 राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल की कार्यवाहियाँ

13.2.2.2.1 इन एंटी-डोपिंग नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के पास उसकी पद्धतियों को विनियमित करने का अधिकार है।

13.2.2.2.2 अपील करने वाला/वाली अपने मामले को रखेगा/रखेगी और प्रतिवादी पक्ष उत्तर में अपना मामला(ले) प्रस्तुत करेगा(करेंगे)।

13.2.2.2.3 किसी भी पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा अधिसूचना के बाद सुनवाई में उपस्थित रहने की विफलता को सुनवाई के उसके अधिकार का त्याग माना जाएगा। इस अधिकार को यथोचित आधार पर फिर से बहाल किया जा सकता है।

13.2.2.2.4 8.3.5 प्रत्येक पक्ष के पास उसके अपने खर्च पर सुनवाई में प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा।

13.2.2.2.5 प्रत्येक पक्ष के पास सुनवाई में अनुवादक का अधिकार होगा, अगर सुनवाई पैनल को अनिवार्य लगता हो। सुनवाई पैनल किसी अनुवादक के खर्च के लिए पहचान और दायित्व का निर्धारण करेगा।

13.2.2.2.6 किसी भी पक्ष द्वारा राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल की किसी जरूरत या निर्देश का पालन करने में विफलता राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल को कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा और ऐसी विफलता पर राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल द्वारा अपना निर्णय देते समय विचार किया जा सकता है।

13.2.2.2.7 राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के पास, उसके पूर्ण विवेकाधिकार पर, पैनल द्वारा ज़रूरत पड़ने पर पैनल को सहायता देने या परामर्श देने के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने का अधिकार है।

13.2.2.2.8 कार्यवाही से जुड़े प्रत्येक पक्ष के पास, गवाहों को बुलाने और प्रश्न पूछने सहित सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार है (टेलीफोन या अन्य साधनों द्वारा गवाही स्वीकार करने के राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग सुनवाई पैनल के विवेकाधिकार के अधीन रहते हुए)।

13.2.2.2.9 नाडा के पास एक पक्ष के रूप में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल की कार्यवाहियों से जुडने और सुनवाई पर उपस्थित रहने का अधिकार है।

13.2.2.2.10 संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और/या राष्ट्रीय महासंघ, का संबंध अगर कार्यवाही से न हो, राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति, का संबंध अगर कार्यवाही से न हो, और वाडा दोनों के पास पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग पैनल की सुनवाई पर उपस्थित रहने का अधिकार है।

13.2.2.2.11 इस अनुच्छेद के अनुसार सुनवाईयों और सभी मामलों में एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।

13.2.2.2.12 प्रतियोगिता के संबंध में आयोजित सुनवाईयों का आयोजन शीघ्र आधार पर किया जाना चाहिए।

13.2.2.2.13 जबतक अन्यथा पक्षों के बीच सहमति नहीं की गई हो, एनएडीएपी ऐसे खिलाड़ी या व्यक्ति को अकेली सुनवाई प्रदान करेगा जिसके विरुद्ध मामला लाया गया हो।

13.2.2.2.14 पक्षों को सुनवाई पैनल के समक्ष एकल सुनवाई का एक अवसर प्राप्त होगा। हालाँकि सुनवाई पैनल, अपने विवेकाधिकार पर, कार्य-स्थगन का अनुदान कर सकता है, उस परिस्थिति के अधीन रहते हुए कि कार्य-स्थगन की माँग करने वाले पक्ष को सुनवाई के खर्च का वहन करना होगा अर्थात अध्यक्ष और सदस्यों के बैठने का शुल्क और यात्रा संबंधी खर्चे।

13.2.2.2.15 अपील करने वाला पैनल के गठन के लिए अपील की प्रतिलिपि की प्राप्ति की तिथि से 20 दिन के अंदर राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के समक्ष अपने मामले के समर्थन में उसके भरोसे के सभी दस्तावेज़ों के साथ लिखित प्रस्तुतिकरणों को जमा कर कर सकता है। उन्हें राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के कार्यालय पर पाँच (5) प्रतिलिपियों में अग्रिम में भी दिया जा सकता है। प्रतिवादी अपील की प्रतिलिपि प्राप्त

करने के बाद 20 दिन के अंदर अपील करने वाले द्वारा तैयार किए गए प्रस्तुतिकरणों के लिए उत्तर भी दाखिल कर सकता है।

13.2.2.3 राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के निर्णय:

13.2.2.3.1 सुनवाई के अंत में, या उसके बाद समय-समय पर, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल लिखित, दिनांकित और हस्ताक्षरित निर्णय (या तो एकमत से या बहुमत से) जारी करेगा जिसमें अधिकतम संभावित प्रतिबंध क्यों नहीं अधिरोपित किया गया इसके औचित्य (यदि लागू हो) सहित उस निर्णय और अपात्रता की किसी भी अधिरोपित अवधि के लिए संपूर्ण कारण को शामिल किया जाएगा।

13.2.2.3.2 वह निर्णय खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को, उसके राष्ट्रीय महासंघ, और एंटी-डोपिंग संगठन को अनुच्छेद 13.2.3 के तहत अपील करने के अधिकार के साथ नाडा द्वारा प्रदान किया जाएगा।

13.2.2.3.3 निर्णय पर अपील अनुच्छेद 13.2.3 में प्रदान किए अनुसार की जा सकती है। अगर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं लाई जाती हो, तब (क) अगर निर्णय यह हो कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया गया था, निर्णय को अनुच्छेद 14.3 में प्रदान किए अनुसार सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाएगा, लेकिन (ख) अगर निर्णय यह हो कि कोई एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था, तब निर्णय को उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की सहमति के साथ सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाएगा जो उस निर्णय के अधीन हो। नाडा ऐसी सहमति को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करेगी, और अगर सहमति प्राप्त हो जाए, तो उस निर्णय को उसकी संपूर्णता में या खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा अनुमोदित किया हो संशोधित रूप में सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाएगा।

13.2.3 अपील का अधिकार रखने वाले व्यक्ति

अनुच्छेद 13.2.1 के तहत मामलों में, निम्न पक्षों को सीएएस के पास अपील करने का अधिकार है: (क) खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जो अपील किए जाने वाले निर्णय के अधीन हो; (ख) उस मामले से संबंधित अन्य पक्ष जहाँ निर्णय दिया गया हो; (ग) प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ; (घ) नाडा और (अगर अलग हो) व्यक्ति के निवास के देश या वे देश जहाँ व्यक्ति नागरिक या लाइसेंस धारक हो वहाँ का राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन; (ङ) अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय पैरालिम्पिक समिति, जैसा लागू हो, जहाँ ओलिम्पिक खेलों या पैरालिम्पिक खेलों के लिए योग्यता को प्रभावित करने वाले निर्णयों सहित, निर्णय का प्रभाव ओलिम्पिक खेलों या पैरालिम्पिक खेलों के संबंध में पड़ सकता हो; और (च) वाडा।

अनुच्छेद 13.2.2 के तहत मामलों में, निम्न पक्षों को सीएएस के पास अपील करने का केएसएम से कम अधिकार है: (क) खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जो अपील किए जाने वाले निर्णय के अधीन हो; (ख) उस मामले से संबंधित अन्य पक्ष जहाँ निर्णय दिया गया हो; (ग) प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ; (घ) नाडा और (अगर अलग हो) व्यक्ति के निवास का देश; (ङ) अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय पैरालिम्पिक समिति, जैसा लागू हो, जहाँ ओलिम्पिक खेलों या पैरालिम्पिक खेलों के लिए पात्रता को प्रभावित करने वाले निर्णयों सहित, निर्णय का प्रभाव ओलिम्पिक खेलों या पैरालिम्पिक खेलों के संबंध में पड़ सकता हो; और (च) वाडा।

अनुच्छेद 13.2.2 के तहत मामलों के लिए, वाडा, अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय पैरालिम्पिक समिति, और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पास भी राष्ट्र स्तरीय अपील संस्था के निर्णय के संदर्भ में सीएएस को अपील करने का अधिकार होगा। अपील दायर करने वाला कोई भी पक्ष उस एंटी-डोपिंग संगठन से प्रासंगिक सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए सीएएस से सहायता लेने का अधिकार रखता है जिसके निर्णय पर अपील की जा रही है और वह जानकारी प्रदान की जाएगी अगर सीएएस द्वारा निर्देश दिया जाए तो।

किसी अन्य प्रावधान पर ध्यान दिये बिना, अस्थायी निलंबन को लेकर केवल वही खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति अपील कर सकता है जिसके ऊपर अस्थायी निलंबन लगाया गया हो।

13.2.4 क्रॉस अपील और अनुवर्ती स्वीकृत अपील

संहिता के तहत सीएएस के सामने लाए गए मामलों में नामित किसी भी प्रतिवादी द्वारा क्रॉस अपील और अनुवर्ती स्वीकृत अपील को विशेष रूप से अनुमति प्राप्त है। इस अनुच्छेद 13 के तहत अपील का अधिकार रखने वाले किसी भी पक्ष को अपने उत्तर के साथ शीघ्र एक क्रॉस अपील या अनुवर्ती अपील दायर करनी चाहिए।

[अनुच्छेद 13.2.4 के लिए टिप्पणी: यह प्रावधान अनिवार्य है क्योंकि 2011 से ही, सीएएस के नियम किसी खिलाड़ी को क्रॉस अपील करने देने के अधिकार की अनुमति नहीं देते जब एंटी-डोपिंग संगठन खिलाड़ी के अपील करने के समय की समाप्ती के बाद अपील करने का निर्णय करता हो। यह प्रावधान सभी पक्षों को पूर्ण सुनवाई की अनुमति देता है।]

13.3 समय पर निर्णय देने में विफलता

जहाँ, किसी विशेष मामले में, नाडा वाडा द्वारा निर्धारित उचित समय सीमा के अंदर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन वास्तव में होने पर निर्णय देने में विफल रहता हो, वाडा सीएएस को सीधे अपील करने का चयन कर सकती है यह मानते हुए कि नाडा ने एंटी-डोपिंग के किसी नियम का उल्लंघन न होने का निर्णय दिया हो। अगर सीएएस सुनवाई पैनल निर्धारित करता हो कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया गया था और कि वाडा द्वारा सीएएस के पास सीधे अपील करने का निर्णय उचित था, तब अपील का मुकदमा चलाने में वाडा के खर्च और वकील की फीस की भरपाई नाडा द्वारा की जाएगी।

[अनुच्छेद 13.3 के लिए टिप्पणी: एंटी-डोपिंग नियम के प्रत्येक उल्लंघन उसकी जाँच और परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, वाडा द्वारा सीएएस के पास सीधे अपील द्वारा हस्तक्षेप करने देने के समय से पहले नाडा के लिए निश्चित समय अवधि स्थापित करना व्यवहार्य नहीं होता। ऐसी कार्यवाही करने से पहले, हालाँकि, वाडा नाडा से परामर्श करेगी और नाडा को अवसर देगी यह समझाने के लिए कि क्यों उसने अभी तक निर्णय नहीं दिया है।]

13.4 टीयूई से संबंधित अपील

टीयूई निर्णयों पर अनुच्छेद 4.4 में प्रदान किए अनुसार विशेष रूप से अपील की जा सकती है।

13.5 अपील संबंधी निर्णयों की अधिसूचना

कोई भी एंटी-डोपिंग संगठन जो अपील में एक पक्ष हो खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति और अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों को अपील पर निर्णय तुरंत प्रदान करेगा जिन्हें अनुच्छेद 14.2 के तहत प्रफन किए अनुसार अनुच्छेद 13.2.3 के तहत अपील करने का अधिकार दिया गया होगा।

13.6 अनुच्छेद 12 के अनुसार निर्णयों से अपील

अनुच्छेद 12 के अनुसार नाडा द्वारा निर्णयों पर राष्ट्रीय महासंघ द्वारा राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के पास विशेष रूप से अपील की जा सकती है।

13.7 अपीलें दायर करने के लिए समय

13.7.1 सीएएस के पास अपील

सीएएस के पास अपील दायर करने का समय अपील करने वाले पक्ष द्वारा दिये गए निर्णय की प्राप्ति की तिथि से इक्कीस दिन होगा। उपरोक्त के बावजूद, किसी ऐसे पक्ष द्वारा दायर अपीलों के संबंध में निम्नलिखित लागू होंगे जिसे अपील करने का अधिकार है लेकिन जो उन कार्यवाहियों का हिस्सा नहीं था जिनके कारण निर्णय पर अपील की गई:

(क) निर्णय की सूचना से पंद्रह दिनों के अंदर, ऐसे पक्ष/पक्षों के पास उस संस्था से दायर मामले की प्रतिलिपि लेने का अनुरोध करने का अधिकार होगा जिसने निर्णय जारी किया;

(ख) अगर ऐसा अनुरोध पंद्रह दिन की अवधि के अंदर किया जाता हो, तब ऐसा अनुरोध करने वाले पक्ष के पास सीएएस के पास अपील दायर करने के लिए फाइल की प्राप्ति से इक्कीस दिन होंगे।

उपरोक्त पर ध्यान दिये बिना, वाडा द्वारा दायर अपील के लिए दाखिल करने की समय सीमा निम्न में से किसी एक के बाद होगी:

(क) किसी भी पक्ष द्वारा मामले में अपील करने के अंतिम दिन के इक्कीस दिन के बाद; या

(ख) वाडा द्वारा निर्णय से संबंधित सम्पूर्ण फाइल की प्राप्ति के इक्कीस दिन बाद।

13.7.2 अनुच्छेद 13.2.2 के तहत अपील

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के पास अपील दायर करने का समय अपील करने वाले पक्ष द्वारा दिये गए निर्णय की प्राप्ति की तिथि से इक्कीस दिन होगा। हालाँकि, किसी ऐसे पक्ष द्वारा दायर अपीलों के संबंध में निम्नलिखित लागू होंगे जिसे अपील करने का अधिकार है लेकिन जो उन कार्यवाहियों का हिस्सा नहीं था जिनके कारण निर्णय पर अपील की गई:

(क) निर्णय की सूचना से पंद्रह दिनों के अंदर, ऐसे पक्ष/पक्षों के पास निर्णय जारी करने वाली संस्था से उस फाइल की प्रतिलिपि लेने का अनुरोध करने का अधिकार होगा जिसके ऊपर वह संस्था भरोसा करती थी;

(ख) अगर ऐसा अनुरोध पंद्रह दिन की अवधि के अंदर किया जाता हो, तब ऐसा अनुरोध करने वाले पक्ष के पास राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के पास अपील दायर करने के लिए फाइल की प्राप्ति से इक्कीस दिन होंगे।

उपरोक्त पर ध्यान दिये बिना, वाडा द्वारा दायर अपील या हस्तक्षेप के लिए दाखिल करने की समय-सीमा निम्न में से किसी एक के बाद होगी:

(क) किसी भी पक्ष द्वारा मामले में अपील करने के अंतिम दिन के इक्कीस दिन के बाद; या

(ख) वाडा द्वारा निर्णय से संबंधित सम्पूर्ण फाइल की प्राप्ति के इक्कीस दिन बाद।

अनुच्छेद 14 गोपनियता और रिपोर्टिंग

14.1 प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्षों, असामान्य निष्कर्षों, और एंटी-डोपिंग नियम के तथाकथित अन्य उल्लंघनों से संबंधित जानकारी

14.1.1 खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों को एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों की सूचना

खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों को सूचना कि उनके विरुद्ध इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुच्छेद 7 और 14 के तहत प्रदान किए अनुसार एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासंघ के सदस्य खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को सूचना राष्ट्रीय महासंघ को सूचना देकर पूरी की जा सकती है।

14.1.2 अंतर्राष्ट्रीय महासंघों और वाडा को एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों की सूचना

अंतर्राष्ट्रीय महासंघों और वाडा को एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे की सूचना इन एंटी-डोपिंग नियमों के अनुच्छेद 7 और 14 के तहत प्रदान किए अनुसार खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को सूचित करते हुए दी जाएगी।

14.1.3 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की सूचना की सामग्री

अनुच्छेद 2.1 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की अधिसूचना में निम्न शामिल होंगे: खिलाड़ी का नाम, देश, खेल और खेल के अंदर अनुशासन, खिलाड़ी का प्रतिस्पर्धात्मक स्तर, यदि परीक्षण प्रतियोगिता में किया गया या प्रतियोगिता से बाहर, नमूना संग्रह की तिथि, प्रयोगशाला द्वारा बताया

गया विश्लेषणात्मक परिणाम, और परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा आवश्यक अन्य जानकारी।

अनुच्छेद 2.1 के तहत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के अलावा अन्य उल्लंघनों की सूचना में नियम जिसका उल्लंघन किया गया है और तथाकथित उल्लंघन का आधार शामिल होगा।

14.1.4 स्थिति रिपोर्ट

सिवाय उन जाँचों के संदर्भ के जिनके लिए अनुच्छेद 14.1.1 के अनुसार एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की सूचना नहीं दी गई हो अंतर्राष्ट्रीय महासंघों और वाडा को अनुच्छेद 7, 8 या 13 के अनुसार की गई किसी समीक्षा या कार्यवाही की स्थिति और निष्कर्षों पर ताज़ा जानकारी दी जाएगी और लिखित में कारण समझाते हुए या मामले के समाधान के लिए निर्णय को समझाते हुए उसे तुरंत प्रदान किया जाएगा।

14.1.5 गोपनीयता

प्राप्तकर्ता संगठन उन व्यक्तियों के सिवाय किसी अन्य के समक्ष इस जानकारी को प्रकट नहीं करेंगे जिन्हें इसे जानना अनिवार्य हो (जिसमें प्रयोज्य राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति, राष्ट्रीय महासंघ, और टीम खेल में टीम पर उपयुक्त कर्मचारी शामिल होंगे) जब तक नाडा ने सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं किया हो या अनुच्छेद 14.3 में आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक तौर पर प्रकट करने में विफल रही हो।

14.2 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन से संबंधित निर्णयों की सूचना और फाइलों के लिए अनुरोध

14.2.1 अनुच्छेद 7.11, 8.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 या 13.5 के अनुसार एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन पर दिये गए निर्णयों में अगर लागू हो, सबसे बढ़े संभावित परिणाम अधिरोपित नहीं करने के औचित्य सहित उस निर्णय के लिए संपूर्ण कारण शामिल होंगे। जहाँ निर्णय अंग्रेज़ी या फ्रेंच में न हो, नाडा उस निर्णय और समर्थित कारणों का अंग्रेज़ी या फ्रेंच में संक्षिप्त विवरण प्रदान करेगी।

14.2.2 अनुच्छेद 14.2.1 के अनुसार प्राप्त निर्णय पर अपील का अधिकार रखने वाला एंटी-डोपिंग संगठन, प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर उस निर्णय से संबंधित संपूर्ण मामले की फाइल की प्रतिलिपि का अनुरोध कर सकता है।

14.3 *सार्वजनिक प्रकटीकरण*

14.3.1 किसी ऐसे खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की पहचान जिसके लिए नाडा द्वारा एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने का दावा किया गया हो, नाडा द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण केवल अनुच्छेद 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 या 7.7 के साथ अनुरूपता में खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को और साथ ही अनुच्छेद 14.1.2 के साथ अनुरूपता में वाडा और खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को सूचना प्रदान करने पर किया जा सकता है।

14.3.2 अनुच्छेद 13.2.1 या 13.2.2 के तहत अंतिम अपीलीय निर्णय में निर्धारित करने के बीस दिन के अंदर, या ऐसी अपील पर दावा छोड़ देने, या अनुच्छेद 8 के साथ अनुरूपता में सुनवाई माफ करने, या ऍंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के दावे को समय पर चुनौती न देने पर, नाडा को खेल, एंटी-डोपिंग के उल्लंघित नियम, उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के नाम, उपयोग किए गए प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि (यदि कोई) और अधिरोपित परिणाम सहित मामले की प्रकृति को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। नाडा को ऊपर उल्लिखित जानकारी सहित एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों से संबंधित अंतिम अपील के निर्णय के परिणामों को बीस दिन के अंदर भी बताना चाहिए।

14.3.3 किसी भी मामले में, जहाँ सुनवाई या अपील के बाद, यह निर्धारित हो जाए, कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति ने एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं किया, निर्णय का सार्वजनिक प्रकटीकरण केवल

उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की सहमति पर किया जाएगा। नाडा ऐसी सहमति को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रयासों का उपयोग करेगी। अगर सहमति प्राप्त हो जाए, नाडा द्वारा उस निर्णय को उसकी संपूर्णता में या खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा अनुमोदित किया हो संशोधित रूप में सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाएगा।

14.3.4 नाडा की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी रखने या उसे अन्य साधनों के माध्यम से प्रकाशित करने और उस जानकारी को एक महीने या अयोग्यता की किसी भी अवधि तक जो भी अधिक हो कम से कम रख कर प्रकाशन संपन्न किया जाएगा।

14.3.5 ना तो नाडा, ना ही राष्ट्रीय महासंघ, ना ही किसी संस्था का कोई अधिकारी, किसी भी लंबित मामले के विशेष तथ्यों पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करेगा (प्रक्रिया और विज्ञान के सामान्य विवरण को छोड़कर) सिवाय उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का दावा किया गया हो, या उनके प्रतिनिधियों से संबंधित सार्वजनिक टिप्पणियों के जवाब में।

14.3.6 अनुच्छेद 14.3.2 में आवश्यक अनिवार्य सार्वजनिक रिपोर्टिंग की ज़रूरत वहाँ नहीं होगी जहाँ एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन करने वाला खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति नाबालिग हो। नाबालिग से संबंधित मामले में कोई भी वैकल्पिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुपात में होगी।

14.4 सांख्यिकीय रिपोर्टिंग

नाडा कम से कम वर्ष में एक बार अपनी डोपिंग नियंत्रण गतिविधियों की सामान्य सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित करेगी, साथ ही वाडा को उसकी प्रतिलिपि प्रदान करेगी। नाडा प्रत्येक खिलाड़ी का नाम जिसका परीक्षण किया गया और प्रत्येक परीक्षण की तिथि दिखाते हुए रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है।

14.5 डोपिंग नियंत्रण जानकारी वितरण-केंद्र

समन्वित परीक्षण वितरण योजना की सुविधा के लिए और विभिन्न एंटी-डोपिंग संगठनों द्वारा परीक्षण में अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए, नाडा एडम्स (ADAMS) के उपयोग से, वाडा वितरण-केंद्र को ऐसे खिलाड़ियों पर प्रतियोगिता में और प्रतियोगिता के बाहर किए गए सभी परीक्षणों को करने के तुरंत बाद उनकी रिपोर्ट करेगी। जहाँ उपयुक्त हो और प्रयोज्य नियमों के साथ अनुरूपता में यह जानकारी खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और अन्य एंटी-डोपिंग संगठन जो खिलाड़ी के ऊपर परीक्षण का अधिकार रखते हों, को उपलब्ध की जाएगी।

14.6 आँकड़ों की एकांतता

14.6.1 नाडा आवश्यकता पड़ने पर और जहाँ संहिता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और इन एंटी-डोपिंग नियमों (विशेष रूप से एकांतता और निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सहित) के तहत उनकी एंटी-डोपिंग गतिविधियों को करना उपयुक्त हो, खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित निजी जानकारी का संग्रह, भंडार या प्रकट कर सकती है

14.6.2 कोई प्रतिभागी जो इन एंटी-डोपिंग नियमों के साथ अनुरूपता में किसी व्यक्ति के लिए निजी आँकड़ों सहित जानकारी जमा करता हो उसके लिए माना जाएगा कि उसने प्रयोज्य आँकड़ा संरक्षण नियमों के अनुसार और अन्य प्रकार से सहमति दी है, कि ऐसी जानकारी को एकांतता और निजी जानकारी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूपता में इन एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए उस व्यक्ति द्वारा संग्रहीत, प्रसंस्कृत, प्रकट या उपयोग करने और अन्यथा इन एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करने की आवश्यकता के किया जा सकता है।

अनुच्छेद 15 निर्णयों की प्रयोज्यता और मान्यता

15.1 अनुच्छेद 13 में प्रदान अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, परीक्षण, सुनवाई के परिणाम या किसी हस्ताक्षरकर्ता के अंतिम न्यायिक निर्णय जो संहिता के साथ अनुरूपता रखते हों और जो उस हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार के अंदर आते हों वे दुनियाभर में लागू होंगे और जिन्हें नाडा और सभी महासंघों द्वारा मान्यता दी जाएगी और आदर किया जाएगा।

[अनुच्छेद 15.1 के लिए टिप्पणी: अन्य एंटी-डोपिंग संगठनों के टीयूई निर्णयों की मान्यता की सीमा का निर्धारण अनुच्छेद 4.4 और चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा किया जाएगा।]

15.2 नाडा और सभी राष्ट्रीय महासंघ संहिता को स्वीकार नहीं करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए उपायों को मान्यता देगी अगर उन संस्थाओं के नियम अन्य प्रकार से संहिता के साथ अनुरूपता रखते हों।

[अनुच्छेद 15.2 के लिए टिप्पणी: जहाँ संहिता को स्वीकार नहीं करने वाली किसी संस्था का निर्णय किसी प्रकार से संहिता अनुवर्ती हो और किसी अन्य प्रकार से संहिता अनुवर्ती न हो, नाडा या राष्ट्रीय महासंघ संहिता के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य में निर्णय का पालन करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर संहिता के साथ संगत प्रक्रिया में कोई गैर-हस्ताक्षरकर्ता पाता है कि किसी खिलाड़ी ने उसके शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिती के कारण एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया है लेकिन अपात्रता की प्रयोज्य अवधि इन एंटी-डोपिंग नियमों में प्रदान की गई अवधि से छोटी है, तब नाडा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के निष्कर्ष को मान्यता देगी और निर्धारित करने के लिए यदि इन एंटी-डोपिंग नियमों में अपात्रता की लंबी अवधि का अधिरोपण किया जा सकता है या नहीं अनुच्छेद 8 के साथ अनुरूपता में सुनवाई का आयोजन कर सकती है।]

15.3 अनुच्छेद 13 में प्रदान अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, इन एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के संबंध में नाडा के किसी भी निर्णय को सभी राष्ट्रीय महासंघों द्वारा मान्यता दी जाएगी, जो उस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाएंगे।

अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, नाडा के अधिकार के अंदर इन एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के संबंध में एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल या सीएएस, या राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल के किसी भी निर्णय को सभी एंटी-डोपिंग संगठनों और उनके प्रत्येक मान्यता प्राप्त या संबंधित संगठनों, या राष्ट्रीय महासंघों द्वारा मान्यता दी जाएगी, जो उस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाएंगे।

अनुच्छेद* 16 *नाड़ा एंटी-डोपिंग नियमों का संयोजन और राष्ट्रीय महासंघों के दायित्व

16.1 सभी राष्ट्रीय महासंघ और उनके सदस्य इन एंटी-डोपिंग नियमों का अनुपालन करेंगे। इन एंटी-डोपिंग नियमों को प्रत्येक राष्ट्रीय महासंघ के नियमों में सीधे या संदर्भ द्वारा शामिल भी किया जाएगा ताकि नाडा राष्ट्रीय महासंघ के क्षेत्राधिकार के तहत खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उन्हें स्वयं सीधे लागू कर सके।

16.2 सभी राष्ट्रीय महासंघ नियम स्थापित करेंगे जिनके द्वारा सभी खिलाड़ियों और प्रतिस्पर्धा या राष्ट्रीय महासंघ या उसके किसी सदस्य संगठन द्वारा अधिकृत या आयोजित गतिविधि में कोच, प्रशिक्षक, मैनेजर, टीम स्टाफ, अधिकारी, चिकित्सा या पराचिकित्सा कर्मी के रूप में प्रत्येक खिलाड़ी सहायता कर्मियों को इन एंटी-डोपिंग नियमों से बंधने की सहमति देनी होगी और भाग लेने की शर्त के रूप में संहिता के तहत उत्तरदायी एंटी-डोपिंग संगठन के परिणाम प्रबंधन प्राधिकरण को जमा करना होगा।

16.3 सभी राष्ट्रीय महासंघ नाडा और उनके राष्ट्रीय महासंघ को एंटी-डोपिंग नियम की किसी संभावित या संबंधित जानकारी की सूचना देंगे, और जाँच आयोजित करने का अधिकार रखने वाले किसी भी एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा आयोजित जाँच में सहयोग देंगे।

16.4 सभी राष्ट्रीय महासंघों के पास अनुशासनात्मक नियम होंगे जो बिना वैध औचित्य प्रतिबंधित पदार्थों या प्रतिबंधित विधियों का उपयोग करने वाले खिलाड़ी सहायता कर्मी को नाडा या राष्ट्रीय महासंघ के क्षेत्राधिकार के तहत खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने से रोकेंगे।

16.5 सभी राष्ट्रीय महासंघों को नाडा के साथ तालमेल में एंटी-डोपिंग शिक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 17 सीमाओं की संविधि

किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है जबतक अनुच्छेद 7 में प्रदान किए अनुसार एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की सूचना न दे दी गई हो, या उल्लंघन के दावे की तिथि से दस वर्षों के अंदर अधिसूचना देने का उचित प्रयास न किया गया हो।

अनुच्छेद 18 वाडा को नाडा सम्मति रिपोर्ट

नाडा वाडा को संहिता के अनुच्छेद 23.5.2 के साथ अनुरूपता में संहिता के साथ नाडा की सम्मति पर सूचना देगी।

अनुच्छेद 19 शिक्षा

नाडा संहिता पर सूचीबद्ध मुद्दों पर कम से कम डोप मुक्त खेलों के लिए जानकारी, शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों की योजना बनाएगी, लागू करेगी, आकलन करेगी, निगरानी करेगी, और ऐसे कार्यक्रमों में खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों द्वारा सक्रिय भागीदारी का समर्थन करेगी।

अनुच्छेद 20 एंटी-डोपिंग नियमों का संशोधन और व्याख्या

20.1 नाडा द्वारा इन एंटी-डोपिंग नियमों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

20.2 इन एंटी-डोपिंग नियमों की व्याख्या स्वतंत्र और स्वायत पाठ के रूप में की जाएगी मौजूदा कानून या संविधि के संदर्भ में नहीं।

20.3 इन एंटी-डोपिंग नियमों के विभिन्न हिस्सों और अनुच्छेदों के लिए उपयोग किए जाने वाले शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं जिन्हें इन एंटी-डोपिंग नियमों के सार का भाग या उनके द्वारा संदर्भित प्रावधानों की भाषा को किसी तरीके से प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

20.4 संहिता और अंतर्राष्ट्रीय मानक इन एंटी-डोपिंग नियमों के आंतरिक भाग माने जाएंगे और विवाद के मामले में प्रचालन में रहेंगे।

20.5 इन एंटी-डोपिंग नियमों को संहिता के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार अपनाया गया है और इनकी व्याख्या उस तरीके से की जाएगी जो संहिता के प्रयोज्य प्रावधानों के साथ अनुरूपता रखता होगा। परिचय को इन एंटी-डोपिंग नियमों का आंतरिक हिस्सा समझा जाएगा।

20.6 संहिता और इन एंटी-डोपिंग नियमों के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करती टिप्पणियों का उपयोग इन एंटी-डोपिंग नियमों की व्याख्या करने के लिए किया जाएगा।

20.7 ये एंटी-डोपिंग नियम 1 जनवरी 2015 ("प्रभावी तिथि") से पूर्ण रूप से लागू और प्रभाव में आ चुके हैं। वे प्रभावी तिथि से पहले लंबित मामलों के लिए पूर्वव्यापी तौर पर लागू नहीं किए जाएंगे; बशर्ते, हालाँकि, कि:

20.7.1 प्रभावी तिथि से पहले होने वाले एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन प्रभावी तिथि के बाद होने वाले उल्लंघनों के लिए अनुच्छेद 10 के तहत प्रतिबंधों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए "पहले उल्लंघन" या "दूसरे उल्लंघन" के रूप में गिने जाते हैं।

20.7.2 अनुच्छेद 10.7.5 के तहत एकाधिक उल्लंघनों के उद्देश्यों के लिए पूर्वप्रभावी अवधियाँ जिनमें पूर्व उल्लंघनों पर विचार किया जा सकता हो और अनुच्छेद 17 में निर्धारित सीमाओं की संविधि प्रक्रियात्मक नियम हैं और जिन्हें पूर्वव्यापी तौर पर लागू किया जाना चाहिए; बशर्ते, हालाँकि, कि अनुच्छेद 17 को पूर्वव्यापी तौर पर केवल लागू किया जाएगा अगर सीमा अवधि की संविधि प्रभावी तिथि तक पहले ही समाप्त न हो गई हो। अन्यथा, एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के किसी ऐसे मामले के संदर्भ में जो प्रभावी तिथि से ही लंबित हो और एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का कोई मामला जो प्रभावी तिथि से पूर्व हुए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के आधार पर प्रभावी तिथि के बाद लाया गया हो, वह मामला एंटी-डोपिंग नियम के कथित उल्लंघन के समय पर प्रभाव में विधिवत

प्रस्तावित एंटी-डोपिंग नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, जबतक मामले की सुनवाई करने वाला पैनल यह निर्धारित न कर ले कि उस मामले की परिस्थिति के तहत "कानूनी मामले" का सिद्धांत उपयुक्त लागू होता है।

20.7.3 प्रभावी तिथि से पूर्व अनुच्छेद 2.4 में ठिकाने की किसी भी विफलता (चाहे दाखिल करने की विफलता या परीक्षण में चूक, क्योंकि उन शब्दों को परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में परिभाषित किया गया है) को आगे ले जाएगा और परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूपता में, समय समाप्ती से पहले उस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन यह माना जाएगा कि उसके होने के 12 महीने के बाद उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

20.7.4 उन मामलों के संदर्भ में जहाँ प्रभावी तिथि से पहले एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का पता लगने पर अंतिम निर्णय दे दिया गया हो, लेकिन खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति प्रभावी तिथि के समय अपात्रता की अवधि अभी भी भुगत रहा हो, वह खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति इन एंटी-डोपिंग नियमों को ध्यान में रखते हुए अपात्रता की अवधि को कम करने पर विचार के लिए उस एंटी-डोपिंग संगठन के पास आवेदन कर सकता है जिसके पास परिणाम प्रबंधन का दायित्व हो। ऐसा आवेदन अपात्रता की अवधि के समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। दिये गए निर्णय पर अनुच्छेद 13.2 के अनुसार अपील की जा सकती है। इन एंटी-डोपिंग नियमों की प्रयोज्यता ऐसे किसी मामले के लिए नहीं होगी जहाँ एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का पता चलने पर अंतिम निर्णय दिया गया हो और अपात्रता की अवधि समाप्त हो गई हो।

20.7.5 अनुच्छेद 10.7.1 के तहत दूसरे उल्लंघन के लिए अपात्रता की अवधि के आकलन के उद्देश्य के लिए, जहाँ प्रभावी तिथि से पूर्व लागू नियमों के आधार पर पहले उल्लंघन के लिए प्रतिबंध का निर्धारण किया गया हो, अगर इन एंटी-डोपिंग नियमों को लागू किया गया होता तब उस पहले उल्लंघन के लिए आकलन की गई अपात्रता की अवधि को लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 21 संहिता की व्याख्या

21.1 वाडा द्वारा संहिता के आधिकारिक पाठ को कायम रखा जाएगा और अँग्रेजी और फ्रेंच में प्रकाशित किया जाएगा। अंग्रेज़ी और फ्रेंच संस्करणों के बीच किसी प्रकार का विवाद होने पर, अंग्रेज़ी संस्करण प्रचलित रहेगा।

21.2 संहिता के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करती टिप्पणियों का उपयोग संहिता की व्याख्या के लिए किया जाएगा।

21.3 संहिता की व्याख्या स्वतंत्र और स्वायत पाठ के रूप में की जाएगी मौजूदा कानून या हस्ताक्षरकर्ताओं या सरकारों की संविधियों के संदर्भ में नहीं।

21.4 संहिता के विभिन्न हिस्सों और अनुच्छेदों के लिए उपयोग किए जाने वाले शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं जिन्हें संहिता के सार का भाग या उनके द्वारा संदर्भित प्रावधानों की भाषा को किसी तरीके से प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

21.5 संहिता उन मामलों के लिए पूर्वव्यापी तौर पर लागू नहीं की जाएगी जो उस तिथि से पहले लंबित हों जब हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संहिता को स्वीकार किया जाता हो और उसके नियमों को लागू किया जाता हो। हालाँकि, संहिता से पहले किए गए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन संहिता के बाद उल्लंघनों के लिए अनुच्छेद 10 के तहत प्रतिबंधों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए "पहले उल्लंघन" या "दूसरे उल्लंघन" के रूप में गिने जाते रहेंगे।

21.6 विश्व एंटी-डोपिंग कार्यक्रम और संहिता और परिशिष्ट 1, परिभाषाओं, और परिशिष्ट 2, अनुच्छेद 10 की प्रयोज्यता के उदाहरणों के उद्देश्य, दायरा और व्यवस्था, संहिता का अभिन्न हिस्सा मानी जाएगी।

अनुच्छेद 22 खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों की अतिरिक्त भूमिकाएँ और दायित्व

22.1 खिलाड़ियों की भूमिकाएँ और दायित्व

22.1.1 इन एंटी-डोपिंग नियमों का ज्ञान रखना और इनका अनुपालन करना।

22.1.2 हर समय नमूना संग्रह के लिए उपलब्ध रहना।

[अनुच्छेद 22.1.2 के लिए टिप्पणी: खिलाड़ी के मानव अधिकारों और एकांतता को पूरा सम्मान देते हुए, वैध एंटी-डोपिंग विचारों के लिए कभी-कभार देर रात या सुबह बहुत जल्दी नमूना संग्रह करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यह पता है कि कुछ खिलाड़ी इन समयों पर ईपीओ की कम खुराक लेते हैं जिससे कि सुबह तक उसका पता न चले।]

22.1.3 एंटी-डोपिंग के संदर्भ में, दायित्व लेने के लिए, वे क्या खाते और क्या उपयोग करते हैं।

22.1.4 चिकित्सा कर्मियों को प्रतिबंधित पदार्थ और प्रतिबंधित विधियों का उपयोग न करने के उनके दायित्व की जानकारी देना और यह सुनिश्चित करने का दायित्व लेना कि प्राप्त किया गया कोई भी चिकित्सा उपचार इन एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन न करता हो।

22.1.5 उनके अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और नाडा को पिछले दस वर्षों में खिलाड़ी द्वारा किए गए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता के निष्कर्ष पर दिये गए किसी निर्णय को प्रकट करना।

22.1.6 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों की जाँच कर रहे एंटी-डोपिंग संगठनों के साथ सहयोग करना।

22.2 खिलाड़ी सहायता कर्मियों की भूमिकाएँ और दायित्व

22.2.1 इन एंटी-डोपिंग नियमों का ज्ञान रखना और इनका अनुपालन करना।

22.2.2 खिलाड़ी परीक्षण कार्यक्रम के साथ सहयोग करना।

22.2.3 एंटी-डोपिंग रवैयों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ी के मूल्यों और व्यवहार पर अपने प्रभाव का उपयोग करना।

22.2.4 उसके अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और नाडा को पिछले दस वर्षों में उसके द्वारा किए गए एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता के निष्कर्ष पर दिये गए किसी निर्णय को प्रकट करना।

22.2.5 एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों की जाँच कर रहे एंटी-डोपिंग संगठनों के साथ सहयोग करना।

22.2.6 खिलाड़ी सहायता कर्मी बिना वैध औचित्य किसी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उसका उपयोग नहीं करेगा या आधिपत्य रखेगा।

परिशिष्ट 1 परिभाषाएँ

एडम्स (ADAMS):एंटी-डोपिंग प्रशासन और प्रबंधन प्रणाली आँकड़ों को डालने, संग्रह करने, साझा करने, और रिपोर्ट करने के लिए एक वेब आधारित डेटाबेस प्रबंधन उपकरण है जिसे हितधारकों और वाडा को आँकड़ा संरक्षण कानून के साथ संयोजन के रूप में उनके एंटी-डोपिंग कार्यों में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

दवा देना: प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि प्रदान करना, आपूर्ति करना, उसकी सुविधा प्रदान करना, या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग या उपयोग के प्रयास में अन्य प्रकार से हिस्सा लेना। हालाँकि, इस परिभाषा में सही और कानूनी चिकित्सकीय उद्देश्यों या अन्य स्वीकार्य औचित्य के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का उपयोग करने वाले प्रामाणिक चिकित्सा कर्मियों के कार्य शामिल नहीं किए जाएंगे और उन कार्यों को शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें वे प्रतिबंधित पदार्थ शामिल होंगे जो प्रतिस्पर्धा-से-बाहर प्रतिबंधित नहीं हों जबतक संपूर्ण परिस्थितियां यह न प्रदर्शित करें कि ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ सही और कानूनी चिकित्सकीय उद्देश्यों का इरादा नहीं रखते या खेल प्रदर्शन में विस्तार का इरादा रखते हैं।

प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष: वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या वाडा द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से एक रिपोर्ट कि, प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और संबंधित तकनीकी दस्तावेज़ों के साथ संगत हो, नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके चयापचयों या मार्कर (अंतर्जात पदार्थों की भारी मात्रा सहित) की उपस्थिती या प्रतिबंधित विधि के उपयोग के सबूत की पहचान करती हो।

प्रतिकूल पासपोर्ट निष्कर्ष: प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उल्लिखित अनुसार प्रतिकूल पासपोर्ट निष्कर्ष के रूप में पहचानी गई एक रिपोर्ट।

एंटी डोपिंग अपील पैनल: एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के निर्णयों से अपीलों पर न्यायिक निर्णय देने के लिए नाडा के प्रबंध निकाय के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त पैनल।

एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल: इन एंटी-डोपिंग नियमों के कथित उल्लंघनों पर न्यायिक निर्णय देने के लिए नाडा के प्रबंध निकाय के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त पैनल।

एंटी-डोपिंग संगठन: एक हस्ताक्षरकर्ता जो कि डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के किसी भाग को आरंभ करने, कार्यान्वित करने या लागू करने के लिए नियमों को अपनाने के लिए जिम्मेदार हो। इसमें, उदाहरण के लिए, शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय पैरालिम्पिक समिति, अन्य प्रमुख प्रतियोगिता संगठन जो उनकी प्रतियोगिताओं पर परीक्षण का आयोजन करते हैं, वाडा, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन।

खिलाड़ी: कोई भी व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर (जैसा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा परिभाषित किया गया हो), या राष्ट्रीय स्तर (जैसा प्रत्येक राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा परिभाषित किया गया हो) पर खेल में प्रतिस्पर्धा करता/करती हो। एंटी-डोपिंग संगठन के पास किसी खिलाड़ी पर एंटी-डोपिंग नियम लागू करने का विवेकाधिकार है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है न ही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, और इस प्रकार ऐसे खिलाड़ियों के संबंध में जो न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों न ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उन्हें "खिलाड़ी।" की परिभाषा के अंदर लाने के लिए, एंटी-डोपिंग संगठन निम्न का चयन कर सकता है: सीमित परीक्षण करना या कोई भी परीक्षण नहीं करना; प्रतिबंधित पदार्थों के पूर्ण मेनू से कम के लिए नमूनों का विश्लेषण; ठिकाने की सीमित जानकारी की ज़रूरत या बिलकुल भी ज़रूरत नहीं; या अग्रिम टीयूई की ज़रूरत नहीं। हालाँकि, अगर अनुच्छेद 2.1, 2.3, या 2.5 के एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किसी खिलाड़ी द्वारा किया जाता हो जिसके ऊपर एंटी-डोपिंग संगठन का अधिकार हो जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर से नीचे प्रतिस्पर्धा करता हो, तब संहिता (अनुच्छेद 14.3.2 के सिवाय) में निर्धारित परिणामों को लागू किया जाए। अनुच्छेद 2.8 और अनुच्छेद 2.9 के उद्देश्यों के लिए और एंटी-डोपिंग जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए, कोई व्यक्ति जो संहिता को स्वीकार करने वाले किसी हस्ताक्षरकर्ता, सरकार, या अन्य खेल संगठन के अधिकार के तहत खेलों में भाग लेता हो।

[टिप्पणी: यह परिभाषा स्पष्ट कर देती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय- और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी संहिता के एंटी-डोपिंग नियमों के अधीन होते हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय- और राष्ट्रीय स्तर के खेल की सटीक परिभाषाएँ क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय महासंघों और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठनों के एंटी-डोपिंग नियमों में निर्धारित की जाएंगी। वह परिभाषा प्रत्येक राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन को, उसके चयन पर, उसके एंटी-डोपिंग कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय- या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से आगे प्रतियोगिता के निचले स्तरों पर प्रतिस्पर्धियों तक या उन व्यक्तियों तक जो फिटनेस संबंधी गतिविधियों में शामिल हों लेकिन जो बिलकुल भी प्रतिस्पर्धा न करते हों ले जा सकती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन, उदाहरण के लिए, मनोरंजन स्तर के प्रतिस्पर्धियों का परीक्षण करने का चयन कर सकता है लेकिन उसे अग्रिम टीयूई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एंटी-डोपिंग का एक ऐसा उल्लंघन जिसमें प्रतिकूल निष्कर्ष या छेड़छाड़ शामिल हो उसके लिए संहिता में दिये गए सभी परिणाम लागू कर दिये जाएंगे (सिवाय अनुच्छेद 14.3.2 के)। इस बात का निर्णय यदि परिणाम मनोरंजन-स्तर के खिलाड़ियों पर लागू होगा जो फिटनेस गतिविधियों में शामिल होते हों लेकिन जो प्रतिस्पर्धा न करते हों राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन के ऊपर छोड़ दिया गया है। उसी तरीके से, केवल मास्टर-स्तर के प्रतियोगियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला प्रमुख प्रतियोगिता संगठन प्रतियोगियों का परीक्षण करने का चयन कर सकता है लेकिन प्रतिबंधित पदार्थों के पूर्ण मेनू के लिए नमूनों का विश्लेषण नहीं कर सकता। प्रतिस्पर्धा के सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धियों को एंटी-डोपिंग के लाभ की जानकारी और शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।]

खिलाड़ी जैविक पासपोर्ट: परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में उल्लिखित आँकड़े एकत्रित करने और संग्रहीत करने के कार्यक्रम और विधियां।

खिलाड़ी सहायता कर्मी: भाग लेने वाले या खेल प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने खिलाड़ी के उपचार या उसकी सहायता के लिए काम करने वाला कोई कोच, प्रशिक्षक, प्रबंधक, एजेंट, टीम स्टाफ, अधिकृत, चिकित्सा, पराचिकित्सा कर्मी, माता-पिता या अन्य व्यक्ति।

प्रयास: जानबूझकर ऐसे आचरण में संलिप्त होना जो एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के काम में योजनाबद्ध आचरण के ठोस कदम को स्थापित करता हो। बशर्ते, हालाँकि, केवल उल्लंघन करने के प्रयास के आधार पर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं होगा अगर व्यक्ति उस प्रयास में नहीं शामिल तीसरे पक्ष द्वारा पता लगाने से पहले प्रयास का त्याग करता हो।

असामान्य निष्कर्ष: वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या वाडा द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से एक रिपोर्ट जो प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के निर्धारण से पूर्व प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक या संबंधित तकनीकी दस्तावेज़ों द्वारा प्रदान किए अनुसार आगे जाँच की ज़रूरत रखती हो।

असामान्य पासपोर्ट निष्कर्ष: प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उल्लिखित अनुसार असामान्य पासपोर्ट निष्कर्ष के रूप में उल्लिखित एक रिपोर्ट।

सीएएस: खेल मध्यस्थता न्यायालय।

संहिता:विश्व एंटी-डोपिंग संहिता।

प्रतिस्पर्धा: एकल दौड़, मैच, खेल या एकल खेल प्रतियोगिता। उदाहरण के लिए, बास्केटबॉल खेल या ओलिम्पिक खेलकूद में 100-मीटर दौड़। चरण दौड़ और अन्य खेल प्रतियोगिताओं के लिए जहाँ इनामों का वितरण दैनिक आधार पर या अन्य अन्तरिम आधार पर होता हो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता के बीच अंतर प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नियमों में प्रदान किए अनुसार किया जाएगा।

एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणाम ("परिणाम"): किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का परिणाम निम्न में से एक या अधिक हो सकता है: (क) अयोग्यता का अर्थ है किसी विशेष प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में खिलाड़ी के परिणाम को अवैध कर देना, जिसमें किसी भी पदक, अंक और इनाम की वापसी सहित सभी परिणामी परिणामों के साथ; (ख) अपात्रता का अर्थ होता है अनुच्छेद 10.12.1 में प्रदान किए अनुसार खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिस्पर्धा या अन्य गतिविधि या वित्त-पोषण में एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के कारण विशेष समय के लिए भाग लेने से रोकना; (ग) अस्थायी निलंबन का अर्थ होता है खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति को अनुच्छेद 8 के तहत आयोजित की जा रही सुनवाई पर अंतिम निर्णय से पूर्व किसी प्रतिस्पर्धा या गतिविधि में भाग लेने से अस्थायी रूप से रोक्न; (घ) वित्तीय परिणामों का अर्थ होता है एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए अधिरोपित वित्तीय प्रतिबंध या एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन से जुड़े खर्चों की वसूली; और (ङ) सार्वजनिक प्रकटीकरण या सार्वजनिक रिपोर्टिंग का अर्थ होता है अनुच्छेद 14 के साथ अनुरूपता में पहले की अधिसूचना के लिए सामान्य जनता या अधिकृत उन व्यक्तियों से आगे व्यक्तियों को जानकारी का प्रसार या वितरण। टीम खेलों में टीमें भी संहिता के अनुच्छेद 11 में प्रदान किए अनुसार परिणामों के अधीन हो सकती हैं।

संदूषित उत्पाद: एक उत्पाद जिसमें कोई प्रतिबंधित पदार्थ शामिल हो जिसे उत्पाद लेबल पर या इंटरनेट पर उपयुक्त खोज में उपलब्ध जानकारी में प्रकट नहीं किया गया हो।

अयोग्यता: ऊपर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणाम देखिये।

डोपिंग नियंत्रण: परीक्षण वितरण योजना से लेकर बीच के सभी चरणों और प्रक्रियाओं जैसे ठिकाने की जानकारी, नमूना संग्रह और संभाल, प्रयोगशाला विश्लेषण, टीयूई, परिणाम प्रबंधन और सुनवाईयों सहित किसी अपील की अंतिम प्रकृति के माध्यम से सभी चरण और प्रक्रियाएँ।

प्रतियोगिता: एक प्रबंध निकाय (उदाहरण, ओलिम्पिक खेल, फीना विश्व चैंपियनशिप या पैन अमेरिकी खेल) के तहत एकसाथ आयोजित व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं की श्रृंखला।

प्रतियोगिता स्थल: प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय द्वारा निर्धारित स्थल।

प्रतियोगिता अवधि: प्रतियोगिता के प्रबंध निकाय द्वारा स्थापित प्रतियोगिता के आरंभ और अंत के बीच का समय।

गलती: गलती कहते हैं किसी विशेष परिस्थिति के लिए उपयुक्त कर्तव्य का उल्लंघन या देखभाल में कमी। खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा के आकलन में विचार किए जाने वाले कारकों में, उदाहरण के लिए, शामिल है खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति का अनुभव, चाहे खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति नाबालिग हो, विशेष विचार जैसे क्षति, जोखिम की सीमा जिसका पता कथित रूप से खिलाड़ी को होना चाहिए था और जोखिम की सीमा जिसका पता कथित रूप से खिलाड़ी को होना चाहिए था उसके संबंध में खिलाड़ी द्वारा प्रयोग किया गया देखभाल का स्तर और जाँच। खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की गलती की सीमा का आकलन करते समय, खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवहार के अपेक्षित मानक से भटकाव को समझाने के लिए विचार की गई परिस्थितियां विशिष्ट और प्रासंगिक होनी चाहिए। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि अपात्रता की अवधि के दौरान खिलाड़ी बहुत सारा धन कमाने का अवसर खो देगा, या यह तथ्य कि खिलाड़ी के पास उसके करियर में केवल थोड़ा समय रह गया है, या खेल संबंधित कैलेंडर का समय, अनुच्छेद 10.5.1 या 10.5.2 के तहत अपात्रता की अवधि को कम करने में प्रासंगिक कारक नहीं होंगे।

[टिप्पणी: खिलाड़ी की गलती की सीमा के आकलन के लिए मानदंड उन सभी अनुच्छेदों के तहत समान होगा जहाँ गलती पर विचार किया जाना हो। हालाँकि, अनुच्छेद 10.5.2 के तहत, प्रतिबंध में कटौती उपयुक्त नहीं होगी जबतक, गलती की सीमा का आकलन हो जाने पर, निष्कर्ष निकाला जाता है कि खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति की ओर से कोई महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही नहीं हुई थी।]

वित्तीय परिणाम: ऊपर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणाम देखिये।

सरकार: सरकार।

प्रतिस्पर्धा-में: जबतक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या उक्त प्रतियोगिता के प्रबंध निकाय के नियमों में अन्य प्रकार से प्रदान नहीं किया गया हो, "प्रतिस्पर्धा-में" का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा से बारह घंटे पहले आरंभ होने वाली अवधि जिसमें उस प्रतिस्पर्धा के अंत तक खिलाड़ी भाग लेने के लिए अनुसूचित न हो और उस प्रतिस्पर्धा से संबंधित नमूना संग्रह प्रक्रिया।

[टिप्पणी: कोई अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय प्रतियोगिता अवधि से अलग "प्रतिस्पर्धा-में" अवधि को स्थापित कर सकता है।]

स्वतंत्र समीक्षक कार्यक्रम:वाडा के पर्यवेक्षण के तहत, समीक्षकों की एक टीम, जो विशेष प्रतियोगिताओं पर डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया का अवलोकन करती है और दिशानिर्देश प्रदान करती है और अपने अवलोकन पर रिपोर्ट देती है।

व्यक्तिगत खेल: ऐसा खेल जो टीम खेल न हो।

अपात्रता: ऊपर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणाम देखिये।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता: एक प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय पैरालिम्पिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, प्रमुख प्रतियोगिता संगठन, या अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय हो या प्रतियोगिता के लिए तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त करते हों।

अंतर्राष्ट्रीय-स्तर का खिलाड़ी: खिलाड़ी जो परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूप, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिस्पर्धा करते हों।

[टिप्पणी: परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संगत, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ उस मानदंड का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसका उपयोग वह अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों के रूप में खिलाड़ियों को वर्गीकृत करने के लिए करेगा, उदाहरण के लिए, रैंकिंग द्वारा, विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने द्वारा, लाइसेंस की किस्म द्वारा, आदि। हालाँकि, उसे उन मानदंडों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करना चाहिए, ताकि खिलाड़ी शीघ्रता से और आसानी से निर्धारित कर सकें कि कब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मानदंड में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल हो, तब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सूची प्रकाशित करनी चाहिए।]

अंतर्राष्ट्रीय मानक: संहिता के समर्थन में वाडा द्वारा अपनाया गया मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूपता (अन्य किसी वैकल्पिक मानक, अभ्यास या पद्धति के अलावा) इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा संबोधित पद्धतियों को सही से पूरा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जारी किसी भी तकनीकी दस्तावेज़ को शामिल किया जाएगा।

प्रमुख प्रतियोगिता संगठन: राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति के महाद्वीपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल संगठन जो किसी महाद्वीपीय, क्षेत्रीय या अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रबंध निकाय के रूप में काम करते हों।

मार्कर: एक यौगिक, यौगिकों या जैविक चर(रों) का समूह जो प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि के उपयोग का संकेत देते हों।

चयापचय: जैवपरिवर्तन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कोई पदार्थ।

नाबालिग: एक प्राकृतिक व्यक्ति जो अट्ठारह वर्ष की आयु तक नहीं पहुँचा हो।

नाडा: राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत

राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी: भारत सरकार द्वारा नियत संस्था जिसके पास राष्ट्रीय स्तर पर एंटी-डोपिंग नियमों को अपनाने और लागू करने, नमूना संग्रह करने का निर्देश देने, परीक्षण परिणामों का प्रबंधन करने, और सुनवाईयों का आयोजन करने का प्रमुख अधिकार और दायित्व है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता: खेल प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय- या राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ी शामिल हों और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता न हो।

राष्ट्रीय खेल संगठन: एक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संस्था जो उस देश या क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के खेल पर शासन का कार्य करने वाली संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की सदस्य हो या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

राष्ट्रीय-स्तर का खिलाड़ी: खिलाड़ी जो परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अनुरूप, प्रत्येक राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिस्पर्धा करते हों। भारत में, राष्ट्रीय-स्तर के खिलाड़ियों को अनुच्छेद 1.4 में बताए अनुसार परिभाषित किया गया है।

राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति: राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति को भारतीय ओलिम्पिक संघ के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति: अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन। राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति शब्द को भारतीय ओलिम्पिक संघ के रूप में संदर्भित और परिभाषित किया गया है, जो देश में राष्ट्रीय खेल महासंघों का कन्फेडेरेशन होता है जहाँ कन्फेडेरेशन एंटी-डोपिंग के क्षेत्र में सामान्य राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति के दायित्वों को ग्रहण कर लेती है।

कोई गलती या लापरवाही नहीं: खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित करना कि उसे नहीं पता चला या संदेह हुआ, और बेहद सावधानी करने के बाद भी यथोचित रूप से नहीं पता लगा सका या सकी या संदेह हुआ, कि उसने प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का उपयोग किया या उसे लिया या अन्यथा एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया। सिवाय नाबालिक के मामले में, अनुच्छेद 2.1 के किसी उल्लंघन के लिए, खिलाड़ी को यह भी स्थापित करना चाहिए कि कैसे प्रतिबंधित पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश कर गया।

कोई महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही नहीं: खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित करना कि परिस्थितियों की संपूर्णता में देखते हुए और कोई गलती या लापरवाही नहीं होने के लिए मानदंड को ध्यान में रखते हुए, उसकी गलती या लापरवाही एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं थी। सिवाय नाबालिग के मामले के, अनुच्छेद 2.1 के किसी उल्लंघन के लिए, खिलाड़ी को यह भी स्थापित करना चाहिए कि कैसे प्रतिबंधित पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश कर गया।

[टिप्पणी: कैनाबिनोइड के लिए, कोई खिलाड़ी यह स्पष्ट रूप से दिखा कर कि उपयोग का संदर्भ खेल प्रदर्शन से असंबंधित था किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के नहीं होने को स्थापित कर सकता है।]

प्रतिस्पर्धा-से-बाहर: ऐसी अवधि जो प्रतिस्पर्धा के दौरान की नहीं हो।

प्रतिभागी: खिलाड़ी या खिलाड़ी सहायता व्यक्ति।

व्यक्ति: एक प्राकृतिक व्यक्ति या एक संगठन या अन्य संस्था।

आधिपत्य: वास्तविक, भौतिक आधिपत्य, या रचनात्मक आधिपत्य (जिसका पता केवल तब चलेगा अगर व्यक्ति के पास विशेष नियंत्रण हो या प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि या परिसरों के ऊपर नियंत्रण करने की इच्छा रखता हो जहाँ प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि मौजूद हो); बशर्ते, हालाँकि, अगर व्यक्ति के पास प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि या परिसरों के ऊपर विशेष नियंत्रण न हो, रचनात्मक आधिपत्य केवल तभी पाया जाएगा अगर व्यक्ति को प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि की उपस्थिती के बारे में पता हो और उसके ऊपर नियंत्रण करने की इच्छा रखता हो। बशर्ते, हालाँकि, केवल आधिपत्य करने के प्रयास के आधार पर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं होगा अगर, किसी प्रकार की अधिसूचना प्राप्त करने से पहले कि व्यक्ति ने एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया है, व्यक्ति ने ठोस कार्यवाही करते हुए यह हुए दिखाया कि व्यक्ति की कभी भी आधिपत्य की इच्छा नहीं थी और उसने एंटी-डोपिंग संगठन को स्पष्ट रूप से घोषित करते हुए कि उसने आधिपत्य का त्याग कर दिया है। इस परिभाषा में किसी भी विपरीत चीज़ पर ध्यान दिये बिना, प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि की खरीद (किसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य विधि सहित) उस व्यक्ति द्वारा आधिपत्य का गठन करती है जिसने वह खरीद की हो।

[टिप्पणी: इस परिभाषा के तहत, खिलाड़ी की कार में पाए जाने वाले स्टेरोइड्स उल्लंघन को स्थापित करेंगे जबतक वह खिलाड़ी यह स्थापित नहीं करता कि किसी अन्य व्यक्ति ने कार का उपयोग किया था; उस परिस्थिति में, एंटी-डोपिंग संगठन को यह स्थापित करना चाहिए कि, हालाँकि खिलाड़ी के पास कार के ऊपर विशेष नियंत्रण नहीं था, खिलाड़ी को स्टेरोइड्स के बारे में पता था और स्टेरोइड्स के ऊपर नियंत्रण की इच्छा थी। इसी प्रकार से, खिलाड़ी और उसकी पत्नी/पति के संयुक्त नियंत्रण के तहत घरेलू दवा के कैबिनेट में पाए गए स्टेरोइड्स के उदाहरण में, एंटी-डोपिंग संगठन को स्थापित करना चाहिए कि खिलाड़ी को पता था कि स्टेरोइड्स कैबिनेट में थे और कि खिलाड़ी स्टेरोइड्स के ऊपर नियंत्रण रखने की इच्छा रखता था। प्रतिबंधित पदार्थ को खरीदने का काम ही आधिपत्य को स्थापित करता है, यहाँ तक कि जहाँ, उदाहरण के लिए, उत्पाद नहीं पहुँचा हो, किसी अन्य द्वारा प्राप्त किया गया हो, या किसी तीसरे पक्ष के पते पर भेजा गया हो।

प्रतिबंधित सूची: प्रतिबंधित पदार्थों और प्रतिबंधित विधियों की पहचान करती सूची।

प्रतिबंधित पदार्थ: प्रतिबंधित सूची पर उल्लिखित कोई विधि।

प्रतिबंधित पदार्थ: प्रतिबंधित सूची पर उल्लिखित कोई पदार्थ, या पदार्थों की श्रेणी।

अस्थायी सुनवाई: अनुच्छेद 7.9 के उद्देश्यों के लिए, अनुच्छेद 8 के तहत सुनवाई से पूर्व होने वाली शीघ्र संक्षिप्त सुनवाई जिसमें खिलाड़ी को या तो लिखित या मौखिक रूप में सुनवाई का अवसर देने की सूचना दी जाती है।

[टिप्पणी: अस्थायी सुनवाई केवल प्रारम्भिक कार्यवाही होती है, जिसमें मामले के तथ्यों की पूर्ण समीक्षा शामिल नहीं हो सकती है। अस्थायी सुनवाई के बाद, खिलाड़ी को मामले की योग्यताओं पर बाद में पूर्ण सुनवाई का अधिकार होता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 7.9 में उपयोग किया गया शब्द "शीघ्र सुनवाई", एक पूर्ण सुनवाई होती है जिसे निर्धारित समय से पहले योग्यताओं के आधार पर आयोजित किया जाता है।]

अस्थायी निलंबन: ऊपर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणाम देखिये।

सार्वजनिक तौर पर प्रकटीकरण या सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट: ऊपर एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के परिणाम देखिये।

पूर्वव्यापी टीयूई: जैसा चिकित्सकीय उपयोग छूट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में परिभाषित है।

पंजीकृत परीक्षण पूल: अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय एंटीडोपिंग संगठनों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अलग से स्थापित अधिकतम प्राथमिकता वाले खिलाड़ियों का पूल, जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के या राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संगठन के परीक्षण वितरण योजना के हिस्से के रूप में प्रतिस्पर्धा-में और प्रतिस्पर्धा-से-बाहर केन्द्रित परीक्षण के अधीन हैं और इसलिए उन्हें संहिता के अनुच्छेद 5.6 और परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में प्रदान किए अनुसार ठिकाने की जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत है।

नमूना या प्रतिरूप: डोपिंग नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए संग्रहीत कोई जैविक सामग्री।

[टिप्पणी: कभी-कभार दावा किया गया है कि रक्त के नमूने का संग्रह कुछ विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक समूहों की रीतियों का उल्लंघन करता है। यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे किसी दावे के लिए कोई आधार नहीं होता।]

हस्ताक्षरकर्ता: जैसा कि संहिता के अनुच्छेद 23 में प्रदान किया गया है, वे संस्थाएं जो संहिता पर हस्ताक्षर करती हैं और संहिता के साथ अनुपालन करने के लिए सहमत हों।

विनिर्दिष्ट पदार्थ: अनुच्छेद 4.2.2 देखें।

कठोर दायित्व: वह नियम, जो प्रदान करता है कि अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद 2.2 के तहत, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा खिलाड़ी की इच्छा, गलती, लापरवाही, या ज्ञान को दर्शाया जाए।

ठोस सहायता: अनुच्छेद 10.6.1 के उद्देश्यों के लिए, ठोस सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को: (1) एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों के संबंध में उसके आधिपत्य में सभी जानकारी को हस्ताक्षरित लिखित कथन में पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहिए, और (2) उस जानकारी से संबंधित किसी मामले की जाँच और न्यायिक निर्णय के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए, जिसमें, उदाहरण के लिए, एंटी-डोपिंग संगठन या सुनवाई पैनल द्वारा ऐसा करने के अनुरोध के लिए सुनवाई पर गवाही प्रस्तुत करना शामिल होना चाहिए। आगे, प्रदान की गई जानकारी विश्वसनीय होनी चाहिए और उसमें शुरू किए गए किसी मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होना चाहिए, या, अगर कोई मामला शुरू नहीं किया गया हो, एक ऐसा पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए जिसके ऊपर मामले को लाया जा सकता हो।

छेडछाड: अनुचित उद्देश्य के लिए या अनुचित तरीके से बदलना; सहन करने के लिए अनुचित प्रभाव लाना; अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना; रुकावट डालना, गुमराह करना या परिणामों को बदलने या सामान्य पद्धतियों को होने से रोकने के लिए धोखाधड़ी करना।

लक्ष्य परीक्षण: परीक्षण और जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में निर्धारित मानदंड के आधार पर परीक्षण के लिए विशिष्ट खिलाड़ियों का चयन।

टीम खेल: एक खेल जिसमें प्रतिस्पर्धा के दौरान खिलाड़ियों की अदला-बदली की अनुमति होती है।

परीक्षण: डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के वे हिस्से जिनमें परीक्षण वितरण योजना, नमूना संग्रह, नमूना संभालना, और प्रयोगशाला तक नमूना पहुँचना शामिल होता है।

तस्करी: किसी खिलाड़ी, खिलाड़ी सहायता कर्मी या एंटी-डोपिंग संगठन के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे पक्ष को प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि (या तो भौतिक रूप से या किसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके द्वारा) बेचना, देना, पहुँचाना, भेजना, डिलीवर करना या वितरण करना (या अन्य किसी उद्देश्य के लिए आधिपत्य रखना); बशर्ते, हालाँकि, इस परिभाषा में सही और कानूनी चिकित्सकीय उद्देश्यों या अन्य स्वीकार्य औचित्य के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का उपयोग करने वाले प्रामाणिक चिकित्सा कर्मियों के कार्य शामिल नहीं किए जाएंगे और उन कार्यों को शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें वे प्रतिबंधित पदार्थ शामिल होंगे जो प्रतिस्पर्धा-से-बाहर प्रतिबंधित नहीं हों जबतक संपूर्ण परिस्थितियां यह न प्रदर्शित करें कि ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ सही और कानूनी चिकित्सकीय उद्देश्यों का इरादा नहीं रखते या खेल प्रदर्शन में विस्तार का इरादा रखते हैं।

टीयूई: अनुच्छेद 4.4 में उल्लिखित अनुसार, चिकित्सकीय उपयोग छूट।

टीयूईसी: नाडा द्वारा स्थापित टीयूई समिति।

युनेस्को कन्वेन्शन: 19 अक्तूबर 2005 को युनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के 33वें सत्र द्वारा अपनाया गया खेल में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन जिसमें कन्वेंशन के सदस्य देशों और खेल में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों के सम्मेलन द्वारा अपनाए गए किसी भी और सभी संशोधनों सहित।

उपयोग: किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित विधि का किसी भी तरीके से उपयोग, प्रयोज्यता, अंतर्ग्रहण, भीतर डालना या उपभोग करना।

वाडा: विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी।

[टिप्पणी: परिभाषित शब्दों में उनके बहुवचन और स्वामिगत रूप के साथ-साथ भाषण के अन्य हिस्सों के रूप में उपयोग आने वाले वे शब्द हैं]।

परिशिष्ट 2 अनुच्छेद 10 की प्रयोज्यता के उदाहरण

उदाहरण 1

तथ्य: प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा-में परीक्षण में एनाबॉलिक स्टेरोइड की उपस्थिती के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है (अनुच्छेद 2.1); खिलाड़ी तुरंत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्वीकार करता है; खिलाड़ी किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के नहीं होने को स्थापित करता है; और खिलाड़ी ठोस सहायता प्रदान करता है।

परिणामों की प्रयोज्यता:

1. आरंभिक बिंदु अनुच्छेद 10.2 होगा। क्योंकि यह माना जाता है कि खिलाड़ी की कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं थी वह पर्याप्त रूप से पुष्टि करने वाला सबूत होगा (अनुच्छेद 10.2.1.1 और 10.2.3) कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था, इस प्रकार अपात्रता की अवधि दो वर्ष होगी, चार वर्ष नहीं (अनुच्छेद 10.2.2)।

2. दूसरे कदम में, पैनल विश्लेषण करेगा यदि गलती से संबंधित कटौतियाँ (अनुच्छेद 10.4 और 10.5) लागू होती हैं। कोई महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही नहीं के आधार पर (अनुच्छेद 10.5.2) क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरोइड विनर्दिष्ट पदार्थ नहीं होता, प्रतिबंधों की प्रयोज्य सीमा दो कर्ष से एक वर्ष तक कम कर दी जाएगी दो वर्ष प्रतिबंध का कम से कम आधा)। पैनल तब खिलाड़ी की गलती की सीमा के आधार पर इस सीमा के अंदर अपात्रता की प्रयोज्य अवधि का निर्धारण करेगा। (इस उदाहरण में व्याख्या के उद्देश्यों के लिए मान लीजिये कि पैनल अन्यथा 16 माह की अपात्रता की अवधि का अधिरोपण करेगा।)

3. तीसरे कदम में, पैनल अनुच्छेद 10.6 (गलती से असंबंधित कटौतियाँ) के तहत निलंबन या कटौती के लिए संभावना का आकलन करेगा। इस मामले में, केवल अनुच्छेद 10.6.1 (ठोस सहायता) लागू होता है। (अनुच्छेद 10.6.3, तुरंत स्वीकारोक्ति, प्रयोज्य नहीं होती क्योंकि अपात्रता की अवधि अनुच्छेद 10.6.3 में निर्धारित न्यूनतम से पहले ही दो वर्ष कम है।) ठोस सहायता के आधार पर, अपात्रता की अवधि को 16 माह के तीन-चौथाई तक निलंबित किया जा सकता है। *इस प्रकार अपात्रता की न्यूनतम अवधि चार माह होगी। (इस उदाहरण में व्याख्या के लिए मान लीजिये कि पैनल दस माह का निलंबन करता है और अपात्रता की अवधि इस प्रकार छह माह होगी।)

4. अनुच्छेद 10.11 के तहत, अपात्रता की अवधि, सैद्धांतिक रूप से, अंतिम सुनवाई पर निर्णय की तिथि पर आरंभ होती है। हालाँकि, क्योंकि खिलाड़ी ने तुरंत एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन को स्वीकार कर लिया, अपात्रता की अवधि शीघ्र से शीघ्र नमूना संग्रह की तिथि से आरंभ हो सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खिलाड़ी को सुनवाई पर निर्णय की तिथि (अनुच्छेद 10.11.2) के बाद अपात्रता अवधि (अर्थात, तीन माह) की कम से कम आधी अवधि को भुगतना होगा।

5. क्योंकि प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा में प्राप्त किया गया था, पैनल को अपने आप ही उस प्रतिस्पर्धा में प्राप्त परिणाम को अयोग्य ठहरा देगा (अनुच्छेद 9)।

6. अनुच्छेद 10.8 के अनुसार, नमूना संग्रह की तिथि के बाद अपात्रता की अवधि के आरंभ होने तक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त सभी परिणाम भी अयोग्य ठहराए जाएंगे जबतक निष्पक्षता द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं हो।

7. अनुच्छेद 14.3.2 में संदर्भित जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना चाहिए, जबतक खिलाड़ी नाबालिग नहीं हो, क्योंकि यह प्रत्येक प्रतिबंध का एक अनिवार्य हिस्सा होता है (अनुच्छेद 10.13)।

8. खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि (अनुच्छेद 10.12.1) के दौरान खिलाड़ी को किसी हस्ताक्षरकर्ता या उसके सहयोगी संगठनों के अधिकार के तहत किसी प्रतिस्पर्धा या अन्य खेल संबंधित गतिविधि में किसी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, खिलाड़ी टीम के साथ प्रशिक्षण करने या हस्ताक्षरकर्ता के क्लब या अन्य सदस्य संगठन या उसके सहयोगी संगठनों की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसी भी कम अवधि के दौरान वापस आ सकता है: (क) खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि के अंतिम दो माह, या (ख) अपात्रता की अधिरोपित अवधि की अंतिम एक-चौथाई अवधि (अनुच्छेद 10.12.2)। इस प्रकार, खिलाड़ी को अपात्रता की अवधि के अंत से डेड माह पहले प्रशिक्षण पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

उदाहरण 2

तथ्य: प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा-में परीक्षण उत्तेजक पदार्थ जो एक विनिर्दिष्ट पदार्थ हो उसकी उपस्थिती के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है (अनुच्छेद 2.1); एंटी-डोपिंग संगठन यह स्थापित करने में समर्थ हो कि खिलाड़ी ने जानबूझकर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन किया; खिलाड़ी यह स्थापित नहीं कर पाता हो कि प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग खेल प्रदर्शन से असंबंधित संदर्भ में प्रतिस्पर्धा-से-बाहर किया गया था; खिलाड़ी एंटी-डोपिंग नियम के कथित उल्लंघन को तुरंत स्वीकार नहीं करता है; खिलाड़ी वाकई ठोस सहायता प्रदान करता है।

परिणामों की प्रयोज्यता:

1. आरंभिक बिंदु अनुच्छेद 10.2 होगा क्योंकि एंटी-डोपिंग संगठन यह स्थापित कर सकता है कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन जानबूझकर किया गया था और खिलाड़ी यह स्थापित करने में असमर्थ रहता है कि पदार्थ की अनुमति प्रतिस्पर्धा-से-बाहर दी गई थी और उपयोग खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन (अनुच्छेद 10.2.3) से असंबंधित था, अपात्रता की अवधि चार वर्ष होगी (अनुच्छेद 10.2.1.2)।

2. क्योंकि उल्लंघन जानबूझकर किया गया था, गलती पर आधारित कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है (अनुच्छेद 10.4 और 10.5 की प्रयोज्यता नहीं)। ठोस सहायता के आधार पर, प्रतिबंध को चार वर्ष की तीन-चौथाई अवधि तक निलंबित किया जा सकता है। *इस प्रकार अपात्रता की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी।

3. अनुच्छेद 10.11 के तहत, अपात्रता की अवधि अंतिम सुनवाई पर निर्णय की तिथि से आरंभ होगी।

4. क्योंकि प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा में प्राप्त किया गया था, पैनल को अपने आप ही उस प्रतिस्पर्धा में प्राप्त परिणाम को अयोग्य ठहरा देगा।

5. अनुच्छेद 10.8 के अनुसार, नमूना संग्रह की तिथि के बाद अपात्रता की अवधि के आरंभ होने तक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त सभी परिणाम भी अयोग्य ठहराए जाएंगे जबतक निष्पक्षता द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं हो।

6. अनुच्छेद 14.3.2 में संदर्भित जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना चाहिए, जबतक खिलाड़ी नाबालिग नहीं हो, क्योंकि यह प्रत्येक प्रतिबंध का एक अनिवार्य हिस्सा होता है (अनुच्छेद 10.13)।

7. खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि (अनुच्छेद 10.12.1) के दौरान खिलाड़ी को किसी हस्ताक्षरकर्ता या उसके सहयोगी संगठनों के अधिकार के तहत किसी प्रतिस्पर्धा या अन्य खेल संबंधित गतिविधि में किसी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, खिलाड़ी टीम के साथ प्रशिक्षण करने या हस्ताक्षरकर्ता के क्लब या अन्य सदस्य संगठन या उसके सहयोगी संगठनों की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसी भी कम अवधि के दौरान वापस आ सकता है: (क) खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि के अंतिम दो माह, या (ख) अपात्रता की अधिरोपित अवधि की अंतिम एक-चौथाई अवधि (अनुच्छेद 10.12.2)। इस प्रकार, खिलाड़ी को अपात्रता की अवधि के अंत से दो माह पहले प्रशिक्षण पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

उदाहरण 3

तथ्य: प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा-से-बाहर परीक्षण में एनाबॉलिक स्टेरोइड की उपस्थिती के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है (अनुच्छेद 2.1); खिलाड़ी किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के नहीं होने को स्थापित करता है; खिलाड़ी यह भी स्थापित करता है कि प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष संदूषित उत्पाद के कारण प्राप्त हुआ।

परिणामों की प्रयोज्यता:

1. आरंभिक बिंदु अनुच्छेद 10.2 होगा क्योंकि खिलाड़ी पक्के सबूत के माध्यम से स्थापित कर सकता है कि उसने जानबूझकर एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं किया, अर्थात संदूषित उत्पाद के उपयोग में उसकी कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं थी (अनुच्छेद 10.2.1 और 10.2.3), अपात्रता की अवधि दो वर्ष होगी (अनुच्छेद 10.2.2)।

2. दूसरे कदम में, पैनल विश्लेषण करेगा यदि गलती से संबंधित कटौतियाँ (अनुच्छेद 10.4 और 10.5) लागू होती हैं। दूसरे कदम में, पैनल कटौतियों के लिए गलती से संबंधित संभावनाओं का विश्लेषण करेगा (अनुच्छेद 10.4 और 10.5)। क्योंकि खिलाड़ी स्थापित कर सकता है कि एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन संदूषित उत्पाद के कारण हुआ था और कि उसने अनुच्छेद 10.5.1.2 के आधार पर बिना किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के काम किया,

अपात्रता की अवधि के लिए प्रयोज्य सीमा को दो वर्ष की सीमा तक फटकार के लिए कम कर दिया जाएगा। पैनल तब खिलाड़ी की गलती की सीमा के आधार पर इस सीमा के अंदर अपात्रता की प्रयोज्य अवधि का निर्धारण करेगा। (इस उदाहरण में व्याख्या के उद्देश्यों के लिए मान लीजिये कि पैनल अन्यथा 16 माह की अपात्रता की अवधि का अधिरोपण करेगा।)

3. अनुच्छेद 10.8 के अनुसार, नमूना संग्रह की तिथि के बाद अपात्रता की अवधि के आरंभ होने तक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त सभी परिणाम अयोग्य ठहराए जाएंगे जबतक निष्पक्षता द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं हो।

4. अनुच्छेद 14.3.2 में संदर्भित जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना चाहिए, जबतक खिलाड़ी नाबालिग नहीं हो, क्योंकि यह प्रत्येक प्रतिबंध का एक अनिवार्य हिस्सा होता है (अनुच्छेद 10.13)।

5. खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि (अनुच्छेद 10.12.1) के दौरान खिलाड़ी को किसी हस्ताक्षरकर्ता या उसके सहयोगी संगठनों के अधिकार के तहत किसी प्रतिस्पर्धा या अन्य खेल संबंधित गतिविधि में किसी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, खिलाड़ी टीम के साथ प्रशिक्षण करने या हस्ताक्षरकर्ता के क्लब या अन्य सदस्य संगठन या उसके सहयोगी संगठनों की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसी भी कम अवधि के दौरान वापस आ सकता है: (क) खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि के अंतिम दो माह, या (ख) अपात्रता की अधिरोपित अवधि की अंतिम एक-चौथाई अवधि (अनुच्छेद 10.12.2)। इस प्रकार, खिलाड़ी को अपात्रता की अवधि के अंत से एक माह पहले प्रशिक्षण पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

उदाहरण 4

<u>तथ्य:</u> एक खिलाड़ी जिसके लिए कभी भी प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष नहीं निकला या अनायास ही एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का सामना नहीं करना पड़ा स्वीकार करता हो कि उसने अपने प्रदर्शन में विस्तार के लिए एनाबॉलिक स्टेरोइड का उपयोग किया। खिलाड़ी ठोस सहायता भी प्रदान करता है।

<u>परिणामों की प्रयोज्यता:</u>

1. क्योंकि उल्लंघन जानबूझकर किया गया था, अनुच्छेद 10.2.1 प्रयोज्य होगा और अपात्रता की मूल अवधि चार वर्ष अधिरोपित की जाएगी।

2. अपात्रता की अवधि की गलती संबंधित कटौतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता (अनुच्छेद 10.4 और 10.5 की प्रयोज्यता नहीं)।

3. खिलाड़ी की तुरंत स्वीकृति के आधार पर (अनुच्छेद 10.6.2) ही केवल, अपात्रता की अवधि को चार वर्ष से आधा किया जा सकता है। खिलाड़ी की ठोस सहायता के आधार पर (अनुच्छेद 10.6.1) ही केवल, अपात्रता की अवधि को चार वर्ष के तीन-चौथाई तक निलंबित किया जा सकता है। *अनुच्छेद 10.6.4 के तहत, तुरंत स्वीकृति और ठोस सहायता पर एक साथ विचार करते हुए, प्रतिबंध को अधिक से अधिक चार वर्ष के तीन-चौथाई तक कम या निलंबित किया जाएगा। अपात्रता की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी।

4. अपात्रता की अवधि, सैद्धांतिक रूप से, अंतिम सुनवाई पर निर्णय के दिन से आरंभ होगी (अनुच्छेद 10.11)। अगर अपात्रता की अवधि की कटौती में तुरंत स्वीकृति को ध्यान में रखा जाए, अनुच्छेद 10.11.2 के तहत अपात्रता की अवधि की शीघ्र शुरुआत की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान किसी खिलाड़ी को एक जैसी परिस्थितियों से दो बार लाभ लेने से रोकता है। हालाँकि, अगर अपात्रता की अवधि को केवल ठोस सहायता के आधार पर निलंबित किया गया था, अनुच्छेद 10.11.2 को तब भी लागू किया जा सकता है, और अपात्रता की अवधि को खिलाड़ी द्वारा एनाबॉलिक सेटरोइड के अंतिम उपयोग से आरंभ किया जाता है।

5. अनुच्छेद 10.8 के अनुसार, एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन की तिथि के बाद अपात्रता की अवधि के आरंभ होने तक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त सभी परिणाम अयोग्य ठहराए जाएंगे जब तक निष्पक्षता द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं हो।

6. अनुच्छेद 14.3.2 में संदर्भित जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना चाहिए, जबतक खिलाड़ी नाबालिग नहीं हो, क्योंकि यह प्रत्येक प्रतिबंध का एक अनिवार्य हिस्सा होता है (अनुच्छेद 10.13)।

7. खिलाड़ी को उसकी अपात्रता की अवधि के दौरान किसी हस्ताक्षरकर्ता या उसके सहयोगी संगठनों के अधिकार के तहत किसी प्रतिस्पर्धा या अन्य खेल संबंधित गतिविधि में किसी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। हालाँकि, खिलाड़ी टीम के साथ प्रशिक्षण करने या हस्ताक्षरकर्ता के क्लब या अन्य सदस्य संगठन या उसके सहयोगी संगठनों की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसी भी कम अवधि के दौरान वापस आ सकता है: (क) खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि के अंतिम दो माह, या (ख) अपात्रता की अधिरोपित अवधि की अंतिम एक-चौथाई अवधि (अनुच्छेद 10.12.2)। इस प्रकार, खिलाड़ी को अपात्रता की अवधि के अंत से दो माह पहले प्रशिक्षण पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

उदाहरण 5

<u>तथ्य:</u>

एक खिलाड़ी सहायता कर्मी खिलाड़ी पर अधिरोपित अपात्रता की अवधि में गतिरोध पैदा करने में सहायता करने के लिए एक झूठे नाम के तहत उसे प्रतिस्पर्धा में उतारने का प्रयास करता है। खिलाड़ी सहायता कर्मी एंटी-डोपिंग संगठन द्वारा एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए अधिसूचित किए जाने से पहले तुरंत एंटी-डोपिंग नियम के इस उल्लंघन (अनुच्छेद 2.9) के साथ सामने आ जाता है।

<u>परिणामों की प्रयोज्यता:</u>

1. अनुच्छेद 10.3.4 के अनुसार, उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए, अपात्रता की अवधि दो से लेकर चार वर्ष तक होगी। (इस उदाहरण में व्याख्या के उद्देश्यों के लिए मान लीजिये कि पैनल अन्यथा तीन वर्ष की अपात्रता की अवधि का अधिरोपण करेगा।)

2. गलती संबंधित कटौतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता क्योंकि इरादा अनुच्छेद 2.9 में एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन का है (अनुच्छेद 10.5.2 के लिए टिप्पणी देखें)।

3. अनुच्छेद 10.6.2 के अनुसार, बशर्ते स्वीकृति ही केवल विश्वसनीय सबूत हो, अपात्रता की अवधि को आधे तक कम किया जा सकता है। (इस उदाहरण में व्याख्या के उद्देश्यों के लिए मान लीजिये कि पैनल 18 माह की अपात्रता की अवधि का अधिरोपण करेगा।)

4. अनुच्छेद 14.3.2 में संदर्भित जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना चाहिए, जब तक खिलाड़ी नाबालिग नहीं हो, क्योंकि यह प्रत्येक प्रतिबंध का एक अनिवार्य हिस्सा होता है (अनुच्छेद 10.13)।

उदाहरण 6

<u>तथ्य:</u> एक खिलाड़ी के ऊपर एंटी-डोपिंग नियम के पहले उल्लंघन के लिए 14 माह की अपात्रता की अवधि का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें से ठोस सहायता के कारण चार माह को निलंबित कर दिया गया। अब, खिलाड़ी एक ऐसे उत्तेजक पदार्थ की उपास्थि के कारणवश एंटी-डोपिंग का दूसरा उल्लंघन करता है जो प्रतिस्पर्धा-में परीक्षण में विनिर्दिष्ट पदार्थ नहीं है (अनुच्छेद 2.1); खिलाड़ी किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही का नहीं होना स्थापित करता है; और

खिलाड़ी ने ठोस सहायता प्रदान की। अगर वह पहला उल्लंघन होता, पैनल 16 माह की अपात्रता की अवधि के साथ खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाएगा और ठोस सहायता के लिए छह माह निलंबित करेगा।

परिणामों की प्रयोज्यता:

1. अनुच्छेद 10.7 एंटी-डोपिंग नियम के दूसरे उल्लंघन के लिए प्रयोज्य होता है क्योंकि अनुच्छेद 10.7.4.1 और अनुच्छेद 10.7.5 लागू होते हैं।

2. अनुच्छेद 10.7.1 के तहत, अपात्रता की अवधि निम्न में से एक से अधिक होगी:

क) छह माह;

ख) अनुच्छेद 10.6 के तहत बिना किसी कटौती को ध्यान में रखते हुए एंटी-डोपिंग नियम के पहले उल्लंघन के लिए अधिरोपित अयोग्यता की आधी अवधि (इस उदाहरण में, वह 14 माह के आधे के बराबर होगी, जो सात माह है); या

ग) अयोग्यता की दुगनी अवधि जो अन्य प्रकार से एंटी-डोपिंग नियम के दूसरे उल्लंघन पर लागू होती है लेकिन जिसे पहला उल्लंघन माना जाता है, अनुच्छेद 10.6 तहत किसी कटौती को ध्यान में रखे बिना। (इस उदाहरण में, वह 16 माह से दुगने के बराबर होगी, जो 32 माह है)।

इस प्रकार, दूसरे उल्लंघन के लिए अपात्रता की अवधि (क), (ख) और (ग) का अधिक होगी, जो 32 माह की अपात्रता की अवधि है।

3. अगले कदम में, पैनल अनुच्छेद 10.6 (गलती से असंबंधित कटौतियाँ) के तहत निलंबन या कटौती के लिए संभावना का आकलन करेगा। दूसरे उल्लंघन के मामले में, केवल अनुच्छेद 10.6.1 (ठोस सहायता) लागू होता है। ठोस सहायता के आधार पर, अपात्रता की अवधि को 32 माह के तीन-चौथाई तक निलंबित किया जा सकता है। *इस प्रकार अपात्रता की न्यूनतम अवधि आठ माह होगी। (इस उदाहरण में व्याख्या के लिए मान लीजिये कि पैनल ठोस सहायता के लिए अपात्रता की अवधि के आठ माह को निलंबित करता है, इस प्रकार दो वर्ष की अधिरोपित अपात्रता की अवधि कम करते हुए।)

4. क्योंकि प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रतिस्पर्धा में प्राप्त किया गया था, पैनल को अपने आप ही उस प्रतिस्पर्धा में प्राप्त परिणाम को अयोग्य ठहरा देगा।

5. अनुच्छेद 10.8 के अनुसार, नमूना संग्रह की तिथि के बाद अपात्रता की अवधि के आरंभ होने तक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त सभी परिणाम भी अयोग्य ठहराए जाएंगे जबतक निष्पक्षता द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं हो।

6. अनुच्छेद 14.3.2 में संदर्भित जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाना चाहिए, जबतक खिलाड़ी नाबालिग नहीं हो, क्योंकि यह प्रत्येक प्रतिबंध का एक अनिवार्य हिस्सा होता है (अनुच्छेद 10.13)।

7. खिलाड़ी को उसकी अपात्रता की अवधि के दौरान किसी हस्ताक्षरकर्ता या उसके सहयोगी संगठनों के अधिकार के तहत किसी प्रतिस्पर्धा या अन्य खेल संबंधित गतिविधि में किसी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। हालाँकि, खिलाड़ी टीम के साथ प्रशिक्षण करने या हस्ताक्षरकर्ता के क्लब या अन्य सदस्य संगठन या उसके सहयोगी संगठनों की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसी भी कम अवधि के दौरान वापस आ सकता है: (क) खिलाड़ी की अपात्रता की अवधि के अंतिम दो माह, या (ख) अपात्रता की अधिरोपित अवधि की अंतिम एक-चौथाई अवधि (अनुच्छेद 10.12.2)। इस प्रकार, खिलाड़ी को अपात्रता की अवधि के अंत से पहले दो माह के प्रशिक्षण के लिए वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

*असाधारण परिस्थितियों में वाडा की स्वीकृति के ऊपर, ठोस सहायता के लिए अपात्रता की अवधि का अधिकतम निलंबन तीन-चौथाई से अधिक हो सकता है, और रिपोर्ट करने और प्रकाशन करने में देरी की जा सकती है।

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2015

F. No. 21-4/2008-ID.—In terms of Resolution No.21-4/2008-ID dated 31st December, 2008 of Ministry of Youth Affairs and Sports notified vide Extraordinary Gazette of India Part-1, Section 2 on January 6, 2009, National Anti-Doping Agency (NADA) is the primary authority in India to, inter-alia, adopt and implement anti-doing rules in India.

National Anti-Doping Agency (NADA has formulated its Anti-Doping Rules 2015 based on World Anti-Doping Agency (WADA) code 2015, inter-alia, laying down the conditions for Athletes and Athlete support personnel for participation in Sports events as also the manner of collection of samples for dope tests, management of Test Results and conduct of disciplinary proceedings at national level. These rules are in replacement of NADA Anti-Doping Rules dated 31.12.2008 and 5.2.2010.

In supersession of NADA Anti-Doping Rules dated 31.12.2008 and 05.02.2010, NADA Anti-Doping Rules 2015 are hereby notified. NADA Anti-Doping Rules 2015 will apply to whole of India and would be deemed to have come into operation w.e.f. 01.01.2015.

ONKARMAL KEDIA, Jt. Secy.

NATIONAL ANTI DOPING RULES, INDIA

NADA ANTI-DOPING RULES-2015

(BASED ON WADA CODE 2015)

INTRODUCTION

Preface

National Anti Doping Agency was established by Government of India as a Registered Society in 2005 under the Society Registration Act XXI 1860.

On 7thMarch, 2008, the National Anti Doping Agency, India (NADA) accepted the World Anti-Doping Code. These Anti-Doping Rules are adopted and implemented in accordance with NADA's responsibilities under the *Code*, and in furtherance of NADA's continuing efforts to eradicate doping in sport in India. Following the amendments in the WADA Code 2009, the revised WADA Code of 2015 has been accepted and amended by NADA in conformity with the Code 2015. These Anti-Doping Rules shall be effective as NADA's Anti-Doping Rules 2015 from 1st January, 2015.

These Anti-Doping Rules are rules governing the conditions under which sport is played. Aimed at enforcing anti-doping principles in a global and harmonized manner, they are distinct in nature from criminal and civil laws, and are not intended to be subject to or limited by any national requirements and legal standards applicable to criminal or civil proceedings. When reviewing the facts and the law of a given case, all courts, arbitral tribunals and other adjudicating bodies should be aware of and respect the distinct nature of these Anti-Doping Rules implementing the Code and the fact that these rules represent the consensus of a broad spectrum of stakeholders around the world as to what is necessary to protect and ensure fair sport.

Fundamental Rationale for the *Code* and NADA's Anti-Doping Rules

Anti-doping programs seek to preserve what is intrinsically valuable about sport. This intrinsic value is often referred to as "the spirit of sport". It is the essence of Olympism; the pursuit of human excellence through the dedicated perfection of each person's natural talents. It is how we play true. The spirit of sport is the celebration of the human spirit, body and mind, and is reflected in values we find in and through sport, including:

- Ethics, fair play and honesty
- Health
- Excellence in performance
- Character and education
- Fun and joy
- Teamwork
- Dedication and commitment
- Respect for rules and laws
- Respect for self and other *Participants*
- Courage
- Community and solidarity

Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport.

The National Anti-Doping Program

The National Anti-Doping Agency was established by the Government of India with the objective of acting as the independent *National Anti-Doping Organization* for India. As such, NADA has the necessary authority and responsibility for:

- Planning, coordinating, implementing, monitoring and advocating improvements in *Doping Control*;
- Cooperating with other relevant national organizations, agencies and other *Anti-Doping Organizations*;
- Encouraging reciprocal *Testing* between *National Anti-Doping Organizations*;
- Planning, implementing and monitoring anti-doping information, education and prevention programs;
- Promoting anti-doping research;
- Vigorously pursuing all potential anti-doping rule violations within its jurisdiction, including investigating whether *Athlete Support Personnel* or other *Persons* may have been involved in each case of doping, and ensuring proper enforcement of *Consequences*;
- Conducting an automatic investigation of *Athlete Support Personnel* within its jurisdiction in the case of any anti-doping rule violation by a *Minor* and of any *Athlete Support Personnel* who has provided support to more than one *Athlete* found to have committed an anti-doping rule violation;
- Cooperating fully with *WADA* in connection with investigations conducted by *WADA* pursuant to Article 20.7.10 of the *Code*; and
- Where funding is provided, withholding some or all funding to an *Athlete* or *Athlete Support Personnel* while he or she is serving a period of *Ineligibility* for violation of anti-doping rules.

[Comment:It is intended that there should be a National Anti-Doping Organization in each country, and that the National Anti-Doping Organization should be independent in operational decisions and activities from all public and sports movement bodies. The principle of independence underpins anti-doping programs worldwide and ensures the integrity of the anti-doping work].

Scope of these Anti-Doping Rules

The scope of application of these Anti-Doping Rules is set out in Article 1.

ARTICLE 1 APPLICATION OF ANTI-DOPING RULES

1.1 Application to NADA

These Anti-Doping Rules shall apply to NADA.

1.2 Application to *National Federations*

1.2.1 As a condition of receiving financial and/or other assistance from the Government of India and/or the *National Olympic Committee* of India, each *National Federation* of India shall accept and abide by the spirit and terms of India's National Anti-Doping Program and these Anti-Doping Rules, and shall incorporate these Anti-Doping Rules either directly or by reference into their governing documents, constitution and/or rules as part of the rules of sport that bind their members and *Participants*.

[Comment to Article 1.2.1: NADA shall work cooperatively with its Government and National Olympic Committee to ensure that recognition of NADA and acceptance and application of these Anti-Doping Rules represents a pre-condition to a National Federation's receipt of any financial and/or other assistance from the Government and/or the National Olympic Committee.]

1.2.2 By adopting these Anti-Doping Rules, and incorporating them into their governing documents and rules of sport, *National Federations* recognize the authority and responsibility of NADA for implementing the National Anti-Doping Program and enforcing these Anti-Doping Rules (including carrying out *Testing*) in respect of all of the *Persons* listed in Article 1.3 below who are under the jurisdiction of the *National Federation*, and shall cooperate with and support NADA in that function. They shall also recognize, abide by and give effect to the decisions made pursuant to these Anti-Doping Rules, including the decisions of hearing panels imposing sanctions on individuals under their jurisdiction.

1.3 Application to *Persons*

1.3.1 These Anti-Doping Rules shall apply to the following *Persons* (including *Minors*), in each case, whether or not such *Person* is a national of or resident in India:

1.3.1.1 All *Athletes* and *Athlete Support Personnel* who are members or license-holders of any *National Federation* in India, or of any member or affiliate organization of any *National Federation* in India(including any clubs, teams, associations or leagues);

1.3.1.2 All *Athletes* and *Athlete Support Personnel* who participate in such capacity in *Events*, *Competitions* and other activities organized, convened, authorized or recognized by any *National Federation* in India, or by any member or affiliate organization of any *National Federation* in India(including any clubs, teams, associations or leagues), wherever held;

1.3.1.3 any other *Athlete* or *Athlete Support Person* or other *Person* who, by virtue of an accreditation, a license or other contractual arrangement, or otherwise, is subject to the jurisdiction of any *National Federation* in India, or of any member or affiliate organization of any *National Federation* in India(including any clubs, teams, associations or leagues), for purposes of anti-doping;

1.3.1.4 All *Athletes* and *Athlete Support Personnel* who participate in any capacity in any activity organized, held, convened or authorized by the organizer of a *National Event* or of a national league that is not affiliated with a *National Federation*; and

[Comment to Article 1.3.1: These organizing bodies shall be incorporated into the national anti-doping program.]

1.3.1.5 All *Athletes* who do not fall within one of the foregoing provisions of this Article 1.3.1 but who wish to be eligible to participate in *International Events* or *National Events* (and such *Athletes* must be available for testing under these Anti-Doping Rules for at least six months before they will be eligible for such *Events*).

1.3.2 These Anti-Doping Rules shall also apply to all other *Persons* over whom the *Code* gives NADA jurisdiction, including all *Athletes* who are nationals of or resident in India, and all *Athletes* who are present in India, whether to compete or to train or otherwise.

1.3.3 *Persons* falling within the scope of Article 1.3.1 or 1.3.2 are deemed to have accepted and to have agreed to be bound by these Anti-Doping Rules, and to have submitted to the authority of NADA to enforce these Anti-Doping Rules and to the jurisdiction of the hearing panels specified in Article 8 and Article 13 to hear and determine cases and appeals brought under these Anti-Doping Rules, as a condition of their membership, accreditation and/or participation in their chosen sport.

1.4 ***National-Level Athletes***

1.4.1 Of all of the *Athletes* falling within the scope of Article 1.3, the following *Athletes* shall be deemed *National-Level Athletes* for purposes of these Anti-Doping Rules:

1.4.1.1 Any *Athlete* who is a member or license-holder of a National Sports Federation of India, regardless of where they reside or are situated.

1.4.1.2 Any *Athlete* who is the NADA's *Registered Testing Pool.*

1.4.1.3 Any *Athlete* who participates in an *Event* authorized by a National Sports Federation in India or its affiliated boards, clubs, teams, association or leagues.

1.4.1.4 Any *Athlete*, including *Minors,* who in national *Events*/open *Events* conducted under the authority of National Sports Federations in India or where a National Sports Federation in India is the ruling body for the *Event*.

but if any such *Athletes* are classified by their respective International Federations as *International-Level Athletes* then they shall be considered *International-Level Athletes* (and not *National-Level Athletes*)for purposes of these Anti-Doping Rules as well.

1.4.2 These Anti-Doping Rules apply to all *Persons* falling within the scope of Article 1.3. However, in accordance with Article 4.3 of the International Standard for Testing and Investigations, the main focus of NADA's test distribution plan will be *National-Level Athletes* and above.

ARTICLE 2 DEFINITION OF DOPING - ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS

Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rule violations set forth in Article 2.1 through Article 2.10 of these Anti-Doping Rules.

The purpose of Article 2 is to specify the circumstances and conduct which constitute anti-doping rule violations. Hearings in doping cases will proceed based on the assertion that one or more of these specific rules have been violated.

Athletes or other *Persons* shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping rule violation and the substances and methods, which have been included on the *Prohibited List*.

The following constitute anti-doping rule violations:

2.1 Presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in an *Athlete's Sample*

2.1.1 It is each *Athlete's* personal duty to ensure that no *Prohibited Substance* enters his or her body. *Athletes* are responsible for any *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* found to be present in their *Samples*. Accordingly, it is not necessary that intent, *Fault*, negligence or knowing *Use* on the *Athlete's* part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1.

[Comment to Article 2.1.1: An anti-doping rule violation is committed under this Article without regard to an Athlete's Fault. This rule has been referred to in various CAS decisions as "Strict Liability". An Athlete's Fault is taken into consideration in determining the Consequences of this anti-doping rule violation under Article 10. This principle has consistently been upheld by CAS.]

2.1.2 Sufficient proof of an anti-doping rule violation under Article 2.1 is established by any of the following: presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in the *Athlete's* A *Sample* where the *Athlete* waives analysis of the B *Sample* and the B *Sample* is not analyzed; or, where the *Athlete*'s B *Sample* is analyzed and the analysis of the *Athlete's* B *Sample* confirms the presence of the *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* found in the *Athlete's* A *Sample*; or, where the *Athlete's* B *Sample* is split into two bottles and the analysis of the second bottle confirms the presence of the *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* found in the first bottle.

[Comment to Article 2.1.2: The Anti-Doping Organization with results management responsibility may, at its discretion, choose to have the B Sample analyzed even if the Athlete does not request the analysis of the B Sample.]

2.1.3 Excepting those substances for which a quantitative threshold is specifically identified in the *Prohibited List*, the presence of any quantity of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* in an *Athlete's Sample* shall constitute an anti-doping rule violation.

2.1.4 As an exception to the general rule of Article 2.1, the *Prohibited List* or *International Standards* may establish special criteria for the evaluation of *Prohibited Substances* that can also be produced endogenously.

2.2 *Use* or *Attempted Use* by an *Athlete* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method*

[Comment to Article 2.2: It has always been the case that Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method may be established by any reliable means. As noted in the Comment to Article 3.2, unlike the proof required to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1, Use or Attempted Use may also be established by other reliable means such as admissions by the Athlete, witness statements, documentary evidence, conclusions drawn from longitudinal profiling, including data collected as part of the Athlete Biological Passport, or other analytical information which does not otherwise satisfy all the requirements to establish "Presence" of a Prohibited Substance under Article2.1. For example, Use may be established based upon reliable analytical data from the analysis of an A Sample (without confirmation from an analysis of a B Sample) or from the analysis of a B Sample alone where the Anti-Doping Organization provides a satisfactory explanation for the lack of confirmation in the other Sample.]

2.2.1 It is each *Athlete's* personal duty to ensure that no *Prohibited Substance* enters his or her body and that no *Prohibited Method* is *Used*. Accordingly, it is not necessary that intent, *Fault*, negligence or knowing *Use* on the *Athlete's* part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation for *Use* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method*.

2.2.2 The success or failure of the *Use* or *Attempted Use* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* is not material. It is sufficient that the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* was *Used* or *Attempted* to be *Used* for an anti-doping rule violation to be committed.

[Comment to Article 2.2.2: Demonstrating the "Attempted Use" of a Prohibited Substance or a Prohibited Method requires proof of intent on the Athlete's part. The fact that intent may be required to prove this particular anti-doping rule violation does not undermine the Strict Liability principle established for violations of Article 2.1 and violations of Article 2.2 in respect of Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method.

An Athlete's Use of a Prohibited Substance constitutes an anti-doping rule violation unless such substance is not prohibited Out-of-Competition and the Athlete's Use takes place Out-of-Competition.(However, the presence of a

Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in a Sample collected In-Competition is a violation of Article 2.1regardless of when that substance might have been administered.)]

2.3 Evading, Refusing or Failing to Submit to *Sample* Collection

Evading *Sample* collection, or without compelling justification, refusing or failing to submit to *Sample* collection after notification as authorized in these Anti-Doping Rules or other applicable anti-doping rules.

[Comment to Article 2.3: For example, it would be an anti-doping rule violation of "evading Sample collection'' if it were established that an Athlete was deliberately avoiding a Doping Control official to evade notification or Testing. A violation of "failing to submit to Sample collection" may be based on either intentional or negligent conduct of the Athlete, while "evading" or ''refusing'' Sample collection contemplates intentional conduct by the Athlete.]

2.4 Whereabouts Failures

Any combination of three missed tests and/or filing failures, as defined in the International Standard for Testing and Investigations, within a twelve-month period by an *Athlete* in a *Registered Testing Pool*.

2.5 *Tampering* or *Attempted Tampering* with any part of *Doping Control*

Conduct which subverts the *Doping Control* process but which would not otherwise be included in the definition of *Prohibited Methods*. *Tampering* shall include, without limitation, intentionally interfering or attempting to interfere with a *Doping Control* official, providing fraudulent information to an *Anti-Doping Organization* or intimidating or attempting to intimidate a potential witness.

[Comment to Article 2.5: For example, this Article would prohibit altering identification numbers on a Doping Control form during Testing, breaking the B bottle at the time of B Sample analysis, or altering a Sample by the addition of a foreign substance.

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in Doping Control which does not otherwise constitute Tampering shall be addressed in the disciplinary rules of sport organizations.]

2.6 *Possession* of a *Prohibited Substance* or a *Prohibited Method*

2.6.1 *Possession* by an *Athlete In-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method,* or *Possession* by an *Athlete Out-of-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method* which is prohibited *Out-of-Competition* unless the *Athlete* establishes that the *Possession* is consistent with a Therapeutic Use Exemption ("*TUE*") granted in accordance with Article 4.4 or other acceptable justification.

2.6.2 *Possession* by an *Athlete Support Person In-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method,* or *Possession* by an *Athlete Support Person Out-of-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method* which is prohibited *Out-of-Competition* in connection with an *Athlete*, *Competition* or training, unless the *Athlete Support Person* establishes that the *Possession* is consistent with a *TUE* granted to an *Athlete* in accordance with Article 4.4 or other acceptable justification.

[Comment to Articles 2.6.1 and 2.6.2: Acceptable justification would not include, for example, buying or Possessing a Prohibited Substance for purposes of giving it to a friend or relative, except under justifiable medical circumstances where that Person had a physician's prescription, e.g., buying Insulin for a diabetic child.]

[Comment to Article 2.6.2: Acceptable justification would include, for example, a team doctor carrying Prohibited Substances for dealing with acute and emergency situations.]

2.7*Trafficking* or *Attempted Trafficking* in any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*

2.8 *Administration* or *Attempted Administration* to any *Athlete In-Competition* of any *Prohibited Substance or Prohibited Method,* or *Administration* or *Attempted Administration* to any *Athlete Out-of-Competition* of any *Prohibited Substance* or any *Prohibited Method* that is prohibited *Out-of-Competition*

2.9 Complicity

Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other type of intentional complicity involving an anti-doping rule violation, *Attempted* anti-doping rule violation or violation of Article 10.12.1 by another *Person*.

2.10 Prohibited Association

Association by an *Athlete* or other *Person* subject to the authority of an *Anti-Doping Organization* in a professional or sport-related capacity with any *Athlete Support Person* who:

2.10.1 If subject to the authority of an *Anti-Doping Organization*, is serving a period of *Ineligibility*; or

2.10.2 If not subject to the authority of an *Anti-Doping Organization*, and where *Ineligibility* has not been addressed in a results management process pursuant to the *Code*, has been convicted or found in a criminal, disciplinary or professional proceeding to have engaged in conduct which would have constituted a violation of anti-doping rules if *Code*-compliant rules had been applicable to such *Person.* The disqualifying status of such *Person* shall be in force for the longer of six years from the criminal, professional or disciplinary decision or the duration of the criminal, disciplinary or professional sanction imposed; or

2.10.3 Is serving as a front or intermediary for an individual described in Article 2.10.1 or 2.10.2.

In order for this provision to apply, it is necessary that the *Athlete* or other *Person* has previously been advised in writing by an *Anti-Doping Organization* with jurisdiction over the *Athlete* or other *Person*, or by *WADA*, of the *Athlete Support Person*'s disqualifying status and the potential *Consequence* of prohibited association and that the *Athlete* or other *Person* can reasonably avoid the association. The *Anti-Doping Organization* shall also use reasonable efforts to advise the *Athlete Support Person* who is the subject of the notice to the *Athlete* or other *Person* that the *Athlete Support Person* may, within 15 days, come forward to the *Anti-Doping Organization* to explain that the criteria described in Articles 2.10.1 and 2.10.2 do not apply to him or her. (Notwithstanding Article 17, this Article applies even when the *Athlete Support Person's* disqualifying conduct occurred prior to the effective date provided in Article 20.7.)

The burden shall be on the *Athlete* or other *Person* to establish that any association with *Athlete Support Personnel* described in Article 2.10.1 or 2.10.2 is not in a professional or sport-related capacity.

Anti-Doping Organizations that are aware of *Athlete Support Personnel* who meet the criteria described in Article 2.10.1, 2.10.2, or 2.10.3 shall submit that information to *WADA*.

[Comment to Article 2.10: Athletes and other Persons must not work with coaches, trainers, physicians or other Athlete Support Personnel who are Ineligible on account of an anti-doping rule violation or who have been criminally convicted or professionally disciplined in relation to doping. Some examples of the types of association which are prohibited include: obtaining training, strategy, technique, nutrition or medical advice; obtaining therapy, treatment or prescriptions; providing any bodily products for analysis; or allowing the Athlete Support Person to serve as an agent or representative. Prohibited association need not involve any form of compensation.]

ARTICLE 3 PROOF OF DOPING

3.1 Burdens and Standards of Proof

NADA shall have the burden of establishing that an anti-doping rule violation has occurred. The standard of proof shall be whether NADA has established an anti-doping rule violation to the comfortable satisfaction of the hearing panel bearing in mind the seriousness of the allegation which is made. This standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less than proof beyond a reasonable doubt. Where these Anti-Doping Rules place the burden of proof upon the *Athlete* or other *Person* alleged to have committed an anti-doping rule violation to rebut a presumption or establish specified facts or circumstances, the standard of proof shall be by a balance of probability.

[Comment to Article 3.1: This standard of proof required to be met by NADA is comparable to the standard which is applied in most countries to cases involving professional misconduct.]

3.2 Methods of Establishing Facts and Presumptions

Facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means, including admissions. The following rules of proof shall be applicable in doping cases:

[Comment to Article 3.2: For example, NADA may establish an anti-doping rule violation under Article 2.2 based on the Athlete's admissions, the credible testimony of third Persons, reliable documentary evidence, reliable analytical data from either an A or B Sample as provided in the Comments to Article 2.2, or conclusions drawn from the profile of a series of the Athlete's blood or urine Samples, such as data from the Athlete Biological Passport.]

3.2.1 Analytical methods or decision limits approved by *WADA* after consultation within the relevant scientific community and which have been the subjects of peer review are presumed to be scientifically valid. Any *Athlete* or other *Person* seeking to rebut this presumption of scientific validity shall, as a condition precedent to any such challenge, first notify *WADA* of the challenge and the basis of the challenge. *CAS* on its own initiative may also inform *WADA* of any such challenge. At *WADA*'s request, the *CAS* panel shall appoint an appropriate scientific expert to assist the panel in its evaluation of the challenge. Within 10 days of *WADA's* receipt of such notice, and *WADA's* receipt of the *CAS* file, *WADA* shall also have the right to intervene as a party, appear amicus curiae, or otherwise provide evidence in such proceeding.

3.2.2 *WADA*-accredited laboratories, and other laboratories approved by *WADA*, are presumed to have conducted *Sample* analysis and custodial procedures in accordance with the International Standard for Laboratories. The *Athlete* or other *Person* may rebut this presumption by establishing that a departure from the International Standard for Laboratories occurred which could reasonably have caused the *Adverse Analytical Finding*. If the *Athlete* or other *Person* rebuts the preceding presumption by showing that a departure from the International Standard for Laboratories occurred which could reasonably have caused the *Adverse Analytical Finding*, then NADA shall have the burden to establish that such departure did not cause the *Adverse Analytical Finding*.

[Comment to Article 3.2.2: The burden is on the Athlete or other Person to establish, by a balance of probability, a departure from the International Standard for Laboratories that could reasonably have caused the Adverse Analytical Finding. If the Athlete or other Person does so, the burden shifts to NADA to prove to the comfortable satisfaction of the hearing panel that the departure did not cause the Adverse Analytical Finding.]

3.2.3 Departures from any other *International Standard* or other anti-doping rule or policy set forth in the *Code* or these Anti-Doping Rules, which did not cause an Adverse Analytical Finding or other anti-doping rule violation, shall not invalidate such evidence or results.

If the *Athlete* or other *Person* establishes a departure from another *International Standard* or other anti-doping rule or policy which could reasonably have caused an anti-doping rule violation based on an *Adverse Analytical Finding* or other anti-doping rule violation, then NADA shall have the burden to establish that such departure did not cause the *Adverse Analytical Finding* or the factual basis for the anti-doping rule violation.

3.2.4 The facts established by a decision of a court or professional disciplinary tribunal of competent jurisdiction which is not the subject of a pending appeal shall be irrebuttable evidence against the *Athlete* or other *Person* to whom the decision pertained of those facts unless the *Athlete* or other *Person* establishes that the decision violated principles of natural justice.

3.2.5 The hearing panel in a hearing on an anti-doping rule violation may draw an inference adverse to the *Athlete* or other *Person* who is asserted to have committed an anti-doping rule violation based on the *Athlete's* or other *Person*'s refusal, after a request made in a reasonable time in advance of the hearing, to appear at the hearing (either in person or telephonically as directed by the hearing panel) and to answer questions from the hearing panel or NADA.

ARTICLE 4 THE PROHIBITED LIST

4.1 Incorporation of the *Prohibited List*

These Anti-Doping Rules incorporate the *Prohibited List*, which is published and revised by WADA as, described in Article 4.1 of the *Code*.

[Comment to Article 4.1: The current Prohibited List is available on WADA's website at www.wada-ama.organd also available on NADA's website at www.nada.nic.in]

4.2 *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* Identified on the *Prohibited List*

4.2.1 *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods*

Unless provided otherwise in the *Prohibited List* and/or a revision, the *Prohibited List* and revisions shall go into effect under these Anti-Doping Rules three months after publication by *WADA* without requiring any further action by NADA. All *Athletes* and other *Persons* shall be bound by the *Prohibited List*, and any revisions there to, from the date they go into effect, without further formality. It is the responsibility of all *Athletes* and other *Persons* to familiarize themselves with the most up-to-date version of the *Prohibited Lis t* and all revisions thereto.

4.2.2 *Specified Substances*

For purposes of the application of Article 10, all *Prohibited Substances* shall be *Specified Substances* except substances in the classes of anabolic agents and hormones and those stimulants and hormone antagonists and modulators so identified on the *Prohibited List*. The category of *Specified Substances* shall not include *Prohibited Methods*.

[Comment to Article 4.2.2: The Specified Substances identified in Article 4.2.2 should not in any way be considered less important or less dangerous than other doping substances. Rather, they are simply substances which are more likely to have been consumed by an Athlete for a purpose other than the enhancement of sport performance.]

4.3 *WADA*'s Determination of the *Prohibited List*

WADA's determination of the *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* that will be included on the *Prohibited List*, the classification of substances into categories on the *Prohibited List*, and the classification of a substance as prohibited at all times or *In-Competition* only, is final and shall not be subject to challenge by an *Athlete* or other *Person* based on an argument that the substance or method was not a masking agent or did not have the potential to enhance performance, represent a health risk or violate the spirit of sport.

4.4 Therapeutic Use Exemptions ("*TUEs*")

4.4.1 The presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers*, and/or the *Use* or *Attempted Use*, *Possession* or *Administration* or *Attempted Administration* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* shall not be considered an anti-doping rule violation if it is consistent with the provisions of a *TUE* granted in accordance with the International Standard for Therapeutic Use Exemptions.

4.4.2 Unless otherwise specified by NADA in a notice posted on its website, any *National-Level Athlete* who needs to *Use* a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* for therapeutic purposes should apply to NADA for a *TUE* as soon as the need arises and in any event (save in emergency or exceptional situations or where Article 4.3 of the International Standard for Therapeutic Use Exemptions applies) at least 30 days before the *Athlete's* next *Competition,* using the form posted on NADA's website. NADA shall appoint a TUE Committee, consisting of three medical practitioners/experts as members, including a Chairman, with not less than 12 years of experience in their respective specializations, to consider applications for the grant or recognition of *TUEs*. The TUE Committee shall promptly evaluate and decide upon the application in accordance with the relevant provisions of the International Standard for Therapeutic Use Exemptions and the specific NADA protocols posted on its website. Subject to Article 4.4.6 of these Rules, its decision shall be the final decision of NADA and shall be reported to *WADA* and other relevant *Anti-Doping Organizations* through *ADAMS*, and also to the *Athlete's National Federation,* in accordance with the International Standard for Therapeutic Use Exemptions.

[Comment to Article 4.4.2: In accordance with Article 5.1 of the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, NADA may decline to consider advance applications for TUEs from National-Level Athletes in sports that are not prioritized by NADA in its Test Distribution Planning, but in that case it shall permit any such Athlete who is subsequently tested to apply for a retroactive TUE.

The submission of false or misleadingly incomplete information in support of a TUE application (including but not limited to the failure to advise of the unsuccessful outcome of a prior application to another Anti-Doping Organization for such a TUE) may result in a charge of Tampering or Attempted Tampering under Article 2.5.

An Athlete should not assume that his/her application for grant or recognition of a TUE (or for renewal of a TUE) will be granted. Any Use or Possession or administration of a Prohibited Substance or Prohibited Method before an application has been granted is entirely at the Athlete's own risk.]

4.4.3 If NADA chooses to test an *Athlete* who is not an *International-Level* or a *National-Level Athlete*, NADA shall permit that *Athlete* to apply for a retroactive *TUE* for any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* that he/she is *using* for therapeutic reasons.

[Comment to Article 4.4.3: The International Standard for Therapeutic Use Exemptions also permits a National Anti-Doping Organization to limit the grant of advance TUEs to certain categories of National-Level Athletes. If a National Anti-Doping Organization chooses to collect a Sample from an Athlete who is a National-Level Athlete from whom the National Anti-Doping Organization does not accept advance applications for TUES, then the National Anti-Doping Organization must also permit that Athlete to apply for a retroactive TUE, if necessary.

4.4.4 A *TUE* granted by NADA is valid at national level only; it is not automatically valid for international-level *Competition*. An *Athlete* who is or becomes an *International-Level Athlete* should do the following:

4.4.4.1 Where the *Athlete* already has a *TUE* granted by NADA for the substance or method in question, the *Athlete* may apply to his or her International Federation to recognize that *TUE*, in accordance with Article 7 of the International Standard for Therapeutic Use Exemptions. If that *TUE* meets the criteria set out in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, then the International Federation shall recognize it for purposes of international-level *Competition* as well. If the International Federation considers that the *TUE* granted by NADA does not meet those criteria and so refuses to recognize it, the International Federation shall notify the *International-Level Athlete* and NADA promptly, with reasons. The *International-Level Athlete* and NADA shall have 21 days from such notification to refer the matter to *WADA* for review. If the matter is referred to *WADA* for review in accordance with Article 4.4.6, the *TUE* granted by NADA remains valid for national-level *Competition* and

Out-of-Competition Testing (but is not valid for international-level *Competition*) pending *WADA*'s decision. If the matter is not referred to *WADA* for review, the *TUE* becomes invalid for any purpose when the 21-day review deadline expires.

[Comment to Article 4.4.4.1:Further to Articles 5.6 and 7.1(a) of the International Standard *for Therapeutic Use Exemptions, an International Federation may publish notice on its website that it will automatically recognize TUE decisions (or categories of such decisions, e.g., as to particular substances or methods) made by National Anti-Doping Organizations. If an Athlete's TUE falls into a category of automatically recognized TUEs, then he/she does not need to apply to his/her International Federation for recognition of that TUE.*

In accordance with the requirements of the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, NADA will help its Athletes to determine when they need to submit TUEs granted by NADA to an International Federation or Major Event Organization for recognition, and will guide and support those Athletes through the recognition process.

If an International Federation refuses to recognize a TUE granted by NADA only because medical records or other information are missing that are needed to demonstrate satisfaction of the criteria in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, the matter should not be referred to WADA. Instead, the file should be completed and re-submitted to the International Federation.]

4.4.4. 2 If the *Athlete* does not already have a *TUE* granted by NADA for the substance or method in question, the *Athlete* must apply directly to the International Federation for a *TUE* in accordance with the process set out in the International Standard for Therapeutic *Use* Exemptions. If the International Federation grants the *Athlete*'s application, it shall notify the *Athlete* and NADA. If NADA considers that the *TUE* granted by the International Federation does not meet the criteria set out in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, it has 21 days from such notification to refer the matter to *WADA* for review. If NADA refers the matter to *WADA* for review, the *TUE* granted by the International Federation remains valid for international-level *Competition* and *Out-of-Competition Testing* (but is not valid for national-level *Competition*) pending *WADA*'s decision. If NADA does not refer the matter to *WADA* for review, the *TUE* granted by the International Federation becomes valid for national-level *Competitio*n as well when the 21-day review deadline expires.

[Comment to Article 4.4.4.2: The International Federation and NADA may agree that NADA will consider TUE applications on behalf of the International Federation.]

4.4.5 **Expiration, Cancellation, Withdrawal or Reversal of a *TUE***

4.4.5.1 A*TUE* granted pursuant to these Anti-Doping Rules: (a) shall expire automatically at the end of any term for which it was granted, without the need for any further notice or other formality; (b) may be cancelled if the *Athlete* does not promptly comply with any requirements or conditions imposed by the TUE Committee upon grant of the *TUE*; (c) may be withdrawn by the TUE Committee if it is subsequently determined that the criteria for grant of a *TUE* are not in fact met; or (d) may be reversed on review by *WADA* or on appeal.

4.4.5.2 In such event, the *Athlete* shall not be subject to any *Consequences* based on his/her *Use* or *Possession* or *Administration* of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* in question in accordance with the *TUE* prior to the effective date of expiry, cancellation, withdrawal or reversal of the *TUE*. The review pursuant to Article 7.2 of any subsequent *Adverse Analytical Finding* shall include consideration of whether such finding is consistent with *Use* of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* prior to that date, in which event no anti-doping rule violation shall be asserted.

4.4.6 **Reviews and Appeals of *TUE* Decisions**

4.4.6.1 If NADA denies an application for a *TUE*, the *Athlete* may appeal exclusively to the national-level appeal body described in Articles 13.2.2 and 13.2.3.

4.4.6.2 *WADA* shall review any decision by an International Federation not to recognize a *TUE* granted by NADA that is referred to *WADA* by the *Athlete* or NADA. In addition, *WADA* shall review any decision by an International Federation to grant a *TUE* that is referred *to WADA* by NADA. *WADA* may review any other *TUE* decisions at any time, whether upon request by those affected or on its own initiative. If the *TUE* decision being reviewed meets the criteria set out in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, *WADA* will not interfere with it. If the *TUE* decision does not meet those criteria, *WADA* will reverse it.

4.4.6.3 Any *TUE* decision by an International Federation (or by NADA where it has agreed to consider the application on behalf of an International Federation) that is not reviewed by *WADA*, or that is reviewed by *WADA* but is not reversed upon review, may be appealed by the *Athlete* and/or NADA exclusively to *CAS*, in accordance with Article 13.

[Comment to Article 4.4.6.3: In such cases, the decision being appealed is the International Federation's TUE decision, not WADA's decision not to review the TUE decision or (having reviewed it) not to reverse the TUE decision. However, the time to appeal the TUE decision does not begin to run until the date that WADA communicates its decision. In any event, whether the decision has been reviewed by WADA or not, WADA shall be given notice of the appeal so that it may participate if it sees fit.]

4.4.6.4 A decision by WADA to reverse a *TUE* decision may be appealed by the *Athlete*, NADA and/or the International Federation affected exclusively to CAS, in accordance with Article 13.

4.4.6.5 A failure to take action within a reasonable time on a properly submitted application for grant recognition of a *TUE* or for review of a *TUE* decision shall be considered a denial of the application.

ARTICLE 5 *TESTING* AND INVESTIGATIONS

5.1 Purpose of *Testing* and Investigations

Testing and investigations shall only be undertaken for anti-doping purposes. They shall be conducted in conformity with the provisions of the International Standard for Testing and Investigations and the specific protocols of NADA supplementing that *International Standard*.

5.1.1 *Testing* shall be undertaken to obtain analytical evidence as to the *Athlete*'s compliance (or non-compliance) with the strict *Cod*e prohibition on the presence/*Use* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*. Test distribution planning, *Testing*, post-*Testing* activity and all related activities conducted by NADA shall be in conformity with the International Standard for Testing and Investigations. NADA shall determine the number of finishing placement tests, random tests and target tests to be performed in accordance with the criteria established by the International Standard for Testing and Investigations. All provisions of the International Standard for Testing and Investigations shall apply automatically in respect of all such *Testing.*

5.1.2 Investigations shall be undertaken:

5.1.2.1 in relation to *Atypical Findings*, *Atypical Passport Findings* and *Adverse Passport Findings*, in accordance with Articles 7.4 and 7.5 respectively, gathering intelligence or evidence (in particular, analytical evidence) in order to determine whether an anti-doping rule violation has occurred under Article 2.1 and/or Article 2.2; and

5.1.2.2 in relation to other indications of potential anti-doping rule violations, in accordance with Articles 7.6 and 7.7, gathering intelligence or evidence (including, in particular, non-analytical evidence) in order to determine whether an anti-doping rule violation has occurred under any of Articles 2.2 to 2.10.

5.1.3 NADA may obtain, assess and process anti-doping intelligence from all available sources, to inform the development of an effective, intelligent and proportionate test distribution plan, to plan Target Testing, and/or to form the basis of an investigation into a possible anti-doping rule violation(s).

5.2 Authority to Conduct *Testing*

5.2.1 Subject to the jurisdictional limitations for *Event Testing* set out in Article 5.3 of the *Code*, NADA shall have *In-Competition* and *Out-of-Competition Testing* authority over all of the *Athletes* falling within the scope of Article 1.3, above.

5.2.2 NADA may require any *Athlete* over whom it has *Testing* authority (including any *Athlete* serving a period of *Ineligibility*) to provide a *Sample* at any time and at any place.

[Comment to Article 5.2.2: Unless the Athlete has identified a 60-minute time-slot for Testing between the hours of 11pm and 6am, or has otherwise consented to Testing during that period, NADA will not test an Athlete during that period unless it has a serious and specific suspicion that the Athlete may be engaged in doping. A challenge to whether NADA had sufficient suspicion for Testing in that period shall not be a defense to an anti-doping rule violation based on such test or attempted test.]

5.2.3 *WADA* shall have *In-Competition* and *Out-of-Competition Testing* authority as set out in Article 20.7.8 of the *Code*.

5.2.4 If an International Federation or *Major Event Organization* delegates or contracts any part of *Testing* to NADA (directly or through a *National Federation*), NADA may collect additional *Samples* or direct the laboratory to perform additional types of analysis at NADA's expense. If additional

Samples are collected or additional types of analysis are performed, the International Federation or *Major Event Organization* shall be notified.

5.2.5 Where another *Anti-Doping Organization* with *Testing* authority over an *Athlete* who is subject to these Anti-Doping Rules conducts *Testing* on that *Athlete*, NADA and the *Athlete's National Federation* shall recognize such *Testing* in accordance with Article 15, and (where agreed with that other *Anti-Doping Organization* or otherwise provided in Article 7 of the *Code*) NADA may bring proceedings against the *Athlete* pursuant to these Anti-Doping Rules for any anti-doping rule violation (s) arising in relation to such *Testing*.

5.3 *Event Testing*

5.3.1Except as provided in Article 5.3 of the *Code*, only a single organization should be responsible for initiating and directing *Testing* at *Event Venues* during an *Event Period*. At *International Events* held in India, the collection of *Samples* shall be initiated and directed by the International Federation (or any other international organization which is the ruling body for the *Event*). For all *National-Level Events* held in India the collection of *Samples* shall be initiated and directed by NADA. At the request of NADA (or the ruling body for that *Event*), any *Testing* during the *Event Period* outside of the *Event Venues* shall be coordinated with NADA.

5.3.2 If an *Anti-Doping Organization* which would otherwise have *Testing* authority but is not responsible for initiating and directing *Testing* at an *Event* desires to conduct *Testing* of *Athletes* at the *Event Venues* during the *Event Period*, the *Anti-Doping Organization* shall first confer with NADA (or the ruling body of the *Event)* to obtain permission to conduct and coordinate such *Testing*. If the *Anti-Doping Organization* is not satisfied with the response from NADA (or the ruling body of the *Event)*, the *Anti-Doping Organization* may ask *WADA* for permission to conduct *Testing* and to determine how to coordinate such *Testing*, in accordance with the procedures set out in the International Standard for Testing and Investigations. *WADA* shall not grant approval for such *Testing* before consulting with and informing NADA (or the ruling body for the *Event).WADA*'s decision shall be final and not subject to appeal. Unless otherwise provided in the authorization to conduct *Testing*, such tests shall be considered *Out-of-Competition* tests. Results management for any such test shall be the responsibility of the *Anti-Doping Organization* initiating the test unless provided otherwise in the rules of the ruling body of the *Event*.

5.3.3 *National Federations* and the organizing committees for *National Events* shall authorize and facilitate the *Independent Observer Program* at such *Events*.

5.4 Test Distribution Planning

Consistent with the International Standard for Testing and Investigations, and in coordination with other *Anti-Doping Organization*s conducting *Testing* on the same *Athlete*s, NADA shall develop and implement an effective, intelligent and proportionate test distribution plan that prioritizes appropriately between disciplines, categories of *Athletes*, types of *Testing*, types of *Samples* collected, and types of *Sample* analysis, all in compliance with the requirements of the International Standard for Testing and Investigations. NADA shall provide *WADA* upon request with a copy of its current test distribution plan.

5.5 Coordination of Testing

Where reasonably feasible, *Testing* shall be coordinated through *ADAMS* or another system approved by *WADA* in order to maximize the effectiveness of the combined *Testing* effort and to avoid unnecessary repetitive *Testing*.

5.6 *Athlete* Whereabouts Information

5.6.1NADA shall identify a *Registered Testing Pool* of those *Athletes* who are required to comply with the whereabouts requirements of Annex I to the International Standard for Testing and Investigations. Each *Athlete* in the *Registered Testing Pool* shall do the following, in each case in accordance with Annex I to the International Standard for Testing and Investigations:

(a) advise NADA of his/her whereabouts on a quarterly basis;

(b) update that information as necessary so that it remains accurate and complete at all times; and

(c) make him/herself available for *Testing* at such whereabouts.

5.6.2 NADA shall make available through *ADAMS* a list which identifies those *Athlete*s included in its *Registered Testing Pool* either by name or by clearly defined, specific criteria. NADA shall coordinate with International Federations the identification of such *Athlete*s and the collection of their whereabouts information. Where an *Athlete* is included in an international *Registered Testing Pool* by his/her International Federation and in a national *Registered Testing Pool* by NADA, NADA and the

International Federation shall agree between themselves which of them shall accept that *Athlete's* whereabouts filings; in no case shall an *Athlete* be required to make whereabouts filings to more than one of them. NADA shall review and update as necessary its criteria for including *Athletes* in its *Registered Testing Pool*, and shall revise the membership of its *Registered Testing Pool* from time to time as appropriate in accordance with those criteria. *Athletes* shall be notified before they are included in a *Registered Testing Pool* and when they are removed from that pool.

5.6.3 For purposes of Article 2.4, an *Athlete's* failure to comply with the requirements of the International Standard for Testing and Investigations shall be deemed a Filing Failure or a Missed Test (as defined in the International Standard for Testing and Investigations) where the conditions set forth in the International Standard for Testing and Investigations for declaring a filing failure or missed test are met.

5.6.4 An *Athlete* in NADA's *Registered Testing Pool* shall continue to be subject to the obligation to comply with the whereabouts requirements of Annex I to the International Standard for Testing and Investigations unless and until:-

(a) The *Athlete* gives written notice to NADA that he/she has retired or

(b) NADA has informed him/her that he/she no longer satisfies the criteria for inclusion in NADA's *Registered Testing Pool*.

5.6.5 Whereabouts information relating to an *Athlete* shall be shared (through *ADAMS*) with *WADA* and other *Anti-Doping Organizations* having authority to test that *Athlete*, shall be maintained in strict confidence at all times, shall be used exclusively for the purposes set out in Article 5.6 of the *Code*, and shall be destroyed in accordance with the *International Standard* for the Protection of Privacy and Personal Information once it is no longer relevant for these purposes.

5.7 Retired *Athletes* Returning to *Competition*

5.7.1 An *Athlete* in NADA's *Registered Testing Pool* who has given notice of retirement to NADA may not resume competing in *International Events* or *National Events* until he/she has given NADA written notice of his/her intent to resume competing and has made him/herself available for *Testing* for a period of six months before returning to competition, including (if requested) complying with the whereabouts requirements of Annex I to the International Standard for Testing and Investigations. *WADA*, in consultation with NADA and the *Athlete's* International Federation, may grant an exemption to the six-month written notice rule where the strict application of that rule would be manifestly unfair to an *Athlete*. This decision may be appealed under Article 13. Any competitive results obtained in violation of this Article 5.7.1 shall be *Disqualified.*

5.7.2 If an *Athlete* retires from sport while subject to a period of *Ineligibility* the *Athlete* shall not resume competing in *International Events* or *National Events* until the *Athlete* has given six months prior written notice (or notice equivalent to the period of *Ineligibility* remaining as of the date the *Athlete* retired, if that period was longer than six months) to NADA and to his/her International Federation of his/her intent to resume competing and has made him/herself available for *Testing* for that notice period, including (if requested) complying with the whereabouts requirements of Annex I to the International Standard for Testing and Investigations.

5.7.3 An *Athlete* who is not in NADA's *Registered Testing Pool* who has given notice of retirement to NADA may not resume competing unless he/she notifies NADA and his/her International Federation at least six months before he/she wishes to return to *Competition* and makes him/herself available for unannounced *Out-of-Competition Testing*, including (if requested) complying with the whereabouts requirements of Annex I of the International Standard for Testing and Investigations, during the period before actual return to *Competition*.

ARTICLE 6 ANALYSIS OF *SAMPLES*

Samples shall be analyzed in accordance with the following principles:

6.1 Use of Accredited and Approved Laboratories

For purposes of Article 2.1, *Samples* shall be analyzed only in laboratories accredited or otherwise approved by *WADA*. The choice of the *WADA*-accredited or *WADA*-approved laboratory used for the *Sample* analysis shall be determined exclusively by NADA.

[Comment to Article 6.1: Violations of Article 2.1 may be established only by Sample analysis performed by a laboratory accredited or otherwise approved by WADA. Violations of other Articles may be established using analytical results from other laboratories so long as the results are reliable.]

6.2 Purpose of Analysis of *Samples*

6.2.1 *Samples* shall be analyzed to detect *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods* and other substances as may be directed by *WADA* pursuant to the Monitoring Program described in Article 4.5 of the *Code*; or to assist in profiling relevant parameters in an *Athlete*'s urine, blood or other matrix, including DNA or genomic profiling; or for any other legitimate anti-doping purpose. *Samples* may be collected and stored for future analysis.

[Comment to Article 6.2:Forexample, relevant profile information could be used to direct Target Testing or to support an anti-doping rule violation proceeding under Article 2.2, or both.]

6.2.2 NADA shall ask laboratories to analyze *Samples* in conformity with Article 6.4 of the *Code* and Article 4.7 of the International Standard for Testing and Investigations.

6.3 Research on *Samples*

No *Sample* may be used for research without the *Athlete's* written consent. *Samples* used for purposes other than Article 6.2 shall have any means of identification removed such that they cannot be traced back to a particular *Athlete*.

6.4 Standards for *Sample* Analysis and Reporting

Laboratories shall analyze *Samples* and report results in conformity with the International Standard for Laboratories. To ensure effective *Testing*, the Technical Document referenced at Article 5.4.1 of the *Code* will establish risk assessment-based *Sample* analysis menus appropriate for particular sports and sport disciplines, and laboratories shall analyze *Samples* in conformity with those menus, except as follows:

6.4.1 NADA may request that laboratories analyze its *Samples* using more extensive menus than those described in the Technical Document.

6.4.2 NADA may request that laboratories analyze its *Samples* using less extensive menus than those described in the Technical Document only if it has satisfied *WADA* that, because of the particular circumstances of its country or of the sport in question, as set out in its test distribution plan, less extensive analysis would be appropriate.

6.4.3 As provided in the International Standard for Laboratories, laboratories at their own initiative and expense may analyze *Samples* for *Prohibited Substances* or *Prohibited Methods* not included on the *Sample* analysis menu described in the Technical Document or specified by the *Testing* authority. Results from any such analysis shall be reported and have the same validity and consequence as any other analytical result.

[Comment to Article 6.4: The objective of this Article is to extend the principle of "intelligent Testing" to the Sample analysis menu so as to most effectively and efficiently detect doping. It is recognized that the resources available to fight doping are limited and that increasing the Sample analysis menu may, in some sports and countries, reduce the number of Samples which can be analyzed.]

6.5 Further Analysis of *Samples*

Any *Sample* may be stored and subsequently subjected to further analysis for the purposes set out in Article 6.2:

(a) by *WADA* at any time; and/or

(b) by NADA at any time

before both the A and B *Sample* analytical results (or A *Sample* result where B *Sample* analysis has been waived or will not be performed) have been communicated by NADA to the *Athlete* as the asserted basis for an Article 2.1 anti-doping rule violation. Such further analysis of *Samples* shall conform with the requirements of the International Standard for Laboratories and the International Standard for Testing and Investigations.

ARTICLE 7 RESULTS MANAGEMENT

7.1 Responsibility for Conducting Results Management

7.1.1NADA shall take responsibility for results management in respect of *Athletes* and other *Persons* under its anti-doping jurisdiction in accordance with the principles set out in Article 7 of the *Code.*

7.1.2 For purposes of determining responsibility for results management, where NADA elects to collect additional *Samples* in the circumstances set out in Article 5.2.4, then it shall be considered the *Anti-Doping Organization* that initiated and directed *Sample* collection. However, where NADA only directs the laboratory to perform additional types of analysis at the NADA's expense, then the International Federation or *Major Event Organization* shall be considered the *Anti-Doping Organization* that initiated and directed *Sample* collection.

7.2 Review of *Adverse Analytical Findings* from Tests Initiated by NADA

Results management in respect of the results of tests initiated by NADA shall proceed as follows:

7.2.1 The results from all analyses must be sent to NADA in encoded form, in a report signed by an authorized representative of the laboratory. All communication must be conducted confidentially and in conformity with *ADAMS*.

7.2.2 Upon receipt of an *Adverse Analytical Finding*, NADA shall conduct a review to determine whether: (a) an applicable *TUE* has been granted or will be granted as provided in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, or (b) there is any apparent departure from the International Standard for Testing and Investigations or International Standard for Laboratories that caused the *Adverse Analytical Finding*.

7.2.3 If the review of an *Adverse Analytical Finding* under Article 7.2.2 reveals an applicable *TUE* or departure from the International Standard for Testing and Investigations or the International Standard for Laboratories that caused the *Adverse Analytical Finding*, the entire test shall be considered negative and the *Athlete*, the *Athlete*'s International Federation the *Athlete's National Federation* and *WADA* shall be so informed.

7.3 Notification after Review Regarding *Adverse Analytical Findings*

7.3.1 If the review of an *Adverse Analytical Finding* under Article 7.2.2 does not reveal an applicable *TUE* or entitlement to a *TUE* as provided in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, or departure from the International Standard for Testing and Investigations or the International Standard for Laboratories that caused the *Adverse Analytical Finding*, NADA shall promptly notify the *Athlete*, and simultaneously the *Athlete's* International Federation, the *Athlete's National Federation* and *WADA* in the manner set out in Article 14.1, of:

(a) the *Adverse Analytical Finding*;

(b) the anti-doping rule violated;

(c) the *Athlete*'s right to request the analysis of the B *Sample* or, failing such request by the specified deadline, that the B *Sample* analysis may be deemed waived;

(d) the scheduled date, time and place for the B *Sample* analysis if the *Athlete* or NADA chooses to request an analysis of the B *Sample*;

(e) the opportunity for the *Athlete* and/or the *Athlete*'s representative to attend the B *Sample* opening and analysis in accordance with the International Standard for Laboratories; and

(f) the *Athlete*'s right to request copies of the A and B *Sample* laboratory documentation package which includes information as required by the International Standard for Laboratories.Upon request by the *Athlete*, the laboratory documentation package may be provided on payment of the applicable fee/charges which shall have to be paid by the concerned *Athlete*.

If NADA decides not to bring forward the *Adverse Analytical Finding* as an anti-doping rule violation, it shall so notify the *Athlete*, the *Athlete*'s International Federation, the *Athlete's National Federation* and *WADA*.

7.3.2 Where requested by the *Athlete* or NADA, arrangements shall be made to analyze the B *Sample* in accordance with the International Standard for Laboratories. An *Athlete* may accept the A *Sample* analytical results by waiving the requirement for B *Sample* analysis. NADA may none the less elect to proceed with the B *Sample* analysis.

7.3.3 The *Athlete* and/or his representative shall be allowed to be present at the analysis of the B *Sample*. Also, a representative of NADA or a representative of the *Athlete*'s *National Federation* shall be allowed to be present.

7.3.4 If the B *Sample* analysis does not confirm the A *Sample* analysis, then (unless NADA takes the case forward as an anti-doping rule violation under Article 2.2) the entire test shall be considered negative and the *Athlete*, the *Athlete*'s International Federation, the *Athlete's* National Federation and *WADA* shall be so informed.

7.3.5 If the B *Sample* analysis confirms the A *Sample* analysis, the findings shall be reported to the *Athlete*, the *Athlete*'s International Federation, the *Athlete's National Federation*, and *WADA*.

7.4 Review of *Atypical Findings*

7.4.1 As provided in the International Standard for Laboratories, in some circumstances laboratories are directed to report the presence of *Prohibited Substances*, which may also be produced endogenously, as *Atypical Findings*, i.e., as findings that are subject to further investigation.

7.4.2 Upon receipt of an *Atypical Finding*, NADA shall conduct a review to determine whether: (a) an applicable *TUE* has been granted or will be granted as provided in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, or (b) there is any apparent departure from the International Standard for Testing and Investigations or International Standardfor Laboratories that caused the *Atypical Finding*.

7.4.3 If the review of an *Atypical Finding* under Article 7.4.2 reveals an applicable *TUE* or a departure from the International Standard for Testing and Investigations or the International Standard for Laboratories that caused the *Atypical Finding*, the entire test shall be considered negative and the *Athlete*, the *Athlete*'s International Federation and *WADA* shall be so informed.

7.4.4 If that review does not reveal an applicable *TUE* or a departure from the International Standard for Testing and Investigations or the International Standard for Laboratories that caused the *Atypical Finding*, NADA shall conduct the required investigation or cause it to be conducted. After the investigation is completed, either the *Atypical Finding* will be brought forward as an *Adverse Analytical Finding*, in accordance with Article 7.3.1, or else the *Athlete*, the *Athlete's* International Federation, the *Athlete's National Federation* and *WADA* shall be notified that the *Atypical Finding* will not be brought forward as an *Adverse Analytical Finding*.

7.4.5 NADA will not provide notice of an *Atypical Finding* until it has completed its investigation and has decided whether it will bring the *Atypical Finding* forward as an *Adverse Analytical Finding* unless one of the following circumstances exists:

7.4.5.1 If NADA determines the B *Sample* should be analyzed prior to the conclusion of its investigation, it may conduct the B *Sample* analysis after notifying the *Athlete*, with such notice to include a description of the *Atypical Finding* and the information described in Article 7.3.1(d)-(f).

7.4.5.2 If NADA is asked (a) by a *Major Event Organization* shortly before one of its *International Events*, or(b) by a sport organization responsible for meeting an imminent deadline for selecting team members for an *International Event*, to disclose whether any *Athlete* identified on a list provided by the *Major Event Organization* or sport organization has a pending *Atypical Finding*, NADA shall so advise The *Major Event Organization* or sports organization after first providing notice of the *Atypical Finding* to the *Athlete.*

7.5 Review of *Atypical Passport Findings* and *Adverse Passport Findings*

Review of *Atypical Passport Findings* and *Adverse Passport Findings* shall take place as provided in the International Standard for Testing and Investigations and International Standard for Laboratories. At such time as NADA is satisfied that an anti-doping rule violation has occurred, it shall promptly give the *Athlete* (and simultaneously the *Athlete's* International Federation, the *Athlete's National Federation* and *WADA*) notice of the anti-doping rule violation asserted and the basis of that assertion.

7.6 Review of Whereabouts Failures

NADA shall review potential filing failures and missed tests (as defined in *the* International Standard for Testing and Investigations) in respect of *Athletes* who file their whereabouts information with NADA, in accordance with Annexure-I to the International Standard for Testing and Investigations. At such time as NADA is satisfied that an Article 2.4 anti-doping rule violation has occurred, it shall promptly give the *Athlete*(and simultaneously the *Athlete's* International Federation, the *Athlete's National Federation*, and *WADA*)notice that it is asserting a violation of Article 2.4 and the basis of that assertion.

7.7 Review of Other *Anti-Doping Rule Violations* Not Covered by Articles 7.2–7.6

NADA shall conduct any follow-up investigation required into a possible anti-doping rule violation not covered by Articles 7.2-7.6. At such time as NADA is satisfied that an anti-doping rule violation has occurred, it shall promptly give the *Athlete* or other *Person*(and simultaneously the *Athlete's* International Federation, the *Athlete's National Federation*, and *WADA*)notice of the anti-doping rule violation asserted, and the basis of that assertion.

7.8 Identification of Prior *Anti-Doping Rule Violations*

Before giving an *Athlete* or other *Person* notice of an asserted anti-doping rule violation as provided above, NADA shall refer to *ADAMS* and contact *WADA* and other relevant *Anti-Doping Organizations* to determine whether any prior anti-doping rule violation exists.

7.9 *Provisional Suspensions*

7.9.1 **Mandatory *Provisional Suspension*:** If analysis of an A *Sample* has resulted in an *Adverse Analytical Finding* for a *Prohibited Substance* that is not a *Specified Substance*, or for a *Prohibited Method*, and a review in accordance with Article 7.2.2 does not reveal an applicable *TUE* or departure

from the International Standard for Testing and Investigations or the International Standard for Laboratories that caused the *Adverse Analytical Finding*, NADA shall impose a *Provisional Suspension* on the *Athlete* or other *Person* against whom the anti-doping rule violation is asserted promptly after the notification described in Articles 7.2,7.3 or 7.5.

7.9.2 **Optional *Provisional Suspension*:** In case of an *Adverse Analytical Finding* for a *Specified Substance*, or in the case of any other anti-doping rule violations not covered by Article 7.9.1, NADA may impose a *Provisional Suspension* on the *Athlete* or other *Person* against whom the anti-doping rule violation is asserted at any time after the review and notification described in Articles 7.2–7.7 and prior to the final hearing as described in Article 8.

7.9.3 Where a *Provisional Suspension* is imposed pursuant to Article 7.9.1 or Article 7.9.2, the *Athlete* or other *Person* shall be given either:

(a) an opportunity for a *Provisional Hearing* either before or on a timely basis after imposition of the *Provisional Suspension*; or

(b) an opportunity for an expedited final hearing in accordance with Article 8 on a timely basis after imposition of the *Provisional Suspension.*

Furthermore, the *Athlete* or other *Person* has a right to appeal from the decision given under Article 7.9.3 from the *Provisional Suspension* in accordance with Article 13.2 (save as set out in Article 7.9.3.1).

7.9.3.1 The *Provisional Suspension* may be lifted if the *Athlete* demonstrates to the hearing panel that the violation is likely to have involved a *Contaminated Product*. A hearing panel's decision not to lift a mandatory *Provisional Suspension* on account of the *Athlete's* assertion regarding a *Contaminated Product* shall not be appealable.

7.9.4 If a *Provisional Suspension* is imposed based on an A *Sample Adverse Analytical Finding* and subsequent analysis of the B *Sample* does not confirm the A *Sample* analysis, then the *Athlete* shall not be subject to any further *Provisional Suspension* on account of a violation of Article 2.1. In circumstances where the *Athlete* (or the *Athlete's* team) has been removed from a *Competition* based on a violation of Article 2.1 and the subsequent B *Sample* analysis does not confirm the A *Sample* finding, then if it is still possible for the *Athlete* or team to be reinserted without otherwise affecting the *Competition*, the *Athlete* or team may continue to take part in the *Competition*. In addition, the *Athlete* or team may thereafter take part in other *Competitions* in the same *Event*.

7.9.5 In all cases where an *Athlete* or other *Person* has been notified of an anti-doping rule violation but a *Provisional Suspension* has not been imposed on him or her, the *Athlete* or other *Person* shall be offered the opportunity to accept a *Provisional Suspension* voluntarily pending the resolution of the matter.

[Comment to Article 7.9: Athletes and other Persons shall receive credit for a Provisional Suspension against any period of Ineligibility which is ultimately imposed. See Articles 10.11.3.1 and 10.11.3.2.]

7.10 Resolution Without a Hearing

7.10.1 An *Athlete* or other *Person* against whom an anti-doping rule violation is asserted may admit that violation at any time, waive a hearing, and accept the *Consequences* that are mandated by these Anti-Doping Rules or (where some discretion as to *Consequences* exists under these Anti-Doping Rules) that have been offered by NADA.

7.10.2 Alternatively, if the *Athlete* or other *Person* against whom an anti-doping rule violation is asserted fails to dispute that assertion within 15 days from the date of receipt of notice issued by the NADA specified in the notice sent by the NADA asserting the violation, then he/she shall be deemed to have admitted the violation, to have waived a hearing, and to have accepted the *Consequences* that are mandated by these Anti-Doping Rules or (where some discretion as to *Consequences* exists under these Anti-Doping Rules) that have been offered by NADA.

7.10.3 In cases where Article 7.10.1 or Article 7.10.2 applies, a hearing before a hearing panel shall not be required. Instead NADA shall promptly issue a written decision confirming the commission of the anti-doping rule violation and the *Consequences* imposed as a result, and setting out the full reasons for any period of *Ineligibility* imposed, including (if applicable) a justification for why the maximum potential period of *Ineligibility* was not imposed.NADA shall send copies of that decision to other *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3,and shall *Publicly Disclose* that decision in accordance with Article 14.3.2.

7.11 Notification of Results Management Decisions

In all cases where NADA has asserted the commission of an anti-doping rule violation, withdrawn the assertion of an anti-doping rule violation, imposed a *Provisional Suspension*, or agreed with an *Athlete* or other *Person* on the imposition of *Consequences* without a hearing, NADA shall give notice thereof in accordance with Article 14.2.1 to other *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3.

7.12 Retirement from Sport

If an *Athlete* or other *Person* retires while NADA is conducting the results management process, NADA retains jurisdiction to complete its results management process. If an *Athlete* or other *Person* retires before any results management process has begun, and NADA would have had results management authority over the *Athlete* or other *Person* at the time the *Athlete* or other *Person* committed an anti-doping rule violation, NADA has authority to conduct results management in respect of that anti-doping rule violation.

[Comment to Article 7.12: Conduct by an Athlete or other Person before the Athlete or other Person was subject to the jurisdiction of any Anti-Doping Organization would not constitute an anti-doping rule violation but could be a legitimate basis for denying the Athlete or other Person membership in a sports organization.]

ARTICLE 8 RIGHT TO A FAIR HEARING

8.1 Hearings following NADA's Result Management

8.1.1 The Chairman/Vice Chairman of the Governing body of NADA shall appoint an independent Anti-Doping Disciplinary Panel which will comprise of the following:

(a) a Chair and four Vice-Chairs, each of whom shall be legal practitioners of not less than five years standing,

(b) five medical practitioners of not less than five years standing; and

(c) five additional members, each of whom shall be, or has previously been, a sports administrator or an *Athlete*,

All of whom will be appointed on the basis that they are in a position to hear the cases fairly and impartially.

8.1.2 Each panel member shall serve a term of two years.

8.1.3 If a panel member dies or resigns, or a conflict of interest with their affiliation or demonstrated behavior/actions against the principles and rules of the *Code* is established, the Chairman/Vice Chairman of Governing body of NADA may appoint an independent panel member to fill the resultant vacancy. The person appointed shall be so appointed for the remainder of the term of the member who occasioned the vacancy.

8.1.4A panel member may be re-appointed by the Chairman/Vice Chairman of Governing body of NADA.

8.2 Jurisdiction of the Anti-Doping Disciplinary Panel

8.2.1When NADA sends a notice to an *Athlete* or other *Person* asserting an anti-doping rule violation, and the *Athlete* or other *Person* does not waive a hearing in accordance with Article 7.10.1 or Article7.10.2, then the case shall be referred to the Anti-Doping Disciplinary Panel for hearing and adjudication.

8.2.2 The Anti-Doping Disciplinary Panel has the power to hear and determine all issues arising from any matter which is referred to it pursuant to these anti-doping rules. In particular, the anti- doping disciplinary panel has the power to determine the *Consequences* of anti-doping rule violations to be imposed pursuant to these Anti-Doping Rules.

8.2.3 The Anti-Doping Disciplinary Panel shall be fair and impartial in the performance of its function.

8.2.4 The Anti-Doping Disciplinary Panel has all powers necessary for and incidental to the exercise of its function.

8.2.5 The Chair of the Anti-Doping Disciplinary Panel, or in his or her absence, a vice Chair, shall appoint three (3) members from the panel to hear and determine each case. Each such hearing panel shall comprise Chair or a vice Chair as Chair of the hearing Panel, one medial practitioner member and one sports administrator or *Athlete* member.

If a member appointed by the Chair to hear a case is unwilling or unable, for whatever reason, to hear the case, the Chair may appoint a replacement or appoint a new hearing panel (e.g., from a pre-established pool of candidates).

8.2.6 The appointed members shall have had no prior involvement with the case. Each member, upon appointment, shall disclose to the Chair any circumstances likely to affect impartiality with respect to any of the parties.

8.2.7 The Anti-Doping Disciplinary Panel shall have the power, at its absolute discretion, to appoint an expert to assist or advice the panel as required by the panel.

8.2.8 The International Federation, and or the National Sports Federation concerned, if not a party to the proceedings, the Indian Olympic Association, if not a party to the proceedings, and *WADA* shall each have the right to attend the hearings of the anti-doping disciplinary panel as an observer. In any event, NADA shall keep *WADA* fully apprised as to the status of pending cases and the result of all hearings.

8.3 Proceedings of the Anti-Doping Disciplinary Panel

8.3.1 Subject to the provisions of these Anti-Doping Rules, the Anti-Doping Disciplinary Panel and its hearing panels shall have the power to regulate their procedures.

8.3.2 An *Athlete* or other *Person* may forego a hearing under Article 7.10.1 by waiving the right to a hearing in writing and acknowledging the violations of these Anti-Doping Rules and accepting the *Consequences* consistent with *Code* Article 9 (Automatic Disqualification of Individual Results) and *Code* Article 10 (Sanctions on Individuals) as notified by NADA.

8.3.3 An *Athlete* or *Person* against whom the case is brought has the right to respond to the asserted anti-doping rule violation and resulting *Consequences*.

8.3.4A failure by any party or their representative to dispute the assertion of an anti-doping rule violation as per Article 7.10.2 will be deemed to be an abandonment of their right to a hearing. The right may be reinstated on reasonable grounds.

8.3.5 Each party shall have the right to be represented at a hearing, at the party's own expense.

8.3.6 Unless otherwise agreed between the parties, the Anti-Doping Disciplinary Panel shall provide a single hearing to the *Athlete* or *Person* against whom the case is brought.

8.3.7 The *Athlete* may submit their written submissions with all documents they are relying in support of his/her case before the Anti-Doping Disciplinary Panel within 20 days from the date of receipt of the notice for the constitution of Panel. The same may be supplied in advance in five (5) copies to the office of Anti-Doping Disciplinary Panel. NADA may also file response to the submissions made by the *Athlete* within 20 days after receiving the Reply of the *Athlete*.

8.3.8 The parties will get an opportunity of a single hearing before the hearing panel. However the hearing panel, at its discretion, may grant adjournments, subject to the condition that the party seeking adjournment would have to bear the cost of the hearing viz. sitting fee and travel expense of the Chairman and Members.

8.3.9 Hearings pursuant to this Article should be completed expeditiously and in all cases within three (3) months of the completion of the result management process described in Article 7 (Result Management), save where exceptional circumstances apply.

8.3.10 Hearing of the Anti-Doping Disciplinary Panel shall be open to the public, unless the anti-doping disciplinary panel determines that there are special circumstances warranting otherwise.

8.3.11 NADA shall present the case against the person before the anti-doping disciplinary panel and, where requested by NADA, the National Sports Federation of the *Person* concerned shall assist NADA.

8.3.12 Each party shall have the right to be represented at a hearing, at that party's own expense.

8.3.13 Every party shall have the right to an interpreter at the hearing at their own cost, if deems necessary by the hearing panel. The hearing panel shall determine the identity and responsibility for the cost of any interpreter.

8.3.14 Each party to the proceedings has the right to present the evidence, including the right to call and question witnesses (subject to the hearing panel's discretion to accept the video conferencing written statement or submissions, whether by fax, email or other means).

8.3.15 Anyfailure by the *Person* concerned to comply with any requirements or directions of the hearing panel shall not prevent the hearing panel from proceeding and such failure may be taken into consideration by the hearing panel when making its decisions.

8.3.16 Hearings may be recorded and the NADA shall own and retain any recording.

8.3.17TheAnti-Doping Disciplinary Panel shall act in a fair and impartial manner towards all parties at all times.

[Comment to Article 8.3.8: For example, a hearing could be expedited on the eve of a major Event where the resolution of the anti-doping rule violation is necessary to determine the Athlete's eligibility to participate in the Event, or during an Event where the resolution of the case will affect the validity of the Athlete's results or continued participation in the Event.]

8.4 HEARING BEFORE THE ANTI-DOPING DISCIPLINARY PANEL

1. The anti-doping disciplinary panel shall:

a.) commence the hearing within 45 days of the constitution of the Anti-Doping Disciplinary Panel.

b.) issue a written decision with its reasoning within 90 days of the constitution of the Anti-Doping Disciplinary Panel.

8.5 Decisions of the Anti-Doping Disciplinary Panel

8.5.1 At the end of the hearing, or on a timely basis thereafter, the Anti-Doping Disciplinary Panel shall issue a written, dated and signed decision (either unanimously or by majority) that includes the full reasons for the decision and for any period of *Ineligibility* imposed, including (if applicable) a justification for why the greatest potential *Consequences* were not imposed.

8.5.2 Any minority or any dissenting decisions shall be noted in the written reasons. In the event of a majority decisions, this shall be decisions of the hearing panel.

8.5.3 The decision shall be provided by ADDP to the *Athlete* or other *Person*, NADA, to his/her *National Federations (and to the national Olympic Committee and National Sports Federations, if not a party to the proceedings)*,*WADA* and to *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3.

8.5.4 The decision may be appealed as provided in Article 13.If no appeal is brought against the decision, then

(a) if the decision is that an anti-doping rule violation was committed, the decision shall be *Publicly Disclosed* as provided in Article 14.3.2; but

(b) if the decision is that no anti-doping rule violation was committed, then the decision shall only be *Publicly Disclosed* with the consent of the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision. NADA shall use reasonable efforts to obtain such consent, and if consent is obtained, shall *Publicly Disclose* the decision in its entirety or in such redacted form as the *Athlete* or other *Person* may approve. The principles contained at Article 14.3.6 shall be applied in cases involving a *Minor*.

8.5 Single Hearing Before *CAS*

Cases asserting anti-doping rule violations against *International-Level Athletes in whom NADA is not the Result Management Authority* may be heard directly at *CAS*, with no requirement for a prior hearing, with the consent of the *Athlete*, NADA, *WADA*, and any other *Anti-Doping Organization* that would have had a right to appeal a first instance hearing decision to *CAS*.

[Comment to Article 8.4: Where all of the parties identified in this Article are satisfied that their interests will be adequately protected in a single hearing, there is no need to incur the extra expense of two hearings. An Anti-Doping Organization that wants to participate in the CAS hearing as a party or as an observer may condition its approval of a single hearing on being granted that right.]

ARTICLE 9 AUTOMATIC *DISQUALIFICATION* OF INDIVIDUAL RESULTS

An anti-doping rule violation in *Individual Sports* in connection with an *In-Competition* test automatically leads to *Disqualification* of the result obtained in that *Competition* with all resulting *Consequences*, including forfeiture of any medals, points and prizes.

[Comment to Article 9: For Team Sports, any awards received by individual players will be Disqualified. However, Disqualification of the team will be as provided in Article 11.In sports which are not Team Sports but where awards are given to teams, Disqualification or other disciplinary action against the team when one or more team members have committed an anti-doping rule violation shall be as provided in the applicable rules of the International Federation.]

ARTICLE 10 SANCTIONS ON INDIVIDUALS

10.1 *Disqualification* of Results in the *Event* during which an Anti-Doping Rule Violation Occurs

An anti-doping rule violation occurring during or in connection with an *Event* may, upon the decision of the ruling body of the *Event*, lead to *Disqualification* of all of the *Athlete's* individual results obtained in that *Event* with all *Consequences*, including forfeiture of all medals, points and prizes, except as provided in Article 10.1.1.

Factors to be included in considering whether to *Disqualify* other results in an *Event* might include, for example, the seriousness of the *Athlete's* anti-doping rule violation and whether the *Athlete* tested negative in the other *Competitions*.

[Comment to Article 10.1: Whereas Article 9 Disqualifies the result in a single Competition in which the Athlete tested positive (e.g., the 100 meter backstroke), this Article may lead to Disqualification of all results in all races during the Event (e.g., the FINA World Championships).]

10.1.1 If the *Athlete* establishes that he or she bears *No Fault or Negligence* for the violation, the *Athlete's* individual results in the other *Competition*s shall not be *Disqualified,* unless the *Athlete's* results in *Competition*s other than the *Competition* in which the anti-doping rule violation occurred were likely to have been affected by the *Athlete's* anti-doping rule violation.

10.2 *Ineligibility* for Presence, *Use* or *Attempted Use,* or *Possession* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*

The period of *Ineligibility* for a violation of Articles 2.1, 2.2 or 2.6 shall be as follows, subject to potential reduction or suspension pursuant to Articles 10.4, 10.5 or 10.6:

10.2.1 The period of *Ineligibility* shall be four years where:

10.2.1.1 The anti-doping rule violation does not involve a *Specified Substance,* unless the *Athlete* or other *Person* can establish that the anti-doping rule violation was not intentional.

10.2.1.2 The anti-doping rule violation involves a *Specified Substance* and NADA can establish that the anti-doping rule violation was intentional.

10.2.2 If Article 10.2.1 does not apply, the period of *Ineligibility* shall be two years.

10.2.3 As used in Articles 10.2 and 10.3, the term "intentional" is meant to identify those *Athletes* who cheat. The term, therefore, requires that the *Athlete* or other *Person* engaged in conduct which he or she knew constituted an anti-doping rule violation or knew that there was a significant risk that the conduct might constitute or result in an anti-doping rule violation and manifestly disregarded that risk. An anti-doping rule violation resulting from an *Adverse Analytical Finding* for a substance which is only prohibited *In-Competition* shall be rebuttably presumed to be not "intentional" if the substance is a *Specified Substance and* the *Athlete* can establish that the *Prohibited Substance* was *Used Out-of-Competition*. An anti-doping rule violation resulting from an *Adverse Analytical Finding* for a substance which is only prohibited *In-Competition* shall not be considered "intentional" if the substance is not a *Specified Substance* and the *Athlete* can establish that the *Prohibited Substance* was *Used Out-of-Competition* in a context unrelated to sport performance.

10.3 *Ineligibility* for Other Anti-Doping Rule Violations

The period of *Ineligibility* for anti-doping rule violations other than as provided in Article 10.2 shall be as follows, unless Articles 10.5 or 10.6 are applicable:

10.3.1 For violations of Article 2.3 or Article 2.5, the period of *Ineligibility* shall be four years unless, in the case of failing to submit to *Sample* collection, the *Athlete* can establish that the commission of the anti-doping rule violation was not intentional (as defined in Article 10.2.3), in which case the period of *Ineligibility* shall be two years.

10.3.2 For violations of Article 2.4, the period of *Ineligibility* shall be two years, subject to reduction down to a minimum of one year, depending on the *Athlete's* degree of *Fault*. The flexibility between two years and one year of *Ineligibility* in this Article is not available to *Athletes* where a pattern of last-minute whereabouts changes or other conduct raises a serious suspicion that the *Athlete* was trying to avoid being available for *Testing*.

10.3.3 For violations of Article 2.7 or 2.8, the period of *Ineligibility* shall be a minimum of four years up to lifetime *Ineligibility*, depending on the seriousness of the violation. An Article 2.7 or Article 2.8 violation involving a *Minor* shall be considered a particularly serious violation and, if committed by *Athlete Support Personnel* for violations other than for *Specified Substances*, shall result in lifetime *Ineligibility* for *Athlete Support Personnel*. In addition, significant violations of Article 2.7 or 2.8 which may also violate non-sporting laws and regulations, shall be reported to the competent administrative, professional or judicial authorities.

[Comment to Article 10.3.3: Those who are involved in doping Athletes or covering up doping should be subject to sanctions which are more severe than the Athletes who test positive. Since the authority of sport organizations is generally limited to Ineligibility for accreditation, membership and other sport benefits, reporting Athlete Support Personnel to competent authorities is an important step in the deterrence of doping.]

10.3.4 For violations of Article 2.9, the period of *Ineligibility* imposed shall be a minimum of two years, up to four years, depending on the seriousness of the violation.

10.3.5 For violations of Article 2.10, the period of *Ineligibility* shall be two years, subject to reduction down to a minimum of one year, depending on the *Athlete* or other *Person's* degree of *Fault* and other circumstances of the case.

[Comment to Article 10.3.5: Where the "other Person" referenced in Article 2.10 is an entity and not an individual, that entity may be disciplined as provided in Article 12.]

10.4 Elimination of the Period of *Ineligibility* where there is *No Fault or Negligence*

If an *Athlete* or other *Person* establishes in an individual case that he or she bears *No Fault or Negligence*, then the otherwise applicable period of *Ineligibility* shall be eliminated.

[Comment to Article 10.4: This Article and Article 10.5.2 apply only to the imposition of sanctions; they are not applicable to the determination of whether an anti-doping rule violation has occurred. They will only apply in exceptional circumstances, for example where an Athlete could prove that, despite all due care, he or she was sabotaged by a competitor. Conversely, No Fault or Negligence would not apply in the following circumstances: (a) a positive test resulting from a mislabeled or contaminated vitamin or nutritional supplement (Athletes are responsible for what they ingest (Article 2.1.1) and have been warned against the possibility of supplement contamination); (b) the Administration of a Prohibited Substance by the Athlete's personal physician or trainer without disclosure to the Athlete (Athletes are responsible for their choice of medical personnel and for advising medical personnel that they cannot be given any Prohibited Substance); and (c) sabotage of the Athlete's food or drink by a spouse, coach or other Person within the Athlete's circle of associates (Athletes are responsible for what they ingest and for the conduct of those Persons to whom they entrust access to their food and drink). However, depending on the unique facts of a particular case, any of the referenced illustrations could result in a reduced sanction under Article 10.5 based on No Significant Fault or Negligence.]

10.5 Reduction of the Period of *Ineligibility* based on *No Significant Fault or Negligence*

10.5.1 Reduction of Sanctions for *Specified Substances* or *Contaminated Products* for Violations of Article 2.1, 2.2 or 2.6.

10.5.1.1 *Specified Substances*

Where the anti-doping rule violation involves a *Specified Substance*, and the *Athlete* or other *Person* can establish *No Significant Fault or Negligence*, then the period of *Ineligibility* shall be, at a minimum, a reprimand and no period of *Ineligibility*, and at a maximum, two years of *Ineligibility*, depending on the *Athlete's* or other *Person's* degree of *Fault*.

10.5.1.2 *Contaminated Products*

In cases where the *Athlete* or other *Person* can establish *No Significant Fault or Negligence* and that the detected *Prohibited Substance* came from a *Contaminated Product*, then the period of *Ineligibility* shall be, at a minimum, a reprimand and no period of *Ineligibility*, and at a maximum, two years *Ineligibility*, depending on the *Athlete's* or other *Person's* degree of *Fault*.

[Comment to Article 10.5.1.2: In assessing that Athlete's degree of Fault, it would, for example, be favorable for the Athlete if the Athlete had declared the product which was subsequently determined to be contaminated on his or her Doping Control form.]

10.5.2 Application of *No Significant Fault or Negligence* beyond the Application of Article 10.5.1

If an *Athlete* or other *Person* establishes in an individual case where Article 10.5.1 is not applicable, that he or she bears *No Significant Fault or Negligence*, then, subject to further reduction or elimination as provided in Article 10.6, the otherwise applicable period of *Ineligibility* may be reduced based on the *Athlete* or other Person's degree of *Fault*, but the reduced period of *Ineligibility* may not be less than one-half of the period of *Ineligibility* otherwise applicable. If the otherwise applicable period of *Ineligibility* is a lifetime, the reduced period under this Article may be no less than eight years.

[Comment to Article 10.5.2: Article 10.5.2 may be applied to any anti-doping rule violation except those Articles where intent is an element of the anti-doping rule violation (e.g., Article 2.5, 2.7, 2.8 or 2.9) or an element of a particular sanction (e.g., Article 10.2.1) or a range of Ineligibility is already provided in an Article based on the Athlete or other Person's degree of Fault.]

10.6 Elimination, Reduction, or Suspension of Period of *Ineligibility* or other *Consequences* for Reasons Other than *Fault*

10.6.1 *Substantial Assistance* in Discovering or Establishing Anti-Doping Rule Violations

10.6.1.1 NADA may, prior to a final appellate decision under Article 13 or the expiration of the time to appeal, suspend a part of the period of *Ineligibility* imposed in an individual case in which it has results management authority where the *Athlete* or other *Person* has provided *Substantial Assistance* to an *Anti-Doping Organization*, criminal authority or professional disciplinary body which results in: (i) the *Anti-Doping Organization* discovering or bringing forward an anti-doping rule violation by another *Person*, or (ii) which results in a criminal or disciplinary body discovering or bringing forward a criminal offense or the breach of professional rules committed by another *Person* and the information provided by the *Person* providing *Substantial Assistance* is made available to NADA. After a final appellate decision under Article 13 or the expiration of time to appeal, NADA may only suspend a part of the otherwise applicable period of *Ineligibility* with the approval of *WADA* and the applicable International Federation. The extent to which the otherwise applicable period of *Ineligibility* may be suspended shall be based on the seriousness of the anti-doping rule violation committed by the *Athlete* or other *Person* and the significance of the *Substantial Assistance* provided by the *Athlete* or other *Person* to the effort to eliminate doping in sport. No more than three-quarters of the otherwise applicable period of *Ineligibility* may be suspended. If the otherwise applicable period of *Ineligibility* is a lifetime, the non-suspended period under this Article must be no less than eight years. If the *Athlete* or other *Person* fails to continue to cooperate and to provide the complete and credible *Substantial Assistance* upon which a suspension of the period of *Ineligibility* was based, NADA shall reinstate the original period of *Ineligibility*. If NADA decides to reinstate a suspended period of *Ineligibility* or decides not to reinstate a suspended period of *Ineligibility*, that decision may be appealed by any *Person* entitled to appeal under Article 13.

10.6.1.2 To further encourage *Athletes* and other *Persons* to provide *Substantial Assistance* to *Anti-Doping Organizations*, at the request of NADA or at the request of the *Athlete* or other *Person* who has, or has been asserted to have, committed an anti-doping rule violation, *WADA* may agree at any stage of the results management process, including after a final appellate decision under Article 13, to what it considers to be an appropriate suspension of the otherwise-applicable period of *Ineligibility* and other *Consequences*. In exceptional circumstances, *WADA* may agree to suspensions of the period of *Ineligibility* and other *Consequences* for *Substantial Assistance* greater than those otherwise provided in this Article, or even no period of *Ineligibility*, and/or no return of prize money or payment of fines or costs. *WADA's* approval shall be subject to reinstatement of sanction, as otherwise provided in this Article. Notwithstanding Article 13, *WADA's* decisions in the context of this Article may not be appealed by any other *Anti-Doping Organization*.

10.6.1.3 If NADA suspends any part of an otherwise applicable sanction because of *Substantial Assistance*, then notice providing justification for the decision shall be provided to the other *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3 as provided in Article 14.2. In unique circumstances where *WADA* determines that it would be in the best interest of anti-doping, *WADA* may authorize NADA to enter into appropriate confidentiality agreements limiting or delaying the disclosure of the *Substantial Assistance* agreement or the nature of *Substantial Assistance* being provided.

[Comment to Article 10.6.1: The cooperation of Athletes, Athlete Support Personnel and other Persons who acknowledge their mistakes and are willing to bring other anti-doping rule violations to light is important to clean sport. This is the only circumstance under the Code where the suspension of an otherwise applicable period of Ineligibility is authorized.]

10.6.2 Admission of an Anti-Doping Rule Violation in the Absence of Other Evidence

Where an *Athlete* or other *Person* voluntarily admits the commission of an anti-doping rule violation before having received notice of a *Sample* collection which could establish an anti-doping rule violation (or, in the case of an anti-doping rule violation other than Article 2.1, before receiving first notice of the admitted violation pursuant to Article 7) and that admission is the only reliable evidence of the violation at the time of admission, then the period of *Ineligibility* may be reduced, but not below one-half of the period of *Ineligibility* otherwise applicable.

[Comment to Article 10.6.2: This Article is intended to apply when an Athlete or other Person comes forward and admits to an anti-doping rule violation in circumstances where no Anti-Doping Organization is aware that an anti-doping rule violation might have been committed. It is not intended to apply to circumstances where the admission occurs after the Athlete or other Person believes he or she is about to be caught. The amount by which Ineligibility is

reduced should be based on the likelihood that the Athlete or other Person would have been caught had he/she not come forward voluntarily.]

10.6.3 Prompt Admission of an Anti-Doping Rule Violation after being confronted with a Violation Sanction able under Article10.2.1 or Article 10.3.1

An *Athlete* or other *Person* potentially subject to a four-year sanction under Article 10.2.1 or 10.3.1 (for evading or refusing *Sample Collection* or *Tampering* with *Sample Collection*), by promptly admitting the asserted anti-doping rule violation after being confronted by NADA, and also upon the approval and at the discretion of both *WADA* and NADA, may receive a reduction in the period of *Ineligibility* down to a minimum of two years, depending on the seriousness of the violation and the *Athlete* or other *Person's* degree of *Fault*.

10.6.4 Application of Multiple Grounds for Reduction of a Sanction Where an *Athlete* or other *Person* establishes entitlement to reduction in sanction under more than one provision of Article 10.4, 10.5 or 10.6, before applying any reduction or suspension under Article 10.6, the otherwise applicable period of *Ineligibility* shall be determined in accordance with Articles 10.2, 10.3, 10.4, and 10.5. If the *Athlete* or other *Person* establishes entitlement to a reduction or suspension of the period of *Ineligibility* under Article 10.6, then the period of *Ineligibility* may be reduced or suspended, but not below one-fourth of the otherwise applicable period of *Ineligibility*.

[Comment to Article 10.6.4: The appropriate sanction is determined in a sequence of four steps. First, the hearing panel determines which of the basic sanctions (Articles 10.2, 10.3, 10.4, or 10.5) apply to the particular anti-doping rule violation. Second, if the basic sanction provides for a range of sanctions, the hearing panel must determine the applicable sanction within that range according to the Athlete or other Person's degree of Fault. In a third step, the hearing panel establishes whether there is a basis for elimination, suspension, or reduction of the sanction (Article 10.6). Finally, the hearing panel decides on the commencement of the period of Ineligibility under Article 10.11.Several examples of how Article 10 is to be applied are found in Appendix 2.]

10.7 Multiple Violations

10.7.1 For an *Athlete* or other *Person's* second anti-doping rule violation, the period of *Ineligibility* shall be the greater of:

(a) six months;

(b) one-half of the period of *Ineligibility* imposed for the first anti-doping rule violation without taking into account any reduction under Article 10.6; or

(c) twice the period of *Ineligibility* otherwise applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it were a first violation, without taking into account any reduction under Article 10.6.

The period of *Ineligibility* established above may then be further reduced by the application of Article 10.6.

10.7.2 A third anti-doping rule violation will always result in a lifetime period of *Ineligibility*, except if the third violation fulfills the condition for elimination or reduction of the period of *Ineligibility* under Article 10.4 or 10.5, or involves a violation of Article 2.4. In these particular cases, the period of *Ineligibility* shall be from eight years to lifetime *Ineligibility*.

10.7.3 An anti-doping rule violation for which an *Athlete* or other *Person* has established *No Fault or Negligence* shall not be considered a prior violation for purposes of this Article.

10.7.4 Additional Rules for Certain Potential Multiple Violations

10.7.4.1 For purposes of imposing sanctions under Article 10.7, an anti-doping rule violation will only be considered a second violation if NADA can establish that the *Athlete* or other *Person* committed the second anti-doping rule violation after the *Athlete* or other *Person* received notice pursuant to Article 7, or after NADA made reasonable efforts to give notice, of the first anti-doping rule violation. If NADA cannot establish this, the violations shall be considered together as one single first violation, and the sanction imposed shall be based on the violation that carries the more severe sanction.

10.7.4.2 If, after the imposition of a sanction for a first anti-doping rule violation, NADA discovers facts involving an anti-doping rule violation by the *Athlete* or other *Person* which occurred prior to notification regarding the first violation, then NADA shall impose an additional sanction based on the sanction that could have been imposed if the two violations had been adjudicated at the same time. Results in all *Competitions* dating back to the earlier anti-doping rule violation will be *Disqualified* as provided in Article 10.8.

10.7.5 Multiple Anti-Doping Rule Violations during Ten-Year Period

For purposes of Article 10.7, each anti-doping rule violation must take place within the same ten-year period in order to be considered multiple violations.

10.8 *Disqualification* of Results in *Competitions* Subsequent to *Sample* Collection or Commission of an Anti-Doping Rule Violation

In addition to the automatic *Disqualification* of the results in the *Competition* which produced the positive *Sample* under Article 9, all other competitive results of the *Athlete* obtained from the date a positive *Sample* was collected (whether *In-Competition* or *Out-of-Competition*), or other anti-doping rule violation occurred, through the commencement of any *Provisional Suspension* or *Ineligibility* period, shall, unless fairness requires otherwise, be *Disqualified* with all of the resulting *Consequences* including forfeiture of any medals, points and prizes.

[Comment to Article 10.8: Nothing in these Anti-Doping Rules precludes clean Athletes or other Persons who have been damaged by the actions of a Person who has committed an anti-doping rule violation from pursuing any right which they would otherwise have to seek damages from such Person.]

10.9 Allocation of *CAS* Cost Awards and Forfeited Prize Money

The priority for repayment of *CAS* cost awards and forfeited prize money shall be: first, payment of costs awarded by *CAS*; second, reallocation of forfeited prize money to other *Athletes* if provided for in the rules of the applicable International Federation; and third, reimbursement of the expenses of NADA.

10.10 Financial Consequences

Where an *Athlete* or other *Person* commits an anti-doping rule violation, NADA may, in its discretion and subject to the principle of proportionality, elect to a) recover from the *Athlete* or other *Person* costs associated with the anti-doping rule violation, regardless of the period of *Ineligibility* imposed and/or b) fine the *Athlete* or other *Person* in an amount up to INR 50,000 only in cases where the maximum period of *Ineligibility* otherwise applicable has already been imposed.

The imposition of a financial sanction or the NADA's recovery of costs shall not be considered a basis for reducing the *Ineligibility* or other sanction which would otherwise be applicable under these Anti-Doping Rules or the *Code*.

10.11 Commencement of *Ineligibility* Period

Except as provided below, the period of *Ineligibility* shall start on the date of the final hearing decision providing for *Ineligibility* or, if the hearing is waived or there is no hearing, on the date *Ineligibility* is accepted or otherwise imposed.

10.11.1 Delays Not Attributable to the *Athlete* or other *Person*

Where there have been substantial delays in the hearing process or other aspects of *Doping Control* not attributable to the *Athlete* or other *Person*, NADA may start the period of *Ineligibility* at an earlier date commencing as early as the date of *Sample* collection or the date on which another anti-doping rule violation last occurred. All competitive results achieved during the period of *Ineligibility*, including retroactive *Ineligibility*, shall be *Disqualified.*

[Comment to Article 10.11.1: In cases of anti-doping rule violations other than under Article 2.1, the time required for an Anti-Doping Organization to discover and develop facts sufficient to establish an anti-doping rule violation may be lengthy, particularly where the Athlete or other Person has taken affirmative action to avoid detection. In these circumstances, the flexibility provided in this Article to start the sanction at an earlier date should not be used.]

10.11.2 Timely Admission

Where the *Athlete* or other *Person* promptly (which, in all events, for an *Athlete* means before the *Athlete* competes again) admits the anti-doping rule violation after being confronted with the anti-doping rule violation by NADA, the period of *Ineligibility* may start as early as the date of *Sample* collection or the date on which another anti-doping rule violation last occurred. In each case, however, where this Article is applied, the *Athlete* or other *Person* shall serve at least one-half of the period of *Ineligibility* going forward from the date the *Athlete* or other *Person* accepted the imposition of a sanction, the date of a hearing decision imposing a sanction, or the date the sanction is otherwise imposed. This Article shall not apply where the period of *Ineligibility* already has been reduced under Article 10.6.3.

10.11.3 Credit for *Provisional Suspension* or Period of *Ineligibility* Served

10.11.3.1 If a *Provisional Suspension* is imposed and respected by the *Athlete* or other *Person*, then the *Athlete* or other *Person* shall receive a credit for such period of *Provisional Suspension* against any period of *Ineligibility* which may ultimately be imposed. If a period of *Ineligibility* is served pursuant to a decision that is subsequently appealed, then the *Athlete* or other *Person* shall receive a credit for such period of *Ineligibility* served against any period of *Ineligibility,* which may ultimately be imposed on appeal.

10.11.3.2 If an *Athlete* or other *Person* voluntarily accepts a *Provisional Suspension* in writing from NADA and thereafter respects the *Provisional Suspension*, the *Athlete* or other *Person* shall receive a credit for such period of voluntary *Provisional Suspension* against any period of *Ineligibility* which may ultimately be imposed. A copy of the *Athlete* or other *Perso*n's voluntary acceptance of a *Provisional Suspension* shall be provided promptly to each party entitled to receive notice of an asserted anti-doping rule violation under Article 14.1.

[Comment to Article 10.11.3.2: An Athlete's voluntary acceptance of a Provisional Suspension is not an admission by the Athlete and shall not be used in any way as to draw an adverse inference against the Athlete.]

10.11.3.3 No credit against a period of *Ineligibility* shall be given for any time period before the effective date of the *Provisional Suspension* or voluntary *Provisional Suspension* regardless of whether the *Athlete* elected not to compete or was suspended by his or her team.

10.11.3.4 In *Team Sports*, where a period of *Ineligibility* is imposed upon a team, unless fairness requires otherwise, the period of *Ineligibility* shall start on the date of the final hearing decision providing for *Ineligibility* or, if the hearing is waived, on the date *Ineligibility* is accepted or otherwise imposed. Any period of team *Provisional Suspension* (whether imposed or voluntarily accepted) shall be credited against the total period of *Ineligibility* to be served.

[Comment to Article 10.11: Article 10.11 makes clear that delays not attributable to the Athlete, timely admission by the Athlete and Provisional Suspension are the only justifications for starting the period of Ineligibility earlier than the date of the final hearing decision.]

10.12 Status during *Ineligibility*

10.12.1 Prohibition against Participation During *Ineligibility*

No *Athlete* or other *Person* who has been declared *Ineligible* may, during the period of *Ineligibility*, participate in any capacity in a *Competition* or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized or organized any *Signatory, Signatory's* member organization, or a club or other member organization of a *Signatory's* member organization, or in *Competitions* authorized or organized by any professional league or any international or national level *Event* organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.

An *Athlete* or other *Person* subject to a period of *Ineligibility* longer than four years may, after completing four years of the period of *Ineligibility*, participate as an *Athlete* in local sport events not sanctioned or otherwise under the jurisdiction of a *Code Signatory* or member of a *Code Signatory*, but only so long as the local sport event is not at a level that could otherwise qualify such *Athlete* or other *Person* directly or indirectly to compete in (or accumulate points toward) a national championship or *International Event*, and does not involve the *Athlete* or other *Person* working in any capacity with *Minors*.

An *Athlete* or other *Person* subject to a period of *Ineligibility* shall remain subject to *Testing*.

[Comment to Article 10.12.1: For example, subject to Article 10.12.2 below, an Ineligible Athlete cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by his or her National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league(e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.12.3. The term "activity" also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports (see Article 15.1, Mutual Recognition).]

10.12.2 Return to Training

As an exception to Article 10.12.1, an *Athlete* may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of NADA*'s* member organization during the shorter of: (1) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (2) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed.

[Comment to Article 10.12.2:In many Team Sports and some individual sports(e.g., ski jumping and gymnastics), an Athlete cannot effectively train on his/her own so as to be ready to compete at the end of the Athlete's period of Ineligibility. During the training period described in this Article, an Ineligible Athlete may not compete or engage in any activity described in Article 10.12.1 other than training.]

10.12.3 Violation of the Prohibition of Participation during *Ineligibility*

Where an *Athlete* or other *Person* who has been declared *Ineligible* violates the prohibition against participation during *Ineligibility* described in Article 10.12.1, the results of such participation shall be *Disqualified* and a new period of *Ineligibility* equal in length to the original period of *Ineligibility* shall be added to the end of the original period of *Ineligibility*. The new period of *Ineligibility* may be adjusted based on the *Athlete* or other *Person*'s degree of *Fault* and other circumstances of the case. The determination of whether an *Athlete* or other *Person* has violated the prohibition against participation, and whether an adjustment is appropriate, shall be made by the *Anti-Doping Organization* whose results management led to the imposition of the initial period of *Ineligibility*. This decision may be appealed under Article 13.

Where an *Athlete Support Person* or other *Person* assists a *Person* in violating the prohibition against participation during *Ineligibility*, NADA shall impose sanctions for a violation of Article 2.9 for such assistance.

10.12.4 Withholding of Financial Support during *Ineligibility*

In addition, for any anti-doping rule violation not involving a reduced sanction as described in Article 10.4 or 10.5, some or all sport-related financial support or other sport-related benefits received by such *Person* will be withheld by NADA, the Government of India, and the *National Federations*.

10.13 Automatic Publication of Sanction

A mandatory part of each sanction shall include automatic publication, as provided in Article 14.3.

[Comment to Article 10: Harmonization of sanctions has been one of the most discussed and debated areas of anti-doping. Harmonization means that the same rules and criteria are applied to assess the unique facts of each case. Arguments against requiring harmonization of sanctions are based on differences between sports including, for example, the following: in some sports the Athletes are professionals making a sizable income from the sport and in others the Athletes are true amateurs; in those sports where an Athlete's career is short, a standard period of Ineligibility has a much more significant effect on the Athlete than in sports where careers are traditionally much longer. A primary argument in favor of harmonization is that it is simply not right that two Athletes from the same country who test positive for the same Prohibited Substance under similar circumstances should receive different sanctions only because they participate in different sports. In addition, flexibility in sanctioning has often been viewed as an unacceptable opportunity for some sporting organizations to be more lenient with dopers. The lack of harmonization of sanctions has also frequently been the source of jurisdictional conflicts between International Federations and National Anti-Doping Organizations.]

ARTICLE 11 *CONSEQUENCES* TO TEAMS

11.1 *Testing* of *Team Sports*

Where more than one member of a team in a *Team Sport* has been notified of an anti-doping rule violation under Article 7 in connection with an *Event*, the ruling body for the *Event* shall conduct appropriate *Target Testing* of the team during the *Event Period*.

11.2 *Consequences* for *Team Sports*

If more than two members of a team in a *Team Sport* are found to have committed an anti-doping rule violation during an *Event Period*, the ruling body of the *Event* shall impose an appropriate sanction on the team (e.g., loss of points, *Disqualification* from a *Competition* or *Event*, or other sanction) in addition to any *Consequences* imposed upon the individual *Athletes* committing the anti-doping rule violation.

11.3 *Event* Ruling Body may Establish Stricter *Consequences* for *Team Sports*

The ruling body for an *Event* may elect to establish rules for the *Event* which imposes *Consequences* for *Team Sports* stricter than those in Article 11.2 for purposes of the *Event*.

[Comment to Article 11.3: For example, the International Olympic Committee could establish rules which would require Disqualification of a team from the Olympic Games based on a lesser number of anti-doping rule violations during the period of the Games.]

ARTICLE 12 SANCTIONS AND COSTS ASSESSED AGAINST SPORTING BODIES

12.1 NADA has the authority to request the relevant public authorities to withhold some or all funding or other non-financial support to *National Federations* that are not in compliance with these Anti-Doping Rules.

12.2 NADA may at its discretion elect to request the *National Olympic Committee* of India to take additional disciplinary action against *National Federations* with respect to recognition, the eligibility of its officials and *Athletes* to participate in International Events and fines based on the following:

12.2.1 The total number of Anti-Doping Rules violations shall not be more than 1 percent of the total sample collection (other than violations involving Article 2.4) which are committed by *Athletes* or other *Persons* affiliated with a *National Federation* within a 12-month period.

12.2.2 More than one *Athlete* or other *Person* from a *National Federation* commits an *Anti-Doping Rule* violation during an *International Event.*

12.2.3 A *National Federation* has failed to make diligent efforts to keep NADA informed about an *Athlete's* whereabouts after receiving a request for that information from NADA.

12.2.4 Three or more failure of National Federation to comply with Article16

ARTICLE 13 APPEALS

13.1 Decisions Subject to Appeal

Decisions made under these Anti-Doping Rules may be appealed as set forth below in Articles 13.2 through 13.7 or as otherwise provided in these Anti-Doping Rules, the *Code* or the *International Standards*. Such decisions shall remain in effect while under appeal unless the appellate body orders otherwise. Before an appeal is commenced, any post-decision review provided in the *Anti-Doping Organization*'s rules must be exhausted, provided that such review respects the principles set forth in Article 13.2.2 below (except as provided in Article 13.1.3).

13.1.1 Scope of Review Not Limited

The scope of review on appeal includes all issues relevant to the matter and is expressly not limited to the issues or scope of review before the initial decision maker.

13.1.2 *CAS* Shall Not Defer to the Findings Being Appealed

In making its decision, *CAS* need not give deference to the discretion exercised by the body whose decision is being appealed.

[Comment to Article 13.1.2: CAS proceedings are de novo. Prior proceedings do not limit the evidence or carry weight in the hearing before CAS.]

13.1.3 *WADA* Not Required to Exhaust Internal Remedies

Where *WADA* has a right to appeal under Article 13 and no other party has appealed a final decision within NADA's process, *WADA* may appeal such decision directly to *CAS* without having to exhaust other remedies in NADA's process.

[Comment to Article 13.1.3:Where a decision has been rendered before the final stage of NADA's process (for example, a first hearing) and no party elects to appeal that decision to the next level of NADA's process, then WADA may bypass the remaining steps in NADA's internal process and appeal directly to CAS.]

13.2 Appeals from Decisions Regarding *Anti-Doping* Rule Violations, Consequences, *Provisional Suspensions,* Recognition of Decisions and Jurisdiction

A decision that an anti-doping rule violation was committed, a decision imposing *Consequences* or not imposing *Consequences* for an anti-doping rule violation, or a decision that no anti-doping rule violation was committed; a decision that an anti-doping rule violation proceeding cannot go forward for procedural reasons (including, for example, prescription); a decision by *WADA* not to grant an exception to the six months' notice requirement for a retired *Athlete* to return to *Competition* under Article 5.7.1; a decision by *WADA* assigning results management under Article 7.1 of the *Code*; a decision by NADA not to bring forward an *Adverse Analytical Finding* or an *Atypical Finding* as an anti-doping rule violation, or a decision not to go forward with an anti-doping rule violation after an investigation under Article 7.7; a decision to impose a *Provisional Suspension* as a result of a *Provisional Hearing;* NADA's failure to comply with Article 7.9;a decision that NADA lacks jurisdiction to rule on an alleged anti-doping rule violation or its *Consequences*; a decision to suspend, or not suspend, a period of *Ineligibility* or to reinstate, or not reinstate, a suspended period of *Ineligibility* under Article 10.6.1; a decision under Article 10.12.3; and a decision by NADA not to recognize another *Anti-Doping Organization*'s decision under Article 15,may be appealed exclusively as provided in Articles 13.2 – 13.7.

13.2.1 Appeals Involving *International-Level Athletes* or *International Events*

In cases arising from participation in an *International Event* or in cases involving *International-Level Athletes*, the decision may be appealed exclusively to *CAS.*

[Comment to Article 13.2.1:CAS decisions are final and binding except for any review required by law applicable to the annulment or enforcement of arbitral awards.]

13.2.2 Appeals Involving Other *Athletes* or Other *Persons*

In cases where Article 13.2.1 is not applicable, the decision may be appealed to the National Anti-Doping Appeal Panel.

13.2.2.1 Hearings before the National Anti-Doping Appeal Panel

13.2.2.1.1 The Composition of the National Anti Doping Appeal Panel:

The Chairman/Vice Chairman of the Governing body of NADA shall appoint an independent National Anti-Doping Appeal Panel which will comprise of the following:

(a) A Chair and one Vice-chair, each of whom shall be legal practitioners of not less than fifteen years standing,

(b) Two medical practitioners of not less than ten years standing; and

(c) Two additional members, each of whom shall be, or has previously been, a sports administrator or an *Athlete*,

All of whom will be appointed on the basis that they are in a position to hear the cases fairly and impartially.

13.2.2.1.2 Each panel member shall serve a term of two years.

13.2.2.1.3 If a panel member dies or resigns or a conflict of interest with their affiliation or demonstrated behavior/actions against the principles and rules of the Code is established, the Chairman/Vice Chairman of Governing body of NADA may appoint an independent person to be a panel member to fill the resultant vacancy. The person appointed shall be so appointed for the remainder of the term of the member who occasioned the vacancy.

13.2.2.1.4 A panel member may be re-appointed by the Chairman/Vice Chairman of Governing body of NADA.

13.2.2.1.5 The Chair of the National Anti Doping Appeal panel, or in his or her absence, vice Chair, shall appoint three (3) members from the panel to hear and determine each case. Each such hearing panel shall comprise Chair or vice Chair as Chair of the hearing Panel, one medial practitioner member and one sports administrator or Athlete member.

13.2.2.1.6 The appointed members shall have had no prior involvement with any aspect of the case. In particular, no member may have previously considered any *TUE*application or appeal involving the same *Athlete* as in the current case. Each member, upon appointment, shall disclose to the Chair any circumstances likely to affect impartiality with respect to any of the parties.

13.2.2.1.7 If a member appointed by the Chair to hear a case is unwilling or unable, for whatever reason, to hear the case, the Chair may appoint a replacement or appoint a new hearing panel (e.g., from a pre-established pool of candidates).

13.2.2.2 Proceedings of the National Anti-Doping Appeal Panel

13.2.2.2.1 Subject to the provisions of these Anti-Doping Rules, the National Anti-Doping Appeal Panel shall have the power to regulate its procedures.

13.2.2.2.2 The appellant shall present his/her case and the respondent party or parties shall present his/her/their case(s) in reply.

13.2.2.2.3 A failure by any party or his/her representative to attend a hearing after notification will be deemed to be an abandonment of his/her right to a hearing. This right may be reinstated on reasonable grounds.

13.2.2.2.4 Each party shall have the right to be represented at a hearing, at that party's own expense.

13.2.2.2.5 Every party shall have the right to an interpreter at the hearing, if deemed necessary by the hearing panel. The hearing panel shall determine the identity and responsibility for the cost of any interpreter.

13.2.2.2.6 Any failure by any party to comply with any requirement or direction of the National Anti-Doping Appeal Panel shall not prevent the National Anti-Doping Appeal Panel from proceeding and such failure may be taken into consideration by the National Anti-Doping Appeal Panel when making its decision.

13.2.2.2.7 The National Anti-Doping Appeal Panel has the power, at its absolute discretion, to appoint an expert to assist or advise the panel as required by the panel.

13.2.2.2.8 Each party to the proceedings has the right to present evidence, including the right to call and question witnesses (subject to the National Anti-Doping Hearing Panel's discretion to accept testimony by telephone or other means).

13.2.2.2.9 NADA has the right to join proceedings and attend hearings of the National Anti-Doping Appeal Panel as a party.

13.2.2.2.10 The International Federation and/or the *National Federation* concerned, if not a party to the proceedings, the *National Olympic Committee*, if not a party to the proceedings, and *WADA* each have the right to attend hearings of the National Anti-Doping Appeal Panel as an observer.

13.2.2.2.11 Hearings pursuant to this Article should be completed expeditiously and in all cases within three months of the date of the decision of the Anti-Doping Disciplinary Panel, save where exceptional circumstances apply.

13.2.2.2.12 Hearings held in connection with *Events* may be conducted on an expedited basis.

13.2.2.2.13 Unless otherwise agreed between the parties, the NADAP shall provide a single hearing to athlete or person against whom the case is brought.

13.2.2.2.14 The parties will get an opportunity of a single hearing before the hearing panel. However the hearing panel, at its discretion, may grant adjournments, subject to the condition that the party seeking adjournment would have to bear the cost of the hearing viz. sitting fee and travel expense of the Chairman and Members.

13.2.2.2.15 The Appellant may submit their written submissions with all documents they are relying in support of his/her case before the National Anti Doping Appeal Panel within 20 days from the date of receipt of the copy of the appeal. The same may be supplied in advance in five (5) copies to the office of National Anti Doping Appeal Panel. The Respondent may also file response to the submissions made by the Appellant within 20 days time after receiving the copy of the Appeal.

13.2.2.3 Decisions of the National Anti-Doping Appeal Panel:

13.2.2.3.1At the end of the hearing, or on a timely basis thereafter, the National Anti-Doping Appeal Panel shall issue a written, dated and signed decision (either unanimously or by majority) that includes the full reasons for the decision and for any period of *Ineligibility* imposed, including (if applicable) a justification for why the maximum potential sanction was not imposed.

13.2.2.3.2The decision shall be provided by NADA to the *Athlete* or other *Person*, to his/her *National Federation*, and to *Anti-Doping Organizations* with a right to appeal under Article 13.2.3.

13.2.2.3.3 The decision may be appealed as provided in Article 13.2.3.If no appeal is brought against the decision, then (a) if the decision is that an anti-doping rule violation was committed, the decision shall be *Disclosed* as provided in Article 14.3.2; but (b) if the decision is that no anti-doping rule violation was committed, then the decision shall only be *Publicly Disclosed* with the consent of the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision. NADA shall use reasonable efforts to obtain such consent, and if consent is obtained, shall *Publicly Disclose* the decision in its entirety or in such redacted form as the *Athlete* or other *Person* may approve.

13.2.3 *Persons* Entitled to Appeal

In cases under Article 13.2.1, the following parties shall have the right to appeal to *CAS*: (a) the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was rendered; (c) the relevant International Federation; (d) NADA and (if different) the *National Anti-Doping Organization* of the *Person's* country of residence or countries where the *Person* is a national or license holder; (e) the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games; and (f) *WADA*.

In cases under Article 13.2.2, the following parties, at a minimum, shall have the right to appeal: (a) the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was rendered; (c) the relevant International Federation; (d) NADA and (if different) the *National Anti-Doping Organization* of the *Person*'s country of residence; (e) the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games; and (f) *WADA*.

For cases under Article 13.2.2, *WADA*, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, and the relevant International Federation shall also have the right to appeal to *CAS* with respect to the decision of the national-level appeal body. Any party filing an appeal shall be entitled to assistance from *CAS* to obtain all relevant information from the *Anti-Doping Organization* whose decision is being appealed and the information shall be provided if *CAS* so directs.

Notwithstanding any other provision herein, the only *Person* who may appeal from a *Provisional Suspension* is the *Athlete* or other *Person* upon whom the *Provisional Suspension* is imposed.

13.2.4 Cross Appeals and other Subsequent Appeals Allowed

Cross appeals and other subsequent appeals by any respondent named in cases brought to *CAS* under the *Code* are specifically permitted. Any party with a right to appeal under this Article 13 must file a cross appeal or subsequent appeal at the latest with the party's answer.

[Comment to Article 13.2.4: This provision is necessary because since 2011, CAS rules no longer permit an Athlete the right to cross appeal when an Anti-Doping Organization appeals a decision after the Athlete's time for appeal has expired. This provision permits a full hearing for all parties.]

13.3 Failure to Render a Timely Decision

Where, in a particular case, NADA fails to render a decision with respect to whether an anti-doping rule violation was committed within a reasonable deadline set by *WADA*, *WADA* may elect to appeal directly to *CAS* as if NADA had rendered a decision finding no anti-doping rule violation. If the *CAS* hearing panel determines that an anti-doping rule violation was committed and that *WADA* acted reasonably in electing to appeal directly to *CAS*, then *WADA*'s costs and attorney fees in prosecuting the appeal shall be reimbursed to *WADA* by NADA.

[Comment to Article 13.3: Given the different circumstances of each anti-doping rule violation investigation and results management process, it is not feasible to establish a fixed time period for NADA to render a decision before WADA may intervene by appealing directly to CAS. Before taking such action, however, WADA will consult with NADA and give NADA an opportunity to explain why it has not yet rendered a decision.]

13.4 Appeals Relating to *TUEs*

TUE decisions may be appealed exclusively as provided in Article 4.4.

13.5 Notification of Appeal Decisions

Any *Anti-Doping Organization* that is a party to an appeal shall promptly provide the appeal decision to the *Athlete* or other *Person* and to the other *Anti-Doping Organizations* that would have been entitled to appeal under Article 13.2.3 as provided under Article 14.2.

13.6 Appeal from Decisions Pursuant to Article 12

Decisions by NADA pursuant to Article 12 may be appealed exclusively to *National Anti-Doping Appeal Panel by* the *National Federation*.

13.7 Time for Filing Appeals

13.7.1 Appeals to *CAS*

The time to file an appeal to *CAS* shall be twenty-one days from the date of receipt of the decision by the appealing party. The above notwithstanding, the following shall apply in connection with appeals filed by a party entitled to appeal but which was not a party to the proceedings that led to the decision being appealed:

(a) Within fifteen days from notice of the decision, such party/ies shall have the right to request a copy of the case file from the body that issued the decision;

(b) If such a request is made within the fifteen-day period, then the party making such request shall have twenty-one days from receipt of the file to file an appeal to *CAS*.

The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by *WADA* shall be the later of:

(a) Twenty-one days after the last day on which any other party in the case could have appealed; or

(b) Twenty-one days after WADA's receipt of the complete file relating to the decision.

13.7.2 Appeals under Article 13.2.2

The time to file an appeal to the National Anti-Doping Appeal Panel shall be twenty-one days from the date of receipt of the decision by the appealing party. However, the following shall apply in connection with appeals filed by a party entitled to appeal but which was not a party to the proceedings having led to the decision subject to appeal:

(a) Within fifteen days from notice of the decision, such party/ies shall have the right to request from the body having issued the decision a copy of the file on which such body relied;

(b) If such a request is made within the fifteen-day period, then the party making such request shall have twenty-one days from receipt of the file to file an appeal to the National Anti-Doping Appeal Panel.

The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal or intervention filed by *WADA* shall be the later of:

(a) Twenty-one days after the last day on which any other party in the case could have appealed, or

(b) Twenty-one days after *WADA*'s receipt of the complete file relating to the decision.

ARTICLE 14 CONFIDENTIALITY AND REPORTING

14.1 Information Concerning *Adverse Analytical Findings*, *Atypical Findings*, and Other Asserted Anti-Doping Rule Violations

14.1.1 Notice of Anti-Doping Rule Violations to *Athletes* and other *Persons*

Notice to *Athletes* or other *Persons* that an anti-doping rule violation is being asserted against them shall occur as provided under Articles 7 and 14 of these Anti-Doping Rules. Notice to an *Athlete* or other *Person* who is a member of a *National Federation* may be accomplished by delivery of the notice to the *National Federation*.

14.1.2 Notice of Anti-Doping Rule Violations to International Federations and *WADA*

Notice of the assertion of an anti-doping rule violation to International Federations and *WADA* shall occur as provided under Articles 7and 14 of these Anti-Doping Rules, simultaneously with the notice to the *Athlete* or other *Person*.

14.1.3 Content of an Anti-Doping Rule Violation Notice

Notification of an anti-doping rule violation under Article 2.1 shall include: the *Athlete*'s name, country, sport and discipline within the sport, the *Athlete*'s competitive level, whether the test was *In-Competition* or *Out-of-Competition*, the date of *Sample* collection, the analytical result reported by the laboratory, and other information as required by the International Standard for Testing and Investigations.

Notice of anti-doping rule violations other than under Article 2.1 shall include the rule violated and the basis of the asserted violation.

14.1.4 Status Reports

Except with respect to investigations which have not resulted in notice of an anti-doping rule violation pursuant to Article 14.1.1, International Federations and *WADA* shall be regularly updated on the status and findings of any review or proceedings conducted pursuant to Article 7, 8 or 13 and shall be provided with a prompt written reasoned explanation or decision explaining the resolution of the matter.

14.1.5 Confidentiality

The recipient organizations shall not disclose this information beyond those *Person*s with a need to know (which would include the appropriate personnel at the applicable *National Olympic Committee*, *National Federation*, and team in a *Team Sport*) until the NADA has made *Public Disclosure* or has failed to make *Public Disclosure* as required in Article 14.3.

14.2 Notice of Anti-Doping Rule Violation Decisions and Request for Files

14.2.1 Anti-doping rule violation decisions rendered pursuant to Article 7.11, 8.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 or 13.5 shall include the full reasons for the decision, including, if applicable, a justification for why the greatest possible *Consequences* were not imposed. Where the decision is not in English or French, NADA shall provide a short English or French summary of the decision and the supporting reasons.

14.2.2 An *Anti-Doping Organization* having a right to appeal a decision received pursuant to Article 14.2.1 may, within fifteen days of receipt, request a copy of the full case file pertaining to the decision.

14.3 *Public Disclosure*

14.3.1 The identity of any *Athlete* or other *Person* who is asserted by NADA to have committed an anti-doping rule violation, may be *Publicly Disclose*d by NADA only after notice has been provided to the *Athlete* or other *Person* in accordance with Article 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 or 7.7 and simultaneously to *WADA* and the International Federation of the *Athlete* or other *Person* in accordance with Article 14.1.2.

14.3.2 No later than twenty days after it has been determined in a final appellate decision under Article 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has been waived, or a hearing in accordance with Article 8 has been waived, or the assertion of an anti-doping rule violation has not been timely challenged, NADA must *Publicly Report* the disposition of the matter, including the sport, the anti-doping rule violated, the name of the *Athlete* or other *Person* committing the violation, the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* involved (if any) and the *Consequences* imposed. NADA must also *Publicly Report* within twenty days the results of final appeal decisions concerning anti-doping rule violations, including the information described above.

14.3.3 In any case where it is determined, after a hearing or appeal, that the *Athlete* or other *Person* did not commit an anti-doping rule violation, the decision may be *Publicly Disclosed* only with the consent of the *Athlete* or other *Person* who is the subject of the decision. NADA shall use reasonable efforts to obtain such consent. If consent is obtained, NADA shall *Publicly Disclose* the decision in its entirety or in such redacted form as the *Athlete* or other *Person* may approve.

14.3.4 Publication shall be accomplished at a minimum by placing the required information on the NADA's website or publishing it through other means and leaving the information up for the longer of one month or the duration of any period of *Ineligibility*.

14.3.5 Neither NADA, nor the *National Federations*, nor any official of either body, shall publicly comment on the specific facts of any pending case (as opposed to general description of process and science) except in response to public comments attributed to the *Athlete* or other *Person* against whom an anti-doping rule violation is asserted, or their representatives.

14.3.6 The mandatory *Public Reporting* required in Article 14.3.2 shall not be required where the *Athlete* or other *Person* who has been found to have committed an anti-doping rule violation is a *Minor*. Any optional *Public Reporting* in a case involving a *Minor* shall be proportionate to the facts and circumstances of the case.

14.4 Statistical Reporting

NADA shall publish at least annually a general statistical report of its *Doping Control* activities, with a copy provided to *WADA*. NADA may also publish reports showing the name of each *Athlete* tested and the date of each *Testing*.

14.5 *Doping Control* Information Clearinghouse

To facilitate coordinated test distribution planning and to avoid unnecessary duplication in *Testing* by the various *Anti-Doping Organization*s, NADA shall report all *In-Competition* and *Out-of-Competition* tests on such *Athlete*s to the *WADA* clearinghouse, using *ADAMS*, as soon as possible after such tests have been conducted. This information will be made accessible, where appropriate and in accordance with the applicable rules, to the *Athlete*, the *Athlete*'s International Federation and any other *Anti-Doping Organizations* with *Testing* authority over the *Athlete*.

14.6 Data Privacy

14.6.1 NADA may collect, store, process or disclose personal information relating to *Athlete*s and other *Persons* where necessary and appropriate to conduct their anti-doping activities under the *Code*, the *International Standards* (including specifically the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information) and these Anti-Doping Rules.

14.6.2 Any *Participant* who submits information including personal data to any *Person* in accordance with these Anti-Doping Rules shall be deemed to have agreed, pursuant to applicable data protection laws and otherwise, that such information may be collected, processed, disclosed and used by such *Person* for the purposes of the implementation of these Anti-Doping Rules, in accordance with the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information and otherwise as required to implement these Anti-Doping Rules.

ARTICLE 15 APPLICATION AND RECOGNITION OF DECISIONS

15.1 Subject to the right to appeal provided in Article 13, *Testing*, hearing results or other final adjudications of any *Signatory* which are consistent with the *Code* and are within that *Signatory's* authority shall be applicable worldwide and shall be recognized and respected by NADA and all *National Federations.*

[Comment to Article 15.1: The extent of recognition of TUE decisions of other Anti-Doping Organizations shall be determined by Article 4.4 and the International Standard for Therapeutic Use Exemptions.]

15.2 NADA and all *National Federations* shall recognize the measures taken by other bodies which have not accepted the *Code* if the rules of those bodies are otherwise consistent with the *Code*.

[Comment to Article 15.2: Where the decision of a body that has not accepted the Code is in some respects Code compliant and in other respects not Code compliant, NADA or National Federations shall attempt to apply the decision in harmony with the principles of the Code. For example, if in a process consistent with the Code a non-Signatory has found an Athlete to have committed an anti-doping rule violation on account of the presence of a Prohibited Substance in his or her body but the period of Ineligibility applied is shorter than the period provided for in these Anti-Doping Rules, then NADA shall recognize the finding of an anti-doping rule violation and may conduct a hearing consistent with Article 8 to determine whether the longer period of Ineligibility provided in these Anti-Doping Rules should be imposed.]

15.3 Subject to the right to appeal provided in Article 13, any decision of NADA regarding a violation of these Anti-Doping Rules shall be recognized by all *National Federation*s, which shall take all necessary action to render such decision effective.

Subject to the right to appeal, any decisions of the Anti Doping Disciplinary panel or CAS, or the National Anti Doping Appeal panel regarding the violation of these Anti Doping Rules within the authority of NADA, shall be recognized by all Anti Doping organizations and each of their affiliated or associated organizations, or National Federations, each of which shall take all necessary action to render such results effective.

ARTICLE 16 INCORPORATION OF NADA ANTI-DOPING RULES AND OBLIGATIONS OF *NATIONAL FEDERATIONS*

16.1 All *National Federation*s and their members shall comply with these Anti-Doping Rules. These Anti-Doping Rules shall also be incorporated either directly or by reference into each *National Federation's* rules so that NADA may enforce them itself directly as against *Athletes* and other *Persons* under the *National Federation's* jurisdiction.

16.2 All *National Federation*s shall establish rules requiring all *Athlete*s and each *Athlete Support Personnel* who participates as coach, trainer, manager, team staff, official, medical or paramedical personnel in a *Competition* or activity authorized or organized by a *National Federation* or one of its member organizations to agree to be bound by these Anti-Doping Rules and to submit the results management authority of the *Anti-Doping Organization* responsible under the *Code* as a condition of such participation.

16.3 All *National Federation*s shall report any information suggesting or relating to an anti-doping rule violation to NADA and to their International Federation, and shall cooperate with investigations conducted by any *Anti-Doping Organization* with authority to conduct the investigation.

16.4 All *National Federation*s shall have disciplinary rules in place to prevent *Athlete Support Personnel* who are *Using Prohibited Substances* or *Prohibited Methods* without valid justification from providing support to *Athletes* under the jurisdiction of NADA or the *National Federation*.

16.5 All *National Federations* shall be required to conduct anti-doping education in coordination with NADA.

ARTICLE 17 STATUTE OF LIMITATIONS

No anti-doping rule violation proceeding may be commenced against an *Athlete* or other *Person* unless he or she has been notified of the anti-doping rule violation as provided in Article 7, or notification has been reasonably attempted, within ten years from the date the violation is asserted to have occurred.

ARTICLE 18 NADA COMPLIANCE REPORTS TO *WADA*

NADA will report to *WADA* on NADA's compliance with the *Code* in accordance with Article 23.5.2 of the *Code*.

ARTICLE 19 EDUCATION

NADA shall plan, implement, evaluate and monitor information; education and prevention programs for doping-free sport on at least the issues listed at Article 18.2 of the *Code*, and shall support active participation by *Athlete*s and *Athlete Support Personnel* in such programs.

ARTICLE 20 AMENDMENT AND INTERPRETATION OF ANTI-DOPING RULES

20.1 These Anti-Doping Rules may be amended from time to time by NADA.

20.2 These Anti-Doping Rules shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by reference to existing law or statutes.

20.3 The headings used for the various Parts and Articles of these Anti-Doping Rules are for convenience only and shall not be deemed part of the substance of these Anti-Doping Rules or to affect in any way the language of the provisions to which they refer.

20.4 The *Code* and the *International Standards* shall be considered integral parts of these Anti-Doping Rules and shall prevail in case of conflict.

20.5 These Anti-Doping Rules have been adopted pursuant to the applicable provisions of the *Code* and shall be interpreted in a manner that is consistent with applicable provisions of the *Code*. The Introduction shall be considered an integral part of these Anti-Doping Rules.

20.6 The comments annotating various provisions of the *Code* and these Anti-Doping Rules shall be used to interpret these Anti-Doping Rules.

20.7 These Anti-Doping Rules have come into full force and effect on 1 January, 2015 (the "Effective Date"). They shall not apply retroactively to matters pending before the Effective Date; provided, however, that:

20.7.1 Anti-doping rule violations taking place prior to the Effective Date count as "first violations" or "second violations" for purposes of determining sanctions under Article 10 for violations taking place after the Effective Date.

20.7.2 The retrospective periods in which prior violations can be considered for purposes of multiple violations under Article 10.7.5 and the statute of limitations set forth in Article 17 are procedural rules and should be applied retroactively; provided, however, that Article 17 shall only be applied retroactively if the statute of limitation period has not already expired by the Effective Date. Otherwise, with respect to any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any anti-doping rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred prior to the Effective Date, the case shall be governed by the substantive anti-doping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred, unless the panel hearing the case determines the principle of "lexmitior" appropriately applies under the circumstances of the case.

20.7.3 Any Article 2.4 whereabouts failure (whether a Filing Failure or a Missed Test, as those terms are defined in the International Standard for Testing and Investigations) prior to the Effective Date shall be carried forward and may be relied upon, prior to expiry, in accordance with the International Standard for Testing and Investigation, but it shall be deemed to have expired 12 months after it occurred.

20.7.4 With respect to cases where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered prior to the Effective Date, but the *Athlete* or other *Person* is still serving the period of *Ineligibility* as of the Effective Date, the *Athlete* or other *Person* may apply to the *Anti-Doping Organization* which had results management responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of *Ineligibility* in light of these Anti-Doping Rules. Such application must be made before the period of *Ineligibility* has expired. The decision rendered may be appealed pursuant to Article 13.2. These Anti-Doping Rules shall have no application to any case where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered and the period of *Ineligibility* has expired.

20.7.5 For purposes of assessing the period of *Ineligibility* for a second violation under Article 10.7.1, where the sanction for the first violation was determined based on rules in force prior to the Effective Date, the period of *Ineligibility* which would have been assessed for that first violation had these Anti-Doping Rules been applicable, shall be applied.

ARTICLE 21 INTERPRETATION OF THE *CODE*

21.1 The official text of the *Code* shall be maintained by *WADA* and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.

21.2 The comments annotating various provisions of the *Code* shall be used to interpret the *Code*.

21.3 The *Code* shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by reference to the existing law or statutes of the *Signatories* or governments.

21.4 The headings used for the various Parts and Articles of the *Code* are for convenience only and shall not be deemed part of the substance of the *Code* or to affect in any way the language of the provisions to which they refer.

21.5 The *Code* shall not apply retroactively to matters pending before the date the *Code* is accepted by a *Signatory* and implemented in its rules. However, pre-*Code* anti-doping rule violations would continue to count as "first violations" or "second violations" for purposes of determining sanctions under Article 10 for subsequent post-*Code* violations.

21.6 The Purpose, Scope and Organization of the World Anti-Doping Program and the *Code* and Appendix 1, Definitions, and Appendix 2, Examples of the Application of Article 10, shall be considered integral parts of the *Code*.

ARTICLE 22 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF *ATHLETES* AND OTHER *PERSONS*

22.1 Roles and Responsibilities of *Athlete*s

22.1.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.

22.1.2 To be available for *Sample* collection at all times.

[Comment to Article 22.1.2: With due regard to an Athlete's human rights and privacy, legitimate anti-doping considerations sometimes require Sample collection late at night or early in the morning. For example, it is known that some Athletes use low doses of EPO during these hours so that it will be undetectable in the morning.]

22.1.3 To take responsibility, in the context of anti-doping, for what they ingest and *Use*.

22.1.4 To inform medical personnel of their obligation not to *Use Prohibited Substance*s and *Prohibited Method*s and to take responsibility to make sure that any medical treatment received does not violate these Anti-Doping Rules.

22.1.5 To disclose to their International Federation and to NADA any decision by a non-*Signatory* finding that the *Athlete* committed an anti-doping rule violation within the previous ten years.

22.1.6 To cooperate with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations.

22.2 Roles and Responsibilities of *Athlete Support Personnel*

22.2.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.

22.2.2 To cooperate with the *Athlete Testing* program.

22.2.3 To use his or her influence on *Athlete* values and behavior to foster anti-doping attitudes.

22.2.4 To disclose to his or her International Federation and to NADA any decision by a non-*Signatory* finding that he or she committed an anti-doping rule violation within the previous ten years.

22.2.5 To cooperate with *Anti-Doping Organizations* investigating anti-doping rule violations.

22.2.6 *Athlete Support Personnel* shall not *Use* or *Possess* any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* without valid justification.

APPENDIX 1 DEFINITIONS

ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System is a Web-based database management tool for data entry, storage, sharing, and reporting designed to assist stakeholders and *WADA* in their anti-doping operations in conjunction with data protection legislation.

Administration: Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise participating in the *Use* or *Attempted Use* by another *Person* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*. However, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification and shall not include actions involving *Prohibited Substances* which are not prohibited in *Out-of-Competition Testing* unless the circumstances as a whole demonstrate that such *Prohibited Substances* are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.

Adverse Analytical Finding: A report from a *WADA*-accredited laboratory or other *WADA*-approved laboratory that, consistent with the International Standard for Laboratories and related Technical Documents, identifies in a *Sample* the presence of a *Prohibited Substance* or its *Metabolites* or *Markers* (including elevated quantities of endogenous substances) or evidence of the *Use* of a *Prohibited Method*.

Adverse Passport Finding: A report identified as an *Adverse Passport Finding*as described in the applicable *International Standards*.

Anti-Doping Appeal Panel: The panel appointed by the Chairman/Vice-Chairman of the Governing Body of the NADA to adjudicate on appeals from decisions of the Anti-Doping Disciplinary Panel.

Anti-Doping Disciplinary Panel: The panel appointed by the Chairman/Vice-Chairman of the Governing Body of the NADA to adjudicate on alleged violations of these Anti-Doping Rules.

Anti-Doping Organization: A *Signatory* that is responsible for adopting rules for initiating, implementing or enforcing any part of the *Doping Control* process. This includes, for example, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, other *Major Event Organizations* that conduct *Testing* at their *Events*, *WADA*, International Federations, and *National Anti-Doping Organizations.*

Athlete: Any *Person* who competes in sport at the international level (as defined by each International Federation), or the national level (as defined by each *National Anti-Doping Organization*).An *Anti-Doping Organization* has discretion to apply anti-doping rules to an *Athlete* who is neither an *International-Level Athlete* nor a *National-Level Athlete*, and thus to bring them within the definition of "Athlete." In relation to *Athletes* who are neither *International-Level* nor *National-Level Athletes*, an *Anti-Doping Organization* may elect to: conduct limited *Testing* or no *Testing* at all; analyze *Samples* for less than the full menu of *Prohibited Substances*; require limited or no whereabouts information; or not require advance *TUEs*. However, if an Article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is committed by any *Athlete* over whom an *Anti-Doping Organization* has authority who competes below the international or national level, then the *Consequences* set forth in the *Code* (except Articles 14.3.2) must be applied. For purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for purposes of anti-doping information and education, any *Person* who participates in sport under the authority of any *Signatory*, Government, or other sports organization accepting the *Code* is an *Athlete*.

[Comment: This definition makes it clear that all International- and National-Level Athletes are subject to the anti-doping rules of the Code, with the precise definitions of international- and national-level sport to be set forth in the anti-

doping rules of the International Federations and National Anti-Doping Organizations, respectively. The definition also allows each National Anti-Doping Organization, if it chooses to do so, to expand its anti-doping program beyond International- or National-Level Athletes to competitors at lower levels of Competition or to individuals who engage in fitness activities but do not compete at all. Thus, a National Anti-Doping Organization could, for example, elect to test recreational-level competitors but not require advance TUEs. But an anti-doping rule violation involving an Adverse Analytical Finding or Tampering results in all of the Consequences provided for in the Code (with the exception of Article 14.3.2).The decision on whether Consequences apply to recreational-level Athletes who engage in fitness activities but never compete is left to the National Anti-Doping Organization. In the same manner, a Major Event Organization holding an Event only for masters-level competitors could elect to test the competitors but not analyze Samples for the full menu of Prohibited Substances. Competitors at all levels of Competition should receive the benefit of anti-doping information and education.]

Athlete Biological Passport: The program and methods of gathering and collating data as described in the International Standard for Testing and Investigations and International Standard for Laboratories.

Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical personnel, parent or any other *Person* working with, treating or assisting an *Athlete* participating in or preparing for sports *Competition*.

Attempt: Purposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a course of conduct planned to culminate in the commission of an anti-doping rule violation. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on an *Attempt* to commit a violation if the *Person* renounces the *Attempt* prior to it being discovered by a third party not involved in the *Attempt*.

Atypical Finding: A report from a *WADA*-accredited laboratory or other *WADA*-approved laboratory which requires further investigation as provided by the International Standard for Laboratories or related Technical Documents prior to the determination of an *Adverse Analytical Finding*.

Atypical Passport Finding: A report described as an *Atypical Passport Finding* as described in the applicable *International Standards*.

CAS: The Court of Arbitration for Sport.

Code: The World Anti-Doping Code.

Competition: A single race, match, game or singular sport contest. For example, a basketball game or the finals of the Olympic 100-meter race in athletics. For stage races and other sport contests where prizes are awarded on a daily or other interim basis the distinction between a *Competition* and an *Event* will be as provided in the rules of the applicable International Federation.

Consequences of Anti-Doping Rule Violations ("Consequences"): An *Athlete's* or other *Person's* violation of an anti-doping rule may result in one or more of the following:(a) *Disqualification* means the *Athlete's* results in a particular *Competition* or *Event* are invalidated, with all resulting *Consequences* including forfeiture of any medals, points and prizes; (b) *Ineligibility* means the *Athlete* or other *Person* is barred on account of an anti-doping rule violation for a specified period of time from participating in any *Competition* or other activity or funding as provided in Article 10.12.1; (c) *Provisional Suspension* means the *Athlete* or other *Person* is barred temporarily from participating in any *Competition* or activity prior to the final decision at a hearing conducted under Article 8; (d) *Financial Consequences* means a financial sanction imposed for an anti-doping rule violation or to recover costs associated with an anti-doping rule violation; and (e) *Public Disclosure or Public Reporting* means the dissemination or distribution of information to the general public or *Persons* beyond those *Persons* entitled to earlier notification in accordance with Article 14.Teams in *Team Sports* may also be subject to *Consequences* as provided in Article 11 of the *Code*.

Contaminated Product: A product that contains a *Prohibited Substance* that is not disclosed on the product label or in information available in a reasonable Internet search.

Disqualification: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Doping Control: All steps and processes from test distribution planning through to ultimate disposition of any appeal including all steps and processes in between such as provision of whereabouts information, *Sample* collection and handling, laboratory analysis, *TUEs*, results management and hearings.

Event: A series of individual *Competitions* conducted together under one ruling body (e.g., the Olympic Games, FINA World Championships, or Pan American Games).

Event Venues: Those venues so designated by the ruling body for the *Event.*

Event Period: The time between the beginning and end of an *Event*, as established by the ruling body of the *Event*.

Fault: *Fault* is any breach of duty or any lack of care appropriate to a particular situation. Factors to be taken into consideration in assessing an *Athlete* or other *Person*'s degree of *Fault* include, for example, the *Athlete*'s or other *Person*'s experience, whether the *Athlete* or other *Person* is a *Minor*, special considerations such as impairment, the

degree of risk that should have been perceived by the *Athlete* and the level of care and investigation exercised by the *Athlete* in relation to what should have been the perceived level of risk. In assessing the *Athlete's* or other *Person's* degree of *Fault*, the circumstances considered must be specific and relevant to explain the *Athlete's* or other *Person's* departure from the expected standard of behavior. Thus, for example, the fact that an *Athlete* would lose the opportunity to earn large sums of money during a period of *Ineligibility,* or the fact that the *Athlete* only has a short time left in his or her career, or the timing of the sporting calendar, would not be relevant factors to be considered in reducing the period of *Ineligibility* under Article 10.5.1 or 10.5.2.

[Comment: The criteria for assessing an Athlete's degree of Fault is the same under all Articles where Fault is to be considered. However, under Article 10.5.2, no reduction of sanction is appropriate unless, when the degree of Fault is assessed, the conclusion is that No Significant Fault or Negligence on the part of the Athlete or other Person was involved.]

Financial Consequences: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Government: Government of India.

In-Competition: Unless provided otherwise in the rules of an International Federation or the ruling body of the *Event* in question, "*In-Competition*" means the period commencing twelve hours before a *Competition* in which the *Athlete* is scheduled to participate through the end of such *Competition* and the *Sample* collection process related to such *Competition*.

[Comment: An International Federation or ruling body for an Event may establish an "In-Competition" period that is different than the Event Period.]

Independent Observer Program: A team of observers, under the supervision of *WADA*, who observe and provide guidance on the *Doping Control* process at certain *Events* and report on their observations.

Individual Sport: Any sport that is not a *Team Sport.*

Ineligibility: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

International Event: An *Event* or *Competition* where the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, an International Federation, a *Major Event Organization,* or another international sport organization is the ruling body for the *Event* or appoints the technical officials for the *Event.*

International-Level Athlete: *Athletes* who compete in sport at the international level, as defined by each International Federation, consistent with the International Standard for Testing and Investigations.

[Comment: Consistent with the International Standard for Testing and Investigations, the International Federation is free to determine the criteria it will use to classify Athletes as International-Level Athletes, e.g., by ranking, by participation in particular International Events, by type of license, etc. However, it must publish those criteria in clear and concise form, so that Athletes are able to ascertain quickly and easily when they will become classified as International-Level Athletes. For example, if the criteria include participation in certain International Events, then the International Federation must publish a list of those International Events.]

International Standard: A standard adopted by *WADA* in support of the *Code*. Compliance with an *International Standard* (as opposed to another alternative standard, practice or procedure) shall be sufficient to conclude that the procedures addressed by the *International Standard* were performed properly. *International Standards* shall include any Technical Documents issued pursuant to the *International Standard.*

Major Event Organizations: The continental associations of *National Olympic Committee*s and other international multi-sport organizations that function as the ruling body for any continental, regional or other *International Event*.

Marker: A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates the *Use* of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method.*

Metabolite: Any substance produced by a biotransformation process.

Minor: A natural *Person* who has not reached the age of eighteen years.

NADA: National Anti-Doping Agency of India

National Anti-Doping Agency: The entity designated by Government of India as possessing the primary authority and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of *Samples*, the management of test results, and the conduct of hearings at the national level.

National Event: A sport *Event* or *Competition* involving *International-* or *National-Level Athletes* that is not an *International Event*.

National Sports Federation: A national or regional entity which is a member of or is recognized by an International Federation as the entity governing the International Federation's sport in that nation or region.

National-Level Athlete: *Athletes* who compete in sport at the national level, as defined by each *National Anti-Doping Organization,* consistent with the International Standard for Testing and Investigations. In India, *National-Level Athletes* are defined as set out in Article 1.4.

National Olympic Committee: National Olympic Committee shall be referred as Indian Olympic Association.

National Olympic Committee: The organization recognized by the International Olympic Committee. The term *National Olympic Committee* is referred and defined as the Indian Olympic Association, which is the Confederation of National Sport Federations in the country where the Confederation assumes typical *National Olympic Committee* responsibilities in the anti-doping area.

No Fault or Negligence: The *Athlete* or other *Person's* establishing that he or she did not know or suspect, and could not reasonably have known or suspected even with the exercise of utmost caution, that he or she had *Used* or been administered the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* or otherwise violated an anti-doping rule. Except in the case of a *Minor*, for any violation of Article 2.1, the *Athlete* must also establish how the *Prohibited Substance* entered his or her system.

No Significant Fault or Negligence: The *Athlete* or other *Person's* establishing that his or her *Fault* or negligence, when viewed in the totality of the circumstances and taking into account the criteria for *No Fault* or negligence, was not significant in relationship to the anti-doping rule violation. Except in the case of a *Minor*, for any violation of Article 2.1, the *Athlete* must also establish how the *Prohibited Substance* entered his or her system.

[Comment: For Cannabinoids, an Athlete may establish No Significant Fault or Negligence by clearly demonstrating that the context of the Use was unrelated to sport performance.]

Out-of-Competition. Any period which is not *In-Competition*.

Participant: Any *Athlete* or *Athlete Support Person*.

Person: A natural *Person* or an organization or other entity.

Possession: The actual, physical *Possession*, or the constructive *Possession* (which shall be found only if the *Person* has exclusive control or intends to exercise control over the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* or the premises in which a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* exists); provided, however, that if the *Person* does not have exclusive control over the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* or the premises in which a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* exists, constructive *Possession* shall only be found if the *Person* knew about the presence of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* and intended to exercise control over it. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on *Possession* if, prior to receiving notification of any kind that the *Person* has committed an anti-doping rule violation, the *Person* has taken concrete action demonstrating that the *Person* never intended to have *Possession* and has renounced *Possession* by explicitly declaring it to an *Anti-Doping Organization*. Notwithstanding anything to the contrary in this definition, the purchase (including by any electronic or other means) of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* constitutes *Possession* by the *Person* who makes the purchase.

[Comment: Under this definition, steroids found in an Athlete's car would constitute a violation unless the Athlete establishes that someone else used the car; in that event, the Anti-Doping Organization must establish that, even though the Athlete did not have exclusive control over the car, the Athlete knew about the steroids and intended to have control over the steroids. Similarly, in the example of steroids found in a home medicine cabinet under the joint control of an Athlete and spouse, the Anti-Doping Organization must establish that the Athlete knew the steroids were in the cabinet and that the Athlete intended to exercise control over the steroids. The act of purchasing a Prohibited Substance alone constitutes Possession, even where, for example, the product does not arrive, is received by someone else, or is sent to a third party address.]

Prohibited List: The List identifying the *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods*.

Prohibited Method: Any method so described on the *Prohibited List*.

Prohibited Substance: Any substance, or class of substances, so described on the *Prohibited List*.

Provisional Hearing: For purposes of Article 7.9, an expedited abbreviated hearing occurring prior to a hearing under Article 8 that provides the *Athlete* with notice and an opportunity to be heard in either written or oral form.

[Comment: A Provisional Hearing is only a preliminary proceeding, which may not involve a full review of the facts of the case. Following a Provisional Hearing, the Athlete remains entitled to a subsequent full hearing on the merits of the case. By contrast, an "expedited hearing," as that term is used in Article 7.9, is a full hearing on the merits conducted on an expedited time schedule.]

Provisional Suspension: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Publicly Disclose or Publicly Report: See *Consequences of Anti-Doping Rule Violations* above.

Retroactive TUE:As defined in the International Standard for Therapeutic Use Exemption.

Registered Testing Pool: The pool of highest-priority *Athletes* established separately at the international level by International Federations and at the national level by *National Anti-Doping Organizations,* who are subject to focused *In-Competition* and *Out-of-Competition Testing* as part of that International Federation's or *National Anti-Doping Organization*'s test distribution plan and therefore are required to provide whereabouts information as provided in Article 5.6 of the *Code* and the International Standard for Testing and Investigations.

Sample or *Specimen*: Any biological material collected for the purposes of *Doping Control*.

[Comment: It has sometimes been claimed that the collection of blood Samples violates the tenets of certain religious or cultural groups. It has been determined that there is no basis for any such claim.]

Signatories: Those entities signing the *Code* and agreeing to comply with the *Code*, as provided in Article 23 of the *Code*.

Specified Substance: See Article 4.2.2.

Strict Liability: The rule, which provides that under Article 2.1 and Article 2.2, it is not necessary that intent, *Fault*, negligence, or knowing *Use* on the *Athlete's* part be demonstrated by the *Anti-Doping Organization* in order to establish an anti-doping rule violation.

Substantial Assistance: For purposes of Article 10.6.1, a *Person* providing *Substantial Assistance* must: (1) fully disclose in a signed written statement all information he or she possesses in relation to anti-doping rule violations, and (2) fully cooperate with the investigation and adjudication of any case related to that information, including, for example, presenting testimony at a hearing if requested to do so by an *Anti-Doping Organization* or hearing panel. Further, the information provided must be credible and must comprise an important part of any case which is initiated or, if no case is initiated, must have provided a sufficient basis on which a case could have been brought.

Tampering: Altering for an improper purpose or in an improper way; bringing improper influence to bear; interfering improperly; obstructing, misleading or engaging in any fraudulent conduct to alter results or prevent normal procedures from occurring.

Target Testing: Selection of specific *Athletes* for *Testing* based on criteria set forth in the International Standard for Testing and Investigations.

Team Sport: A sport in which the substitution of players is permitted during a *Competition*.

Testing: The parts of the *Doping Control* process involving test distribution planning, *Sample* collection, *Sample* handling, and *Sample* transport to the laboratory.

Trafficking: Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or *Possessing* for any such purpose) a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* (either physically or by any electronic or other means) by an *Athlete*, *Athlete Support Person* or any other *Person* subject to the jurisdiction of an *Anti-Doping Organization* to any third party; provided, however, this definition shall not include the actions of "bona fide" medical personnel involving a *Prohibited Substance* used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification, and shall not include actions involving *Prohibited Substances* which are not prohibited in *Out-of-Competition Testing* unless the circumstances as a whole demonstrate such *Prohibited Substances* are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.

TUE: Therapeutic Use Exemption, as described in Article 4.4.

TUEC:TUE Committee established by NADA.

UNESCO Convention: The International Convention against Doping in Sport adopted by the 33rd session of the UNESCO General Conference on 19 October, 2005 including any and all amendments adopted by the States Parties to the Convention and the Conference of Parties to the International Convention against Doping in Sport.

Use: The utilization, application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever of any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method.*

WADA: The World Anti-Doping Agency.

[Comment: Defined terms shall include their plural and possessive forms, as well as those terms used as other parts of speech].

APPENDIX 2 : EXAMPLES OF THE APPLICATION OF ARTICLE 10

EXAMPLE 1

Facts: An *Adverse Analytical Finding* results from the presence of an anabolic steroid in an *In-Competition* test (Article 2.1); the *Athlete* promptly admits the anti-doping rule violation; the *Athlete* establishes *No Significant Fault or Negligence*; and the *Athlete* provides *Substantial Assistance*.

Application of *Consequences*:

1. The starting point would be Article 10.2. Because the *Athlete* is deemed to have *No Significant Fault* that would be sufficient corroborating evidence (Articles 10.2.1.1 and 10.2.3) that the anti-doping rule violation was not intentional, the period of *Ineligibility* would thus be two years, not four years (Article 10.2.2).

2. In a second step, the panel would analyze whether the *Fault*-related reductions (Articles 10.4 and 10.5) apply. Based on *No Significant Fault or Negligence* (Article 10.5.2) since the anabolic steroid is not a *Specified Substance*, the applicable range of sanctions would be reduced to a range of two years to one year (minimum one-half of the two years sanction). The panel would then determine the applicable period of *Ineligibility* within this range based on the *Athlete's* degree of *Fault*. (Assume for purposes of illustration in this example that the panel would otherwise impose a period of *Ineligibility* of 16 months.)

3. In a third step, the panel would assess the possibility for suspension or reduction under Article 10.6 (reductions not related to *Fault*). In this case, only Article 10.6.1(*Substantial Assistance)* applies. (Article 10.6.3, Prompt Admission, is not applicable because the period of *Ineligibility* is already below the two-year minimum set forth in Article 10.6.3.) Based on *Substantial Assistance*, the period of *Ineligibility* could be suspended by three-quarters of 16 months.*The minimum period of *Ineligibility* would thus be four months. (Assume for purposes of illustration in this example that the panel suspends ten months and the period of *Ineligibility* would thus be six months.)

4. Under Article 10.11, the period of *Ineligibility*, in principle, starts on the date of the final hearing decision. However, because the *Athlete* promptly admitted the anti-doping rule violation, the period of *Ineligibility* could start as early as the date of *Sample* collection, but in any event the *Athlete* would have to serve at least one-half of the *Ineligibility* period (i.e., three months) after the date of the hearing decision (Article 10.11.2).

5. Since the *Adverse Analytical Finding* was committed in a *Competition*, the panel would have to automatically *Disqualify* the result obtained in that *Competition* (Article 9).

6. According to Article 10.8, all results obtained by the *Athlete* subsequent to the date of the *Sample* collection until the start of the period of *Ineligibility* would also be *Disqualified* unless fairness requires otherwise.

7. The information referred to in Article 14.3.2 must be *Publicly Disclosed*, unless the *Athlete* is a *Minor*, since this is a mandatory part of each sanction (Article 10.13).

8. The *Athlete* is not allowed to participate in any capacity in a *Competition* or other sport-related activity under the authority of any *Signatory* or its affiliates during the *Athlete's* period of *Ineligibility* (Article 10.12.1). However, the *Athlete* may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of a *Signatory* or its affiliates during the shorter of: (a) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (b) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed (Article 10.12.2). Thus, the *Athlete* would be allowed to return to training one and one-half months before the end of the period of *Ineligibility*.

EXAMPLE 2

Facts: An *Adverse Analytical Finding* results from the presence of a stimulant which is a *Specified Substance* in an *In-Competition* test (Article 2.1); the *Anti-Doping Organization* is able to establish that the *Athlete* committed the anti-doping rule violation intentionally; the *Athlete* is not able to establish that the *Prohibited Substance* was *Used Out-of-Competition* in a context unrelated to sport performance; the *Athlete* does not promptly admit the anti-doping rule violation as alleged; the *Athlete* does provide *Substantial Assistance*.

Application of Consequences:

1.The starting point would be Article 10.2. Because the *Anti-Doping Organization* can establish that the anti-doping rule violation was committed intentionally and the *Athlete* is unable to establish that the substance was permitted *Out-of-Competition* and the *Use* was unrelated to the *Athlete's* sport performance (Article 10.2.3), the period of *Ineligibility* would be four years (Article 10.2.1.2).

2. Because the violation was intentional, there is no room for a reduction based on *Fault* (no application of Articles 10.4 and 10.5).Based on *Substantial Assistance*, the sanction could be suspended by up to three-quarters of the four years.*The minimum period of *Ineligibility* would thus be one year.

3. Under Article 10.11, the period of *Ineligibility* would start on the date of the final hearing decision.

4. Since the *Adverse Analytical Finding* was committed in a *Competition*, the panel would automatically *Disqualify* the result obtained in the *Competition*.

5. According to Article 10.8, all results obtained by the *Athlete* subsequent to the date of *Sample* collection until the start of the period of *Ineligibility* would also be *Disqualified* unless fairness requires otherwise.

6. The information referred to in Article 14.3.2 must be *Publicly Disclosed*, unless the *Athlete* is a *Minor*, since this is a mandatory part of each sanction (Article 10.13).

7. The *Athlete* is not allowed to participate in any capacity in a *Competition* or other sport-related activity under the authority of any *Signatory* or its affiliates during the *Athlete's* period of *Ineligibility* (Article 10.12.1). However, the *Athlete* may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of a *Signatory* or its affiliates during the shorter of: (a) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (b) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed (Article 10.12.2). Thus, the *Athlete* would be allowed to return to training two months before the end of the period of *Ineligibility*.

EXAMPLE 3

Facts: An *Adverse Analytical Finding* results from the presence of an anabolic steroid in *an Out-of-Competition* test (Article 2.1); the *Athlete* establishes *No Significant Fault or Negligence*; the *Athlete* also establishes that the *Adverse Analytical Finding* was caused by a *Contaminated Product*.

Application of Consequences:

1. The starting point would be Article 10.2. Because the *Athlete* can establish through corroborating evidence that he did not commit the anti-doping rule violation intentionally, i.e. he had *No Significant Fault* in *Using* a *Contaminated Product* (Articles 10.2.1.1 and 10.2.3), the period of *Ineligibility* would be two years (Article 10.2.2).

2. In a second step, the panel would analyze the *Fault*-related possibilities for reductions (Articles 10.4 and 10.5). Since the *Athlete* can establish that the anti-doping rule violation was caused by a *Contaminated Product* and that he acted with *No Significant Fault or Negligence* based on Article 10.5.1.2, the applicable range for the period of *Ineligibility* would be reduced to a range of two years to a reprimand. The panel would determine the period of *Ineligibility* within this range, based on the *Athlete's* degree of *Fault*.(Assume for purposes of illustration in this example that the panel would otherwise impose a period of *Ineligibility* of four months.)

3. According to Article 10.8, all results obtained by the *Athlete* subsequent to the date of *Sample* collection until the start of the period of *Ineligibility* would be *Disqualified* unless fairness requires otherwise.

4. The information referred to in Article 14.3.2 must be *Publicly Disclosed*, unless the *Athlete* is a *Minor*, since this is a mandatory part of each sanction (Article 10.13).

5. The *Athlete* is not allowed to participate in any capacity in a *Competition* or other sport-related activity under the authority of any *Signatory* or its affiliates during the *Athlete's* period of *Ineligibility* (Article 10.12.1). However, the *Athlete* may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of a *Signatory* or its affiliates during the shorter of: (a) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (b) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed (Article 10.12.2). Thus, the *Athlete* would be allowed to return to training one month before the end of the period of *Ineligibility*.

EXAMPLE 4

Facts: An *Athlete* who has never had an *Adverse Analytical Finding* or been confronted with an anti-doping rule violation spontaneously admits that she *Used* an anabolic steroid to enhance her performance. The *Athlete* also provides *Substantial Assistance*.

Application of Consequences:

1. Since the violation was intentional, Article 10.2.1 would be applicable and the basic period of *Ineligibility* imposed would be four years.

2. There is no room for *Fault*-related reductions of the period of *Ineligibility* (no application of Articles 10.4 and 10.5).

3. Based on the *Athlete's* spontaneous admission (Article 10.6.2) alone, the period of *Ineligibility* could be reduced by up to one-half of the four years. Based on the *Athlete's Substantial Assistance* (Article 10.6.1) alone, the period of *Ineligibility* could be suspended up to three-quarters of the four years.* Under Article 10.6.4, in considering the spontaneous admission and *Substantial Assistance* together, the most the sanction could be reduced or suspended would be up to three-quarters of the four years. The minimum period of *Ineligibility* would be one year.

4. The period of *Ineligibility*, in principle, starts on the day of the final hearing decision (Article 10.11). If the spontaneous admission is factored into the reduction of the period of *Ineligibility*, an early start of the period of *Ineligibility* under Article 10.11.2 would not be permitted. The provision seeks to prevent an *Athlete* from benefitting twice from the same set of circumstances. However, if the period of *Ineligibility* was suspended solely on the basis of *Substantial Assistance*, Article 10.11.2 may still be applied, and the period of *Ineligibility* started as early as the *Athlete's* last *Use* of the anabolic steroid.

5. According to Article 10.8, all results obtained by the *Athlete* subsequent to the date of the anti-doping rule violation until the start of the period of *Ineligibility* would be *Disqualified* unless fairness requires otherwise.

6. The information referred to in Article 14.3.2 must be *Publicly Disclosed*, unless the *Athlete* is a *Minor*, since this is a mandatory part of each sanction (Article 10.13).

7.The *Athlete* is not allowed to participate in any capacity in a *Competition* or other sport-related activity under the authority of any *Signatory* or its affiliates during the *Athlete's* period of *Ineligibility* (Article 10.12.1). However, the *Athlete* may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of a *Signatory* or its affiliates during the shorter of: (a) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (b) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed (Article 10.12.2). Thus, the *Athlete* would be allowed to return to training two months before the end of the period of *Ineligibility*.

EXAMPLE 5

Facts:

An *Athlete Support Person* helps to circumvent a period of *Ineligibility* imposed on an *Athlete* by entering him into a *Competition* under a false name. The *Athlete Support Person* comes forward with this anti-doping rule violation (Article 2.9) spontaneously before being notified of an anti-doping rule violation by an *Anti-Doping Organization.*

Application of Consequences*:*

1. According to Article 10.3.4, the period of *Ineligibility* would be from two up to four years, depending on the seriousness of the violation. (Assume for purposes of illustration in this example that the panel would otherwise impose a period of *Ineligibility* of three years.)

2. There is no room for *Fault*-related reductions since intent is an element of the anti-doping rule violation in Article 2.9 (see comment to Article 10.5.2).

3. According to Article 10.6.2, provided that the admission is the only reliable evidence, the period of *Ineligibility* may be reduced down to one-half. (Assume for purposes of illustration in this example that the panel would impose a period of *Ineligibility* of 18 months.)

4. The information referred to in Article 14.3.2 must be *Publicly Disclosed* unless the *Athlete Support Person* is a *Minor*, since this is a mandatory part of each sanction (Article 10.13).

EXAMPLE 6

Facts: An *Athlete* was sanctioned for a first anti-doping rule violation with a period of *Ineligibility* of 14 months, of which four months were suspended because of *Substantial Assistance*. Now, the *Athlete* commits a second anti-doping rule violation resulting from the presence of a stimulant which is not a *Specified Substance* in an *In-Competition* test (Article 2.1); the *Athlete* establishes *No Significant Fault or Negligence*; and the *Athlete* provided *Substantial Assistance*. If this were a first violation, the panel would sanction the *Athlete* with a period of *Ineligibility* of 16 months and suspend six months for *Substantial Assistance*.

Application of Consequences:

1. Article 10.7 is applicable to the second anti-doping rule violation because Article 10.7.4.1 and Article 10.7.5 apply.

2. Under Article 10.7.1, the period of Ineligibility would be the greater of:

(a) six months;

(b) one-half of the period of *Ineligibility* imposed for the first anti-doping rule violation without taking into account any reduction under Article 10.6 (in this example, that would equal one-half of 14 months, which is seven months); or

(c) twice the period of *Ineligibility* otherwise applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it were a first violation, without taking into account any reduction under Article 10.6 (in this example, that would equal two times 16 months, which is 32 months).

Thus, the period of *Ineligibility* for the second violation would be the greater of (a), (b) and (c), which is a period of *Ineligibility* of 32 months.

3. In a next step, the panel would assess the possibility for suspension or reduction under Article 10.6 (non-*Fault*-related reductions). In the case of the second violation, only Article 10.6.1 (*Substantial Assistance*) applies. Based on *Substantial Assistance*, the period of *Ineligibility* could be suspended by three-quarters of 32 months.*The minimum period of *Ineligibility* would thus be eight months. (Assume for purposes of illustration in this example that the panel suspends eight months of the period of *Ineligibility* for *Substantial Assistance*, thus reducing the period of *Ineligibility* imposed to two years.)

4. Since the *Adverse Analytical Finding* was committed in a *Competition*, the panel would automatically *Disqualify* the result obtained in the *Competition.*

*Upon the approval of *WADA* in exceptional circumstances, the maximum suspension of the period of *Ineligibility* for *Substantial Assistance* may be greater than three-quarters and reporting and publication may be delayed.

5. According to Article 10.8, all results obtained by the *Athlete* subsequent to the date of *Sample* collection until the start of the period of *Ineligibility* would also be *Disqualified* unless fairness requires otherwise.

6. The information referred to in Article 14.3.2 must be *Publicly Disclosed*, unless the *Athlete* is a *Minor*, since this is a mandatory part of each sanction (Article 10.13).

7. The *Athlete* is not allowed to participate in any capacity in a *Competition* or other sport-related activity under the authority of any *Signatory* or its affiliates during the *Athlete's* period of *Ineligibility* (Article 10.12.1). However, the *Athlete* may return to train with a team to use the facilities of a club or other member organization of a *Signatory* or its affiliates during the shorter of: (a) the last two months of the *Athlete's* period of *Ineligibility*, or (b) the last one-quarter of the period of *Ineligibility* imposed (Article 10.12.2). Thus, the *Athlete* would be allowed to return to training two months before the end of the period of *Ineligibility.*

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.